त्रयोदश माला, खंड 29, अंक 16

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2002
20 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...54...
Date ...25/4/03...

(खण्ड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 16, बुधवार, 11 दिसम्बर, 2002/20 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 303, 304 और 306	12-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 302, 305 और 307 से 321	36-65
अतारांकित प्रश्न संख्या 3317 से 3492	65-282
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
रूस के राष्ट्रपति श्री ब्लादिमीर पुतिन की हाल की भारत यात्रा	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	283-308
सभा पटल पर रखे गए पत्र	308-322
राज्य सभा से संदेश	322-323, 471-472
याचिका समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	323
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
चौरासीवां से इक्यानवेवां प्रतिवेदन	323-324
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	324-337
खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों के समक्ष आ रही समस्याएं	324
श्री रमेश चेन्नितला	324, 326-328
श्री दिग्विजय सिंह	325-326, 333-337
श्री वरकला राधाकृष्णन	328-331
श्री के. मुरलीधरन	331
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
विशेषाधिकार का प्रश्न	337-340

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

सदस्यों द्वारा निवेदन

केरल की दो प्रमुख नदियों के जल की दिशा को बदलने संबंधी तमिलनाडु सरकार का कथित निर्णय 352-354

नियम 377 के अधीन मामले 361-367

(एक) राजस्थान में रेवाड़ी–बीकानेर, सादुलपुर–हिसार तथा रतनगढ़–डेगाना मीटर लाइन के आमान परिवर्तन को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 361

(दो) देश में हेपेटाइटिस–बी रोग के खतरे से निपटने के लिए देशी टीके का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल 361-362

(तीन) झारखंड में सिंहभूम जिले में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा 362

(चार) महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. जी. महाजन 363

(पांच) उड़ीसा में भुवनेश्वर में गवर्नमेंट टेक्स्टबुक प्रिंटिंग प्रेस को बंद किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव 363-364

(छह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर पालोलीपालम में पुल के पुनर्निर्माण के लिए प्राक्कलन स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए. के. प्रेमाजम 364

(सात) आंध्र प्रदेश में मछलीपटनम और पेनुमुडी से होकर कट्टीपुडी से ओंगोल तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 का गुजरना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. ब्रह्मनैया 364-365

(आठ) उत्तर प्रदेश में सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गाजीपुर जिले में वृन्दावन में एक डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री तूफानी सरोज 365-366

(नौ) बिहार के खगड़िया जिले में मानसी तथा महेशखुंट रेलवे स्टेशन के बीच चुकती ढाला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर सड़क उपरिपुल का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी 366

विषय	कॉलम
(दस) कृषक समुदाय विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र विजय सिंह	366-367
(ग्यारह) महाराष्ट्र के नासिक जिले में बिजली की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	367
पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक	367-411
विचार करने के लिए प्रस्ताव	367
श्री अरूण शौरी	367-371, 402-411
श्री के. ए. सांगतम	371-376
श्री संतोष मोहन देव	376-379
श्री अनादि साहू	379-383
श्री निखिलानन्द सर	383-385
श्री भीम दाहाल	385-387
श्री राजकुमार वंग्चा	387-389
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	389-392
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	392-397
श्री वनलाल जावमा	397-400
श्री पी. एच. पांडियन	400-402
खण्ड 2 से 6 और 1	410
पारित करने के लिए प्रस्ताव	410-411
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2002-2003	411-468
श्री के. पी. सिंह देव	414-423
श्री थावरचन्द गेहलोत	423-426
श्री मोइनुल हसन	426-430
श्री अरूण कुमार	430-433
कुंवर अखिलेश सिंह	434-438

विषय	कॉलम
श्री के. एच. मुनियप्पा	438-442
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	442-448
श्री जसवंत सिंह	448-468
विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2002	**469-471**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	470
श्री जसवंत सिंह	469-471
खण्ड 2 से 3 और 1	471
पारित करने के लिए प्रस्ताव	471
श्री देवेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य पर हुए हमले की घटना की जांच करने संबंधी समिति के सभापति द्वारा टिप्पणी	472

लोक सभा

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2002/20 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, कल जो घटना घटी थी और जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई, बहाना बनाकर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। श्री मनोज लाल नाम के पदाधिकारी जो वहां के इंचार्ज थे, उनके आदेश से जो लाठीचार्ज हुआ, उसका कैसेट हम लोगों के पास मौजूद है। आप उस कैसेट को देखिए। कल कहा गया कि उन्हें निलम्बित नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप आसन से निर्देश दीजिए और कैसेट को देखिए। आप इस मामले में तुरन्त कार्रवाई करिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में कल बहुत चर्चा हुई है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे गैर जिम्मेदार पदाधिकारी को तुरन्त मुअत्तिल करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कल इस विषय में दो बार चर्चा हुई है और मंत्री जी ने यहां उत्तर दिया है। आप वह कैसेट कल भी मुझे दिखाना चाहते थे लेकिन हम कल देख नहीं सके। मैं अभी वह कैसेट देखूंगा और इस विषय में आपको कह दूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह एक गम्भीर विषय है। गृह मंत्री जी का जो बयान हुआ है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इससे सदन का अपमान हुआ है। सदन की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कैसेट दिखाने के लिए आपने इच्छा प्रदर्शित की है इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूं। आपने कहा कि कैसेट देखिए और मैंने हां कहा। इसमें क्या बुरी बात है?

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं हुआ। इसे देखना सरकार का काम है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सबने मांग की थी। आज ऐसा कौन सा खराब काम हो सकता है?

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल इस विषय में चर्चा हुई थी और गृह मंत्री जी का एक बार बयान भी आया। दूसरी बार उन्होंने स्थिति की समीक्षा करके सदन में अपने विचार व्यक्त किए और आपने अंत में नियमन भी दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आभारी इसलिए हैं कि आपके नियमन से आसन की मंशा बिलकुल साफ झलक रही थी कि दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन अब परिस्थिति दूसरी तरफ मुड़ रही है। अब सदन को यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि क्या गांधी जी के बताए रास्ते पर यह सदन चलेगा? कोई भी व्यक्ति अपना सवाल या किसानों का सवाल लेकर यदि शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर देश, सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल हमने इस विषय में पूरी चर्चा की थी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुन लीजिए। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कई सदस्य प्रश्न काल तुरन्त शुरू करना चाहते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : प्रश्न काल से भी महत्वपूर्ण यह सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसलिए आपको बोलने की इजाजत दी है, लेकिन आप जल्दी पूरा करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रदर्शन करने वालों को अब हथियार लेकर आना पड़ेगा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाए और प्रदर्शनकारी उसका मुकाबला करें। जिस समय गृह मंत्री बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आदरणीय चन्द्रशेखर जी और देवगौड़ा जी ने वह बयान दिया है जिससे प्रथम दृष्ट्या आरोप प्रमाणित हो चुका है।

श्री आडवाणी जी ने प्रथम दृष्ट्या आरोप प्रमाणित सदन में स्वीकार किया है। यह सब लोग जानते हैं कि जब पुलिस ड्यूटी पर तैनात होती है तो उसका कोई न कोई प्रभारी होता है, जिसके नाम की चर्चा यहां हुई है, उसका नाम मनोज लाल दास है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वह मनोज लाल दास किसी केन्द्रीय मंत्री का रिश्तेदार है। अगर वह केन्द्रीय मंत्री का रिश्तेदार है तो क्या इसीलिए सरकार बचने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। इस तरह की घटना घटे और किसी मंत्री का रिश्तेदार होने के नाते उस अधिकारी को बचाया जाए और आपका सांसद जख्मी हालत में पूरे देश को अपना शरीर दिखाता रहे और उसके बाद सरकार कहे कि जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस घटना की कैसेट मौजूद है, आप कैसेट मंगवाकर पूरे सदन को दिखलाइए। इस सदन से बड़ी कोई कमेटी नहीं हो सकती। सदन इसका फैसला करेगी कि क्या होना चाहिए। इस मामले में कोई भी टालमटोल स्वीकार नहीं की जाएगी। हमने आज भी इस विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष दिया है। इसलिए प्रश्न काल से ज्यादा महत्वपूर्ण यह सवाल है। इस पर श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और सारे नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। आप इनकी भावनाओं का आदर कराइए। इस तरह से लाठी चलाने वालों को संरक्षण देकर सरकार चाहे कि लाठी की बदौलत हम सरकार चला लेंगे, इसे सदन कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप फिर से इस सवाल पर अपना नियमन दीजिए और उस दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आसन से निर्देश दीजिए और उसके नाम के साथ घोषित कीजिए। मनोज लाल दास का नाम चर्चा में आ चुका है कि लाठी चलवाने में उसकी भूमिका रही है। इन शब्दों के साथ हम इस उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं कि इस मुद्दे पर आप नियमन जरूर देंगे और सदन की भावनाओं का आदर करेंगे तथा माननीय सदस्य की घायल स्थिति को आपने देखा है, इसलिए इन सब बातों पर विचार करते हुए आप नियमन जरूर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस विषय में तीन माननीय सदस्यों ने एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं, उनमें श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री रामजीलाल सुमन और श्री चंद्रनाथ सिंह के नाम हैं। मैं इन तीनों से विनती करूंगा कि आप दो-दो मिनट बोलिए, क्योंकि मुझे क्वैश्चन ऑवर शुरू करना है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, दो विधायक और तमाम लोग घायल हुए हैं। उस सिलसिले में विस्तार के साथ पूरी बात श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने यहां रखी और उसकी पुष्टि पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा जी ने भी की कि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव का प्रयास था कि शांति भंग न हो, इस प्रकार एक तरह से वह प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने जब अपनी बात यहां रखी तो कहा गया कि गृह मंत्री जी इस पर बयान देंगे। शाम को गृह मंत्री जी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैंने तीन लोगों से इसके बारे में जानकारी हासिल की है—उपराज्यपाल, गृह सचिव और पुलिस आयुक्त। महोदय, ये लोग तो इसमें एक तरह से पार्टी हैं और इनका काम अपने सब-ऑर्डिनेट को बचाना है। असली सवाल यह है कि जो सांसद घायल हुए हैं, उनकी बात में ज्यादा दम है, उनकी बात ज्यादा सार्थक है या जिन आला अफसरान ने गृह मंत्री जी को ब्रीफ किया, वे ज्यादा सार्थक हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। अगर किसी सांसद के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है तो मैं नहीं समझता कि कोई जनतंत्र में ठीक से काम भी कर पाएगा। आपने इस पर व्यवस्था दी है, हम आपके आभारी हैं। लेकिन मनोज लाल दास जो प्रभारी पदाधिकारी है, हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का कष्ट आप जरूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में दो बातें कहना चाहता हूं। प्रथम यह कि कल इस विषय पर सुबह और शाम को चर्चा हुई और चर्चा के दौरान यह तय किया गया कि इस विषय में कमेटी नियुक्त की जाए और इस पर हाउस कमेटी होनी चाहिए। मैं उस समय भी चाहता था कि इस विषय में प्रिविलेज कमेटी होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने विनती की और मैंने आपकी भावनाओं को मान लिया। उस हाउस कमेटी की मीटिंग आज चार बजे होने वाली है, ऐसा मुझे किसी ने कहा है कि चार बजे यह मीटिंग होगी। कल गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी आश्वासन दिया कि जो कमेटी नियुक्त की जाएगी, वह कमेटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट आज भी दे सकती है और कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री जी तैयार हैं। मैं एक बार फिर गृह

मंत्री जी को यहां से निदेश देना चाहता हूं कि यह विषय गंभीर है और जब हमारा एक सांसद लाठीचार्ज में घायल हुआ है तो इस विषय में तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। जब कमेटी की इन्क्वायरी शुरू हो चुकी है तब गृह मंत्री जी भी इसमें जा सकते हैं। जो कुछ भी आदेश देना है, वह गृह मंत्री महोदय दें और इस सदन को जल्दी से जल्दी अवगत कराएं।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : सदन उठने से पहले।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आज सदन उठने से पहले रिपोर्ट आ जाएगी, तो वे आज ही सदन को अवगत कराएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कम्पलीट नहीं किया है। प्लीज बैठिए।

मैं तो यह चाहता हूं कि यह विषय जितना गम्भीर आप समझते हैं उतना ही गम्भीर में समझता हूं और इसीलिए कल मैंने पूरी बहस करने का अवसर दिया, लेकिन आप मुझे भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर किसी को सस्पेंड करना, डिसमिस करना, यह अधिकार सरकार का होता है और पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है। अगर हमने इस बाडी की एक कमेटी नियुक्त की है, तो उसकी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। आज 4 बजे भी कमेटी अपनी इंटेरिम रिपोर्ट दे सकती है, कमेटी का निर्णय आ सकता है। कमेटी का निर्णय पार्लियामेंट का निर्णय होगा। मंत्री चाहे कोई भी हों, उन्हें वह मान्य होगा और आडवाणी जी ने खुद यह कहा है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि इस बहस को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं प्रश्न–काल प्रारम्भ करना चाहता हूं। कृपया आगे कार्रवाई बढ़ाने में मुझे आप सहयोग दें। मैंने खुद यह कहा कि मैं स्वयं आपके विचार से सहमत हूं कि इस पर तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी ने मनमानी की है, उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए। उसके बाद सारी बात होगी।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी, तब उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन पहले जो पदाधिकारी लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी है उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो कहा कि जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, वैसे ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कल गृह मंत्री जी ने बयान दिया इससे लगता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। उनके बयान का सच्चाई से कोई संबंध नहीं था।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री के बयान से सदन की मर्यादा भंग हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मुझसे बहुत से माननीय सदस्यों ने यह विनती की है कि प्रश्न–काल प्रारम्भ किया जाए। प्रश्न–काल भी प्रारम्भ होना चाहिए। प्रश्न–काल में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर सरकार की ओर से आना है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हम एक बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कल सुबह गृह मंत्री जी जब बयान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक पर्चा आया है जिसमें कहा गया है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, आपको स्मरण होगा। और दूसरी तरफ जब वे शाम को बयान दे रहे थे, तब उन लोगों से बात करके, बयान दे रहे थे जो लोग घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और जो लोग घटना स्थल पर मौजूद थे जिनमें आदरणीय देवगौड़ा जी, भू.पू. प्रधान मंत्री, माननीय सदस्य डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा जी का भी बयान सदन में आया। हम सिर्फ एक बात आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि घटना स्थल पर नहीं रहने वालों के बयान पर सरकार उत्तर देती है और पुलिस पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती और सदन में भू.पू. प्रधान मंत्री अपना बयान दर्ज कराते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद भी सदन की कमेटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, हम नहीं समझते कि यह बात उचित है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय अपनी बात कहने के लिए दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं सबको इजाजत नहीं दूंगा। जिन्होंने नोटिस दिया था उन तीन माननीय सदस्यों में से यहां दो उपस्थित थे, मैंने उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दिया।

अब प्रश्न–काल प्रारम्भ हो चुका है। इसलिए इस पर आर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह जी, जब मैंने आपका नाम पुकारा, तब आप सदन में उपस्थित नहीं थे। इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूं। प्लीज बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूं। मैंने आपको पूरा सहयोग दिया है। अगर इतना सहयोग देने के बाद भी आप यह सोचते हैं कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे, तो यह ठीक नहीं है। दूसरा बिजनेस भी बहुत जरूरी है।

प्रभुनाथ सिंह जी, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि मैंने आपको पूरा मौका दिया है। आज भी मैंने आपको अपनी बात कहने हेतु दो बार अवसर दिया है। जो बात आपने सदन में कही है, मैं गृह मंत्री जी को उसे बताने वाला हूं। अभी तो मुझे प्रश्न–काल प्रारम्भ करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल आपने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आप इनको सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने इनको सुना है। इनका जो कैसेट है, वह मैं आज देखने वाला हूं। इस विषय में हम साथ बैठ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह अखबारों में आया हुआ है। उनको दस–दस टांके लगे हैं।... *(व्यवधान)* उन पर वाटर केनन छोड़े गए, लाठी चार्ज हुआ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, इंटरिम रिपोर्ट की बात कही जा रही है। संसदीय इतिहास में आए हुए मुझे भी 13 साल हो गए हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब सारे साक्ष्य मौजूद हैं, आपने ठीक कहा कि हमने संसदीय समिति बनाने की मांग की थी लेकिन वह परिस्थिति अलग थी। जब सारे साक्ष्य, सारे सबूत हम पेश कर रहे हैं, घायलावस्था की फोटो दिखा रहे हैं।...*(व्यवधान)* आपने चेयर से नियमन दिया था कि जो माननीय सदस्य कहेंगे, मैं उस पर विश्वास करूंगा। यह नियमन आपने कल इसी आसन से, जो कि सर्वोच्च आसन है, दिया था। आप न्याय के आसन पर बैठे हैं। आप न्याय करना चाहते हैं लेकिन आपको सरकार की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, सदन को दी जा रही है, वह बिल्कुल गलत है। ...*(व्यवधान)* जो अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे चाहे वे होम सेक्रेटरी हों, लेफ्टिनेंट गवर्नर हों या सी.पी. हों, इन तीनों में से वहां कोई मौजूद नहीं था। वहां मौजूद थे डी.सी.पी. श्री मनोज़ लाल। मैं अगर सारी बात खोल दूं तो आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि आप चाहते हैं कि माननीय सदस्य के अधिकार की रक्षा हो। क्या मैं इस बात को खोल दूं कि सच्चाई क्या है और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? ...*(व्यवधान)* सरकार की क्या मजबूरी है, क्या यह मैं खोल दूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे सुनेंगे?

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : गृह मंत्री जी क्यों परेशान हैं, क्या यह मैं खोल दूं।...*(व्यवधान)* आज अखबार में छप चुका है कि मनोज लाल किसी वरिष्ठ मंत्री के...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह इसके बारे में बता चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, एक अफसर को बचाने के लिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि जिस विषय पर

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। आप निर्णय करें। मैंने कल भी आपको बताया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय ही देने वाला हूं। मेरे अधिकार में जो निर्णय करना है, वह मैं जरूर करूंगा।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपका नियमन किसी भी तरह का हो।...*(व्यवधान)* चेयर से जो भी नियमन हो लेकिन हमारा कहना है कि ब्रीच ऑफ हाउस में उस आफिसर को बुलाया जाए।...*(व्यवधान)* यह मेरा निवेदन है कि इसे इस हाउस के कटघरे में बुलाया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कौन अधिकारी जिम्मेदार है, यह तय करने के लिए कमेटी नियुक्त की गई है। आपने जो विचार यहां रखे हैं, उसे मैं गृह मंत्री जी के सामने रखूंगा लेकिन सदन का दूसरा काम भी होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे सहयोग देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी आज नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस नहीं है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं। हमारा इस संबंध में नोटिस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी–अपनी जगह पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की मर्यादा आपके हाथ में सुरक्षित है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे विद्वान अध्यक्ष के...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी बोलिए कि आपको क्या कहना है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह : जो घटना श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के साथ घटित हुई है, उस संबंध में हमारा कहना है कि वे मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं। उनका अपमान इस सदन का अपमान है। अगर उनकी पुलिस पिटाई करती है और 24 घंटे तक हमारे गृह मंत्री जी, उप प्रधान मंत्री जी जवाब नहीं दे पाते तो हम समझते हैं कि जब तक वह अधिकारी सस्पेंड नहीं होगा तब तक सदन की कोई भी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इस सदन को स्थगित कर देना चाहिए। अगर अधिकारी मनमाने ढंग से मार–पीट करते रहेंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कुछ नहीं होगा। ...*(व्यवधान)* यह उनका अपमान नहीं है, जनतंत्र का अपमान है।*...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल आप मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हम इसे बरदाश्त नहीं कर सकते कि जो ईमानदार अधिकारी नहीं है, वह हमारे लोगों को मारे। ...*(व्यवधान)* इस तरह से हमारा कोई भी सदस्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि सभा के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक बात पर विचार किया गया था। कल, इस मुद्दे पर दो घंटे तक वाद–विवाद हुआ था। सभा के अनुरोध पर एक समिति गठित की गई थी। यह समिति आज से कार्य करना शुरू कर देगी। समिति अपनी रिपोर्ट देगी और माननीय मंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे। इस बीच, मेरे पास प्रश्न काल शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सब लोग बैठिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

इस सभा के अध्यक्ष के रूप में जो कुछ संभव था मैंने किया है। यह निर्णय करना मंत्री का काम है कि क्या कार्यवाही की जानी है। हमने उन्हें कल ही बता दिया था कि सभा ने यह इच्छा व्यक्त की है कि अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि समिति की बैठक हो सकती है और अंतरिम रिपोर्ट दे सकती है। वह उस समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

समिति स्वयं संसद के समान है। अब, एक प्रक्रिया है और मैं प्रक्रिया से परे नहीं जा सकता और मंत्री पर दबाव नहीं डाल सकता कि उन्हें कुछ न कुछ तत्काल करना चाहिए क्योंकि सदस्यों की ओर से अनुरोध किया गया है। किन्तु फिर भी मैं पूरी सभा को आश्वस्त करता हूं कि यह एक संसद सदस्य का अपमान है और मैं इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से आपके साथ हूं कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले को पुनः गृह मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। मेरा केवल यह अनुरोध है कि गृह मंत्री को पुनः इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। सामान्य रूप से यह प्रक्रिया नहीं है किन्तु यद्यपि प्रक्रिया नहीं है फिर भी मैं माननीय गृह मंत्री से पुनः इस मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं ताकि समक्षपिक जांच की जा सके और समिति इसकी जांच कर सकती है। दूसरी बात यह है कि मंत्री इसकी जांच कर सकते हैं।

मैं आप सभी से संतुष्ट होने का अनुरोध करता हूं। हम गृह मंत्री को भी कुछ समय दें। मैं वह कैसेट भी देखना चाहता हूं जो माननीय सदस्य मुझे देना चाहते हैं। आपको भी मुझे कैसेट देखने का समय देना चाहिए। मैं पुनः गृह मंत्री के साथ संबंधित सदस्य का समय निर्धारित करने के लिए तैयार हूं ताकि वह भी उन्हें ठीक स्थिति स्पष्ट कर सकें। मुझे आशा है कि इससे सभा अपना कार्य संचालन कर सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी : ऐसे हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर मामला है कि इस पर बहस होनी ही नहीं चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अरूण कुमार : अब तक जो कार्यवाही हुई है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सरकार की संवदेनहीनता से हम लोग चिंतित हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 303 श्रीमती निवेदिता माने।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शीतल पेय पदार्थों पर अनुसंधान

\+

***303. श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका और यूरोपीय देशों में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि शीतल पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इनसे सिर दर्द, नेत्रहीनता, मानसिक बीमारी आदि जैसी बीमारियां पैदा होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अध्ययनों से पता चलता है कि शीतल पेय के अत्यधिक उपभोग तथा दूध, फल और सब्जियों के रस के कम उपभोग अथवा उपयोग न करने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा

होती हैं। शीतल पेय के अत्यधिक उपभोग से शरीर में अतिरिक्त शर्करा, कैलोरी, कैफिन एसिड आदि उत्पन्न होते हैं जबकि दूध आदि के कम उपभोग से आवश्यकतानुसार खनिज और विटामिन नहीं मिल पाते जिसके कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं।

इन अध्ययनों ने विकसित देशों के समाज में उपभोग के ढंग का व्यापक आधार विकसित किया है।

भारत में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। भारत में हालत बिल्कुल भिन्न है क्योंकि शीतल पेय का उपभोग प्रति व्यक्ति नगण्य है तथा यहां दूध पीने पर अधिक जोर दिया जाता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत बताए गए नियमों में सुरक्षा पैरामीटर बनाए गए हैं जो शर्करा, कैफिन, एसिड आदि की मात्रा तय करते हैं।

मौजूदा वैश्विक प्रवृत्तियों से पता चलता है कि दूध का उपभोग धीरे–धीरे कम हो रहा है तथा शीतल पेय का उपयोग बढ़ रहा है। इस देश में भी दूध और प्राकृतिक फलों के रसों के और अधिक उपभोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष महोदय, अमरीका और यूरोप देशों ने शीतल पेय के बारे में अध्ययन किया है लेकिन भारत ने इसका अध्ययन नहीं किया है, ऐसा उत्तर में कहा गया है। क्या भारत में इसका सर्वेक्षण करने का कोई इरादा है, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनने दीजिए जो श्री खैरे कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री सदन में वक्तव्य देने नहीं आते। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक की स्थिति दयनीय है। संसद सदस्यों एवं उनके परिजनों का भी समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है।...*(व्यवधान)* उन्होंने राज्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं दे रखा है। उन्हें मात्र प्रश्नों के जवाब देने के लिए खड़ा करके वे स्वयं पलायित हो जाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : महोदय, आप मंत्री को सभा में उपस्थित होने का निर्देश देते हैं जब उनके मंत्रालय से संबंधित कोई प्रश्न हो...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राजा, कृपया माननीय स्वास्थ्य मंत्री को सूचित कीजिए कि माननीय सदस्यों की इच्छा यह है कि उन्हें संसद में उपस्थित होना है जब भी उनके मंत्रालय से संबंधित प्रश्न हो।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : वह निषेधात्मक है, शिवसेना की ओर से हम इसका निषेध तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन इसकी जांच इम्मीडिएटली होनी चाहिए। आप मुख्य मंत्री थे, शरद पवार जी मुख्य मंत्री थे तो आपके जमाने में हमने असेम्बली में देखा है, इसलिए बोल रहा हूं कि आपके जमाने में ऐसा कुछ हुआ तो उसे सस्पेंड किया जाता था और उसकी इन्क्वायरी होती थी। हम यही मांग करते हैं कि उन्हें सस्पेंड किया जाए। आपने जो कमेटी फोर्म की है, उसकी मीटिंग चार बजे है, क्यों नहीं उसकी मीटिंग एक बजे ही ली जाए। आप आदेश दीजिए कि एक बजे मीटिंग बुलाई जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं चर्चा करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बैठक एक बजे अपराह्न भी शुरू की जा सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि सदस्य सहमत हों।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : इम्मीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह हाउस के सभी सदस्यों के बारे में है। आज यह उन पर हुआ, कल हमारे ऊपर होगा, और किसी पर होगा, यह नहीं होना चाहिए और आफिसर्स को यह करने की कोई जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह किया जा सकता है। मैं समिति के सभापति से एक बजे अपराह्न बैठक बुलाने, यदि सम्भव हो, का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम लोग संसद सदस्य हैं। आपने कानून बनाकर हम लोगों को दवा देने की व्यवस्था की है। लगभग 15–20 रोज से, एक महीने से एक भी सांसद को दवा उपलब्ध नहीं हो रही है, लोग परेशानी में हैं और हैल्थ मिनिस्टर पूरे सदन से आउट हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर में आप प्रश्न उठाइए, मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्री रघुनाथ झा : वे सिनेमा की सूटिंग कर रहे हैं और ये जवाब देंगे तो आप इन्हीं को मिनिस्टर बना दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। झा साहब ने इम्पोर्टेंट विषय यहां उपस्थित किया है। मि. झा, आपने जो विषय उपस्थित किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस बारे में मंत्री जी को कहूंगा। जीरो ऑवर में यह प्रश्न भी उठाया जाएगा। अब प्रश्न शुरू होगा।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : कोई गम्भीर नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री गायब हो जाते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, प्लीज।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री ए. सी. जोस : यहां कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बैठे हैं। कोई नहीं है। आपको उन्हें निर्देश देना है। आपको सरकार को निर्देश देना है। आप इस सभा के संरक्षक हैं। यहां कोई नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

रामदास जी, कृपया बैठिए, मैं खड़ा हूं। हमारे महाराष्ट्र स्टेट का नाम कैसे अच्छा बने, आप इसके लिए और कोशिश करिए।

[अनुवाद]

मंत्री जी, सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक मुद्दा उठाया है कि श्री शत्रुघ्न सिन्हा माननीय मंत्री आज उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊं कि यह प्रश्न सभा में कई बार उठाया गया था। इसलिए जब भी प्रश्न काल हो, अगली बार से मंत्री को नियमित रूप से सभा में आने दीजिए और इस मामले को माननीय मंत्री को भेजिए। मैं सदस्यों की चिंता को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं भी मंत्री को व्यक्तिगत रूप से बोलूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी जानते हैं कि इसका तात्पर्य सरकार हें, मंत्री का अर्थ सरकार से है। वह सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(व्यवधान)

श्री ए. राजा : जैसा कि उत्तर में उल्लेख है, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने शीतल पेयों के उपयोग संबंधी अनुसंधान किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

श्री ए. राजा : भारत में शीतल पेय का उपभोग लगभग नगण्य है जब इसकी तुलना साधारण परम्परागत पेय और भोजन से की जाती है। भारत सरकार को कोई शिकायत अथवा कोई रोगोन्मुखी शिकायत नहीं मिली है जो हमें ऐसा अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसलिए, भारत सरकार इस समय

ऐसा कोई सर्वेक्षण करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बिल्कुल आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका सहयोग चाहिए। कहा जाता है कि कोकाकोला में एक दांत अगर 12 घंटे भिगोकर रखा जाए, तो वह पिघल जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या यह सही है और क्या आपने इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है, अगर नहीं कराया है तो कब तक कराने का इरादा है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : हमने सर्वेक्षण नहीं कराया है और हमारा सर्वेक्षण करने का कोई विचार नहीं है चूंकि ऐसा कोई खतरा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सिंथेटिक शीतल पेय पदार्थ का अधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वहां कई बार मरीजों को सिंथेटिक पेय दिया जाता है। जहां सरकारी समारोह होते हैं, रेलवे में भी आप देखें, शताब्दी आदि ट्रेनों और इंडियन एयरलाइंस तथा दूसरी फ्लाइट्स में भी सब जगह सिंथेटिक पेय पदार्थ दिए जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे कम से कम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अपने मंत्रालय में, सरकारी अस्पतालों में, अन्य मंत्रालयों में और सरकारी समारोहों में तथा सिविल एविएशन और रेलवे में इस प्रकार के सिंथेटिक पेय पदार्थ देने पर प्रतिबंध लगाया जाए और प्योर फ्रूट ज्यूस दिया जाए? ऐसा करने से किसानों का भी भला होगा, उनको मार्केट मिलेगी और यह हानिकारक नहीं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक है। क्या मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, भारत समेत विश्व में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी अनुसंधान से पता चला हो कि शीतल पेयों का उपभोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अथवा खतरनाक है। समस्या यह है कि अधिक से अधिक शीतल पेय के उपभोग से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए विनियमन होना चाहिए।

जहां तक भारत के जैविक संदर्भ का संबंध है तो हमें किसी ऐसे खतरे का पता नहीं चला है कि शीतल पेय के उपभोग से कुछ रोग हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। एक तरफ मंत्री जी स्वयं मान रहे हैं कि वहां स्टडी हुई है और उससे साबित होता है कि यह हानिकारक है। फिर ये कहते हैं कि स्टडी नहीं करवाई है। अस्पताल में मरीज आता है, उसको सिंथेटिक पेय दिया जाता है, वह और बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। मंत्री जी को अपने मंत्रालय में और दूसरे सरकारी संस्थानों में फ्रूट ज्यूस लागू कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है। आपको जवाब मंजूर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। इस पर चर्चा हो सकती है और क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन : आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

यह उत्तर स्पष्ट नहीं है कि कौन से शीतल पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है किन्तु उनका कहना है कि इसे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उत्तर स्पष्ट नहीं है किन्तु मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। नारियल पानी भी शीतल पेय कहा जा सकता है। वे कौन से शीतल पेय हैं जिन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाना है? क्या सरकार नारियल पानी और फलों के जूस जैसे प्राकृतिक शीतल पेय को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाएगी? क्या सरकार कोकोनट मिशन के एक भाग के रूप में नारियल पानी का विपणन करने के लिए केरल सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना से अवगत है?

श्री ए. राजा : मैं सभा के समक्ष एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यह कहीं नहीं कहा गया है कि क्या भारत अथवा कहीं और ऐसा है कि शीतल पेय का उपभोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समस्या यह है कि शीतल पेय के अधिक उपभोग से कुछ रोग हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अधिक उपभोग से कुछ रोग हो जाएंगे।

श्री ए. राजा : जहां तक भारत का संबंध है ऐसा अध्ययन

नहीं कराया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में हमने भारत के लोगों के लिए खानपान संबंधी दिशानिर्देश तैयार किया है कि वे कौन सी खाद्य वस्तुएं हैं जिन्हें हमारे जैविक प्रसंग विशेषकर शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों, किशारों, गर्भवती महिलाओं और मधुमेह और अन्य रोगों से पीड़ित वृद्ध लोगों के अनुसार लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास विभाग ने भारत में भोजन आधारित खानपान संबंधी दिशानिर्देश (फूटबेस्ड डायरी गाइडलाइन्स इन इंडिया) पुस्तिका जारी की है जिसमें भी उन्होंने भारत में उपलब्ध विभिन्न आयु वर्गों के लिए उपयुक्त खाद्य वस्तुओं और ऐसी अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया है।

जहां तक नारियल पानी का संबंध है इसे शीतल पेय के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। जिन्हें शीतल पेय कहा गया है, वे वे शीतल पेय हैं जिन्हें कार्बोनेट वाली प्रक्रिया में मीठापन दिया जाता है। उसे शीतल पेय कहा जाता है। शीतल पेय लेना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में यह बताया गया है कि शीतल पेयों का अत्यधिक उपभोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा : इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है।

श्री ए. सी. जोस : विश्व–स्तर पर यह स्वीकार कर लिया गया है कि शीतल–पेयों का अत्यधिक उपभोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए क्या सरकार इस धारणा के प्रचार के लिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में किए जा रहे प्रचार को नियंत्रित करने के लिए आगे आएगी और क्या सरकार हमारे प्राकृतिक पेयों के प्रचार के लिए आगे आएगी? माननीय मंत्री श्री पी. राजेन्द्रन जी ने बताया है कि नारियल से बहुत अच्छी शराब बनती है और यह अच्छा पेय पदार्थ हो सकती है। अब, नारियल की शराब आ रही है और इसका भी विकास किया जा सकता है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इसके फैलाव का प्रयास करेगी या बड़े बहुउद्देश्यीय पेय पदार्थों का प्रचार करेगी और उसी के साथ–साथ नारियल की शराब के उपभोग को भी बढ़ावा देगी?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न और उत्तर दोनों बहुत संक्षिप्त होने चाहिए।

श्री ए. राजा : हालांकि पेय पदार्थ का प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत कम है इसलिए भारत सरकार का वर्तमान में पेय पदार्थ के नियंत्रण को प्रतिबंधित करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ हम पथ्य संबंधी रिपोर्ट में नारियल के पानी और दूध सहित अन्य चीजों को बढ़ावा भी दे रहे हैं।

तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग पर प्रतिबंध

+

***304. श्री रामदास आठवले :**

श्री सुरेश चन्देल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ उच्च न्यायालयों ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गुटका, पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के उक्त आदेश पर स्थगन आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों के साथ इस मामले में प्रतिरोध करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय विधान लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में 'गुटखा' और 'तम्बाकू' के विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, रखना (स्वामित्व) और उपभोग पर 2002 की याचिका संख्या 3837 के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर बैंच) के दिनांक 2.8.2002 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी। भारत के

सर्वोच्च न्यायालय में सी.सी. संख्या 6358/02 द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जिससे उक्त आदेश पर दिनांक 7.8.2002 को रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 3654/2002 के तहत दिनांक 18.7.2002 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को पान मसाला और गुटखा के उत्पादन, बिक्री और प्रचार पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। गुटखा और पान मसाला के विनिर्माताओं ने इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिसने दिनांक 28.10.2002 को उक्त आदेश निरस्त कर दिया था।

सरकार का उच्चतम न्यायालय के आदेश की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने राज्य सरकारों को न्यायालयों में लम्बित किन्हीं वादों के संबंध में कोई सलाह नहीं दी है। इस मामले में राज्य सरकारें यदि ठीक समझती हैं तो कार्रवाई कर सकती हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों के पास किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री पर जनहित में रोक लगाने का स्वतंत्र अधिकार है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने उक्त उपबंधों के अंतर्गत पहले ही तम्बाकू/गुटखा/चबाने वाले तम्बाकू वाले पान मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान और बिहार जैसे कुछ और राज्यों ने भी अपने क्षेत्र में इन उत्पादों पर रोक लगाने की घोषणा की है। जहां तक लोगों के स्वास्थ्य का संबंध है, भारत सरकार ने राज्य सरकारों की ऐसी पहलों का विरोध नहीं किया है तथा राज्य सरकारों के गुटखा/पान मसाला तथा इस प्रकार के उत्पादों पर रोक लगाने के निर्णयों की पुनरीक्षा करने के लिए उन्हें सलाह देने को भी समुचित नहीं समझा है।

राज्य सभा में मार्च, 2001 को "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (प्रचार निषेध एवं व्यापार नियमन और विपणन, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण) विधेयक, 2001" नामक एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू उत्पाद के प्रचार, छोटे बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचने तथा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक लगाकर तम्बाकू के उपभोग को नियंत्रित करना है। इस विधेयक को विभाग से संबंधित मानव संसाधन विकास की संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों का संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया था जो अब तक प्राप्त हो चुके हैं। स्थायी समिति की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जब अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, विधेयक को आवश्यक संशोधन करने हेतु राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में गुटखा और तम्बाकू के विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, रखना (स्वामित्व) और उपभोग पर 2002 की याचिका संख्या 3837 के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर बैंच) के दिनांक 2.8.2002 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी। भारत के सर्वोच्च...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, प्रश्न पूछिए। यह सब क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री रामदास आठवले : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की रोक लगाई गई थी। इसी तरह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार ने भी गुटखा पर पाबंदी लगाने का निर्णय ले लिया था। राजस्थान और बिहार में भी इसी तरह की घोषणा की है। मेरा सवाल यह है कि गुटखा और पान मसाले पर पाबंदी लगाने का क्या कारण है? गुटखा जैसे खाद्य पदार्थ पर जो परमिशन दी थी तब उसमें क्या कमी पाई थी और अगर कुछ दोष था तो उसको पहले क्यों परमिशन दी थी? यह हमारा सवाल है और गुटखा खाने से कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है और गुटखा खाने वाले लोगों की देश में कितनी संख्या है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, मेरा प्रश्न उच्च न्यायालय द्वारा तम्बाकू उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित है। न्यायिक प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। इसके बावजूद माननीय सदस्य ने गुटखे और अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रतिबंध के स्तर के बारे में पूछा है।

राज्य सभा में सिगरेट और अन्य तम्बाकू (उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, वितरण और आपूर्ति के विनियम और विज्ञापन पर प्रतिबंध) नामक विस्तृत विधेयक 2001 प्रस्तुत किया गया है। इस कारण, यह कुछ सुझावों के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है। हमें यह स्थायी समिति से वापिस मिल

गया है। दुबारा, यह कैबिनेट को भेज दिया गया है। हम कैबिनेट के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वह कैबिनेट से आएगा उस पर सभा में चर्चा की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : जवाब सही नहीं है। मंत्री सही है मगर जवाब सही नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, इसमें क्या सही नहीं है? यह बात तो सच है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि 2001 में राज्य सभा में विधेयक के बारे में आपने जो बताया है, मेरा सवाल यह था कि गुटखा में अगर कमी थी तो उसकी परमिशन देने की क्या आवश्यकता थी? मेरा दूसरा सवाल यह है कि गुटखा पर पाबंदी लगाई है यह अच्छा किया है। लेकिन मेरी मांग है कि तम्बाकू, बीड़ी और सिगरेट भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गुटखा के साथ–साथ तम्बाकू, बीड़ी और सिगरेट पर पाबन्दी लगाने के संबंध में लोक सभा में आप विधेयक कब लाने वाले हैं और अगर बंद नहीं करोगे गुटखा तो सभी महिलाएं आपको देंगी फटका। महिलाएं बहुत नाराज हैं, इसीलिए यह सब बंद होने की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या तम्बाकू, बीड़ी और सिगरेट पर भी पाबन्दी लगाने का सरकार का कुछ विचार है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, मैं सभा में यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि सरकार का इरादा सिगरेट या गुटखा या पान मसाला, बीड़ी सहित इनके सम्पूर्ण उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना नहीं है सरकार इन उत्पादों पर सीधे प्रतिबंध लगाना नहीं चाहती है। सरकार का इरादा स्कूली बच्चों और अन्य लोगों जैसे समाज के कुछ भागों पर दुष्प्रभाव डालने वाली चीजों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम लाने का है। इस कारण हम एक विस्तृत विधेयक ला रहे हैं। हमारा इरादा सम्पूर्ण उद्योग को प्रतिबंधत करने का नहीं है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्यों नहीं? इन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए।

श्री ए. राजा : यदि अध्यक्षपीठ अनुमति दे, तो मैं जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि तम्बाकू, पान मसाला और गुटखा के सेवन से देश के सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और खासकर जो नौजवान पीढ़ी है, उसका भविष्य भी धूमिल होने जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ प्रदेशों ने इस दृष्टि से पहल की है और कुछ प्रदेशों ने मात्र घोषणाएं की हैं, उन पर अमल नहीं किया गया है। क्या केन्द्र सरकार प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाकर इस विषय पर एक सहमति बनाकर कोई कानून लाने का विचार कर रही है? दूसरे, जो विधेयक जिस पर राज्य सभा में चर्चा हुई है, कब तक उसे लाकर संसद की सर्वानुमति बनाई जाएगी? चूंकि यह बहुत बड़ी समस्या है और जो देश की बहुत बड़ी जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, इस दृष्टि से सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि विधेयक राज्य सभा में है और जैसे ही राज्य सभा इसे पास कर देगी, यह लोक सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और एक लम्बी चर्चा के बाद इसे यहां पारित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, कॉटेज इंडस्ट्री पिछले बीस वर्षों में एक बहुत बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में विकसित हुई है। गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात से मैं इंकार नहीं करता हूं। आज की तारीख में कानपुर शहर और उत्तर प्रदेश के लाखों लोग इस कॉटेज इंडस्ट्री में कार्यरत हैं। इसमें तम्बाकू मिक्स की जाती है और जिस तम्बाकू के लिए कई सालों से सरकार ने घोषणा की हुई है कि जो भी तम्बाकू बेचेगा, उसको लिखना पड़ेगा कि यह हैल्थ के लिए हानिकारक है तथा सिगरेट और बीड़ी के लिए भी लिखना पड़ेगा कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गुटखे में तम्बाकू के अलावा ऐसे कौन से तत्व मौजूद हैं जिनकी वजह से सरकार यह महसूस करती है कि विधेयक के माध्यम से गुटखा को बैन किया जाएगा? दूसरे, अगर तम्बाकू के अलावा

और कोई तत्व मौजूद नहीं हैं तो तम्बाकू के लिए सरकार ने बार-बार कहा है, बार-बार इंस्ट्रक्ट किया है कि चाहे गुटखा वाले हों, पान मसाला वाले हों या सिगरेट या बीड़ी वाले हों, सबको अपने उत्पाद पर लिखना पड़ेगा कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि गुटखा में कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जो हानिकारक हैं क्योंकि मंत्रालय ने इस संबंध में विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया है, निश्चित रूप से उन्होंने एनेलिसिस की होगी। आपको मालूम होगा, तम्बाकू के अलावा जो तत्व हैं, वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कृपया इस बारे में बताएं।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, इस अधिनियम के पीछे सरकार का इरादा यह है कि चाहे घटक जो भी हो यदि आप उन घटकों के साथ तम्बाकू मिला रहे हैं चाहे वे चबाने वाले हों या धूम्रपान वाले, वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जहां तक अधिनियम का संबंध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तम्बाकू के साथ कौन-कौन से घटक मिलाए जाते हैं, चाहे वे चबाने लायक हों या अन्य चीजें जो समिश्रण हों, जो इन चीजों को तम्बाकू के साथ मिलाने पर बनता है वे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। यह हमारा ध्येय है। इसलिए, यह अधिनियम पारित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, बीड़ी, गुटखा और सिगरेट वाले सभी इन्स्ट्रशन फॉलो करते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुटखे में ऐसे कौन से तत्व हैं, जिनकी वजह से आपको यह बिल लाना पड़ रहा है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : इनके बिन्दु भी विधेयक में ही शामिल किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, चिकित्सकों और अखबार वालों का कहना है तथा सदन और सरकार भी महसूस करती है कि गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गुटखे के उत्पादन से प्रतिवर्ष सरकार को कितनी आमदनी होती है? इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है और इसके खाने से बीमारियां बढ़ेंगी और लोग भी मरेंगे। क्या सरकार आबादी को घटाने के लिए गुटखा उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : महोदय, जहां तक राजस्व का संबंध है, उत्पादन शुल्क और निर्यात के जरिए तम्बाकू उत्पादों से लगभग 5000 करोड़ रु. की प्रतिवर्ष आय होती है। दूसरी ओर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आईसीएमआर द्वारा आयोजित अध्ययन से यह पता चलता है कि जहां हमें तम्बाकू उत्पादों से 5000 करोड़ रु. की आय हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तम्बाकू से होने वाले रोगों से बचाव के लिए हमें 13,500 करोड़ रु. खर्च करने पड़ते हैं। निःसंदेह सरकार का संबंध तम्बाकू उत्पादों से होने वाले रोगों और उनसे होने वाली आय से है।

उसके अलावा 1.10 करोड़ लोग इस उद्योग में लगे हैं। मजदूरों के कल्याण का ध्यान श्रम मंत्रालय द्वारा रखा जाए और कृषि कटने, उत्पादनों और अन्य चीजों से संबंधित तथ्यों का ध्यान वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब आप जानते हैं। इसके लिए नीति का निर्णय सकार कैसे कर सकती है?

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : मंत्री जी ने इस सभा में हमें आश्वासन दिया है कि वह गुटखे पर प्रतिबंध लगाएंगे।

[हिन्दी]

स्पोर्टस होस्टल

\+
*306 **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार खेलों को बढावा देना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो कौन सी कार्ययोजना तैयार की जा रही है; और

(ग) अब तक कितने "स्पोर्टस होस्टल"/खेल परिसर स्थापित किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है और इनमें प्रदान की जा रही सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। 'खेल' राज्य सूची का विषय है। आधारभूत स्तर पर खेलों का संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की जिम्मेवारी होती है। भारत सरकार, अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, खेलों के संवर्धन के लिए, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित नये कदमों से भारत में खेलों को बढ़ावा मिलेगा :

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2001 में एक नयी राष्ट्रीय खेल नीति अनुमोदित की गई है। नयी खेल नीति को लागू करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की जा रही है।

(2) मंत्रालय की खेल संबंधी सभी योजनाओं को बुद्धिसंगत बनाया गया है और उन्हें योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, छः छत्र योजनाओं में मिलाने का प्रस्ताव है ताकि इन योजनाओं को और अधिक कारगर बनाया जा सके।

(3) इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा मंत्रालय की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए और अधिक धनराशि के आवंटन का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

(4) दसवीं योजना के दौरान, दो नई योजनाएं- राज्य खेल अकादमियों की योजना और डोप परीक्षण के लिए योजना-आरंभ की जा रही हैं।

(ग) खेल छात्रावास और खेल परिसर, खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत, खेल छात्रावास न्यूनतम 80 बिस्तरों वाले, जिनमें से कम से कम 30 बिस्तरे लड़कियों के लिए आरक्षित रखे गए हों, प्रशिक्षणार्थियों को भोजन और आवास, योजनाबद्ध और वैज्ञानिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के प्रयोजनों से स्थापित किए जाते हैं। योजना के अनुसार, खेल परिसरों में 6 से 8 लेन वाले सिंडर/हरित ट्रैक सहित एक आऊटडोर स्टेडियम, खेल मैदानों, तरणताल, इंडोर हाल, खेल छात्रावास, प्रबंधकों और कोचों के लिए क्वार्टरों और खेल चिकित्सा केन्द्र की सुविधाओं का प्रावधान है। खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, वर्ष 1991-92 से आज की तारीख तक (8.12.2002 तक की स्थिति के अनुसार) केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित खेल छात्रावासों और खेल परिसरों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) छात्रावास की सुविधाओं वाले खेल परिसरों की स्थापना भी करता है। एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्री योजना, विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) योजनाओं और उत्कृष्टता केन्द्र की योजना के अंतर्गत, आवासीय और गैर-आवासीय आधार पर स्थापित किए गए खेल छात्रवासों की संख्या क्रमशः 57, 17 और 8 है जिसका ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है। जहां तक भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं का संबंध है, खेल अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता अलग-अलग केन्द्र में भिन्न-भिन्न होती है, जो किसी खास केन्द्र के लिए चुनी गई खेल-विधाओं पर निर्भर करती है। इस समय, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल छात्रावास की सुविधाओं वाले तीन खेल परिसरों का भी निर्माण कर रहा है।

अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित खेल छात्रावासों की संख्या	केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित खेल परिसरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	–	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	3
3.	हिमाचल प्रदेश	1	2
4.	मध्य प्रदेश	–	4

1	2	3	4
5.	महाराष्ट्र	1	5
6.	कर्नाटक	–	1
7.	केरल	1	–
8.	नागालैंड	–	5
9.	पंजाब	2	–
10.	तमिलनाडु	–	8
11.	उत्तरांचल	–	2
12.	उड़ीसा	–	1
13.	उत्तर प्रदेश	–	1
14.	प. बंगाल	–	1
15.	राजस्थान	–	1
16.	त्रिपुरा	–	1
17.	मणिपुर	–	1
18.	हरियाणा	–	1
19.	बिहार	–	1
20.	मेघालय	–	1
21.	छत्तीसगढ़	–	1
22.	असम	–	1
	कुल	5	53

अनुबंध-II

राज्य	भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों की संख्या	उत्कृष्टता केन्द्र
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5	–	
केरल	4	2	1
कर्नाटक	3	–	1
तमिलनाडु	2	1	–
पांडिचेरी	1	–	–
मध्य प्रदेश	5	–	–
उत्तर प्रदेश	7	2	1
उत्तरांचल	2	–	–
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	–	1
जम्मू–कश्मीर	1	–	–
हिमाचल प्रदेश	2	–	–
हरियाणा	3	–	–
पंजाब	3	–	–
चंडीगढ़	1	–	–
प. बंगाल	4	–	1
बिहार	1	2	–
उड़ीसा	2	2	–
गुजरात	1	–	1
राजस्थान	2	–	–
महाराष्ट्र	1	–	–
गोवा	1	–	–
मेघालय	1	–	–
असम	2	1	–
नागालैंड	1	–	–
मणिपुर	1	2	1
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	1	–
झारखंड	–	1	–
सिक्किम	–	1	–

1	2	3	4
त्रिपुरा	–	1	–
मिजोरम	–	1	–
कुल	57	17	8

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, हिन्दुस्तान में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने स्पोर्ट्स होस्टल्स की स्थापना की है, जो पूरे देश में कार्यरत हैं। इनके माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और कोचेज भी तैयार किए जाते हैं। मंत्रीजी ने प्रश्न संख्या 305 के उत्तर में बताया है कि राज्यों को अनुदान दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह अनुदान राज्यों का खर्च है या केन्द्रीय सरकार इसको देती है, ताकि खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले और वे हिन्दुस्तान का नाम ज्यादा से ज्यादा रोशन करें? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राज्यों को जो धनराशि दी जाती है, वह कितनी दी जाती है और कितने खिलाड़ी तैयार होते हैं?

श्री विक्रम वर्मा : महोदय, राशि राज्यों को अनुदान के रूप में नहीं देते हैं, खिलाड़ियों की दृष्टि से अलग–अलग स्कीम्स हैं, जिनके माध्यम से राज्यों को मदद दी जाती है। खास तौर पर जो स्कीम फॉर इनफ्रास्ट्रक्चर है, उसके निर्माण के लिए राज्यों की तरफ से जब हमारे पास प्रस्ताव आते हैं तो सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत राज्य अपनी तरफ से दिलाते हैं और 50 प्रतिशत केन्द्र शासन की तरफ से अनुदान दिया जाता है। लेकिन कुछ ट्राइबल और स्पेशल एरियाज में 75 और 25 के रेश्यो से दिया जाता है, यह इनफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए है। इसके अलावा जो साई की अन्य स्कीम्स होती हैं, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स आदि हैं, इन योजनाओं में होस्टल फेसिलिटीज राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन उसका बाकी का खर्च केन्द्र द्वारा उठाया जाता है। प्रत्येक राज्य को कोई अलग से खेलों के लिए प्रतिवर्ष राशि निर्धारित नहीं होती है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अभी मंत्री जी ने कहा है कि साई के माध्यम से देते हैं, लेकिन बहुत से साई के केन्द्र बंद होते जा रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र औरंगाबाद में जो साई का केन्द्र था, वह बंद हो गया है। उसे चलाने के लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा था, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं चलाया, क्योंकि उनके पास इसके लिए उतनी धनराशि नहीं थी। मैं यह कहूंगा कि जिस–जिस ने, जिन–जिन राज्यों ने केन्द्र सरकार से पैसे मांगे और उसका भी 50 प्रतिशत उन्होंने अपना हिस्सा दिया। केन्द्र के पैसे आने के बाद भी कई राज्यों द्वारा वह पैसा न लगाने के कारण से भी वह स्कीम वापिस चली गई। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको छात्रों और खिलाड़ियों को ज्यादा ट्रेंड करने के लिए, अपना नाम विदेशों में अच्छा करने के लिए इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन नहीं हो रहा है और इसी कारण से नहीं हो रहा है कि इनकी ट्रेनिंग एवं कोचेज अच्छे नहीं हो रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है और उसे कैसे बढ़ावा देंगे, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री विक्रम वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, अभी जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि इनके क्षेत्र में सेंटर था, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होता था, लेकिन वह किन्हीं कारणों से बंद हो गया है। वह किस स्कीम में था, उसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, उसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। आपने जो प्रश्न किया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे खेल उत्कृष्ट हुए हैं, काफी अच्छा परफोरमेंस हुआ है। हाल ही के कामनवैल्थ गैम्स में और उसके बाद एशिया गेम्स में पिछली बार की अपेक्षा अब काफी ठीक रहा है। हम खिलाड़ियों को अधिक से अधिक ट्रेंड कर सकें, इसके लिए हमारे जो भी प्रशिक्षण केन्द्र हैं वहां विशेष रूप से खेलों का प्रदर्शन करने के लिए स्पेशल कोचेज, ट्रेनर्स आदि की व्यवस्था की गई है। वहां होस्टल में उन्हें सारी सुविधाओं के साथ रखा जाता है। इसके अलावा बाहर से भी आवश्यकता होती है तो हम वहां से भी कोचेज बुलाते हैं और इसी प्रकार से विदेशों के कोचेज की भी आजकल हम मदद लेते हैं, इस दिशा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वी. एस. शिवकुमार : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत तिरुवनंतपुरम में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन, करियावत्तोम से जुड़े छात्रावास की प्रस्तावित इमारत को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है?

दूसरे, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या तिरुवनंतपुरम के अतीगुल और मुन्नार तथा इडुक्की जिलों में क्रमशः जिला खेल परिसरों की स्थापना के लिए मंत्रालय के पास केरल सरकार का कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा है?

मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय ने पांचवीं कक्षा से स्कूली बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम में खेलों को अनिवार्य शिक्षा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कदम उठाए हैं; यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए अनिवार्य वित्तीय सहायता देगी?

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष जी, प्रश्न का जो पहला पार्ट था, उसके बारे में राज्य सरकार से विधिवत प्रस्ताव आए हैं। उसमें जो भी आवश्यकताएं पूरी करनी हैं उसे पूरा करके राज्य सरकार ने हमारे पास प्रस्ताव भेजा होगा तो हम निश्चित रूप से उस प्रस्ताव का परीक्षण कर लेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : जहां तक खेलों की बात है, केरल अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का उत्तर पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, बाकी के प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकार से विधिवत हमारे पास आया है उन्होंने सारी आवश्यकताएं पूरी की हैं। लेकिन एलएनसीपी, त्रिवेन्द्रम में ऑलरेडी होस्टल है, जिसमें 75–75 लड़के और लड़कियों को रखने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है?

श्री विक्रम वर्मा : वहां यह अभी कार्यरत है और काम कर रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि पहले से ही यह कार्य चल रहा है।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों से कहा है कि जो जिला 100 एकड़ जमीन देगा, वहां खेल का सेंटर बनाया जाएगा। बलिया जिले ने दो–तीन साल पहले प्रयास करके 100 एकड़ जमीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी। इसके अधिकारी भी वहां गए लेकिन अभी तक खेल केन्द्र वहां नहीं बना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में स्वयं देखें।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष जी, इस विषय को हम दिखवा रहे हैं और हमारे अधिकारी भी वहां गए थे और देखकर आए थे और वह प्रस्ताव विभाग में परीक्षणार्थ है। आगे जो भी कार्यवाही की जानी है निश्चित रूप से वह हम करेंगे। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से वह प्रस्ताव रिक्मेंड होकर नहीं आया है, अगर वह राज्य सरकार से रिक्मेंड होकर आ जाता तो अच्छा होता।

श्री चन्द्रशेखर : माननीय प्रधान मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उसे रिक्मेंड करवा दें।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी का और माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहूंगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने एक राष्ट्रीय नीति बनाई है। हम बार–बार यह विचार करते हैं कि हमारे खेल का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्यों नहीं जा रहा है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज मूलभूत आवश्यकता खेलों के मैदानों की है। गांव में जो शासकीय जमीनें थीं उनका आज अतिक्रमण कर लिया गया है। आज बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां खेलने के लिए कोई मैदान बाकी नहीं बचा है। शहरों में हम देखते हैं कि बच्चे सड़कों पर क्रिकेट खेलते हैं और कई बार दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। कस्बों में भी खेल के मैदान नहीं हैं। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि एक सीमित जनसंख्या में, एक पंचायत या कस्बे में, जमीन का एक भाग खेल मैदान के रूप में घोषित करेगी? जिस प्रकार फॉरेस्ट लैंड रिजर्व किए गए हैं और वे किसी अन्य प्रकार के उपयोग में नहीं आ सकते, उसी प्रकार खेल के मैदान केवल खेल के उपयोग में लाए जाएं और किसी काम में वे उपयोग में न लाए जाएं।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, खेल राज्य का विषय है, इसलिए जमीन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अगर किसी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण हटाना राज्य सरकार की, जिला या पंचायत या फिर ताल्लुके की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी खेल के मैदानों को डैवलेप करने की है। हमारी स्कीम में है कि खेल के मैदानों और खेल के सामान खरीदने के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान देना और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खेलों की अनुमति के लिए सहायता देना है। रूरल एरियाज में स्कूल–कॉलेजों में प्ले–ग्राउंड डैवलेप करने और खेल के इक्विपमेंट के लिए हमारे द्वारा सहायता दी जाती है। खेल ग्राउंड को बचाने का काम राज्य सरकारों का है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, 32वें राष्ट्रीय खेल हैदराबाद में होने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 8 सुन्दर स्टेडियम बनाए हैं। परन्तु यह स्टेडियम मात्र राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए ही नहीं हैं बल्कि ये एशियन और ओलम्पिक खेलों के आयोजन में भी समर्थ हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह स्टेडियम हुडको से 100 करोड़ का ऋण लेकर बनाए हैं। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय खेल मंत्री को अनुरोध करते हुए सरकार को एक प्रस्ताव दिया है कि निर्माण कीमत का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दिया जाए। यह राष्ट्रीय संपत्ति है। प्रस्ताव अभी तक सरकार के पास लंबित है।

मध्याह्न 12.00 बजे

भारत के माननीय राष्ट्रपति जी इस माह की 13 तारीख को 32वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर रहे हैं। इस कारण हम उनके जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं। इस पत्र पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मंत्री जी का क्या जवाब है?

श्रीमती रेणूका चौधरी : वह नकद का प्रलोभन क्यों दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न काल समाप्त हो रहा है। कृपया संक्षिप्त में जल्दी जवाब दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। अब मंत्री जी जवाब देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खेलों के लिए सीधे लम्पसम एमाउंट अनुदान के रूप में देने संबंधो कोई स्कीम मंत्रालय में नहीं है लेकिन इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रस्ताव स्टेट्स से हमारे पास आते हैं, उसमें आधी धनराशि हम सहायता के रूप में देते हैं। जो प्रस्ताव इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से पैंडिंग होंगे, उनका परीक्षण करके आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन

***302. श्री अधीर चौधरी :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एथलीट (भारोत्तोलक) हाल के राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में खेल संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कड़ी आचार संहिता लागू करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। हाल ही के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों (भारोत्तोलकों) का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। भारत ने इन खेलों में 69 पदक (30 स्वर्ण, 22 रजत और 17 कांस्य) जीते थे। इन 69 पदकों में से, 27 पदक (11 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य) हमारे भारोत्तोलकों द्वारा जीते गए थे।

(ग) जी, नहीं। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्र

***305. डा. बलिराम :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने नेहरू युवा केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा इनकी गतिविधियों की समीक्षा किस प्रकार की जाती है;

(ग) क्या उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है जिनके लिए इन केन्द्रों की स्थापना की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष राज्य–वार कितनी निधियां खर्च की गई हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) देश में कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों को दर्शाने वाली राज्य–वार सूची विवरण–I पर संलग्न है।

(ख) नेहरू युवा केन्द्रों की गतिविधियों की निगरानी नियमित रूप से मंत्रालय द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन तथा उनके आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने चार सूचना विकास तथा स्रोत एजेंसियां (आई.डी.ए.आर.ए.) स्थापित की हैं।

(ग) जी, हां। ये केन्द्र निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, खर्च की गई धनराशि को दर्शाने वाली राज्य–वार तथा वर्ष–वार सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

आंचलिक कार्यालय के ब्यौरे		क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्यौरे	
आंचलिक कार्यालयों की अवस्थिति	आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत केन्द्रों की संख्या	आंचलिक कार्यालयों के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1. गुवाहाटी (असम)	42	1. गुवाहाटी	13
		2. जोरहाट	14
		3. ईटानगर	04
		4. शिलांग	05
		5. अगरतला	06
2. इम्फाल (मणिपुर)	16	6. इम्फाल	09
		7. कोहिमा	07
3. लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	64	8. गोरखपुर	12
		9. इलाहाबाद	11
		10. कानपुर	12
		11. मेरठ	11
		12. देहरादून	09
		13. आगरा	09
4. कोलकाता (प. बंगाल)	28	14. जलपाईगुड़ी	09
		15. हावड़ा	13
		16. पोर्ट ब्लेयर	06
5. जयपुर (राजस्थान)	30	17. उदयपुर	15
		18. जोधपुर	15
6. भुवनेश्वर (उड़ीसा)	16	19. बेहरामपुर	08
		20. संबलपुर	08
7. मुम्बई (महाराष्ट्र)	33	21. पुणे	12
		22. नागपुर	10
		23. पणजी	11
8. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	24	24. वारांगल	12
		25. विजयवाड़ा	12
9. पटना (बिहार)	50	26. रांची	15
		27. किशनगंज	10
		28. मुजफ्फरपुर	10
		29. गया	15

1	2	3	4
10. चैन्नई (तमिलनाडु)	31	30. मदुरई	16
		31. कोयम्बटूर	15
11. तिरुवनंतपुरम (केरल)	16	32. कालीकट	16
12. गांधीनगर (गुजरात)	22	33. बड़ोदा	12
		34. राजकोट	10
13. सोलन (हिमाचल प्रदेश)	12	35. बिलासपुर	12
14. जम्मू (जम्मू व कश्मीर)	14	36. कठुआ	14
15. चंडीगढ़ (पंजाब)	15	37. जालंधर	15
16. अलीपुर (दिल्ली व हरियाणा)	19	38. मेहरौली	09
		39. करनाल	10
17. बंगलौर (कर्नाटक)	20	40. मैसूर	11
		41. धारवाड़	09
18. भोपाल (मध्य प्रदेश)	48	42. टीकमगढ़	10
		43. जबलपुर	10
		44. ग्वालियर	10
		45. रायपुर	08
		46. उज्जैन	10
कुल जोड़	500		500

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा—1999—2000 से 2001—2002

क्र.सं.	राज्य	1999—2000	2000—2001	2001—2002
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	8664999.00	9321181.24	13197195.50
2.	हिमाचल प्रदेश	7244064.00	7163047.50	11360991.00
3.	जम्मू व कश्मीर	6533468.00	7414733.20	11713526.00
4.	पंजाब	7223867.00	7643561.00	10977806.00
5.	राजस्थान	12662876.00	14808740.90	20564423.69
6.	चंडीगढ़/ सं.शा. क्षेत्र	501961.00	1090502.00	1253855.00
7.	दिल्ली	2109359.00	3091379.00	4341669.00
8.	आंध्र प्रदेश	10837439.00	14623928.99	19731660.98
9.	कर्नाटक	9579101.00	11141851.05	14960024.60
10.	केरल	8468556.00	11375307.80	1694882.26
11.	तमिलनाडु	13599314.00	18681592.57	26369478.84
12.	पांडिचेरी	0.00	536204.40	911196.65
13.	उत्तर प्रदेश	27057559.00	33669091.70	109665833.00
14.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
15.	असम	14013016.00	13372365.00	23114172.00
16.	अरुणाचल प्रदेश	1409471.00	1543931.00	2857807.00
17.	मणिपुर	5504104.00	7347205.00	9248302.00
18.	मेघालय	2320305.00	3196226.00	5817471.00
19.	नागालैंड	2934173.00	3119406.00	5719628.00
20.	मिजोरम	1626442.00	1538211.00	3176849.00
21.	सिक्किम	1468133.00	1357872.00	3455216.00
22.	त्रिपुरा	2353362.00	2190244.00	4277480.00
23.	बिहार	17510908.00	16739067.00	29971686.00
24.	झारखंड	0.00	6967983.00	12438677.00
25.	उड़ीसा	9075971.00	8403799.00	15573962.00
26.	पश्चिम बंगाल	11415475.00	13990956.00	19246844.00

1	2	3	4	5
27.	गुजरात	8781400.00	8887041.50	15818115.00
28.	मध्य प्रदेश	22406113.00	20526584.19	27813419.00
29.	छत्तीसगढ़	0.00	2684479.00	6234787.00
30.	महाराष्ट्र	14232945.00	17737831.20	25736353.30
31.	गोवा	674160.00	960261.00	1194330.00
32.	दादरा व नगर हवेली	269093.00	1711528.00	1295587.00
33.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2519248	2822470	3813039
		232996882.00	275658581.24	471664978.6

[अनुवाद]

मेडिकल कालेजों में दाखिला

*307. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी और गैर-सरकारी मेडिकल कालेज पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सत्र के बीच में छात्रों को दाखिला दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल के अपने आदेश में मेडिकल संस्थानों को यह निदेश दिया है कि सत्र के आरम्भ हो जाने के बाद दाखिले बंद कर दिए जाएं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमन 1997 यह निर्धारित करते हैं कि विश्वविद्यालय संबंधित प्राधिकारी दाखिल प्रक्रिया इस ढंग से अपनाएंगे कि एमबीबीएस के दाखिला हुए बैच के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का पहल सत्र प्रतिवर्ष 1 अगस्त को शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, नए कालेज की स्थापना की अनुमति देते समय अथवा वार्षिक दाखिले की अनुमति के नवीकरण की अनुमति देते हुए केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करती है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियम के अनुसार परीक्षाएं लेने से पहले कालेज दो बैचों के बीच पढ़ाई के कम से कम 240 दिन सुनिश्चित करेगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम 2000 में यह निहित किया गया है कि एक कलेंडर वर्ष एक शिक्षण वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा। तथापि यह पाया गया है कि विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए इस सारणी का कुछ विश्व विद्यालयों/राज्य सरकारों द्वारा, काउंसिलिंग में देरी काउंसिलिंग के दौर बार-बार होते तथा अन्य कारणों के चलते सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि जहां शैक्षणिक सत्र समयानुसार शुरू हो गया है वहां विद्यार्थियों को जब सीट खाली हो जाती है तो सत्र के मध्य में दाखिला दिया जाता है। ऐसे एक मामले में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने पहले के शैक्षणिक सत्र में खाली सीटों के लिए अर्थात् संबंधित शैक्षिण सत्र शुरू होने के एक वर्ष से भी अधिक अवधि के बाद दाखिला देने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। परिषद द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस मामले को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद बनाम मधुसिंह और अन्य के मामले में दिनांक 1999-2002 को सिविल अपील संख्या 5166/2001 में अपने निर्णय में यह निर्देश दिया कि सत्र के मध्य में छात्रों का कोई दाखिला नहीं होगा क्योंकि ऐसा करना चिकित्सा शिक्षा को संचालित करने वाले विधानों की मूल भावना के विपरीत होगा। माननीय न्यायालय द्वारा परिषद को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि परीक्षा निकाय पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम के आरम्भ होने की तारीख और दाखिले की अंतिम तारीख को विनिर्दिष्ट करने के बारे में समय सारणी तय करें। परिषद ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ अर्हता/प्रवेश परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा करने, दाखिला प्रक्रिया के पूरा होने और शैक्षणिक सत्र के शुरू होने तथा संबंधित सत्र के बंद होने के संबंध में राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों द्वारा अपनाए जाने वाली समय सारणी को नियत करने हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

[हिन्दी]

चिकित्सा संस्थान

*308. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार किन–किन स्थानों पर चिकित्सा संस्थान हैं;

(ख) किसी अस्पताल को चिकित्सा संस्थन का दर्जा प्राप्त करने के लिए किन–किन शर्तों को पूरा करना पडता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल को 'एम्स' का दर्जा देने संबंधी कोई प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के बुलेटिन एवं निर्देशिका–2002 में उपलब्ध मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थाओं की सूची का एक विवरण संलग्न है। इनके अतिरिक्त, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1956 में की गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तरह ही शिलांग में उत्तर पूर्व इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना के 2005 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। देश में 205 स्वीकृत/मान्यता प्राप्त स्नातक मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 114 सरकारी क्षेत्र में हैं।

'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अस्पताल/संस्थान खोलने होते हैं। इस समय केन्द्रीय सरकार का सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का स्तर प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारत में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर संस्थाओं की सूची

आंध्र प्रदेश

1. श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, त्रिपुरा–517507
2. निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पंजागुट्टा, हैदराबाद–500082
3. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रेशन, जमाल ओसमानिया पोस्ट, तमका, हैदराबाद–500007

चंडीगढ़

4. पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़–160012

दिल्ली

5. आर्मी (रिसर्च एण्ड रेफरल), होस्पीटल, धौला कुआं, नई दिल्ली–110010
6. सफदरजंग होस्पीटल, नई दिल्ली–110029
7. सेंट्रल हेल्थ एजूकेशन ब्यूरो, एवाने–ए–गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002
8. जी.बी. पंत होस्टीपटल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली–110002
9 इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, ब्रिज एस.के. मजूमदार रोड, तीमारपुर, नई दिल्ली–110054
10. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर, मुनिरका, नई दिल्ली–110067
11. राजन बाबू टी.बी. इंस्टीट्यूट, किंग्जवे कैम्प, जीटीबी नगर, दिल्ली–110007
12. वी.पी. चेस्ट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली–110007

गुजरात

13. सेठ के.एम. स्कूल ऑफ पी जी मेडिसिन एण्ड रिसर्च एल्लिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006
14. गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एम.पी. शाह कैंसर हास्पिटल), एनसीएच कैम्पस, एसरवा, अहमदाबाद–380016

झारखंड

15. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकिट्री, पी ओ कानके, रांची–834006

कर्नाटक

16. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर–560029
17. इंस्टीट्यूट ऑफ एसेस्पेस मेडिसिन आई ए. एफ, बंगलौर
18. कमांड हास्पिटल एयर फोर्स, पी ओ आगरा, बंगलौर–560017

19. किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी, डा. एम.एच मारीगोवदा रोड, बंगलौर–560029

20. श्री जयादेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, 9वां ब्लाक, जयानगर, बन्नेरघाट्टा रोड, बंगलौर–560029

21. फादर मुल्लर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एंड रिसर्च, कनाकांडी, मंगलौर–575002

केरल

22. श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, थिरुवनन्तपुरम–6950011

महाराष्ट्र

23. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलाजी, अम्बेडकर रोड, पी बाक्स नं. 11, पुणे

24. टाटा मेमोरियल होस्पिटल, डा. एरनेस्ट बोरगस रोड, पारेल, मुम्बई–400012

25. बाम्बे होस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 12, मारीन लाइन्स, मुम्बई–400020

26. संचेती इंस्टीट्यूट फार ऑर्थोपेडिक्स एंड रेहेबीलाइजेशन 16, शिवाजी नगर, पुणे–411005

पंजाब

27. नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोटर्स मेडिसिन, मोती बाग, पटियाला–147001

तमिलनाडु

28. मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन एंड अटैचड होस्पिटल, शंकर नटराल्य एंड यू सी एस शाह एंड पी जी सेंटर

29. डा. ए.एल.एम. पोस्ट ग्रेज्यूएट इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंसेज, तारामणि, चेन्नई–600113

30. कैंसर इंस्टीट्यूट, कॉलेज ऑफ ऑनकोलॉजी साइंसेज, ईस्ट कैनल बैंक रोड, अदयार, चेन्नई•–600020

31. गांधीग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर ट्रस्ट अम्बाथुराई, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु–624302

32. एम.वी. होस्पिटल एंड डायबटिस रिसर्च इंस्टीट्यूट 35, कानरंसमिथ रोड, गोपालपुरम, चेन्नई–600086

33. अरविन्द आई होस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेज्यूएट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपथलमोलाजी, नं. 1, अन्ना नगर, मदुरै–625020

34. इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपथलमोलाजी, जोसफ आई हास्पिटल, तिरुचिरापल्ली–620001

उत्तर प्रदेश

35. रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपथलमोलाजी, सीतापुर–261001

36. संजय गांधी पी जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पी बी. नं. 375, राय बरेली रोड, लखनऊ–226014

पश्चिम बंगाल

37. डा. बी सी राय पोस्ट ग्रेज्यूएट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, 244–बी, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता–700020

38. आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजिन एंड पब्लिक हेल्थ, 110, चितरंजन एवेन्यू, कोलकाता–700073

39. इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेज्यूएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च 224, आचार्य जे सी बोस मार्ग, कोलकाता–700017

40. इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, 11, डा. ब्रेश गोहा स्ट्रीट, कोलकाता–700017

41. कलकत्ता स्कूल ऑफ तरोपीकल मेडिसिन, चितरंजन एवेन्यू, कोलकाता–700073

42. विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रामकृष्णा मिशन सेवा प्रतिष्ठान, 99, सरत बोस रोड, कोलकाता–700026

[अनुवाद]

सी जी एच एस डिस्पेंसरियों/भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अस्पताल

***309. श्री टी. गोविन्दन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) की सुविधाएं सभी राज्यों में उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों, विशेषतः

केरल में सी जी एच एस डिस्पेंसरियां/भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, मेघालय और केरल राज्यों में उपलब्ध हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं चंडीगढ़, भोपाल और शिलांग में उपलब्ध कराई गई थीं।

केन्द्रीय सरकार ऐसे कर्मचारी, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं चिकित्सीय प्रयोजन के लिए स्वतः ही केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अंतर्गत आते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार का वर्ष 2003–2004 के दौरान गुवाहाटी, जबलपुर और त्रिवेन्द्रम में एक–एक आयुर्वेदिक और एक–एक होमियोपैथिक यूनिट खोलकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियापैथी की सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, जयपुर और दिल्ली में एक–एक यूनानी यूनिट खोलने का भी प्रस्ताव है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में सात आयुर्वेदिक यूनिट, सात होमियोपैथिक यूनिट और एक सिद्ध यूनिट खोलने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नए औषधालय/यूनिट खोलने के पर्याप्त निधियों की उपलब्धता, नए पदों के सृजन और अन्य बुनियादी ढांचे पर की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अवसरों का दोहन

***310. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में 75 देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र में अवसरों के दोहन की क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है;

(ग) स्थान निर्धारण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या रिपोर्ट में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में कुछ बाधाओं की पहचान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत को चुनिंदा 75 देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) व्यवस्था में 54वां स्थान दिया गया है। ये देश विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ग) किसी देश के लिए नेटवर्कित व्यवस्था सूचकांक (एनआरआई) का अभिकलन निम्नलिखित विवरण के अनुसार नेटवर्क प्रयोग संघटक सूचकांक और समर्थनकारी कारक घटक सूचकांक के स्तर के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

नेटवर्कित व्यवस्था सूचकांक	: **54**
नेटवर्क प्रयोग घटक सूचकांक	: 60
समर्थनकारी कारक घटक सूचकांक	: 49

इसके अतिरिक्त, समर्थनकारी कारकों और उनके उप घटकों की श्रेणी नीचे दिए अनुसार है :

नेटवर्क अभिगम	: **50**
– सूचना मूलसंरचना	: 50
– हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सहयोग	: 65
नेटवर्कित नीति	: **47**
– व्यवसाय एवं आर्थिक परिवेश	: 57
– सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नीति	: 36

नेटवर्कित समाज	:	**52**
– नेटवर्कित अधिगम	:	31
– सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसर		53
– सामाजिक पूंजी	:	71
नेटवर्कित अर्थव्यवस्था	:	**42**
– ई–वाणिज्य	:	29
– ई–शासन	:	33
– सामान्य मूलसंरचना		63

(घ) नेटवर्क व्यवस्था सूचकांक का सूक्ष्म–सूचकांक स्तर तक विश्लेषण यह सूचित करता है कि और अधिक सूचना मूलसंरचना, उच्चतर, सामाजिक पूंजी, बेहतर व्यवसायिक एवं आर्थिक परिवेश और विद्युत, विमानपत्तन, रेल एवं सड़क आदि जैसी अपेक्षित सामान्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने पर ध्यान केन्द्रित करने और योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

(ङ) सरकार ने भारत की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- दूरसंचार क्षेत्र को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और कई निजी और सरकारी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी, इंटरनेट सेवा प्रदाता, आधारभूत टेलीफोनी आदि जैसे क्षेत्रों में नया पूंजीनिवेश कर रहे हैं।
- भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 487 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं जो इस क्षेत्र की जनता को इंटरनेट अभिगम उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें कई अन्य मूल्य संवर्धित सेवाएं शामिल हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर देश के लगभग 6000 ब्लॉकों में कम से कम एक–एक ऐसा सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने की योजना है।
- सरकार ने स्थानीय भाषाओं में विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों के अनुसंधान एवं विकास संबंधी उपायों को सहयोग दिया है और कुछ भाषाओं में कम्प्यूटर इंटरफेसों का पहले ही विकास कर लिया गया है और इनका प्रयोग किया जा रहा है।
- सरकार ने 'प्रत्येक के लिए सूचना' का लक्ष्य हासिल करने के लिए एमआईटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से मीडिया लैब एशिया की स्थापना की है। इसका लक्ष्य कम लागत के घरेलू अभिकलन और नेटवर्किंग उत्पादों तथा समाधानों जैसा आवश्यकता पर आधारित तथा उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास करना है ताकि भारत में जनता को वहन योग्य प्रणालियां उपलब्ध कराई जा सकें।
- वर्ष 2008 तक हासिल किए जाने वाले व्यापक लक्ष्य हैं :

	2001–2002	2008–2009
प्रति 1000 व्यक्ति कम्प्यूटर	6	20
प्रति 1000 व्यक्ति कम्प्यूटर इंटरनेट प्रयोगकर्ता	6	40

कार्गो संभलाई

***311. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तनों पर कार्गो संभलाई का काम मौजूदा 288 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2006–07 में लगभग 415 मिलियन टन हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की वृद्धि की संभलाई किस प्रकार से करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस संबंध में किन–किन पत्तनों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) देश में पत्तन प्रबंधन को सुचारु बनाने और इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई व्यापक योजना का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के लिए पत्तन क्षेत्र संबंधी कार्यदल ने महापत्तनों के लिए वर्ष 2001–02 के दौरान 287.59 एम टी की तुलना में दसवीं योजना के समाप्ति वर्ष अर्थात् 2006–2007 के दौरान कुल 415 मिलियन टन (एम टी) यातायात का अनुमान लगाया है। पत्तन–वार सूचना इस प्रकार है :

मिलियन टन में

क्र.सं.	पत्तन का नाम	2001–2002 में हैंडल किया गया यातायात	2006–2007 में अनुमानित यातायात
1.	कोलकाता	30.40	54.80
2.	मुम्बई	26.43	30.40
3.	जवाहरलाल नेहरू	22.52	34.50
4.	चेन्नई	36.12	40.00
5.	कोचीन	12.06	17.20
6.	विजाग	44.34	60.00
7.	कांडला	37.73	51.00
8.	मुरगांव	22.93	26.30
9.	पारादीप	21.13	28.90
10.	नव मंगलूर	17.51	32.70
11.	तूतीकोरिन	13.02	18.70
12.	इन्नौर	3.40	20.50
	जोड़	287.59	415.00

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण करने, लागत की दृष्टि से किफायती सेवाएं प्रदान करने, सेवा गुणता बढ़ाने आदि से संबंधित उपायों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए क्षमता वृद्धि करने तथा उत्पादकता सुधारने का प्रस्ताव है। यह कार्य समय के साथ बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा पारंपरिक बर्थों का उन्नयन/परिवर्तनत करके, नई बर्थों का निर्माण करके, कार्गो हैंडलिंग उपस्कर तथा अनुरक्षण प्रक्रियाओं का उन्नयन करके, जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां आंतरिक सड़क नेटवर्क और परिचालन प्रणालियों की पुनः डिजाइनिंग और उन्नयन करके, वाणिज्यिक लेखा पद्धतियों के साथ भंडारण सुविधाओं और अन्य पत्तन अवसंरचना का उन्नयन करके, उपस्कर और श्रमिक उत्पादकता में सुधार करके, कार्यबल का इष्टतम उपयोग करके, प्रशिक्षण के द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग आदि करके पूरा करने की योजना है।

समग्र उत्पादकता प्रबंधन (टीपीएम) के जरिए अनुरक्षण प्रक्रियाओं को सरल और कारगर तथा आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ संयुक्त रूप से एक सेमिनार आयोजित किया जाना निर्धारित है।

देश के पूर्व और पश्चिम प्रत्येक तट पर अर्थात् क्रमशः चेन्नई और जवाहरलाल नेहरू पत्तन में एक प्रमुख पत्तन का और वल्लारपदम, कोचीन में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल का विकास करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि कंटेनर यातायात की बढ़ती हुई संभावनाओं का उपयोग किया जा सके।

मार्च, 2007 में दसवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्ति तक महापत्तनों में कार्गो हैंडलिंग की कुल क्षमता बढ़कर 470.60 एम टी तक होने की संभावना है।

[हिन्दी]

तैराकी और तीरंदाजी को प्रोत्साहन देने की योजनाएं

***312. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों में तैराकी और आदिवासी क्षेत्रों में तीरंदाजी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी निधियां प्रदान किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) किसी विशिष्ट खेल का संवर्धन मुख्यतः संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय खेल परिसंघ पंजीकृत समितियां हैं जो अपने कार्यकरण में स्वायत्त हैं। तदनुसार, किसी विशिष्ट खेल के संवर्धन के लिए किसी योजना को तैयार करना संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना" के अंतर्गत राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण तथा विदेशों में टूर्नामेंटों में सहभागिता के लिए, सब–जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तरों पर राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, भारतीय और विदेशी

प्रशिक्षकों के अधीन राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग, उपकरण मुहैया कराने तथा अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है।

इसके अतिरिक्त, जहां तक तैराकी और तीरंदाजी का संबंध है, ये खेल विधाएं भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए. आई.) की खेल संवर्धनकारी योजनाओं नामतः भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.), सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.) तथा विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) केन्द्रों में भी शामिल है।

तटीय क्षेत्रों में तैराकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से कोई योजना नहीं है। तथापि, एस.ए.आई. की उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत, प्रवेश के लिए, तटीय क्षेत्रों से तैराकों का चयन किया जाता है। इस समय दो केन्द्रों नामतः त्रिशूर (केरल) और गोवा में तटीय क्षेत्रों से 24 तैराक हैं।

तीरंदाजी के मामले में, ए.बी.एस.सी., एस.टी.सी. और एस. ए.जी. योजनाओं के अंतर्गत, 11 केन्द्रों में 121 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी तीरंदाज आदिवासी क्षेत्रों से ढूंढ़े गए हैं और इन केन्द्रों में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय खेल परिसंघों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। एस.ए.आई. की खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत, 2002–2003 के दौरान, तैराकी और तीरंदाजी की खेल विधाओं के लिए 77 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत-आसियान सहयोग

***313. डा. अशोक पटेल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आसियान देश आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 5 नवम्बर, 2002 को नोमपेन्ह में आयोजित प्रथम भारत–आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और आसियान इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खास तौर से आसियान क्षेत्रीय मंच (ए आर एफ) पर, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में वे सहयोग के ठोस कार्यक्रम विकसित करने पर सहमत हुए; इस सहयोग में आतंकवाद विरोध के क्षेत्र में सूचना एवं अनुभव का आदान–प्रदान तथा कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। भारत ने आतंकवाद संबंधी आसियान की उद्घोषणा के प्रति अपना समर्थन और आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के प्रति अपनी सम्मति की भी जानकारी दी।

[अनुवाद]

कुरैशी आयोग की सिफारिशें

***314. श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में ऐसे प्राइवेट अस्तपालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की है जिन्होंने गरीबों का उपचार करने संबंधी सरकारी निदेशों का पालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच हुए समझौते को लागू करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए कुरैशी आयोग का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि उनके द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने न्यायाधीश ए. एस. कुरैशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था जिसने उन धर्मार्थ अस्पतालों, जिन्हें दिल्ली में रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी, की स्थिति की समीक्षा करनी थी। उस समिति ने 23.5.2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस समिति की संस्तुतियों के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं :

1. अस्पतालों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने कहा कि गरीब रोगियों के लिए निश्चित किए गए 25 प्रतिशत

पलंग अत्यधिक हैं क्योंकि दवाइयों की लागत काफी अधिक है। इस बात पर सहमति हुई कि किसी भी स्थिति में यह 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए लेकिन 10 प्रतिशत आदर्श संख्या होगी। इसलिए, उस समिति ने दवाइयों तथा उपभोज्यों सहित सभी उद्देश्यों हेतु गरीब रोगियों के लिए 10 प्रतिशत अंतरंग पलंग निःशुल्क करने की संस्तुति की। बहिरंग रोगी विभाग के कुल रोगियों में से 25 प्रतिशत रोगियों को उपचार सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। यह शर्त उन सभी अस्पतालों पर लागू होनी चाहिए जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है।

2. निःशुल्क उपचार पूरी तरह निःशुल्क होना चाहिए न कि आंशिक रूप से और यह उन सभी अस्पतालों के लिए एकसमान होना चाहिए जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है।

3. यह सुझाव भी दिया जाता है कि उन संस्थाओं द्वारा भी 10 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क सेवाएं दी जानी चाहिए जिन्हें सरकारी भूमि आवंटित नहीं की गई है। यहां तक कि नर्सिंग–गृहों को भी अपने 5 प्रतिशत पलंग गरीब तथा जरूरतमंद रोगियों को सुलभ करने चाहिए।

4. अभिव्यक्त तथा विवक्षित शर्तों के, संस्थाओं द्वारा किए जा रहे लगातार उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए, भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाना चाहिए और इसे तीस वर्षों के नए और एक समान शर्तों और निबंधनों पर एक नए पट्टा विलेख द्वारा, भूमि की कीमत की वाणिज्यिक दरों पर एक नए प्रबंधन को फिर से आवंटित किया जाना चाहिए। इस प्रबंधन में लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नामित सरकार के कम–से–कम तीन व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें निःशुल्क सेवाएं देने का व्यापक अनुभव हो। नवीनीकृत पट्टे में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि यह पट्टा स्थानान्तरणीय नहीं है तथा किसी भी तरह के उल्लंघन से यह स्वतः रद्द हो जाएगा।

5. वार्षिक भूमि दर को प्रत्येक तीस वर्षों में संशोधित किया जाना चाहिए। भूमि दर का संशोधन भूमि के समस्त आवंटियों के लिए (शैक्षिक संस्थाओं तथा औद्योगिक संस्थाओं के लिए भी) होना चाहिए और न कि सिर्फ अस्पतालों के लिए।

6. अंतरंग रोगी विभाग के निःशुल्क रोगियों की पहचान एक प्रोफार्मा घोषणा–पत्र तथा वचन के जरिए की जाए।

प्रत्येक अस्पताल में प्रोफार्मा में दिए गए विवरण की वास्तविकता की जांच–पड़ताल करने के लिए गरीब रोगियों के लिए एक सलाहकारी समिति होनी चाहिए।

8. प्रोफार्मा में दिए गए विवरण की वास्तविकता की जांच–पड़ताल करने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में एक मानिटरिंग सैल स्थापित किया जाना चाहिए। इस सैल को निःशुल्क सेवाओं की मासिक रिपोर्टों की मानिटरिंग, जांच तथा अस्पतालों में समय–समय पर आकस्मिक दौरे करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। इस सैल में कुछ प्रमुख व्यक्तियों को भी शामिल होना चाहिए, जिन्हें धर्मार्थ अस्पतालों, जहां गरीबों को दक्षतापूर्वक निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं, को चलाने का अनुभव हो।

9. प्रत्येक अस्पताल को रोगियों की कुल संख्या और निःशुल्क रोगियों की संख्या को दर्शाने वाला एक मासिक विवरण अवश्य भेजें।

10. जो अस्पताल रोगियों का इलाज कर रहे हों और उनके पास अपेक्षित सुविधा, उपकरण दक्षता या विशिष्टता, जो किसी रोगी–विशेष के उपचार के लिए जरूरी हो, सुलभ न हो तो उनको, न कि किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अथवा सरकारी या गैर–सरकारी संस्थाओं को, ऐसे मामले रैफर करने की अनुमति देकर एक उचित रैफ्रेंस प्रणाली बनाई जाए। विशेषज्ञता अथवा अति विशेषज्ञता वाले अस्पताल केवल उपचार करने वाले अस्पतालों से रैफ्रेंस के आधार पर ही गरीब रोगियों के मामलों को देखेंगे।

11. दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम में एक बड़ा संशोधन किया जाए अथवा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की शक्तियों को बढ़ाने और परिभाषित करने के लिए एक नया व्यापक विधान बनाया जाए।

12. यह भी सुझाव दिया गया है कि जांच आयोग अधिनियम के अधीन एक आयोग का गठन किया जाए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अस्पतालों और नर्सिंग होमों के सामने आ रही समस्याओं की पूर्णतया जांच करे और प्रभावी प्रवर्तन और मानिटरिंग तंत्र के लिए नए व्यापक विधान का प्रारूप बनाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि न्यायाधीश ए. एम. कुरैशी समिति की सिफारिशें सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। उक्त समिति की सिफारिशों को उचित रूप से लागू करने की विधियां तैयार की जा रही हैं।

सी-डॉट के उत्पाद

***315. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान 'सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स' (सी–डॉट) के प्रतिवर्ष विनिर्मित प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का कुल मूल्य कितना है;

(ख) क्या सी–डॉट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाली कुछ इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सी–डॉट के उन्नयन के अभाव में इस प्रमुख अनुसंधान और विकास केन्द्र की भूमिका प्रभावित हुई है; और

(ङ) इस केन्द्र की अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में विनिर्मित सी–डॉट प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का कुल मूल्य निम्नानुसार है :

1999–2000	997 करोड़ रुपए
2000–2001	1537 करोड़ रुपए
2001–2002	901 करोड़ रुपए

(ख) और (ग) हालांकि ऐसी निर्माणकारी इकाइयों के बंद होने की हाल ही में कोई रिपोर्ट नहीं है फिर भी भारत संचार निगम लिमिटेड जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा इन इकाइयों में विनिर्मित उत्पादों की खरीद की मात्रा भिन्न–भिन्न होती है जो उनकी जरूरतों पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए सी–डॉट द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं और तदनुसार इसने नए और मूल्यवर्द्धित प्रौद्योगिकी समाधानों का विकास किया है। इसने ऐसे तरीके से नयी दूरसंचार अनुसंधान और विकास परियोजनाएं भी शुरू की हैं कि यह बदलते प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में अपनी विशिष्ट स्थिति कायम रखे तथा ऐसे प्रयासों से इसके विनिर्माताओं को भी लाभ हो।

प्रशिक्षण केन्द्र

***316. श्रीमती प्रभा राव : क्या युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश भर में, विशेषतः पिछड़े क्षेत्रों में, खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं और गत तीन वर्ष के दौरान इन्हें राज्य–वार कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) प्रशिक्षित खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए चयन किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) प्रशिक्षण केन्द्र और विशेष क्षेत्र खेल योजना के अंतर्गत, इस समय देश के पर्वतीय, तटीय और पिछड़े क्षेत्रों समेत विभिन्न राज्यों में 74 प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं।

एस.ए.आई. की खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों को सीधे ही कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है। एस.ए.आई. क्षेत्रीय केन्द्रों को, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि जारी की जाती है।

पिछले तीन वर्षों में, उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, एस.ए.आई. के क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रमुखों को उपलब्ध कराई गई धनराशि के क्षेत्र–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत, विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षित, 247 खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	1999–2000					2000–2001					2001–2002				
		एनएस टीसी	एबीएससी	एसटीसी	एसएजी	सीओएक्स	एनएस टीसी	एबीएससी	एसटीसी	एसएजी	सीओएक्स	एनएस टीसी	एबीएससी	एसटीसी	एसएजी	सीओएक्स
1.	केन्द्रीय	10.00	*175.00	70.00	20.00	1.00	3.24	*130.00	149.78	20.75	26.90	12.00	*100.00	252.00	26.00	24.15
2.	उत्तरी	20.00		70.00		6.00	20.25		155.20		18.00	9.00		148.00		21.00
3.	पश्चिमी	20.00		100.00		12.00	6.10		137.27		18.93	10.00		149.00		10.00
4.	पूर्वी	40.00		83.00	50.00	10.00	38.68		134.13	81.61	14.53	38.00		131.00	117.00	18.00
5.	दक्षिणी	17.00		185.00	35.00	1.00	10.84		248.85	40.10	28.97	9.00		302.00	44.00	23.96
6.	पूर्वोत्तर	15.00		40.00	41.00		1.65		64.10	83.01	17.60	5.00		72.12	102.00	26.00
7.	उप केन्द्र : गुवाहाटी	20.00		33.00		2.00	6.92		57.67		8.50	7.00		77.00	17.00	
	कुल	142.00	175.00	581.00	146.00	32.00	87.68	130.00	947.00	225.47	133.43	90.00	100.00	1131.12	306.00	123.11

टिप्पणी : *ए.बी.एस.सी. योजना के संबंध में अनुदान, डी.जी.एम.टी. को, आगे बी.एस.सी. को आवश्यकता के आधार पर संवितरित करने के लिए, जारी किया जाता है।

भारत और पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग

***317. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया के प्रधान मंत्री ने हाल की अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और भारत के बीच विधिवत आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आर्थिक सहयोग की प्रस्तावित रूपरेखा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 17 अक्टूबर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए भारत–आसियान व्यापारिक शिखर सम्मेलन में दिए गए अपने वक्तव्य में मलेशिया के प्रधान मंत्री ने भारत एवं आसियान का आह्वान, एक व्यापक आर्थिक भागीदारी की दिशा में कार्य करने के लिए किया था।

(ख) और (ग) यद्यपि मलेशिया के प्रधान मंत्री द्वारा इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था तथापि "आर्थिक संयोजन संबंधी भारत–आसियान टास्क–फोर्स" का गठन किया गया है और यह टास्क फोर्स अन्य बातों के साथ–साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में समझौते के ढांचे का मसौदा तैयार करेगी।

कुष्ठ निवारण टीका

***318. श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने देश में ही कुष्ठ रोग का टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार अब भी कुष्ठ रोग के टीकों का आयात कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में विकसित किए गए टीके को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा इस टीके के उपयोग संबंधी सिफारिश की जानी शेष है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) जी, हां। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान ने अपने ही देश में 'एम–डब्ल्यू' कुष्ठ रोधी वैक्सीन विकसित की है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान द्वारा विकसित की गई कुष्ठ वैक्सीन की निर्धारित की गई इंजेक्शन द्वारा ली जाने वाली 8 खुराकों की कीमत 400/– रुपए प्रति रोगी है।

सरकार ने कुष्ठ रोग वैक्सीन का देश में उपयोग हेतु कभी भी आयात नहीं किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान द्वारा विकसित की गई कुष्ठ रोग वैक्सीन के सामान्य उपयोग की अंतिम रूप से सिफारिश नहीं की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दक्षिण भारत में किए गए एक तुलनात्मक परीक्षण में, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान द्वारा विकसित की गई 'एम–डब्ल्यू' वैक्सीन द्वारा कुष्ठ रोग के प्रति केवल 24.5% बचाव ही पाया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा गठित किए गए एक विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की कि 'एम–डब्ल्यू' को दो वर्षों की सीमित अवधि हेतु एम.डी.टी. के साथ कैमोथेरेपी से अनुबद्ध प्रतिरक्षा–चिकित्सीय मद के रूप में विपणन के लिए स्वीकृति दी जा सकती है और इस निर्णय की इस अवधि के अंत पर, इन दो वर्षों के दौरान प्राप्त अतिरिक्त सूचना के आधार पर, समीक्षा की जा सकती है। इस वैक्सीन को उपचार करने वाले काय–चिकित्सकों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। तदनुसार, भारत के औषध महानियंत्रक ने 'एम–डब्ल्यू' वैक्सीन को दो वर्ष और छह माह की सीमित अवधि के लिए एम.डी.टी. के साथ कैमोथेरेपी से अनुबद्ध एक प्रतिरक्षा–चिकित्सीय मद के रूप में विपणन के लिए स्वीकृति दे दी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से इस संबंध में कोई अंतिम सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, इस समय इस्तेमाल की जा रही खाई जाने वाली कैमोथेरेपी (एम.डी.टी.) कुष्ठ रोग का उपचार प्रभावी रूप से करती है।

पेयजल में फ्लोराइड

***319. श्री अम्बरीश :**
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल में फ्लोराइड होने से कई राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) पेयजल में फ्लोरीन के अंश के आधार पर 19 राज्यों में फ्लोरोसिस की समस्या है। ये राज्य हैं--आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़।

सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करके ही फ्लोरोसिस से निपटा जा सकता है। सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना राज्यों का विषय है। फिर भी, भारत सरकार गुणस्तर से जुड़ी समस्याओं और ग्रामीण पेय जल पूर्ति के संबंध में सततता के मामलों से निपटने के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर. डब्ल्यू.एस.पी.) और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी. वाई.)--ग्रामीण पेयजल, के अंतर्गत धन देकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है। पेयजल आपूर्ति विभाग राज्यों में फ्लोरोसिस स्थानिकमारी पर आंकड़े एकत्र करने में जुटा हुआ है। पेय जल आपूर्ति विभाग के साथ-साथ यूनिसेफ ने पेयजल में फ्लोराइड का अनुमान लगाने हेतु विभिन्न राज्यों को आयन-मीटर उपलब्ध कराए हैं। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान देश में फ्लोरोसिस के बारे में जागरूकता पैदा करने और फ्लोरोसिस को फैलने से रोकने के लिए जन स्वास्थ्य इंजीनियरों तथा चिकित्सा व्यावसायियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

सर्वाइकल प्री-कैंसर स्क्रीनिंग हेतु परीक्षण

***320. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वाइकल प्री--कैंसर स्क्रीनिंग का जल्दी पता लगाने और उसका इलाज करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में शुरू किया गया 'द ह्यूमन पे पी लोमा (वायरस) डी एन ए' नया परीक्षण पुराने 'पेप स्मीयर' विधि की अपेक्षा अधिक सही और विश्वसनीय है;

(ख) यदि हां, तो इस नए परीक्षण की मुख्य बातें क्या हैं और दूसरी विधि की तुलना में इसकी विश्वसनीयता और अन्य फायदे क्या हैं; और

(ग) सरकार ने देश भर में इस नई सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) इस समय, ह्यूमन पेपिलोमा वाइरस का परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसंधान परियोजनाओं के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। इस संबंध में अनुसंधान परियोजना के रूप में 'हाइब्रिड कैप्चर' का एक नवीन परीक्षण भी किया जाना है। यह परीक्षण परम्परागत 'पेप स्मीयर' परीक्षण का कोई विकल्प नहीं है, किन्तु इस परीक्षण को शामिल करने से परम्परागत 'पेप स्मीयर' परीक्षण की परिशुद्धता में वृद्धि हो सकती है। चूंकि इस समय यह परीक्षण अनुसंधान की अवस्था में ही है, इसलिए फिलहाल देश भर में यह सुविधा मुहैया कराने का प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का मास्टर प्लान

***321. श्रीमती जस कौर मीणा :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को 'द हिन्दू' में "एम्स फैकल्टी क्वैश्चन्स रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मास्टर प्लान को अंतिम

रूप देने से पहले संकाय सदस्यों के साथ बातचीत नहीं की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) क्या चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो दसवीं योजना के लिए क्या विशेष विस्तार योजना तैयार की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (छ) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अपनी सुविधाओं के उन्नयन की योजना बना रहा है और एक विस्तृत मास्टर प्लान दिल्ली शहरी कला आयोग को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। संकाय सदस्यों को इस योजना को तैयार करने के विभिन्न स्तरों पर शामिल किया गया है और उनके विचारों तथा सुझावों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। गृह सुविधाओं का विस्तार, विस्तारित हॉस्टल सुविधाएं, भुगतान वार्डों जैसे नए सांस्थानिक भवन, विस्तारित बहिरंग रोगी विभाग, डाइजेशन सेंटर, रीनल सेंटर, दंत चिकित्सा कालेज, संस्थान का अपना पावर प्लांट आदि, व्यापक पार्किंग सुविधाएं, नए ट्यूबवेलों की स्थापना, नालों को ढंकना आदि इस मास्टर प्लान में शामिल हैं। इस परियोजना की लागत 1300 करोड़ रुपए होने की संभावना है और इसे विजन–2025 के एक अंग के रूप में कार्यान्वित करने की योजना है। अभी तक सरकार द्वारा इस परियोजना पर विचार नहीं किया गया है। इसका कार्यान्वयन विधिवत् स्वीकृति तथा धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

नार्थ एवेन्यू में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

3317. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ एवेन्यू स्थिति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में कीमती दवाइयों की खरीद संसद सदस्य के पहचान पत्र की संख्या पर की जाती है जबकि संसद सदस्य इस बारे में नहीं जानते;

(ख) क्या यह सच है कि इस औषधालय में कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं जिसके कारण वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त औषधालय में दो वर्ष से अधिक की सेवा कर चुके कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या मरीज उक्त औषधालय के कार्यकरण से असंतुष्ट हैं; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रकृति और ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) माननीय सांसदों को उनकी पहचान–पत्र संख्या पर विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए नुस्खे पर, औषधों की लागत का ध्यान रखे बिना उनकी आपूर्ति की जाती है। आज तक माननीय सांसदों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, औषधालय, नार्थ एवेन्यू में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें उनकी जानकारी के बिना उनके पहचान–पत्र संख्या के विरुद्ध औषधें जारी की जा रही हों, की शिकायत की गई हो।

(ख) और (ग) यद्यपि इस औषधालय में कुछ कर्मचारी लम्बी अवधि से कार्य कर रहे हैं। तथापि, इस औषधालय के किसी कर्मचारी के विरुद्ध अपनी हैसियत का दुरुपयोग करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विद्यमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में समूह 'क' के अधिकारियों को सामान्यतः उनकी तैनाती के तीन वर्ष और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) को किसी विशिष्ट औषधालय में चार वर्ष पूरे होने पर स्थानान्तरित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में समूह 'ख' के अधिकारियों को व्यक्तिगत अनुरोध/कार्यालय की अपेक्षाओं के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है। व्यापकतः के.स.स्वा.योजना में संघों के पदाधिकारियों समेत समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों को सेवा की अपेक्षाओं को छोड़कर उनकी तैनाती की अवधि के 4 से 5 वर्ष पूरा होने पर स्थानान्तरित किया जाता है।

(घ) उक्त औषधालय में 9 कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

(ङ) और (च) के.स.स्वा.योजना औषधालय, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली के विरुद्ध 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस औषधालय के विरुद्ध शिकायतों की प्रकृति और ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे हुए किसी डाक्टर द्वारा लिखे गए नुस्खे के विरुद्ध औषधें जारी न करने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि :

(क) किसी भी चिकित्सीय डाक्टर, चाहे वह सरकारी अथवा निजी प्रैक्टिस में है, के लिए यह एक सामान्य प्रैक्टिस है कि औषधों को लिखने अथवा जारी करने से पहले वह रोगी की जांच करता है। के.स.स्वा.योजना के डाक्टर के लिए यह व्यवहार्य नहीं है कि वह केवल किसी अन्य डाक्टर द्वारा लिखे गए नुस्खों की नकल करे और औषधें जारी करें। यह प्रैक्टिस न केवल अनैतिक है बल्कि रोगियों के कल्याण के विरुद्ध भी है।

(ख) शिकायतकर्ता को डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नुस्खे के विरुद्ध आवश्यक औषधें उपलब्ध कराई गईं।

(2) प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नार्थ एवेन्यू औषधालय के विरुद्ध अज्ञात शिकायत थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य डाक्टर किसी रोगी को नहीं देखते और पूरे दिन मांग-पत्र बनाने में व्यस्त रहते हैं। इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि :

(क) चूंकि के.स.स्वा.योजना औषधालय, नार्थ एवेन्यू एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति औषधालय है और के.स.स्वा.योजना चिकित्सा भंडार डिपो से औषधालय में उपलब्ध औषधों की समग्र कमी के कारण स्थानीय खरीद मांग-पत्र पर भारी बोझ होता है। इसके अतिरिक्त, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर से उसी दिन औषधों की आपूर्ति करने की भारी मांग होती है, इसलिए ठीक औषधालय के कार्य करना शुरू करने के समय से ही उस दिन के लिए मांग-पत्र तैयार किए जाने पड़ते हैं। चूंकि स्थानीय खरीद का इन्डेंट तैयार करने में स्टोर कीपर को सहायता करने के लिए कोई अन्य फार्मासिस्ट नहीं है। इसलिए स्वयं प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी अन्य मौजूद चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर इसे तैयार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, औषधालय के स्थानीय खरीद इन्डेंट तैयार करने वाले स्टोर कीपर को पिछले दिन इन्डेंट कराई गई दवाओं को प्राप्त करना पड़ता है। इसे वितरित करना पड़ता है और उस दिन का इन्डेंट भी तैयार करना पड़ता है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी निम्नलिखित से संबंधित अन्य प्रशासनिक कार्य भी करते हैं (i) के.स.स्वा.योजना पेंशनभोगी लाभार्थियों के लिए प्राइवेट अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों में उपचार/जांच हेतु अनुमति देना, (ii) औषधालय में ड्यूटी पर आने वाले स्टाफ की समय-पाबंदी, सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करना। उपस्थिति बही की जांच करना और इस पर प्रति हस्ताक्षर करना, (iii) स्टोर कीपर द्वारा जारी दवाओं के स्टॉक लेजर से औषध के व्यय का हिसाब-किताब रखना, इसकी जांच करना और प्रति हस्ताक्षर करना, (iv) इन्डेंट के वाउचर के अनुसार दवाओं की प्राप्ति कॉलम में सभी प्रविष्टियों पर प्रति हस्ताक्षर करना, (v) अग्रदाय धनराशि रजिस्टर रखना, (vi) क्षेत्र कल्याण अधिकारी और समिति के साथ समन्वय रखना, (vii) औषधालय के सभी स्टाफ आकस्मिक और प्रतिपूरक अवकाश का रिकार्ड, (viii) टीकाकरण और पल्स पोलियो कार्यक्रम सहित औषधालय में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर निगरानी रखना, (ix) औषधालय के पुराने रिकार्डों को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, (x) निर्धारित समय पर पेंशनभोगी के के.स.स्वा.योजना कार्ड को पुनः

वैधता प्रदान करना, (xi) सभी चिट बुकों और प्राधिकार पत्रों का हिसाब रखना और औषधालय में इसे चिकित्सा अधिकारी को प्रदान करना, (xii) औषधालय की वेतन पंजी तैयार करना। इन प्रशासनिक कार्यों के अलावा प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल मिलाकर औषधालय के सुचारु रूप से काम करने के प्रति जवाबदेह होता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर शिकायत को सही नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता का नाम अज्ञात था।

(3) के.स.स्वा.योजना औषधालय, नार्थ एवेन्यू में दवाएं वितरित करने में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी।

इस मामले की जांच-पड़ताल की गई और यह पाया गया कि स्टाफ से अनजाने में गलती हो गई थी। दवाएं औषधालय में ही पाई गईं और उसके बाद उनको शिकायतकर्ता को दे दिया गया। शिकायतकर्ता ने बाद में अपर निदेशक (मुख्यालय) को लिखकर सूचित किया कि दवाएं उनको दे दी गई थीं और वह के.स.स्वा.योजना औषधालय, नार्थ एवेन्यू औषधालय के कार्य से संतुष्ट हैं।

(4) माननीय संसद सदस्य सहित लाभार्थियों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना आचरण के बारे में डॉ. (श्रीमती) सीमा त्यागी के विरुद्ध शिकायत।

शिकायत की जांच-पड़ताल की जा रही है और इसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

नए डाकघर खोलना

3318. श्री किरीट सोमैया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुंबई के पूर्वी उपनगरों में नए डाकघर खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या वहां के निवासियों, विभिन्न संघों और जन प्रतिनिधियों ने पंतनगर, घाटकोपर, विक्रोली पूर्व और मुलुंड पूर्व में नए डाकघर खोलने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उक्त डाकघरों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु एमएचएडीए से संपर्क किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितने धन की आवश्यकता है; और

(च) इन डाकघरों के कब तक खुलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार का मुलुंड पूर्व में एक नया डाकघर खोलने का विचार है जो डाकघर के लिए किराए पर उचित भवन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। विभाग को निवासियों, संगठनों और जन प्रतिनिधियों से पंतनगर, घाटकोपर, विक्रोली पूर्व और मुलुंड पूर्व में नए डाकघर खोलने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए कुछ प्रार्थना पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर खोले जाते हैं।

(घ) और (ङ) टैगोर नगर और विक्रोली पूर्व क्षेत्र के कण्णमवार नगर में विभागीय जमीन उपलब्ध है। मुलुंड पूर्व के डाकघर की जमीन के बारे में 1998 में एमएचएडीए से संपर्क किया गया था। चूंकि एमएचएडीए द्वारा डाक विभाग को जमीन देने की कोई पेशकश नहीं की गई है इसलिए इस पर होने वाले खर्च का कोई अनुमान ज्ञात नहीं है।

(च) चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2002-03 के दौरान मुलुंड पूर्व में एक डाकघर खोलने की योजना है। हालांकि, डाकघर खोलना मानदंड आधारित औचित्य और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

नए डाकघर खोलने के संबंध में प्राप्त हुए कुछ प्रार्थना पत्रों का विवरण

क्षेत्र	प्रार्थना पत्र किनसे प्राप्त हुआ
1	2
पंतनगर/घाटकोपर	श्री अशोक कटारे, रमाबाई डाकघर अम्बेडकर नगर के लिए

1	2
मुलुंड पूर्व	श्री किरीट सोमैया
	श्री सद्कवरे समर्थ
	सहकारी रो-हाउस, सांकुल
	श्रीमती वत्सला वसंत वइली (पार्षद)
	श्री नंदकुमार वइटी (एसईएम)
विक्रोली पूर्व	श्री आई एम राणे, सूर्य नगर क्षेत्र में डाकघर के लिए
	श्री शशिकांत रकालके, टैगोर नगर क्षेत्र में डाकघर के लिए

वातावरण में जीवन विषय पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अनुसंधान

3319. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हैदराबाद के वैज्ञानिक "मात्र हवा से भी जीवन पनप सकता है" विषय संबंधी कोई अनुसंधान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत-यू.के. के वैज्ञानिकों के एक संयुक्त दल ने जनवरी 21, 2001 को 41 कि.मी. की ऊंचाई पर पृथ्वी के समतापमंडल में परा-भौमिक सूक्ष्म-जीवाश्मों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसरो के क्रायोजेनिक सेम्पलर बेलून नीतभार का उपयोग करते हुए एक परीक्षण आयोजित किया है। इस परीक्षण में एक क्रायोजेनिक सेम्पलर का समावेश किया गया है, जिसे हैदराबाद स्थित टी.आई.एफ.आर.-इसरो की बेलून सुविधा से बेलून उड़ान में प्रमोचित किया गया था।

(ख) भारत और यू.के. में वैज्ञानिक दल ने एकत्र किए गए नमूनों का व्यापक विश्लेषण किया है। इनके परिणाम, अन्य बातों के साथ-साथ, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले परा-भौमिक सूक्ष्म-जीवाश्मों की उपस्थिति का संकेत देते हैं, को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और भारत में आयोजित विविध अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किया गया, जहां इन परिणामों की काफी सराहना की गई।

[हिन्दी]

बिहार में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना

3320. श्री राजो सिंह : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इन पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) बिहार में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की भविष्य की योजना क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) बिहार सहित देश के सभी भागों में लघु उद्योगों के संवर्द्धन के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिनके नाम हैं-एकीकृत आधारिक संरचना विकास योजा (आई आई डी) लघु उद्योग सेवा संस्थानों, टूल रूम इत्यादि के माध्यम से उद्यमिता, प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी दक्षता विकास कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 30.8.2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा भी की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है बढ़ी हुई राजकोषीय एवं ऋण सहायता, बेहतर आधारिक संरचना, विपणन सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन। एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड भी बनाया गया है जो लघु उद्योग इकाइयों को 25 लाख रु. तक के संपार्श्विकता मुक्त बैंक ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करता है। लघु उद्योग इकाइयों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों/उप क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजनाओं पर 12% पूंजी राजसहायता प्रदान करने की एक योजना भी चलाई जा रही है। बिहार राज्य में, दो लघु उद्योग सेवा संस्थान हैं, एक पटना में और दूसरा मुजफ्फरपुर में। ये लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु उद्यमियों को उद्यमिता/प्रबंधन/दक्षता विकास प्रशिक्षण, परामर्श, परियोजना प्रोफाइल्स, विस्तार सेवाएं और सामान्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। निधियां योजना/कार्यक्रम वार आवंटित/व्यय की जाती हैं राज्यवार नहीं।

जैव संसाधित सोया तेल

3321. श्री अशोक अर्गल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश से आयात किया जा रहा "जैव संसाधित" सोया तेल कथित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके आयात पर सरकार द्वारा कब तक प्रतिबंध लगाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आनुवंशकीय तौर पर परिवर्तित सोयाबीन से उत्पादित आयात किया गया सोया तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने "केयर इंडिया" के जरिए परिशोधित सोया तेल को आईसीडीएस कार्यक्रम के लिए अमरीका से आयात करने का अनुमोदन दिनांक 5.7.2002 को किया था। हाल ही में आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने अपनी 7 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में अशोधित चिपचिपाहट रहित सोयाबीन तेल को केयर इंडिया के माध्यम से आयात करने का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा

3322. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग की एक तुलनात्मक रूप से नई सेवा ग्रामीण डाक जीवन बीमा ग्रामीणों के बीच बहुत लोकप्रिय है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की दो श्रेणियों में बेची गई पॉलिसियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में पॉलिसियों को बेचने के लिए डाक विभाग द्वारा जिलों में "मेले"/शिविर आयोजित किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) डाक विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरूआत 24 मार्च, 1995 को की गई थी। यह योजना ग्रामीणों में अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है।

(ख) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान प्रत्येक राज्य (डाक सर्किल) में बेची गई डाक जीवन बीमा (पीएलआई) पालिसियों तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) पालिसियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) आरपीएलआई पालिसियां बेचने के लिए डाक विभाग ने मध्य प्रदेश के जिला कस्बों में मेले/शिविर आयोजित किए गए।

(घ) डाक विभाग ने जिन सामान्य और आदिवासी क्षेत्रों में "मेलों"/"शिविरों" का आयोजन किया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान बेची गई डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं की सर्किल-वार संख्या से संबंधित विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 1999-2002 योजनाओं की सं.		वर्ष 2000-2001 योजनाओं की सं.		वर्ष 2001-2002 योजनाओं की सं.	
		पीएलआई	आरपीएलआई	पीएलआई	आरपीएलआई	पीएलआई	आरपीएलआई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1,67,786	20,598	11,362	41,783	15,426	86,902

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	4,761	2,180	3,506	2,383	5,066	3,508
3.	बिहार	3,996	7,423	3,318	4,584	3,273	21,287
4.	दिल्ली	2,481	11	2,743	0	4,445	0
5.	गुजरात	24,885	7,077	15,042	3,033	21,390	5,934
6.	हरियाणा	4,893	1,053	3,412	1,831	5,827	12,228
7.	हिमाचल प्रदेश	2,424	879	2,441	657	2,950	1,045
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2,575	248	2,598	2,543	2,119	4,595
9.	कर्नाटक	16,789	6,014	14,546	2,750	171,833	7,975
10.	केरल	3,524	2,977	2,790	2,510	4,436	11,908
11.	मध्य प्रदेश	5,110	44,547	3,847	31,999	6,226	25,149
12.	महाराष्ट्र***	14,486	23,763	9,583	18,495	16,211	54,448
13.	उत्तर पूर्व**	1,254	587	1,670	338	1,738	762
14.	उड़ीसा	5,159	3,500	5,044	3,662	4,711	3,049
15.	पंजाब	2,766	1,612	3,906	10,403	6,122	18,785
16.	राजस्थान	3,702	484	2,947	2,309	3,785	3,314
17.	तमिलनाडु	14,245	22,927	13,426	21,120	15,738	35,827
18.	उत्तर प्रदेश	4,372	8,816	5,760	10,491	8,234	14,804
19.	पश्चिम बंगाल	5,279	3,127	5,210	1,317	6,289	10,520
20.	सेना डाक सेवा	25,134	0	43,659	0	20,344	0
21.	छत्तीसगढ़*	0	0	0	0	0	40,081
22.	झारखंड*	0	0	0	0	0	527
23.	उत्तरांचल*	0	0	0	0	0	5,834
	कुल	1,64,621	1,57,823	1,56,809	1,62,208	1,72,163	3,68,527

*ये तीन सर्किल नये बनाए गए हैं और वर्तमान में पीएलआई व्यवसाय उनके मूल सर्किल में किया जा रहा है। इन सर्किलों में आरपीएलआई व्यवसाय 2001-02 से सही प्रारंभ किया गया है।

**उत्तर पूर्व सर्किल में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एवं मिजोरम शामिल हैं।

***महाराष्ट्र सर्किल में गोवा भी शामिल है।

विवरण-II

मध्य प्रदेश में जिला कस्बों के सामान्य और आदिवासी क्षेत्रों में डाक विभाग द्वारा आयोजित मेलों/ शिविरों से संबंधित विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	महीना एवं वर्ष	मेला/शिविर आयोजित किए गए स्थान	
			साधारण क्षेत्र	आदिवासी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	जनवरी–अप्रैल/2002	किशनपुर, लांजी	बैहर
		अक्तूबर–नवंबर/2002	लांजी	–
2.	बेतूल	जनवरी–मार्च/20002	–	भैंसदेही
3.	छिंदवाड़ा	जनवरी–मार्च/2002	परसिया, जुन्नारदेव	अमरवाड़ा
		अक्तूबर–नवम्बर/2002	जुन्नारदेव	–
4.	जबलपुर	जनवरी–मार्च/2002	पटन, कुन्दम	–
5.	कटनी	जनवरी–मार्च/2002	बरही, विजयराघवगढ़, कैमूर, रिठी	–
		अक्तूबर–नवम्बर/2002	बरही, विजयराघवगढ़ कैमूर	–
6.	मंडला	जनवरी–मार्च/2002	–	नैनपुर, किओलारी
		अक्तूबर 2002		नैनपुर
7.	रीवा	जनवरी–मार्च/2002	मऊगंज, हनुमाना, नैगढ़ी, सिरमौर	–
8.	सतना	अक्तूबर–नवम्बर/2002	सेमरिया, नागोड़	–
9.	सिउनी	जनवरी–मार्च/2002	–	बिंदोरी, लखनदेव, बारघाट
		अक्तूबर 2002		लखनादोन
10.	शहडोल	फरवरी 2002	–	बुधर, उमरिया, गोहपारू
		सितम्बर–नवम्बर/2002	–	जयसिंह नगर, गोहपारू, अनूपपुर, राजेन्द्रग्राम
11.	सिधी	फरवरी 2002	चुरहट, रामपुरनाईकन,	–
		अक्तूबर 2002	मझौली	
12.	होशंगाबाद	मार्च 2000	होशंगाबाद, हरदा, पिपरिया, गडेरवारा	
13.	भिंड	मार्च 2002	भिंड	
		अक्तूबर 2002	भिंड	

1	2	3	4	5
14.	इन्दौर	अक्तूबर 2002	मऊ	
15.	भोपाल	अगस्त–नवम्बर 2002	बैरागढ़, बैरासा, पाटिलावाड़, कन्नौड, बागली, सोनचक	
16.	देवास	अक्तूबर 2002	देवास	

[हिन्दी]

आपातकालीन सुविधाओं के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता

3323. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का उन्नयन करने और आपातकालीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गुजरात को इस प्रयोजन के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगरों/शहरों के राज्य अस्पतालों की आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 सितम्बर, 2002 तक इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा विवरण में है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत गुजरात सरकार को और अधिक धन जारी करने की बात इस परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव(वों) और धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नगरों/शहरों के राज्य अस्पतालों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 सितम्बर, 2002 तक विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को स्वीकृत धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा इस प्रकार है :

अरुणाचल प्रदेश

1. वर्ष 2000–01 के दौरान पासीघाट जनरल अस्पताल अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटना और आपाती परिचर्या सेवा की स्थापना के लिए 59.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2000–01 के दौरान जनरल अस्पताल, नहारलागुन मं आपाती सुविधाआं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 116.97 लाख रुपए।

बिहार

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान पटना मेडिकल कालेज अस्पताल के इंदिरा गांधी केन्द्रीय आपाती एकक को आधुनिक एवं अद्यतन बनाने के लिए 53.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2001–02 के दौरान आघात केन्द्र की स्थापना के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को 150.00 लाख रुपए।
3. वर्ष 2001–02 के दौरान पटना के राजमार्ग आघात केन्द्र के मॉडल बिक्रम रेफरल केन्द्र में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
4. वर्ष 2001–02 के दौरान मधुबनी जिले के औंसी

में आघाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 62.71 लाख रुपए।

गुजरात

1. वर्ष 2001–02 के दौरान जनरल अस्पताल, नांडियाड, जिला खेड़ा में आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2002–03 के दौरान सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में दुर्घटना और आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

गोवा

1. वर्ष 2002–03 के दौरान होसपिसियो अस्पताल, मडगांव में आघात और दुर्घटना यूनिट के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 142.00 लाख रुपए।

हरियाणा

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान जनरल अस्पताल, करनाल में आघात केन्द्र की स्थापना हेतु 150.00 लाख रुपए।

हिमाचल प्रदेश

1. वर्ष 2002–03 के दौरान इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शिमला और जोनल अस्पताल में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 147.00 लाख रुपए।

जम्मू एवं कश्मीर

1. वर्ष 2001–02 के दौरान श्रीनगर–लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, मारगुंड, कंगन पर आपाती/आघाती सेवाओं के विकास के लिए 150.00 लाख रुपए।

केरल

1. वर्ष 2001–02 के दौरान जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

मध्य प्रदेश

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान महाराजा यशवन्त राव अस्पताल, इन्दौर में आघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 97.00 लाख रुपए।

मिजोरम

1. वर्ष 2001–02 के दौरान सिविल अस्पताल, लुंगलाई में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 58.30 लाख रुपए।

2. वर्ष 2001–02 के दौरान सिविल अस्पताल, आइजोल में दुर्घटना एवं आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 74.30 लाख रुपए।

पांडिचेरी

1. वर्ष 2000–01 के दौरान जनरल अस्पताल, माहे में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 78.00 लाख रुपए।

सिक्किम

1. एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक में आपातकालीन परिचर्या के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2000–01 के दौरान 70.00 लाख रुपए।

त्रिपुरा

1. वर्ष 2000–01 के दौरान त्रिपुरा सुन्दरी अस्पताल (दक्षिण जिला), उदयपुर में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 70.00 लाख रुपए।

तमिलनाडु

1. वर्ष 2000–01 के जिला मुख्यालय अस्पताल, पेरमबलुर में दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 105.00 लाख रुपए।

उत्तर प्रदेश

1. वर्ष 2000–01 के दौरान किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में आघात केन्द्र स्थापित करने के लिए 150.0 लाख रुपए।

डाक सेवाएं

3324. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर

तथा पश्चिम बंगाल में खराब डाक सेवाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ख) इसकी प्रकृति और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच के दौरान अधिकारी और कर्मचारी कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम रहे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जम्मू व कश्मीर और पश्चिम बंगाल में पिछले दो वर्षों के दौरान खराब डाक सेवाओं के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या जम्मू व कश्मीर	प्राप्त शिकायतों की संख्या पश्चिम बंगाल
2000–2001	5798	43196
2001–2002	8463	51683

(ख) शिकायतें प्रमुख रूप से डाक वितरण तथा मनीआर्डरों के वितरण में देरी, डाक वस्तुओं के खो जाने, आदाता की पावती न मिलने, पास बुक के नवीकरण में देरी तथा कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से संबंधित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ)

जम्मू व कश्मीर	पश्चिम बंगाल
दंडस्वरूप 4 कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।	33 कर्मचारियों को परि–निन्दा, वेतनवृद्धि में रोक, वेतन वसूली और वेतन में कटौती का दंड दिया गया है।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

3325. **श्री लक्ष्मण गिलुवा** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड में कितने डाकघरों में कम्प्यूटर लगाए गए हैं और उनमें कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण शुरू किया गया है;

(ख) इन डाकघरों के नाम क्या हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार किन डाकघरों में कम्प्यूटर लगाने और कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण शुरू करने जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड के 3 डाकघरों में पंजीकरण कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। इसके बाद छह और डाकघरों को भी कम्प्यूटरीकृत किया गया ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ग) कम्प्यूटरीकरण का विस्तार आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

झारखंड में कम्प्यूटरों के माध्यम से पंजीकरण कार्य करने वाले डाकघर

क्र.सं.	डाकघर का नाम
1.	रांची जीपीओ
2.	धनबाद प्रधान डाकघर
2.	जमशेदपुर प्रधान डाकघर
4.	दोरांडा प्रधान डाकघर
5.	बी.एस. सिटी प्रधान डाकघर
6.	चाईबासा प्रधान डाकघर
7.	रामगढ़ कैंट प्रधान डाकघर
8.	हजारीबाग प्रधान डाकघर
9.	डालटनगंज प्रधान डाकघर

[अनुवाद]

बेलारूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

3326. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों में से एक बेलारूस के साथ कर्नाटक में हार्डवेयर

और सॉफ्टवेयर उद्योग में निकट संबंध विकसित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, नहीं। बेलारूस से इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) बेलारूस से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 फरवरी, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में भारत तथा बेलारूस के बीच सहयोग के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए :

(1) सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें कम्प्यूटर प्रणालियां, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवाएं शामिल हैं।

(2) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्रों में सहयोग जैसे कि सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जे आदि।

(3) इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणन।

(4) व्यापारिक सूचना का आदान–प्रदान।

(5) इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास।

(6) सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों विशेष रूप से सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम, व्यापार तथा व्यवसाय में भागीदारी का संवर्धन।

स्पीड पोस्ट सेवा

3327. श्री एम. दुराई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तमिलनाडु राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों को अभी भी स्पीड पोस्ट सेवा से जोड़ा जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को उन जिला मुख्यालयों को स्पीड पोस्ट सेवा से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जहां इस समय यह सेवा उपलब्ध नहीं है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, नहीं। तमिलनाडु सर्किल के सभी 30 जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध करा दी गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में टेलीफोन सुविधा

3328. श्री सुनील खां : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के गांवों की जिला–वार संख्या कितनी है जहां इस समय टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ख) इस राज्य के उन गांवों की जिला–वार संख्या कितनी है जहां उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या राज्य के बांकुरा जिले के बरजोरा थाना और गंगाजलघाटी थाना क्षेत्र के उन गांवों ने भी टेलीफोन के लिए आवेदन किया है जहां अभी तक केबल नहीं डाले गए हैं;

(घ) इन गांवों को कब तक केबलों से जोड़े जाने की संभावना है;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के मलियारा गांव की टेलीफोन सुविधा का उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य में टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की तथा टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की जिले–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। हालांकि बरजोरा और गंगाजलघाटी

थाना क्षेत्र के अधिकांश आवेदकों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है तथापि, केबल पेयर उपलब्ध नहीं होने के कारण कुल 212 आवेदक प्रतीक्षारत हैं। इनको जून, 2003 तक इस सुविधा के तहत कवर किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ङ) और (च) जी, हां। मलियारा एक्सचेंज की सज्जित क्षमता 1000 लाइनों की है। इसमें से 292 कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अलावा 222 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं जिनको जून 2003 तक इस सुविधा के तहत कवर किए जाने की संभावना है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में वीपीटी की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	जिला	टेलीफोन सुविधायुक्त गांवों की संख्या	टेलीफोन सुविधारहित गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	बर्दवान	2488	0
2.	मुर्शीदाबाद	1837	81
3.	बांकुरा	3263	175
4.	हावड़ा	1345	0
5.	हुगली	1245	0
6.	24 परगना (उत्तरी)	2487	0
7.	24 परगना (दक्षिणी)	1273	0
8.	कूचबिहार	1170	0
9.	जलपाईगुड़ी	703	0
10.	मिदनापुर	10166	200
11.	नादिया	1248	0
12.	मालदा	1641	0
13.	पुरुलिया	2161	522
14.	दिनाजपुर (उत्तरी)	1510	0
15.	दिनाजपुर (दक्षिणी)	1535	0
16.	दार्जिलिंग	628	0
17.	वीरभूम	2232	0
18.	सिक्किम	374	53
	जोड़	37306	1031

'लिम्फेटिक फिलरिएसिस' का प्रसार

3329. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लिम्फेटिक फिलरिएसिस' का उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम सभी राज्यों में शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अभियान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) लिम्फेटिक फिलेरियासिस उन्मूलन कार्यक्रम 7 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 30 जिलों में चलाया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2000–01 के दौरान 10.83 लाख रुपए और वर्ष 2001–02 के दौरान 7.47 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2002–03 के दौरान इस अभियान के लिए 106.09 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग केंद्र

3330. श्री पी. सी. थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग केंद्र की नर्सों के वेतन और पदोन्नति के अवसरों संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) पदोन्नति और उच्चतर परिचर्या भत्ता के संबंध में अभ्यावेदन करने के लिए अशुअर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए सी पी) लागू करने हेतु कदम उठा लिए गए हैं। कार्य संबंधी स्पष्टीकरण के अभाव में उच्चतर परिचर्या भत्ता मंजूर नहीं किया गया है।

रक्षा मंत्री को आमंत्रण

3331. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्री को चीन से वहां की यात्रा करने का कोई आमंत्रण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यात्रा की तारीखें और चर्चा के लिए कार्यसूची राजनयिक माध्यमों के जरिए तय की जाएंगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में टेली-मेडिसीन कक्ष

3332. श्री अनन्त नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में टेली–मेडिसीन कक्ष की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के अन्य मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में भी इस प्रकार के कक्ष की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कम्प्यूटर सुविधा विभाग में एक टेली–मेडिसिन कक्ष मौजूद है।

(ख) और (ग) इस समय दिल्ली में मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में टेली–मेडिसिन कक्ष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत-चीन संबंध

3333. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के प्रति चीन का रवैया कठोर हुआ है और उसका पाकिस्तान के प्रति झुकाव स्पष्ट झलकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) चीन लोक गणराज्य की सरकार पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को "स्थायी मित्रता" बताती है और चीन तथा पाकिस्तान के बीच "व्यापाक सहयोगी भागीदारी" को और गहन तथा व्यापक बनाने की दृष्टि से सामूहिक प्रयत्न करने की इच्छुक है।

(ग) सरकार पंचशील के सिद्धांतों, एक–दूसरे की हित–चिंताओं तथा समानता के प्रति परस्पर संवेदनाओं के आधार पर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी के संबंध चाहती है।

व्यायामशालाओं के लिए मानदंड

3334. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को देश के बड़े महानगरों में हेल्थ क्लिनिकों द्वारा अप्रशिक्षित अनुदेशकों के साथ बिना किसी प्राधिकार के बड़ी संख्या में चलाई जा रही व्यायामशालाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यायामशालाओं के संचालन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने महानगरों में इस

प्रकार की व्यायामशालाओं की पहचान करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए ऐसी सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता

3335. श्री कैलाश मेघवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा "सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन" के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत चार वर्षों अर्थात् 1 अप्रैल, 1998 से आज तक राजस्थान में ये योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष-वार और एजेंसी-वार स्वीकृत ऋणों अथवा वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चुने हुए सरकारी अस्पतालों को अस्पताली कचरा प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता देते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रायोगिक परियोजना/प्रदर्शन परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की। इन उद्देश्यों के लिए वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान मंजूर की गई धनराशि के संबंध में 31 मार्च, 2002 तक का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार को, एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर, एम.जी. अस्पताल, जोधपुर और जनरल हास्पीटल, उदयपुर में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु 145.75 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।

विवरण

असम

1. वर्ष 2001-02 के दौरान गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी, असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़, सिल्चर मेडिकल कालेज, सिल्चर और महेन्द्र मोहन चौधरी अस्पताल, गुवाहाटी में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 110.00 लाख रुपए।

अरुणाचल प्रदेश

1. वर्ष 2001-02 के दौरान जनरल हास्पीटल नाहरलगुन और जनरल हास्पीटल, पासीघाट में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 150.00 लाख रुपए।

बिहार

1. वर्ष 2000-01 के दौरान इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु 63.50 लाख रुपए।

दिल्ली

1. वर्ष 2000-01 के दौरान गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, दिल्ली और लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली में अस्पताली कचरे के निपटान के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु 46 लाख रुपए।

हिमाचल प्रदेश

1. वर्ष 2001-02 के दौरान इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शिमला, डा. आर.पी. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, धर्मशाला, जिला अस्पताल, चम्बा और जिला अस्पताल, ऊना में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 150.00 लाख रुपए।

मिजोरम

1. वर्ष 2001-02 के दौरान सिविल अस्पताल, आइजोल में जैव चिकित्सीय कचरा प्रबंधन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए 55 लाख रुपए।
2. वर्ष 2001-02 के दौरान सिविल अस्पताल, लुंगलाई में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 55 लाख रुपए।

मेघालय

1. राज्य के छह अस्पतालों में अस्पताली कचरा प्रबंधन

की सुविधाएं प्रदान करने हेतु 116.20 लाख रुपए (वर्ष 2000–01 के दौरान 8.50 लाख रुपए और वर्ष 2001–02 के दौरान 107.70 लाख रुपए)।

नागालैंड

1. नागा अस्पताल, कोहिमा और सिविल अस्पताल, दीमापुर में अस्पताली कचरा प्रबंधन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2001–02 के दौरान 134.40 लाख रुपए।

पांडिचेरी

1. वर्ष 2001–02 के दौरान सरकारी जनरल अस्पताल, पांडिचेरी और सरकारी जनरल अस्पताल, कराइकल में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु 100 लाख रुपए।

राजस्थान

1. एस.एम.एस. अस्तपाल, जयपुर, एम.जी. अस्पताल, जोधपुर और जनरल अस्पताल, उदयुपर में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु वर्ष 2001–02 के दौरान 145.75 लाख रुपए।

सिक्किम

1. वर्ष 2001–02 के दौरान राज्य के पांच अस्पतालों में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु 136 लाख रुपए।

पश्चिम बंगाल

1. वर्ष 2001–02 के दौरान शंभूनाथ पंडित अस्पताल, कोलकाता एवं मेडिकल कालेज अस्पताल, कोलकाता में अस्पताली कचरा प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करने हेतु 38.48 लाख रुपए।

नाभिकीय संयंत्रों से रिसाव

3336. श्री तूफानी सरोज :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अक्तूबर, 2002 के दैनिक जागरण और दिनांक 20 अक्तूबर, 2002 के राष्ट्रीय सहारा में नाभिकीय संयंत्रों से रिसाव (लीकेज फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त रिसाव के कारण कितने कर्मचारी और अधिकारी शारीरिक विकलांगता के शिकार हुए?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह समाचार 11 अक्तूबर, 2002 के 'क्रिस्ट्यन साइंस मानीटर' में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित था। परमाणु विद्युत संयंत्रों से पर्यावरण उन्मुक्त होने वाली विकिरण–सक्रियता की मात्रा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए ई आर बी) द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ही होती है। भारत में 200 रिएक्टर वर्षों के प्रचालन–काल में, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। कामगारों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र में तकनीकी रूप से दुरुस्त यंत्रावली लगाई हुई है।

(घ) परमाणु विद्युत संयंत्रों में रिसाव की घटनाओं की वजह से कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी शारीरिक रूप से विकलांग नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आपातकालीन उद्देश्य हेतु औषधि विभाग

3337. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आपातकालीन औषधि का एक पूर्ण विभाग खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग के कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या एम्स का एम.बी.बी.एस. छात्रों के लिए आपातकालीन औषधि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम के कब तक शुरू होने की संभावना है और इसकी व्यापक रूपरेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सरकार को इस संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार के प्रस्तावों को सरकार के पास भेजने से पहले विभिन्न संस्थानों, निकायों द्वारा इन पर विचार किया जाना होता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कैंसर उपचार के उपकरण

3338. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कैंसर रोगियों के इलाज के लिए दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों द्वारा आयातित महंगे उपकरण गत कुछ वर्षों से बिना उपयोग के पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जो इन उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जहां तक सरकारी अस्पतालों नामतः डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, कैंसर रोगियों के उपचार का कोई भी यंत्र निष्क्रिय नहीं पड़ा हुआ है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि केवल निम्नलिखित को छोड़कर जो कि रोगी परिचर्या कार्यकलापों के लिए उपयोग नहीं किए जा रहे हैं सभी रोगी परिचर्या उपकरण कार्य कर रहे हैं।

क्र.सं.	उपकरणों के नाम
1	2
1.	सलेक्ट्रॉन एल डी आर
2.	माइक्रो सलेक्ट्रॉन एच डी आर
3.	ब्राकीथेरेपी अल्ट्रासाउंड
4.	जी.ई. सिम्युलेटर

उपयोग न किए जाने का कारण, भूतल और प्रथम तल पर अभी भी डा. बी. आर. अम्बेडकर आई आर सी एच का विस्तार/निर्माण कार्य जारी है। नवीकरण का कार्य जारी रहने के परिणामस्वरूप डा. बी. आर. अम्बेडकर आई आर सी एच के लिए इन महंगी मशीनों का उपयोग करना सुविधापरक नहीं है, जिन्हें रीमॉडलिंग/नवीकरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है।

सेल्यूलर उपभोक्ता

3339. डा. ए. डी. के. जयशीलन :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में आज की स्थिति के अनुसार शहर-वार सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत कुछ महीनों के दौरान सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त शहरों में चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि दर क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंसों के लिए देश को 24 सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसमें 4 महानगर सेवा क्षेत्र (अर्थात, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई) और 20 दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र शामिल हैं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के उपभोक्ता का संबंध पूरे सेवा क्षेत्र से है, न कि सेवा क्षेत्र के भीतर किसी स्थान विशेष से। अतः, बंगलौर या हैदराबाद के उपभोक्ता का संबंध क्रमशः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सेवा क्षेत्रों से होगा।

सेल्यूलर प्रचालकों की ओर से सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा दी गई सूचना के, अनुसार 31.10.2002 तक छः सेवा क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) छः सेवा क्षेत्रों में, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान, सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या व उनकी वृद्धि दर संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31.10.2002 की स्थिति के अनुसार सीएमटीएस उपभोक्ताओं की संख्या और चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान वृद्धि दर

क्र.सं.	निम्नलिखित तिथियों तक की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सर्किल/महानगर सेवा क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या	दिल्ली	मुम्बई	चेन्नई	कोलकाता	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
1.	31.3.2002	1067676	974081	260237	265763	495841	400134
2.	30.4.2002	1121630	1025188	267774	284449	509753	412376
3.	31.5.2002	1174428	1066358	275401	304771	533183	424344
4.	30.6.2002	1250248	1121714	286047	322019	559056	447197
5.	31.7.2002	1300065	1150433	308027	344328	591115	478919
6.	31.8.2002	1351218	1277963	332683	362761	630637	504550
7.	30.9.2002	1404370	1348773	353044	384536	652880	531282
8.	31.3.2002 से 30.9.2002 तक सीएमटीएस उपभोक्ताओं की वृद्धि–दर	31.54%	38.47%	35.66%	44.69%	31.67%	32.78%
9.	31.10.2002 तक की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या	1474203	1415132	370530	412785	660918	548732

अधिकारियों और चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3340. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) ने परमाणु विद्युत केन्द्रों को जिला अधिकारियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक विभिन्न परमाणु ऊर्जा केन्द्रों द्वारा आयोजित ऐसे प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रमों की संयंत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) कतिपय ऊर्जा केन्द्रों द्वारा हाल ही में किए गए

ऑफसाइट इमरजेंसी एक्सरसाइजेज (ओएसईई) किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा किसी आपातकाल या आपदा के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच अच्छे समन्वय के महत्व को जिला प्रशासन को चेताने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) चिकित्सा–व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अयोजन केन्द्रीयकृत रूप से किया जाता है। ऐसे नौ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिला प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन, स्थल से परे उत्पन्न हो सकने वाली आपातस्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले अभ्यास, जो कि हर दो वर्ष में एक बार किए जाते हैं, से ठीक पहले सभी स्थलों पर किया जाता है।

(ग) परमाणु बिजलीघरों द्वारा आयोजित "स्थल से परे उत्पन्न हो सकने वाली आपातस्थिति से निपटने के अभ्यास (ओएसईई)", स्थल से परे उत्पन्न हो सकने वाली किसी आपातस्थिति की असंभाव्य घटना से निपटने के लिए तैयार रहने के उद्देश्यों को बहुत ही संतोषजनक ढंग से पूरा कर सकती है। स्थल से परे आयोजित किए जाने वाले ऐसे हर अभ्यास के बाद, विभिन्न एजेंसियों जैसे कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) के पर्यवेक्षक, किए गए अभ्यास पर अपनी टिप्पणियां देते हैं, जिनकी समीक्षा की जाती है और यदि कोई कमियां हों तो उन्हें बाद में आयोजित अभ्यासों में ठीक कर दिया जाता है।

(घ) स्थल से परे उत्पन्न हो सकने वाली आपातस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने संबंधी कार्यक्रम में सुधार किया जाना एक निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है और इसे बिजलीघर के प्राधिकारियों, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों के बीच लगातार पारस्परिक संपर्क द्वारा संपन्न किया जाता है।

[हिन्दी]

अफगान नागरिकों को पारपत्र

3341. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में शरणार्थियों के रूप में रहने वाले कई अफगान नागरिक पारपत्र अधिकारियों की मिलीभगत से भारतीय पारपत्र पाने में सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999 के मध्य तक ऐसे 65 मामले पाए गए थे।

(ग) सभी 65 पासपोर्ट दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पुलिस की स्पष्ट रिपोर्ट अथवा भारत सरकार के उप सचिव तथा उससे ऊपर के पद के अधिकारियों द्वारा जारी जांच प्रमाणपत्रों के आधार पर ही जारी किए गए थे। इन सभी मामलों में पासपोर्ट वापिस ले लिए गए हैं। पुलिस प्राधिकारियों ने संबंधित अफगान राष्ट्रिकों और उन सरकारी अधिकारियों, जिन्होंने स्पष्ट जांच रिपोर्ट/प्रमाणपत्र जारी किए थे, के विरुद्ध उचित कार्रवाई की है।

सिन्धु जल संधि

3342. डा. चरण दास महंत : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच सिन्धु जल संधि को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त संधि को राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के संबंध में आयोजित कार्यशाला के दौरान भी समाप्त करने की मांग उठाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) प्रेस सहित अन्य माध्यमों में सुझाव दिए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और द्विपक्षीय संधियों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकवाद के

प्रायोजन को देखते हुए भारत को सिंधु जल संधि रद्द करने के बारे में विचार करना चाहिए। सरकार ने सीमा–पार आतंकवाद के खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए उपयुक्त राजनयिक और अन्य उपाय किए हैं। पाकिस्तान ने स्थायी आधार पर सीमा–पार घुसपैठ रोकने, पाकिस्तानी भूक्षेत्र का उपयोग विश्व में कहीं भी आतंकवाद के लिए नहीं होने देने अथवा कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के किसी संगठन का आतंकवाद में शामिल नहीं होने का वचन दिया है।

(ग) और (घ) उल्लिखित कार्यशाला राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए "नीतिगत कार्रवाई वार्ता" से संबंधित थी। "सिंधु जल संधि" का मामला कार्यशाला की कार्यसूची का भाग नहीं था।

[अनुवाद]

सेरेमिक मैट्रिक्स

3343. श्री वाई. वी. राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेरेमिक मैट्रिक्स विकसित करने की एक परियोजना को वित्त–पोषित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) उच्च स्तरीय विकिरण सक्रिय अपशिष्ट–पदार्थों के अचलीकरण के लिए सेरेमिक मैट्रिक्स विकसित करने हेतु एक परियोजना को वित्त–पोषित कर रहा है। इस संबंध में विज्ञान संस्थान, मुंबई में अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) अब तक, सोडियम जर्कोनियम फॉस्फेट को तैयार करने और उसका अभिलक्षणन करने से संबंधित अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) मौजूदा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस अध्ययन–कार्य हेतु किया जाने वाला वित्त–पोषण वर्ष 2004 तक पूरा हो जाएगा। तथापि, अध्ययन–कार्य के इसके बाद भी जारी रहने की आशा है।

भारत की विदेश नीति

3344. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "माइलस्टोन ऑफ सक्सेस" नामक पुस्तिका प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुस्तिका में किस प्रसंग के अंतर्गत पाकिस्तान की निरंतर शत्रुता का उल्लेख किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) द्वारा अक्टूबर, 2002 में "माइलस्टोन्स ऑफ सक्सेस" नामक शीर्षक की पुस्तिका प्रकाशित की गई है जिसका उद्देश्य सरकार के कार्यक्रमों को प्रकाशित करना/उपलब्धियों पर बल देना है ताकि ये जन–साधारण तक पहुंच सकें।

(ग) उन बाह्यताओं पर बल देने के संदर्भ में पाकिस्तान की सतत शत्रुता का उल्लेख किया गया जिसके अंतर्गत भारतीय विदेश नीति की पहलकदमियां, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसियों के, मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित करना था, अपने अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं।

(घ) भारत ने संयुक्त वार्ता, जिसकी पहल 1998 में भारत द्वारा की गई, जैसी अनेक पहलकदमियां की, 1999 में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए और राष्ट्रपति पवरेज मुशर्रफ को जुलाई, 2001 में आगरा में शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा–पार आतंकवाद प्रायोजित किए जाने और इसे समर्थन दिए जाने के कारण सार्थक वार्ता के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन सका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीमा–पार आतंकवाद के संबंध में भारत के दृष्टिकोण और चिंताओं की प्रशंसा करता रहा है।

नेशनल इंटरनेट बैकबोन

3345. श्री के. येरननायडू : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली पर आधारित नेशनल इंटरनेट बैकबोन को योजनाबद्ध ढंग से तैयार किया गया है और यह कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद को केवल ए. दो का दर्जा दिया गया है और यह इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे के बिना रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लि. ने ऑप्टिकल फाइबर प्रणालियों पर आधारित नेशनल इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी) पहले से ही स्थापित किया है जिसमें 45 मुख्य इंटरनेट नोड हैं जो 391 अन्य इंटरनेट नोडों से जुड़े हुए हैं। एनआईबी को दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर तथा पुणे में स्थित 6 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय गेटवेज से जोड़ा जा रहा है।

(ग) और (घ) हैदराबाद इंटरनेट नोड, किसी भी अन्य मुख्य इंटरनेट नोड की तरह, एनआईबी से जुड़ा है और एनआईबी अंतर्राष्ट्रीय गेटवे से जुड़ा है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत निधियां

3346. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :
श्री के. येरननायडू :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य और गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्गीकरण में क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) उन दो श्रेणियों के बीच क्या अंतर है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने अभ्यावेदन दिया है कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत बहुत कम आवंटन हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता के पैटर्न पर प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के आवंटन के लिए विशेष और गैर--विशेष श्रेणी राज्यों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के राज्यों सहित पूर्वोत्तर के पिछड़े और पर्वतीय राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों में शामिल किया गया है जबकि शेष गैर–विशेष श्रेणी राज्यों से संबंधित हैं। पीएमजीवाई के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) 30% को विशेष श्रेणी राज्यों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है जबकि एसीए निधियों के 70% को गैर–विशेष श्रेणी राज्यों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खिलाड़ियों को आरक्षण

3347. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न केन्द्र सरकार के कार्यालयों, विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खिलाड़ियों का आरक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं और इस संबंध में क्या मानदंड/शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों (खिलाड़ियों) को नौकरियां दी गईं और कितनी रिक्तियां अभी भरी जानी हैं;

(घ) रिक्तियों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां

और आकर्षक लाभ देकर प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की वर्तमान हिदायतों के अनुसार, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, भर्ती प्रक्रिया में छूट देते हुए, समय–समय पर विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से 5% रिक्तियां समूह 'ग' और 'घ' के पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा भरी जा सकती हैं। खिलाड़ियों की भर्ती के लिए निम्नलिखित पात्रता संबंधी शर्तें हैं :

(1) इन आदेशों के अंतर्गत की जाने वाली नियुक्तियों के लिए खिलाड़ियों को निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में प्रतिभाशाली समझा जाता है :

(i) ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी भी खेलकूद/खेलों में राज्य अथवा देश का प्रतिनिधित्व किया है।

(ii) ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने अंतर–विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर–विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है।

(iii) ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने अखिल भारतीय स्कूल खेलकूद परिसंघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलों/खेलकूद में राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया है।

(iv) ऐसे खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए हैं।

(2) जब तक कोई उम्मीदवार, पूरी तरह से, उस पद पर नियुक्ति के लिए जिसके लिए आवेदन किया गया है, पात्र नहीं है और विशेष रूप से, आयु, शैक्षणिक अथवा अनुभव, योग्यता के संदर्भ में, जो भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित है और उस पद पर लागू है, ऐसी नियुक्तियां नहीं की जा सकतीं सिवाय जहां वर्ग, श्रेणी के संदर्भ में उस सीमा तक छूट की अनुमति दी गई है जिससे आवेदक संबंधित हैं।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में, जिन खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई हैं अथवा भरी जाने वाली रिक्तियों के बारे में, किसी भी प्रकार का रिकार्ड नहीं रखता है।

(ङ) सरकारी नौकरियों में समूह 'ग' और 'घ' पदों में 5% आरक्षण प्रदान करने के अलावा, सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है :

(1) पुरस्कार योजनाएं

(i) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार।

(ii) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।

(iii) जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार।

(iv) अर्जुन पुरस्कार।

(2) पेंशन संबंधी योजनाएं

(i) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

(ii) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि।

[हिन्दी]

खो-खो, कबड्डी इत्यादि को बढ़ावा देना

3348. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खो–खो, कबड्डी, वालीबाल, लंबी कूद तथा ऊंची कूद जैसे खेलों को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रत्येक खेल को बढ़ावा देने हेतु कितनी राशि प्रदान की जाएगी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार पहले से ही 'ग्रामीण खेल कार्यक्रम' की योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत खो–खो, कबड्डी, वालीबाल, लंबी कूद और

ऊंची कूद (एथलेटिक्स की प्रतियोगिताओं के रूप में) में प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अलावा, खो–खो, कबड्डी, वालीबाल आदि खेल विधाओं में खिलाड़ियों को देश भर में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश–प्राप्त कई प्रशिक्षणार्थियों का, देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से पता लगाया जाता है और उनका चयन किया जाता है।

(ग) राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, खो–खो, कबड्डी, वालीबाल, लंबी कूद और ऊंची कूद की खेल विधाओं सहित प्रति खेल विधा के लिए 30,000/– रु. की रकम, उन्हें राज्य स्तरीय खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए दी जाती है। संघ शासित क्षेत्रों के मामले में, प्रति खेल विधा के लिए 15,000/– रु. की रकम मंजूर की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाते हैं। 2.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रति खेल विधा के लिए, विभिन्न राज्यों में बारी–बारी से आयोजित किए जाने वाले इन टूर्नामेंटों के लिए दी जाती है।

[अनुवाद]

बैंकों में धोखाधड़ी

3349. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में बड़ी संख्या में धोखाधड़ी, घोटाले और भ्रष्टाचार के मद्देनजर, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग ने बैंकिंग–विशेषज्ञों को केन्द्रीय सतर्कता–आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ–सदस्यों के कब तक इस स्थिति में होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के दिनांक 13.8.2002 के संकल्प संख्या 371/20/99–ए.वी.डी.–III के पैराग्राफ 1.3 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री और सदस्यों के रूप में गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता से युक्त एक समिति की सिफारिश पर दो सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए जाने अपेक्षित होते हैं। उपर्युक्त समिति द्वारा दिनांक 19.8.2002 को की गई सिफारिशों के आधार पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष, श्री जानकी बल्लभ ने 5.11.2002 को केन्द्रीय सतर्कता–आयोग में सतर्कता–आयुक्त के रूप में अपने पद का कार्य–भार ग्रहण कर लिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 93

3350. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा–मुरादाबाद मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 93 घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बाद इनके रखरखाव, सुधार और उन्नयन पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और 2002–03 के दौरान इसके लिए कितनी निधियां आवंटित की गईं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। इस सड़क को दिनांक 12.10.2000 को राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा. 93) घोषित किया गया था। इस सड़क की लंबाई 220 कि.मी. है और यह सड़क उत्तर प्रदेश में रा.रा. 3 पर आगरा के समीप से प्रारंभ होती है तथा अलीगढ़–बबराला–चंदौसी को जोड़ती है और रा.रा. 24 पर मुरादाबाद के समीप समाप्त होती है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बाद अक्तूबर, 2002 तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव और मरम्मत पर 200.22 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

(घ) धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास कार्य शुरू किए गए हैं। 10 कि.मी. खंड में सड़क गुणता के सुधार के लिए 1.72 करोड़ रुपए का एक प्राक्कलन पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है।

बंगलौर में मेट्रो बस सेवा

3351. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में मेट्रो बस सेवाएं शुरू करने हेतु मंत्रालय की मंजूरी के लिए प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देगा;

(घ) क्या इस संबंध में किसी विदेशी तकनीकी सहायता की भी मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ङ) इस मंत्रालय को बंगलौर शहर में मेट्रो बस प्रणाली की शुरूआत से संबंधित प्रायोगिक परियोजना के लिए स्वीडिश इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी से वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की संस्तुति की गई थी और इस मामले को स्वीडिश इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी के साथ उठाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया था। यह मंत्रालय ऐसी परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।

अधरांगघात के रोगियों की चिकित्सा देखरेख

3352. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्छ, गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों ने कुछ अधरांगघात के रोगियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे रोगियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इन अधरांगघात के रोगियों को चिकित्सा देखरेख प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रोगियों और बहिरंग रोगी विभाग के कर्मचारियों के बीच झगड़ा

3353. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री रघुनाथ झा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल और एम्स के बहिरंग रोगी विभाग के कर्मचारियों और रोगियों के बीच अकसर हाथापाई की घटनाएं हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की कमी

3354. श्री विष्णु पद राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध प्राधिकरण की स्थायी समिति ने अपनी 17 अक्तूबर, 2001 को आयोजित बैठक में ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञों की कमी पर विचार करते हुए यह स्वीकार किया था कि स्थानीय चिकित्सकों को मुख्य भूमि के संस्थाओं (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों) में विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु व्यवस्थाएं की जाएं;

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार प्रशासन ने उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चिकित्सकों का पंजीकरण

3355. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 से 2002 तक कुल कितने विद्यार्थियों ने विदेशों से मेडिकल डिग्री प्राप्त की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को इन पंजीकरण हेतु इन वर्षों के दौरान ऐसे छात्रों से 4441 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने सीधे ही विदेशों से या राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के माध्यम से चिकित्सा अर्हता प्राप्त की है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर मोबाइल फोन के प्रभारों में कमी

3356. श्री पी. एच. पांडियन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित मोबाइल फोनों के प्रभार निजी सेल्यूलर संचालकों के मोबाइल फोन प्रभारों की तुलना में बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत संचार निगम लिमिटेड के सेल्यूलर उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु इसके मोबाइल फोन प्रभारों को कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं। कुल मिलाकर भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित मोबाइल फोन के प्रभार निजी सेल्यूलर प्रचालकों के मोबाइल फोन के प्रभारों के बराबर हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेडियोधर्मी निगरानी केन्द्र

3357. डा. मन्दा जगन्नाथ :
डा. डी. वी. जी. शंकर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेडियोधर्मी स्तर की जांच के लिए स्थापित रेडियोधर्मी निगरानी केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु इन केन्द्रों द्वारा वायु के नमूने का संग्रहण और उनका नियमित विश्लेषण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेडियोधर्मी स्तर की निगरानी करने वाले एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन केन्द्रों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) देश में विकिरण सक्रियता के स्तरों की जांच के लिए पच्चीस (25) रेडियोएक्टिव मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) का पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रभाग, देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण वर्ग के स्वास्थ्य भौतिकी यूनिट और पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं, दो रक्षा प्रयोगशालाएं (जोधपुर और तेजपुर) और दो विश्वविद्यालय (आंध्र प्रदेश और मंगलौर विश्वविद्यालय) नियमित रूप से विकिरण–सक्रियता के स्तरों पर मानीटरन करते हैं।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए खाली आरक्षित पद

3358. श्री राम टहल चौधरी :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणीवार कितने पद स्वीकृत हैं और सामान्य श्रेणी के अंतर्गत खुली परीक्षा के आधार पर कितने पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) नई आरक्षण-नीति लागू करने के पश्चात् 31 मार्च, 2002 तक अन्य पिछड़े वर्गों के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों को न भरे जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) इस बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों से मिली जानकारी के अनुसार, 30.4.1998 तक, अन्य पिछड़े वर्गों के 1,24,003 उम्मीदवार भर्ती किए गए। वर्ष, 1998, 1999 और वर्ष 2000 के दौरान, अन्य पिछड़े वर्गों के कुल 44,803 उम्मीदवार भर्ती किए गए।

(ग) और (घ) आरक्षण की नीति कार्यान्वित करना प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का दायित्व है। आरक्षित पदों के नहीं भरे जाने के बारे में मिलने वाली शिकायतों की जांच-पड़ताल भी संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। फिर भी, अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्त पद भरने के क्रम में उन्हें अधिकतम (ऊपरी) आयु-सीमा में तीन वर्ष की ढील देने आदि जैसी विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्त पदों के वि-आरक्षण पर रोक है।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर

3359. श्रीमती मिनाती सेन : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में वर्तमान जन्म दर अलग-अलग कितनी है; और

(ख) इन महानगरों में जीवित प्रति हजार शिशुओं में शिशु मृत्यु दर कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) अपर्याप्त नमूना आकार के कारण महानगरीय शहरों के लिए अशोधित जन्म दर और शिशु मृत्यु दर को पृथक रूप से संकलित नहीं किया जाता है। तथापि नूमना पंजीयन प्रणाली के अनुसार वर्ष 2000 के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों, जहां ये संदर्भाधीन महानगरीय शहर स्थित हैं, की अद्यतन उपलब्ध अशोधित जन्म दरें और शिशु मृत्यु दरें इस प्रकार हैं :

	अशोधित जन्म दर	शिशु मृत्यु दर
दिल्ली	20.1	32
महाराष्ट्र	20.4	33
पश्चिम बंगाल	14.1	37
तमिलनाडु	18.1	38

आयुर्वेदिक औषधियां

3360. श्री पी. आर. खूंटे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी आयुर्वेदिक औषधियां भारतीय चिकित्सा पद्धति में शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में आयुर्वेदिक औषधियों को प्रयोग में लाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती और आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण हेतु भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। नैदानिक परीक्षणों के लिए कोई अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

सब डिपो का स्थानांतरण

3361. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परिवार कल्याण सब डिपो को आई.डी.पी.एल. भवन कापसहेड़ा, नई दिल्ली में समायोजित किया गया है और यदि हां, तो कब से;

(ख) इस स्थल के मासिक किराए का ब्यौरा क्या है और किराए संबंधी समझौते में क्या-क्या सुविधाएं शामिल की गई हैं;

(ग) क्या उक्त सब डिपो को अस्वीकृति/अनधिकृत कालोनी के एक किराए के आवास में स्थानान्तरण कर दिया गया है; और

(घ) उक्त डिपो को मेहरौली के इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में महानिदेशालय (स्वास्थ्य सेवा) के चिकित्सा भंडार डिपो में क्यों नहीं स्थानांतरित किया जा सका?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। परिवार कल्याण सब डिपो 15.10.1998 से आई डी पी एल भवन, कापसहेड़ा, नई दिल्ली में था।

(ख) 3920 वर्ग फीट वाले इस स्थान का मासिक किराया 69,384/- रु. था। किराये के संबंध में आई.डी.पी. एल. के साथ कोई समझौता नहीं किया गया था। इस परिसर में विद्युत, सफाई (मूत्रालय), जल, सामान लादने-उतारने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

(ग) सब डिपो को 15.6.01 को विजय इन्क्लेव, पालम डाबरी रोड, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त परिसर अनुमोदित योजना के अनुसार बनाया गया है। 5400 वर्ग फीट वाले इस परिसर का किराया 1,13,400/- रु. प्रति माह है। इस परिसर में समुचित विद्युत, जल, दूरभाष, सफाई (मूत्रालय), सामान लादने-उतारने के लिए जगह जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

(घ) चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन, महानिदेशालय (स्वास्थ्य सेवा) से इनके औद्योगिक क्षेत्र, मेहरौली स्थित डिपो में परिवार कल्याण सब-डिपो के सामान को रखने के बारे में अनुरोध किया गया था। चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन ने पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

3362. श्री जी. जे. जावीया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना अवधि के दौरान सरकार का विचार गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने और आधुनिक संचार सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतीक्षा सूची तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए सर्किलवार/जिलेवार लक्ष्य तैयार किए जाते हैं। 2002-03 के दौरान, गुजरात में एक्सचेंजों का विस्तार करने हेतु आधुनिक संचार सुविधाओं सहित डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह विस्तार संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

(ग) बजट अनुमान 2002-03 में गुजरात सर्किल के लिए दूरसंचार के विकास हेतु 875.45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के दौरान गुजरात में योजित टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	क्षमता
1	2	3
1.	अहमदाबाद	34600
2.	गांधीनगर	7400
3.	अमरेली	13064
4.	भरूच	8500

1	2	3
5.	नर्मदा	2500
6.	भावनगर	4472
7.	भुज	12880
8.	गोधरा	9440
9.	दाहोद	2000
10.	साबरकांठा	3744
11.	जामनगर	10804
12.	जूनागढ़	6964
13.	पोरबन्दर	500
14.	खेड़ा	3476
15.	आनन्द	12500
16.	मेहसाना	10944
17.	पाटन	4500
18.	बनासकांठा	9792
19.	राजकोट	14088
20	सूरत	65160
21.	सुरेन्द्र नगर	7000
22.	वड़ोदरा	26000
23.	वालसाड़	24464
	जोड़	294792

उत्तर प्रदेश में सेल्यूलर सेवा में घाटा

3363. श्री विनय कुमार सोराके : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998–99 के दौरान उत्तर प्रदेश परिमंडल (सर्किल) में कोशिका टेलीकाम लिमिटेड लाइसेंस आपरेटर के लाइसेंस रद्द न करने के कारण सरकार को 440 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है;

(ख) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट में इस खामी पर टिप्पणी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं। मै. कोशिका ने दूरसंचार विभाग द्वारा दावा की गई देय राशियों का प्रतिवाद किया है तथा विभिन्न मुकदमे दायर किए हैं। लाइसेंस करार के माध्यस्थम् संबंधी खंड के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की है; इस समय उक्त मामला मध्यस्थ के समक्ष विचाराधीन है।

(ख) से (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने डाक और दूरसंचार पर वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट (2002 की रिपोर्ट सं. 6) में उत्तर प्रदेश (यू.पी.) के पूर्वी सर्किल का लाइसेंस समाप्त न करने और मै. कोशिका की ओर देय राशि की वसूली न करने की बाबत उल्लेख किया है। मै. कोशिका टेलीकाम लिमिटेड ने लाइसेंसों के तहत सरकार को देय राशि का भुगतान नहीं किया तथा उन्हें उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और उत्तर प्रदेश–पूर्व दूरसंचार सर्किलों के सभी चार लाइसेंसों को रद्द करने हेतु अप्रैल, 1999 में नोटिस दिया गया था। इन चार लाइसेंसों में से उत्तर प्रदेश–पूर्व को छोड़कर तीन लाइसेंसों को 22.5.1999 को रद्द कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश–पूर्वी दूरसंचार सर्किल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया, क्योंकि उस सर्किल में एकमात्र दूसरे प्रचालक ने भी भुगतान नहीं किया था और उसे भी लाइसेंस रद्द करने संबंधी नोटिस दिया गया था; दोनों लाइसेंसों को रद्द कर देने से उत्तर प्रदेश–पूर्वी सर्किल के उपभोक्ता सेल्यूलर मोबाइल सेवा से वंचित हो जाते और इसके मद्देनजर, कोई अन्य रास्ता निकालने की जरूरत थी। बाद में, इस बात को देखते हुए कि मै. कोशिका ने उत्तर प्रदेश–पूर्वी सर्किल के संबंध में माइग्रेशन पैकेज की पेशकश की बिना शर्त स्वीकृति देर से 30.11.1999 को दी है, उन्हें 17.4.2000 को आशोधित रूप में राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था में माइग्रेट करने की पेशकश की गई जिसे उन्होंने फिर से बिना शर्त 25.4.2000 को स्वीकार कर लिया। रद्द किए गए तीनों लाइसेंसों को बहाल करने के साथ–साथ राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था में माइग्रेट करने की पेशकश को भी मै. कोशिका ने बिना शर्त 25.4.2000 को स्वीकार कर लिया। माइग्रेशन पैकेज की स्वीकृत शर्तों के अनुसरण में, मैं. कोशिका ने अपने द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे वापस

ले लिए तथा 2.5.2000 से 21.9.2000 के बीच 101 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया। तथापि, कम्पनी ने सरकार द्वारा दावा की गई देय राशियों का प्रतिवाद किया तथा कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। मै. कोशिका को लाइसेंस शुल्क की देय राशियों के भुगतान की बाबत समय-समय पर अनुस्मारक भेजे गए और अन्त में 19.9.2001 को इस बाबत अनुस्मारक भेजा गया और भुगतान न किए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जाना था। तत्पश्चात्, मै. कोशिका ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फिर से मुकदमा दायर कर दिया और उन्हें 24.9.2001 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाइसेंस को रद्द करने पर स्थगन की मंजूरी मिल गई। मै. कोशिका ने माध्यस्थम् हेतु, चार आवेदन भी दायर किए और लाइसेंस शुल्क संबंधी देय राशियों की मांग का प्रतिवाद किया तथा लाइसेंस करार के माध्यस्थम् संबंधी खंड के तहत एक मध्यस्थ नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया। अंततः लाइसेंस रद्द करने पर न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक की अवधि समाप्त हो गई, तब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाइसेंस को 30.9.2002 को रद्द कर दिया गया।

[हिन्दी]

औषधि संपाक

3364. कुंवर अखिलेश सिंह :
श्री सी. के. जाफर शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हमारे देश में विपणन की जा रही बेकार और हानिकारक औषधि संपाकों की अधिकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मात्र कुछेक औषधियों को आवश्यक औषधि के रूप में देश में विपणन करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बेकार और हानिकारक औषधियों के विपणन और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट 'द यूज ऑफ इसेनशियल ड्रग्स' में अनिवार्य औषधों की मॉडल सूची दी है जिससे अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। तथापि इसने अनुशंसा की है कि अनिवार्य औषधों का चयन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बदल रही जन स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और जानपदिक रोग विज्ञानी स्थितियों और मौजूदा चिकित्सा ज्ञान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि इसका यह मतलब नहीं है कि कोई अन्य औषध उपयोगी नहीं है।

(घ) सूचित किए गए हानिकारक और असंगत औषध मिश्रणों की जांच प्रमुख विशेषज्ञों और औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के परामर्श से की जाती है। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। हानिकारक और असंगत बताई गई औषधों का विनिर्माण और बिक्री औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अंतर्गत प्रतिबंधित है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत अब तक 74 प्रकार की औषधें/औषध फार्मूलेशनों को प्रतिबंधित किया गया है।

राजस्थान में आई.एस.एम. एंड एच. सुविधाएं

3365. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों और औषधालयों का ब्यौरा क्या है, जहां सरकार का विचार अगले दो वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और योग की सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) राजस्थान सरकार ने रिपोर्ट दी है कि अगले दो वर्षों के दौरान राज्य में नई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और योग की सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयुर्वेद का विकास

3366. श्री सुबोध राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद को एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) विभाग ने आयुर्वेद के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं :

(i) स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर संस्थानों का सुदृढ़ीकरण;

(ii) राज्य फार्मेसियों और प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण;

(iii) भेषज संहिता मानक और गुणवत्ता नियंत्रण;

(iv) अंतर्वर्ती-अनुसंधान और बहिर्वर्ती-अनुसंधान;

(v) सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों को आयोजित करने के लिए सहायता;

(vi) सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आई.ई.सी.) क्रियाकलाप;

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सी-डॉट को वित्तीय सहायता

3367. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान बंगलौर और अन्य स्थानों पर सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) खोलने के क्या उद्देश्य हैं और इस हेतु कुल कितनी केन्द्रीय अनुदान धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सी-डॉट को आवंटित की गई धनराशि का उन वर्षों में पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान सी-डॉट को सभी स्थानों के लिए आवंटित अनुदान की कुल राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	सरकारी अनुदान (करोड़ रुपए)
2000-2001	110.66
2001-2002	108.00
2002-2003	82.00

(ख) और (ग) वर्ष 2000-01 के अनुदान का पूरा उपयोग कर लिया गया था। वर्ष 2001-02 के दौरान 108 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था परंतु केवल 98.23 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। व्यय में कमी का मुख्य कारण निर्माण-कार्य में विलंब की वजह से कैम्पस निर्माण पर कम खर्च होना था। मौजूदा व्यय और भुगतानों की प्रतिबद्धताओं को देखते हुए वर्ष 2002-03 के लिए 82 करोड़ रुपए के अनुदान का पूरा उपयोग वर्ष के दौरान ही होने की संभावना है।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने में अनियमितताएं

3368. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने में बरती गई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें मंत्रालय के अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं। सरकार को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने में की गई अनियमितताओं के किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न हीं उठता।

इजरायल में लापता भारतीय

3369. श्री पदमसेन चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे 39 भारतीयों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है जो एक कृषि फर्म के आमंत्रण पर इजरायल गए थे और वहां किसी होटल से अचानक लापता पाए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इजरायल सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर इजरायल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये 39 भारतीय राष्ट्रिक तथाकथित रूप से आंध्र प्रदेश से एक इजराइली सिंचाई कम्पनी द्वारा आयोजित की गई कार्यशाला में भाग लेने के लिए इजराल पहुंचे थे। 27.10.2002 के वे अपने होटल से लापता पाए गए। 4.12.2002 की स्थिति के अनुसार इनमें से 22 भारतीय राष्ट्रिकों को ढूंढ़ लिया गया है और इजराइली प्राधिकारियों द्वारा इन्हें भारत भेज दिया गया है। बाकी बचे भारतीयों का पता लगाने और उन्हें भारत भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह पता लगा है कि वे नौकरी पाने के इरादे से इजराइल आए थे और देश में गैर-पंजीकृत कार्मिक के रूप में रह गए। उन्होंने बताया कि इजराइल में नौकरी दिलाने का वायदा करने पर उन्होंने भारत में एजेंटों को मोटी रकम दी है।

(ग) दूतावास ने लापता भारतीयों के मामले को इजराइली सरकार के साथ उठाया है।

(घ) इजराइली सरकार ने इस मामले में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

[अनुवाद]

इंटरनेट सिक्योरिटी सेंटर

3370. श्री सुबोध मोहिते : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजक्शन एंड सिक्युरिटी को राज्य में इंटरनेट सिक्योरिटी सेंटर सहित इसके बेस की स्थापना के संबंध में राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र में तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इंटरनेट सिक्योरिटी के संबंध में छानबीन करने हेतु डा. एम. विद्यासागर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु, सोसायटी फॉर इलेक्टॉनिक ट्रांजक्शन्स एंड सिक्योरिटी (एसईटीएस) अपने प्रचालन मुख्यालय की स्थापना के लिए स्थान की खोज कर रही है। कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में बोर्ड के निर्णय के लिए एसईटीएस के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सूचना सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा मार्च, 2001 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डा. एम. विद्यागसार थे। देश में सूचना सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं की देखभाल करने के लिए एक अलाभकारी संस्था का पंजीकरण करना इस समिति की मुख्य संस्तुति थी। इस संस्तुति के आधार पर एसईटीएस का 22 मई, 2002 को संस्था पंजीकरण अधिनियम,

1860 का XXI के अंतर्गत संस्था पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ पंजीकरण किया गया।

तिहाड़ जेल में कैंसर जागरूकता शिविर

3371. श्री रतन लाल कटारिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 2002 में तिहाड़ जेल में आयोजित कैंसर जागरूकता शिविर के दौरान 80% महिलाएं गर्भाशय के गंभीर संक्रमण से पीड़ित पाई गईं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश की विभिन्न जेलों में विशेष स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खेल और युवक कार्यक्रम विषय को राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करना

3372. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेल और युवक कार्यक्रम विषय को राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विकिरण में वृद्धि

3373. श्री चिन्तामन वनगा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 2002 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "रेडियेशन एक्सपोजर ऑन दि राइज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि विकिरण निर्धारित सीमा से अधिक न हो?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह समाचार, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए ई आर बी) की वर्ष 2001–2002 की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित है। परमाणु विद्युत संयंत्रों में कामगारों पर विकिरण के पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा की समीक्षा करने के बाद, रिपोर्ट में बताया गया था कि परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा मात्रा के संबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं का करीब–करीब पूर्ण अनुपालन किया जाता है।

(घ) यद्यपि, कामगारों पर विकिरण के पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ही होती है, तथापि, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्वीकृत नीति यह है कि कामगारों पर विकिरण के पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा, यथोचित रूप से निष्पाद्य मात्रा तक कम होनी चाहिए। इसे 'अलारा' सिद्धांत कहा जाता है।

कामगारों पर विकिरण के पड़ने वाले प्रभाव को मानीटर करने के लिए, प्रत्येक बिजलीघर में, विकिरण के पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा को यथोचित रूप से निष्पाद्य मात्रा तक कम (अलारा) मूल्यों तक नियंत्रित करने के लिए एक समिति गठित की जाती है।

होम्योपैथी पद्धति के लिए वित्तीय सहायता

3374. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार को होम्योपैथिक पद्धति को बेहतर बनाने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार से पूरी तरह अनुमोदित संगमैर होम्योपैथिक कॉलेज को वित्तीय सहायता देने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास वर्ष 1997 से लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु आवेदन पत्र राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

(ग) से (ङ) उस कॉलेज को उपस्करों और पुस्तकों की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान की गई है। निर्माण कार्य के लिए अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है, क्योंकि निजी कॉलेज इसके पात्र नहीं हैं।

बुसान एशियाई खेल में स्नूकर टीम

3375. श्री जे. एस. बराड़ : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुसान एशियाई खेलों में भारतीय दल के प्रबंधक खिलाड़ियों विशेषकर स्नूकर टीम के खिलाड़ियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहे;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) भारतीय दल के सदस्यों को खेल गांव में सुसज्जित आवास सुविधा प्रदान की गई थी। भारत सरकार ने खिलाड़ियों के भोजन और आवास के लिए 50 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आयोजकों को दिए थे। जैसा कि भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर परिसंघ द्वारा सूचित किया गया है, 6 अक्तूबर, 2002 को भारत को टूर्नामेंट के स्थान पर इंगलिश डबल्स फाइनल्स खेलना था। वहां पर सेमी-फाइनल और फाइनल के बीच में कुछ घंटों का अंतर था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि उस दिन बारिश हो रही थी और एथलीटों के गांव और टूर्नामेंट के स्थान के बीच में लंबी दूरी थी और मैच के कार्यक्रम को बहुत ही कम नोटिस पर बदले जाने की संभावना थी, अतः टीम प्रबंधक/मुख्य प्रशिक्षक और खिलाड़ियों ने खेल के स्थान पर ही रुकने का निर्णय लिया था। चूंकि खेल के स्थान पर खिलाड़ियों के लिए किसी विश्राम-कक्ष की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी, अतः खिलाड़ियों ने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया जहां वे विश्राम कर सकते थे। यह सच है कि श्री गीत सेठी/खिलाड़ियों को दर्शकदीर्घा/कुर्सियों पर ही आराम करना पड़ा क्योंकि खेलों के स्थान पर किसी विश्राम-कक्ष की व्यवस्था नहीं की गई थी।

(ख) से (घ) भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर परिसंघ ने सूचित किया है कि यह एक व्यवस्था संबंधी प्रतिबंधों का मामला था जिसे खेलने वाले देशों को सहन करना होता है। अतः इस मामले में किसी प्रकार की आगे जांच करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अनुसंधान प्रयोगशालाओं में स्तनपायी जीव

3376. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में अनुसंधान प्रयोगशालाओं में स्तनपायी जीवों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) दस वर्षों से अधिक समय से पिंजरों में कितने स्तनपायी जीव रखे गए हैं;

(ग) गत वर्ष कितने स्तनपायी जीवों की मौत हुई है या एन्थनेस्ड हुए हैं; और

(घ) इनमें से कितने तपेदिक से पीड़ित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, उन्नयन और उन्हें चौड़ा किया जाना

3377. श्री भर्तृहरि महताब : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, उन्नयन और उन्हें चौड़ा किए जाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार क्षेत्रवार और चरणवार कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 8वीं योजना तक 1625 कि.मी. और नौवीं योजना अवधि के दौरान 1568 कि.मी. की वृद्धि की गई। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई अब 3193 कि.मी. है जिसमें से 437 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसे चार लेन का बनाया जा रहा है। 28 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य काफी हद तक दिसंबर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। शेष 2756 कि.मी. लंबाई राज्य लोक निर्माण विभाग के पास है। गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 1200 कि.मी. लंबाई में सुधार कार्य किया गया है। इस वर्ष 941 और कि.मी. के लिए सुधार कार्य पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। शेष लंबाई में मार्च, 2004 तक सुधार किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटन राज्यवार किया जाता है न कि खंडवार अथवा चरणवार। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटन और व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपए)

	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003
रा. रा. (मूल)				
आवंटन	43.5	67.04	60.00	65.00
व्यय	38.50	67.04	45.00	26.33 नवंबर, 02 तक
अनुरक्षण और मरम्मत				
आवंटन	36.22	42.77	47.31	36.42
व्यय	29.22	42.77	47.11	15.84 नवंबर, 02 तक

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है।

युवा रोजगार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेल

3378. डा. डी. वी. जी. शंकर राव : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 2003 में भारत में युवा रोजगार विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) वर्ष 2003 के दौरान, युवा रोजगार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जले हुए मरीजों के लिए अभिघात केन्द्र

3379. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सफदरजंग अस्पताल की तर्ज पर देश के विभिन्न हिस्सों में जले हुए मरीजों के लिए अभिघात केन्द्रों के वित्त पोषण का है;

(ख) यदि हां, तो जले हुए रोगियों हेतु ऐसे केन्द्रों के लिए किन शहरों या राज्यों का चयन किया गया है;

(ग) ऐसे प्रत्येक केन्द्र की स्थापना में कितनी लागत आएगी;

(घ) ऐसे केन्द्रों की स्थापना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों में विशेषज्ञों को भी भेजने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

परमाणु ईंधन परिसर के रसायन संयंत्र में विस्फोट

3380. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित परमाणु ईंधन परिसर के रसायन संयंत्र में हाल ही में एक बड़ा विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले की जांच के कोई आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या इसमें किसी की जान गई;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) हैदराबाद स्थित नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के रासायनिक संयंत्र में 17.11.2002 को एक छोटा सा विस्फोट हुआ था।

(ख) इस प्रकार के विस्फोट को "रैड ऑयल एक्सप्लोजन" के रूप में जाना जाता है। ऐसे विस्फोट उस स्थिति में हो सकते हैं, जब ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट और नाइट्रिक अम्ल, जिन दोनों का ही उपयोग यूरेनियम परिष्करण प्रक्रिया में होता है, की मौजूदगी में अत्यधिक तापन हो जाता है और तापमान 135 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) छानबीन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) खतरनाक थर्मो साइफन वाष्पन जहां परिचालन के दौरान तापमान 135 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर न जाने पाए, को खत्म करने के लिए प्रक्रिया में सुधार करने हेतु कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के काम-काज को भारतीयों को सौंपना

3381. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या विदेश मंत्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000, 2001, 2002 के दौरान कितने सिख जत्थों ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की यात्रा की;

(ख) क्या भारतीय पक्ष में से किसी के द्वारा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के कार्य संचालन को भारतीय लोगों के हाथों में सौंपने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मांग की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 2000 में किसी आधिकारिक सिख जत्थे ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की थी। वर्ष 2001 में चार आधिकारिक सिख जत्थों और वर्ष 2002 में एक आधिकारिक सिख जत्थे ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की यात्रा की थी।

(ख) से (घ) वर्ष 1974 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित "धार्मिक पवित्र स्थलों की यात्रा" संबंधी प्रोतोकोल के अधीन संबंधित देश का यह दायित्व है कि वह, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास करे कि "सहमत सूची" में शामिल धार्मिक पूजा स्थलों का समुचित अनुरक्षण किया जाए और उनकी पवित्रता बनाए रखी जाए।

[अनुवाद]

चुम्बकीय चिकित्सा वाले बिस्तर

3382. श्री जार्ज ईडन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए बाजार में कुछ चुंबक चिकित्सा वाले बिस्तरों के उपलब्ध होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बिस्तरों की

गुणवत्ता और उपचार में इनकी प्रभावोत्पादकता की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सरकार ऐसे दावों से अवगत है। तथापि, सरकार को ऐसे बिस्तरों की गुणवत्ता/उपचार संबंधी प्रभावोत्पादकता के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए धनराशि

3383. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति योग्य ऋण के स्थान पर 90 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अंतर्देशीय जल परिहवन के विकास के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एशियाई विकास बैंक ने अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए तकनीकी सहायता मिशन आरंभ करने की पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। विदेशी सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार ने कार्रवाई की है। विश्व बैंक ने ऐसी सहायता उपलब्ध कराने में रुचि दर्शायी है। तथापि, यह सहायता देने से पूर्व वे उन अध्ययनों को अद्यतन करना चाहेंगे जिनके आधार पर सहायता संबंधी प्रस्ताव तैयार किए गए थे।

(घ) जी, हां।

(ङ) एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता मिशन ने 1.125 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता अनुमोदित की है जिसके तहत वे सहायता संस्वीकृत करने से पहले अध्ययनों को अद्यतन बनाने और अंतर्देशीय जल परिवहन निवेश परियोजनाएं तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति करेंगे।

आंध्र प्रदेश में जैव-प्रौद्योगिकी इकाइयों को स्वीकृति

3384. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य मे प्रमुख जैव–प्रौद्योगिकी इकाइयों द्वारा भारतीय औषध महानियंत्रक (डी.सी.जी.आई.) के पास स्वीकृति हेतु कितने आवेदन प्रस्तुत किए गए;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान डी.सी.जी.आई. द्वारा कितने आवेदन स्वीकृत किए गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से डी.सी.जी.आई. द्वारा आवेदनों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) देश घरेलू विनिर्मित जैव–तकनीकी उत्पादों का अनुमोदन करने के पहले प्रस्ताव को विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पडता है जैसे कि रिकामबिनेंट कमेटी फॉर जेनेटिक मेनिपुलेशन (जैव प्रौद्योगिकी विभाग) की मंजूदगी, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली/कोलकाता द्वारा जांच रिपोर्ट का प्रमाणीकरण, नैदानिक परीक्षण, आर--डी एन ए आधारित थेरेपेटिक के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की मंजूरी, पर्यावरण मंत्रालय के अतर्गत आनुवंशिकी इंजीनियरी अनुमोदन समिति की मंजूरी, उत्तम विनिर्माण पद्धति मानदंडों के अनुरार विनिर्माण सुविधा का सत्यापन आदि।

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान प्रस्तावित घरेलू विनिर्मित रिकामबिनेंट उत्पादों के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में प्रमुख जैव–प्रौद्योगिकी एककों द्वारा दिए गए आवेदनों की संख्या और औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा जिस संगत वर्ष में उनका अनुमोदन किया गया, उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) से (ङ) श्री बी. पी. आचार्य, सचिव आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के पत्र की प्रति के माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को दिनांक 3.8.2001 संबोधित किया था जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि राज्य में अग्रणी जैव तकनीकी इकाइयों के संबंध में बड़े प्रस्ताव को शीघ्र निपटाने के लिए औषध महानियंत्रक (भारत) को समुचित निर्देश दिए जाएं और आंध्र प्रदेश राज्य की कतिपय नामी जैव तकनीकी कम्पनियों द्वारा लगाए गए आरोपों एवं प्रत्यारोपों पर विश्वास न किया जाए।

औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद इकाइयों के लिए जैव तकनीकी उत्पादों से संबंधित तीन प्रस्तावों को सांविधिक वांछनीयताओं के पूरा होने के बाद अनुमोदित किया था। शेष रहे तीनों आवेदन अर्थात् (i) रेस्ट्रेप्टोकीनेज ऑफ मैसर्स शांता बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (ii) रेस्ट्रेप्टोकीनेज ऑफ मैसर्स भारत बायोटेक (आई) लिमिटेड, हैदराबाद और इंटरफिरोन एल्फा 2बी ऑफ मैसर्स डा. रेड्डीज लैब, हैदराबाद को क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई है।

विवरण

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जिस वर्ष अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हुईं	जिस वर्ष औषध महानियंत्रक (भा.) द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई
1999	1	दिसम्बर, 2001	फरवरी, 2002
2000	4	एक प्रस्ताव अप्रैल, 2001 में और एक मार्च, 2002 में। तीसरे प्रस्ताव में आवेदक द्वारा नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है। चौथे प्रस्ताव में नैदानिक परीक्षण की रिपोर्ट 30.6.2002 को प्राप्त हुई और उस पर आनुवंशिकी इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जीईएसी) की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।	एक प्रस्ताव जून, 2001 में स्वीकृत किया गया और दूसरा प्रसतव मार्च, 2002 में स्वीकृत किया गया।
2001	2	दोनों प्रस्तावों में आवेदक द्वारा नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं।	

अंतर्देशीय जल परिवहन

3385. श्री के. पी. सिंह देव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष दसवीं योजना के दौरान देश में अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दसवीं योजना के दौरान पर्याप्त गहराई, यांत्रिक सुविधाओं वाले टर्मिनल और नौचालनात्मक उपकरण उपलब्ध करवाकर नदी नियंत्रण के संबंध में मौजूदा राष्ट्रीय जलम्गों पर अवसंरचना को स्थायी और सुदृढ़ बनाने तथा उसका उन्नयन करने की योजना बनाई है। सरकार का वर्तमान कवरेज को मौजूदा तीन राष्ट्रीय जलमार्गों के तहत 19–20% से बढ़ाकर नए जलमार्गों की घोषणा करके समस्त जलमार्गों का 38–40% करने का भी प्रस्ताव है।

ब्रिटिश विदेश मंत्री का दौरा

3386. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश विदेश मंत्री ने भारतीय नेताओं के साथ अपनी वार्ता के पश्चात् हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया है और वहां हुई बातचीत की प्रगति का ब्यौरा लेकर भारत लौटे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत–पाक संबंधों पर इस बातचीत की प्रगति के ब्यौरे का क्या प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटिश विदेश मंत्री जाक स्ट्राव 19 जुलाई की भारत यात्रा के बाद 20 जुलाई को पाकिस्तान की यात्रा पर गए। श्री स्ट्राव 20 जुलाई की सायं में दिल्ली वापिस आ गए और उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री इनाम–उल–हक के साथ हुई अपनी मुलाकात के आकलन से अवगत कराया।

(ग) यू. के. पक्ष को पूरी तरह से अवगत कराया गया कि उच्चतम स्तर पर पाकिस्तानी नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद सीमा–पार से आतंकवाद बंद नहीं हुआ है। न ही पाकिस्तान ने आतंकवाद के ढांचे को ध्वस्त किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए उपरोक्त बात एक अनिवार्य पूर्व अपेक्षा होगी।

आय से अधिक संपत्ति के मामले

3387. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग केन्द्र सरकार के उन अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की भी जांच करता है जो समूह आवास–सहकारिता–समितियों के पदाधिकारियों के रूप में धोखाधड़ी और गबन के मामलों में लिप्त रहकर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा कर लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के अधिकारियों की मंत्रालय/विभाग/संगठन–वार संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की शिकायतों पर विचार करने के लिए कोई वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस प्रकार के भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को किस प्रकार दंड देने का है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बहादुरगढ़ में बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों द्वारा संपत्ति जमा करना

3388. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में बहादुरगढ़ में बी.एस.एन.एल. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने पदों का दुरुपयोग करके संपत्ति इकट्ठा करने से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या बी.एस.एन.एल. ने इस मामले की अब तक कोई जांच नहीं कराई है और यहां तक कि दोषी कर्मचारियों को पदोन्नत भी कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बी.एस.एन.एल के वरिष्ठ अधिकारियों की शह पर स्थानीय कर्मचारियों ने ऐसी शिकायत करने वालों के फोन काट दिए हैं तथा इनके द्वारा फैक्स और पंजीकृत डाक से शिकायतें भेजने के बावजूद उनके कनेक्शनों को महीनों से बहाल नहीं किया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) रोहतक एस.एस.ए. के अंतर्गत बहादुरगढ़ में तैनात एक अधिकारी के खिलाफ ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) मामले को जांच के लिए सतर्कता अनुभाग को सौंप दिया गया है। संबंधित अधिकारी को कोई नियमित पदोन्नति नहीं दी गई है।

(ग) मामले की जांच चल रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-चीन सीमा वार्ता

3389. श्रीमती रीना चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 2002 के "दि हिन्दू" में "इंडियन चाइना वर्किंग टु रिजॉल्व डिफ्रेंसेस ओवर मैप्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी वार्ता में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीमा मसले से संबद्ध भारत–चीन संयुक्त कार्य समूह (जे डब्ल्यू जी) की चौदहवीं बैठक 21 नवंबर, 2002 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। चर्चा, जो तीन सत्रों में हुई थी, सकारात्मक और उत्साहवर्धक तरीके से संपन्न हुई।

दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्टीकरण की जारी प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने अतिरिक्त विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध चर्चा भी जारी रखी। यह सहमति हुई कि विशेषज्ञ दल (ई जी–14) की आगामी बैठक, जो कि जे डब्ल्यू जी का एक उप–समूह है, जनवरी, 2003 में बीजिंग में संपन्न होगी।

जेडब्ल्यूजी–13 से, जो 31 जुलाई, 2001 को संपन्न हुई थी, द्विपक्षीय संबंधों की एक व्यापक समीक्षा की गई। चीनी पक्ष ने प्रारम्भिक जनवरी, 2003 में माननीय अध्यक्ष की चीन की आगामी यात्रा का स्वागत किया। यह यात्रा जनवरी, 2001 में श्री ली पेंग चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के चेयरमैन की भारत की यात्रा के संबंध में एक पारम्परिक यात्रा है। अन्य बातों के साथ–साथ, दोनों पक्ष व्यापारिक और आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों तथा लोगों से लोगों के आदान–प्रदान को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने मौजूदा संवाद तंत्रों जैसे आतंकवाद प्रतिकार तथा सुरक्षा, की कार्य प्रणाली की भी समीक्षा की। इन संवादों की उपयोगिता तथा इन्हें स्थायी और विस्तारित करने की आवश्यकता को दोहराया गया। क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई। चीनी पक्ष ने अवगत कराया कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को एक अपेक्षाकृत व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है न केवल दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में।

एचआईवी एड्स के लिए आईबीटी की सहायता

3390. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक शाखा इंडियन बिजनेस ट्रस्ट (आईबीटी) एच.आई.वी. एड्स की रोकथाम और रोगियों की देखभाल में सरकार और स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करता रहा है;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में आईबीटी के सहयोग से कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। भारतीय उद्योग परिसंघ का भारतीय बिजनेस ट्रस्ट को राज्य एड्स नियंत्रण समितियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से चुनिन्दा स्थानों पर एचआईवी/एड्स के लिए परामर्श देने, इसके निवारण करने और घर पर ही इसके लिए परिचर्या प्रदान करते में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने इंडियन बिजनेस ट्रस्ट के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।

केमिस्टों की हड़ताल

3391. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में सीजीएचएस के लाभार्थियों को विशेषकर पेंशनभोगियों को, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति करने वाले केमिस्टों की हड़ताल की वजह से विशेषज्ञों/सीजीएचएस डॉक्टरों द्वारा अनुशंसित दवाइयां उनके अपने संबद्ध औषधालयों से नहीं मिल रही हैं;

(ख) केमिस्टों द्वारा दवाइयों की आपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि लाभार्थियों को बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। और इन दवाइयों पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु उन्हें प्रतिपूर्ति दावा प्रपत्रों को लाने के लिए निर्माण भवन जाना पड़ता है जहां इन प्रपत्रों की कम आपूर्ति होती है; और

(घ) लाभार्थियों विशेषकर पेंशन भोगियों के लाभ के लिए प्रतिपूर्ति प्रपत्रों के औषधालयों में उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को मांगी गई दवाओं की आपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों की हड़ताल दिनांक 1.11.2002 से आज तक जारी है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा विक्रय-कर के संबंध में उनके बिलों में से 10% राशि को रोक लेने और उनके लंबित बिलों के भुगतान में विलम्ब करने के कारण हड़ताल पर गए हैं। विक्रय-कर से संबंधित मामला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया गया है।

(ग) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में औषधों की उपलब्धता अपर्याप्त है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों की जारी हड़ताल के कारण लाभार्थियों को खुले बाजार से औषधें खरीदने तथा उन पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार से करने की अनुमति दी गई है। प्रतिपूर्ति दावे के फार्म केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में ही उपलब्ध कराए गए हैं ताकि लाभार्थियों को फार्म लेने के लिए निर्माण भवन, नई दिल्ली न आना पड़े। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में खर्चे की प्रतिपूर्ति उनके संबंधित कार्यालय/विभाग, जहां वे कार्य कर रहे हैं, द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगी लाभार्थियों को संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में ही प्रतिपूर्ति करने के प्रबंध किए गए हैं।

अनिवार्य एवं समय-समय पर उपयोग की जाने वाली औषधों की खरीद करने के उपाय तैयार कर लिए गए हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिशु मृत्यु दर

3392. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2000 की रिपोर्ट (सिविल) संख्या-3 के मुताबिक देश में शिशु मृत्यु दर 69 है, जबकि अन्य विकासशील देशों में वर्ष 1998 तक यह दर 29-51 तक रह गई है;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों की तुलना में देश में खराब कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 1991 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 80 से घटकर 2000 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 68 हो गई है। "दि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन 2001-यू.एन.एफ.ए." के अनुसर (i) विश्व और भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर क्रमशः 55 और 65 थी और (ii) कम विकसित क्षेत्रों और सबसे कम विकसित देशों में यह क्रमशः 59 और 92 थी।

(ख) शिशु मृत्यु के प्रमुख कारणों में समय से पहले जन्म होना, तीव्र श्वसनी संक्रमण और खसरा जैसे वैक्सीन निवार्य रोग शामिल हैं। उच्च मृत्यु के कारणों में निम्न साक्षरता और अन्य सामाजिक विकासात्मक सूचक शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत तीव्र श्वसनी संक्रमणों से होने वाली मौतों तथा अतिसार के कारण शरीर में होने वाली पानी की कमी की रोकथाम तथा अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या के लिए वैक्सीन निवार्य छह रोगों, नामतः बाल्यावस्था में होने वाला क्षय रोग, डिप्थीरिया, कुकुरखांसी, पोलियोमाइलिटिस, खसरा और टेटनस रोगप्रतिरक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। शिशुओं और बच्चों के पोषणिक स्तर में सुधार लाने के लिए केवल स्तनपान कराने और उपयुक्त पूरक आहार प्रदान करने की आदतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विटामिन 'ए' की कमी तथा आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता के लिए रोगनिरोधक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सेवाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य पहुंच योजना, दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

[अनुवाद]

हैंड सेटों और सेलुलर फोनों का विनिर्माण

3393. **डा. नीतिश सेनगुप्ता :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई भी विदेशी या घरेलू कम्पनी ने देश में हैंड सेटों या सेलुलर फोनों के विनिर्माण में अभिरुचि नहीं दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार के दीर्घकालिक विचार क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) हैंडसेटों अथवा सेल्यूलर फोनों सहित दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण पर से लाइसेंस हटा दिया गया है और इसलिए कंपनियां उनके लिए विनिर्माण यूनिटें स्थापित करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में ऑटोमैटिक आधार पर शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। अतः विदेशी अथवा स्वदेशी कंपनियों को देश में हैंड सेंटों अथवा सेल्यूलर फोनों के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने हेतु सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

हैंडसेटों/सेल्यूलर फोनों का विनिर्माण आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए इनकी अधिक मात्रा में निर्माण करने की जरूरत है। मोबाइल फोनों की वर्द्धित मांग से यह आशा है कि विदेशी और स्वदेशी दोनों कंपनियां भारत में विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। तथापि, चूंकि यह लाइसेंस मुक्त क्षेत्र है, अतः देश में ऐसी सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय बाजार की शक्तियों द्वारा ही किया जाएगा।

गुजरात में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लंबित परियोजनाएं

3394. **श्री सवशीभाई मकवाना :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की कतिपय परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सुरेन्द्र नगर जिले में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ग) गुजरात राज्य के सुरेन्द्र नगर जिले में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुशंसित और क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कलेक्टर, सुरेन्द्र नगर द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कार्यकारी अभिकरणों द्वारा योजना और प्राक्कलनों की प्राप्ति में विलंब/कार्यस्थल में परिवर्तन के कारण कुछ परियोजनाएं प्रारंभ नहीं की जा सकीं। सांसद स्थानीय क्षेत्र-विकास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक माह जिला कलेक्टर, सुरेन्द्र नगर की अध्यक्षता में कार्यकारी योजना समिति की बैठकों में और राज्य मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना बैठकों में की जाती है।

विवरण

सुरेन्द्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुशंसित/अनुमोदित/पूर्ण/चल रहे कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	अनुशंसित कार्य	अनुमोदित कार्य		पूर्ण कार्य	चल रहे कार्य	जो कार्य अभी शुरू नहीं किए गए
			सं.	राशि (लाख रु. में)			
1.	1999-2000	281	197	201.02	147	25	25
2.	2000-2001	302	171	199.89	80	40	51
3.	2001-2002	202	75	88.86	–	–	75
4.	2002-2003	63	12	9.49	–	–	12

डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य

3395. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग निधियों की उपलब्धता के बावजूद जिन्हें खर्च किया जाना बाकी है डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण में वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग में विभिन्न आधुनिकीकरण कार्यों के लिए 196.55 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई था; इस राशि में से विभाग 128.72 करोड़ रुपए का उपयोग कर पाया। हालांकि, विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य लगभग पूरे किए गए।

2. जानकारी कार्यकलापवार रखी जाती है, राज्यवार नहीं। वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय उपलब्धियों का कार्यवार ब्यौरा विवरण–II और II के रूप में संलग्न है। आंध्र प्रदेश से संबंधित सूचना अलग से एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम निम्नानुसार हैं :

1. विभाग विभिन्न योजना कार्यकलापों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा तथा मॉनिटरिंग कर रहा है।

2. भारत सरकार ने सचिव, डाक विभाग के अधिकारों की समीक्षा की है और वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के पैरा 21(क) का समुचित संशोधन किया गया है, जिससे मंजूरी प्राप्त होने से पहले की प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं की त्वरित पूर्ति संभव हुई है।

विवरण-I

नौवीं योजना (अंतिम तीन वर्ष) में वित्तीय निष्पादन से संबंधित विवरण

(रु. करोड़ में)

कार्य	कुल वित्तीय परिव्यय	कुल व्यय
1	2	3
प्रौद्योगिकी का उन्नयन		
ईएसएमओ का लगाया जाना	10.33	11.22
वीएसएटी का लगाया जाना	19.05	8.49
वीएसएटी का उन्नयन	0.00	0.00
सॉफ्टवेयर के केन्द्रीकृत उन्नयन की सुविधा	0.70	0.70
एसबी एलएएन सहित पीसी आधारित काउंटर मशीनें	31.20	25.85
डाकघरों का आधुनिकीकरण	17.95	17.42
एमपीसीएम/वीएसएटी में इस्तेमाल का सामान	12.00	10.40
सॉफ्टवेयर संशोधन/कंसल्टेन्सी	0.33	0.33
यांत्रिकी उपस्कर	2.70	1.56
उप योग	94.26	75.97
सामग्री प्रबंधन		
पीएसडी का कम्प्यूटरीकरण और निदेशालय के साथ नेटवर्किंग	1.61	0.96
उप योग	1.61	0.96
मानव संसाधन विकास		
कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण	3.36	3.15
उप योग	3.36	3.15

1	2	3
मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण		
मेल कार्यालय का आधुनिकीकरण	1.11	1.09
एएमपीसी में कल्लिंग, फेसिंग और कैंसलिंग मशीनें	23.00	11.09
ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड मेल प्रोसेसिंग सिस्टम	29.85	1.75
वितरण के लिए प्रचालनात्मक उपस्करों का उन्नयन	0.86	0.00
टीएमओ कम्प्यूटरीकरण	1.30	1.01
एचआरओ/डी ओ कम्प्यूटरीकरण	2.00	1.46
पंजीकरण छंटाई कार्यालय कम्प्यूटरीकरण	2.51	1.59
मेल नेट का उन्नयन/विस्तार	1.17	0.00
अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली परियोजना (ट्रैक एंड ट्रेस–ईएमएस)	0.57	0.55
अंतर्राष्ट्रीय मेल लेखांकन का कम्प्यूटरी–करण (निदेशालय के एचआरओ और डीएए अनुभागों में मौजूद खाते)	0.51	0.59
नए एयर ब्रेक मेल वैनों का निर्माण	13.02	13.00
मौजूदा आरएमएस वैनों का उन्नयन और उनको एयर ब्रेक में बदलना	0.07	0.07
एमएमएस वाहनों की खरीद और बॉडी बिल्डिंग	1.02	0.58
पहले खरीदी गई चेसिस पर बॉडी बिल्डिंग	0.06	0.08
उप योग	77.05	32.86
व्यवसाय विकास और मार्केटिंग		
नोडल कार्यालयों में पीपीसी/एसपीसीसी का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग	4.74	5.27
पिक अप और वितरण का यांत्रिकीकरण	0.16	0.09
व्यवसाय विकास निदेशालय और सर्किलों में स्थित इकाइयों के बीच मेल नेटवर्क	0.00	0.00

1	2	3
स्पीड पोस्ट के लिए बिजनेस कार्यालय का आधुनिकीकरण	2.23	1.95
मास मेलिंग, इनसर्टिंग और सीलिंग का सामान	2.98	2.16
उप योग	10.11	9.47
डाक जीवन बीमा		
क्षेत्रों में आरपीएलआई कार्य का कम्प्यूटरीकरण	0.10	0.11
सर्किलों में कम्प्यूटर सिस्टमों का उन्नयन	0.17	0.17
उप योग	0.27	0.28
फिलैटली का विकास और आधुनिकीकरण		
कम्प्यूटरीकरण	2.05	1.45
विभिन्न ब्यूरो के लिए औजार और उपस्कर	0.32	0.31
उप योग	2.37	1.76
प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को सुप्रवाही बनाना		
निदेशालय के साथ सभी क्षेत्रीय और सर्किल मुख्यालयों को जोड़ने वाले एमआईएस का विकास	3.00	0.94
सर्किलों के डाक लेखा कार्यालयों और बजट शाखाओं के कार्य की विभिन्न मदों का कम्प्यूटरीकरण	0.64	0.63
निदेशालय में योजना कार्यक्रमों को लागू करने और उनकी मॉनीटरिंग के लिए प्रशासनिक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण	1.59	1.36
उप योग	5.23	2.93
जन शिकायतें		
ग्राहक सेवा केन्द्र	2.29	1.34
उप योग	2.29	1.34

1	2	3
केन्द्रीय एनई पूल को अभ्यर्पण		
एनई आवंटन		
कुल योग	196.55	128.72

विवरण-II

नौंवी योजना (पिछले तीन वर्ष) में आधुनिकीकरण कार्यकलाप

कार्य	पिछले तीन वर्षों में कुल लक्ष्य	तीन वर्षों में कुल उपलब्धि
1	2	3
प्रौद्योगिकी का उन्नयन		
ईएसएमओ का लगाया जाना	1132	1132
वीएसएटी का लगाया जाना	150	150
एसबी एलएएन सहित पीसी आधारित काउंटर मशीनें	3250	3354
डाकघरों का आधुनिकीकरण	300	430
हैंड कैंसलर्स	5000	14279
डाक टिकट विरूपण मशीनें	60	60
इलेक्ट्रोनिक फ्रैंकिंग मशीनें	311	311
सामग्री प्रबंधन		
कर्मचारियों को सिस्टम ऑपरेशन का प्रशिक्षण	100	100
मानव संसाधन विकास		
कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण	15200	40654
मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण		
मेल कार्यालय का आधुनिकीकरण	67	85
एएमपीसी में कल्लिंग, फेसिंग और कैंसलिंग मशीनें	2	2
ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड मेल प्रोसेसिंग सिस्टम	2	0
वितरण के लिए प्रचालनात्मक उपस्करों का उन्नयन	250	0
टीएमओ कम्प्यूटरीकरण	14	14
एचआरओ/डीओ कम्प्यूटरीकरण	19	21
पंजीकरण छंटाई कार्यालय कम्प्यूटरीकरण	12	19
पंजीकृत डाक के लिए पंजीकरण वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण	10	0
मेल नेट का उन्नयन/विस्तार	5	0
नए एयर ब्रेक मेल वैनों का निर्माण	28	28
मौजूदा आरएमएस वैनों का उन्नयन और उनको एयर ब्रेक में बदलना	2	2
एसएमएस वाहनों की खरीद और बॉडी बिल्डिंग	21	12
पहले खरीदी गई चेसिस पर बॉडी बिल्डिंग	8	8
व्यवसाय विकास और मार्केटिंग		
नोडल कार्यालयों में पीपीसी का कम्प्यूटरी-करण और नेटवर्किंग	124	39
एसपीसीसी का कम्प्यूटरीकरण	50	47
पिक अप और वितरण का यांत्रिकीकरण	20	14
स्पीड पोस्ट के लिए बिजनेस कार्यालयों का आधुनिकीकरण	109	75
मास मेलिंग, इनसर्टिंग और सीलिंग उपस्कर	67	124
फिलैटली का विकास और आधुनिकीकरण		
कम्प्यूटरीकरण	214	217
विभिन्न ब्यूरो के लिए औजार और सामान	144	320
प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को सुप्रवाही बनाना		
निदेशालय के साथ सभी क्षेत्रीय और सर्किल मुख्यालयों को जोड़ने वाले एमआईएस का विकास	17	17

1	2	3
जन शिकायतें		
ग्राहक सेवा केन्द्र	104	103

[हिन्दी]

एम्स का प्रबंधन

3396. श्री सुरेश पासी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 2002 के "दैनिक जागरण" में "एम्स में सर्जरी के यंत्र भी उपलब्ध नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल में सभी अंतरंग रोगियों के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सभी जीवन रक्षक/आपाती मदों की प्राप्ति और उनकी प्रदानगी की जाती है। तथापि, रोगियों के परिचर कीमती/अन्य शल्य चिकित्सीय मदें खरीदते हैं। यद्यपि बहुत ही गरीब–दीनहीन रोगियों, कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा रोगियों के लिए सभी अपेक्षित मदें संस्थान प्रदान करता है। इस संस्थान के पास एक पूरा आहार विज्ञान विभाग है। निजी और सामान्य वार्ड के रोगियों के लिए खरीदी गई सभी आहार संबंधी सभी मदें नेफेड, माडर्न फूड इंडस्ट्रीज, दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी जैसे सरकारी अभिकरणों से खरीदी जाती हैं। सामान्य वार्ड का भोजन उतना ही पौष्टिक होता है जितना कि निजी वार्ड का होता है। केवल सेना में ही अंतर होता है क्योंकि सामान्य वार्ड का भोजन निःशुल्क होता है और निजी वार्ड का भोजन भुगतान के आधार पर होता है। जहां तक पाकशाला के आधुनिकीकरण का संबंध है, इस प्रस्ताव को नए मास्टर प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्लान में विभिन्न केन्द्रों का निर्माण, बहिरंग रोग विभाग का विस्तार और अन्य सहायक अस्पताल सेवाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

गुड़गांव में सीजीएचएस औषधालय

3397. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सीजीएचएस औषधालय सं.–73 (गुड़गांव) के अनेक चिकित्सकों को स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कतिपय चिकित्सकों के विरुद्ध अनेक शिकायतों के बावजूद उन्हें वहीं पदस्थापित रखने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त औषधालय में पैरामेडिकल स्टाफ के संबंध में स्थानान्तरण नीति का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो गत पांच वर्षों से वहीं कार्य कर रहे हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है तथा उनके एक ही औषधालय में पदस्थापित रखने के क्या कारण हैं;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त औषधालय के कर्मचारियों के संबंध से कोई शिकायतें मिली हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, गुड़गांव से पिछले एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित डाक्टरों का स्थानान्तरण किया गया :

1. डा. एस. दत्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2. डा. (श्रीमती) एस. चंद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी
3. डा. सुनील आर्या, मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4. डा. एन. सी. दास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन एफ एस जी)
5. डा. अमित डबराल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

6. डा. पी. सी. चुग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

7. डा. पी. के. महापात्रा

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, गुड़गांव में तैनात किसी डाक्टर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रशासनिक आवश्यकताओं और इससे जुड़ी कठिनाइयों को छोड़कर औषधालय के परा–चिकित्सा कर्मचारियों के मामले में कुल मिलाकर स्थानान्तरण नीति का पालन किया जा रहा है।

पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, औषधालय गुड़गांव में कार्य कर रहे कर्मचारियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1. श्रीमती जनक, फार्मेसिस्ट
2. श्री अजय चौधरी, फार्मेसिस्ट
3. श्री बाली, पुरुष स्टाफ नर्स
4. श्री फूल सिंह, प्रयोगशाला परिचर
5. श्री बलवीर, प्रयोगशाला परिचर
6. श्री पृथ्वी सिंह, उपचर्या परिचर

(च) जी, हां।

(छ) और (ज) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

पहली शिकायत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, गुड़गांव में पुरुष नर्स द्वारा गाली–गलौज और हाथापाई के बारे में थी। लेकिन जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि श्री एम. एल. बवेजा और श्रीमती पुष्पा बवेजा द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी क्योंकि कर्मचारियों को पहचानने में कुछ भ्रम था। श्री एम. एल. बवेजा ने यह महसूस होने पर अपनी शिकायत वापस ले ली कि कुछ गलतफहमी और गलत जानकारी मिलने से भ्रम पैदा हो गया था। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी प्रकट किया था।

दूसरी शिकायत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, गुड़गांव में निम्नलिखित विषयों पर छद्मनाम शिकायत थी :

(1) औषधालय की हालत और कर्मचारियों का आचरण शोचनीय, (2) औषधालय में कोई विशेषज्ञ तैनात नहीं और कान, नाक, गला, दंत, बालचिकित्सा अथवा अन्य विशेषज्ञ उपचार की कोई व्यवस्था नहीं, (3) औषधालय की प्रयोगशाला, एलएफटी और अन्य विशेषज्ञताओं के लिए सज्जित नहीं, (4) आपूर्ति की जा रही औषधियां ब्रांड औषधियां नहीं हैं। गुड़गांव का प्राधिकृत केमिस्ट पालम में है जो 21 किलोमीटर दूर है, (5) सफदरजंग अस्पताल द्वारा कोई एम्बुलेंस प्रदान नहीं की गई थी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अपर निदेशक (केन्द्रीय अंचल) द्वारा अचानक निरीक्षण के बाद प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट इस प्रकार है–(1) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय एक प्राइवेट किराए के भवन में है और मकान मालिक द्वारा भवन का ठीक तरह से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। तथापि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से औषधालय भवन के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है। (2) लाभभोगी औषधालय के कार्यकरण से संतुष्ट हैं और कर्मचारियों के आचरण के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं है। (3) कान, नाक, गला, दंत और बालचिकित्सा में विशेषज्ञों की कमी के कारण औषधालय में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना संभव नहीं है। तथापि, मेडिसिन में स्नातकोत्तर एक चिकित्सा अधिकारी को सप्ताह में दो दिन, अर्थात् मंगलवार और बुधवार को विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने का निदेश दिया गया था। औषधालय के लाभभोगी गुड़गांव स्थित राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों से अन्य विशेषज्ञताओं में विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करते हैं। (4) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सभी औषधियां स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के माध्यम से प्राप्त करती है और जो औषधियां औषधालय में उपलब्ध नहीं होती हैं स्थानीय खरीद के माध्यम से प्राप्त करके लाभभोगियों को तीसरे दिन उपलब्ध कराई जाती हैं। औषधालय से संबद्ध स्थानीय केमिस्ट पालम कालोनी, दिल्ली में है जो 19 किमी. दूर है और उक्त औषधालय के लिए स्थानीय केमिस्ट के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए गुड़गांव से किसी स्थानीय केमिस्ट ने आवेदन नहीं किया था। (5) औषधालय की प्रयोगशाला सभी कार्य दिवसों में सभी सामान्य जाचें कर रही हैं, लेकिन ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, ब्लड कोलेस्ट्राल, गर्भधारण परीक्षण, रक्त वर्ग जैसे कुछ जैव रसायनिक परीक्षण सप्ताह में दो बार अर्थात् मंगलवार और शुक्रवार को

किए जा रहे हैं। (6) अचानक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सभी 3 फार्मेसिस्ट ड्यूटी पर उपस्थित थे।

पल्स पोलियो अभियान

3398. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवम्बर, 2002 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "इम्पोरटेंस रूमर हिट्स पोलियो ड्राइव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार को समुदाय के कुछ वर्गों में फैली झूठी अफवाहों कि पोलियो की खुराक से नपुंसकता हो जाती है, के बारे में जानकारी है। ये अफवाहें आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों, यूनिसेफ और गैर-सरकारी संगठन भी इस गलतफहमी को दूर करने हेतु आवश्यक सूचना, शिक्षा व संचार उपाय कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में मुख्य चिकित्साधिकारी

3399. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमतौर पर दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों विशेष रूप से नार्थ एवेन्यू और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मरीजों को नहीं देखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और उपरोक्त औषधालयों के कर्मचारियों के खाली बैठे रहने और लाभार्थियों के प्रति अभद्र व्यवहार करने की कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नार्थ एवेन्यू स्थिति औषधालय सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभिन्न प्रशासनिक ड्यूटियां, जो उन्हें सौंपी गई हैं, करने के अतिरिक्त रोगियों को भी देखते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रूखे या कठोर बर्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किसी लाभार्थी से कोई शिकायत नहीं मिली है और न ही आकस्मिक जांच के दौरान ऐसा कोई बर्ताव देखने में आया है। वैसे, एक गुमनाम शिकायत मिली थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी इन्डेण्ट बनाने में व्यस्त थे और रोगियों को नहीं देख रहे थे। इसकी जांच की गई तथा इसे आधारहीन पाया गया।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन अदालतें

3400. श्री राजो सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन अदालतें लगाने के लिए क्या नियम और विनियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान बिहार के प्रत्येक जिले में किन-किन तारीखों में लोक अदालतें आयोजित की गई थीं;

(ग) इन दो वर्षों के दौरान इन अदालतों में जिला-वार कितने मामले पेश हुए;

(घ) कितने मामले निपटाए गए; और

(ङ) टेलीफोन उपभोक्ताओं को दी गई राहतों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) टेलीफोन अदालतों का आयोजन गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) के प्रमुख के स्तर पर दो महीने

में एक बार और दूरसंचार सर्किल के प्रमुख के स्तर पर तीन महीने में एक बार किया जाता है।

(ख) से (ङ) उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2000–01 और 2001–02 के दौरान बिहार दूरसंचार सर्किल में आयोजित अदालतों का ब्यौरा

क्र.सं.	दूरसंचार जिले का नाम	टेलीफोन अदालतें आयोजित करने की तारीखें	प्राप्त हुए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	उपभोक्ता को दी गई राहत का ब्यौरा (रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	आरा	31.12.2000, 30.1.2001, 24.2.2001, 4.3.2001, 24.5.2001, 25.9.2001, 27.11.2001, 29.2.2002	121	121	2,09,133/–
2.	बेतिया	15.1.2002, 22.1.2002, 24.2.2002	431	431	6,59,955/–
3.	भागलपुर	9.11.2000, 22.12.2000, 23.2.2001, 10.5.2001, 11.7.2001, 12.9.2001, 16.11.2001, 16.1.2002, 21.3.2002	55	55	21,842/–
4.	छपरा	4.5.2001, 28.3.2002	77	77	5,500/–
5.	दरभंगा	13.10.2000, 20.10.2000, 15.11.2000, 17.5.2001, 11.7.2001, 27.9.2001, 12.11.2001, 8.1.2002, 13.2.2002	388	388	6,54,114/–
6.	गया	31.12.2000, 30.1.2001, 24.2.2001, 4.3.2001, 28.4.2001, 7.7.2001, 31.12.2001, 22.9.2001, 27.10.2001, 30.3.2002	147	147	81,505/–
7.	हाजीपुर	12.1.2001, 11.5.2001, 28.9.2001, 28.11.2001, 10.1.2002, 8.2.2002	158	91	1,19,012/–
8.	कटिहार	28.11.2000, 24.4.2001, 25.5.2001, 10.7.2001, 18.9.2001, 28.11.2001, 29.1.2002	413	413	5,44,597/–
9.	खगड़िया	18.10.2000, 24.10.2000, 10.5.2001, 18.7.2001, 21.9.2001, 27.11.2001 9.1.2002, 12.3.2002	257	237	1,05,795/–
10.	मुजफ्फरपुर	22.9.2000, 18.12.2000, 10.1.2001, 18.5.2001, 10.8.2001, 27.9.2001, 22.1.2002, 27.1.2002	232	230	1,40,100/–

1	2	3	4	5	6
11.	मुंगेर	10.11.2000, 9.1.2001, 16.1.2001, 20.6.2001, 21.8.2001, 9.11.2001, 13.2.2002, 21.3.2002	80	80	23,413/–
12.	मोतीहारी	8.8.2000, 20.8.2000, 5.1.2001, 7.1.2001, 12.1.2001, 16.1.2001, 19.1.2001, 22.1.2001, 29.1.2001, 30.1.2001, 6.2.2001, 7.2.2001, 22.5.2001, 5.6.2001, 12.6.2001, 23.8.2001, 30.8.2001	937	906	17,30,488/–
13.	पटना	8.11.2000, 28.6.2001, 7.3.2002	441	210	51,639/–
14.	सासाराम	29.6.2000, 29.9.2000, 12.12.2000, 21.3.2001, 15.5.2001, 12.7.2001	68	68	94,199/–
15.	सहरसा	11.8.2000, 21.11.2000, 29.11.2000, 11.5.2001, 12.7.2001, 12.9.2001, 27.11.2001, 7.2.2002	329	329	2,19,633/–
16.	समस्तीपुर	यह दरभंगा दूरसंचार जिले का भाग है			
17.	किशनगंज	यह कटिहार दूरसंचार जिले का भाग है			
18.	बेगूसराय	यह खगड़िया दूरसंचार जिले का भाग है			

[अनुवाद]

चंडीगढ़-अंबाला रोड को चार लेन बनाना

3401. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़–अंबाला और चंडीगढ़–लुधियाना सड़कों को चार लेन करने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय–सीमा क्या है;

(ग) क्या इन सड़कों के व्यस्त और संवेदनशील स्थानों पर उपरिपुल बनाने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सड़कों पर यातायात का दबाव कितना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) सरकार ने जिराकपुर–अंबाला खंड को चार लेन का बनाने पर विचार किया है। जिराकपुर–चंडीगढ़ खंड पहले से ही चार लेन अथवा छह लेन का है। चंडीगढ़–लुधियाना खंड को चार लेन का बनाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) तकनीकी प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ग) तकनीकी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसकी जानकारी मिल सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यातायात की मात्रा इस प्रकार है :

खंड	यात्री कार यूनिट में यातायात की मात्रा
चंडीगढ़–अंबाला	35,000–40,000
चंडीगढ़–लुधियाना	15,000

[हिन्दी]

साइबर अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

3402. *श्री रामदास आठवले : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार साइबर अपराधों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने के लिए "साइबर अपराध विज्ञान प्रयोगशाला" स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैदराबाद स्थित कथित प्रयोगशाला (जीईक्यूडी) के सरकारी परीक्षक ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए पहले ही कम्प्यूटर फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित कर दी है। यह प्रयोगशाला वर्ष 2000 में पूरी तरह कार्य करने लगी और यह स्टैंड एलोन कम्प्यूटरों से जुड़े कम्प्यूटर अपराधों का सामना करने में समर्थ है। तत्पश्चात उसने इंटरनेट और नेटवर्किंग अपराधों के लिए फॉरेंसिक सुविधाओं पर 10वीं योजना के अंतर्गत एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू की है।

[अनुवाद]

हरि हरन समिति की रिपोर्ट

3403. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएं और विशेष रूप से जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर काडर के पुनर्गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर में कितने प्रतिशत जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उप–काडर के लोग हैं और शेष तीन उप–काडरों में एस.ए.जी. अधिकारियों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या एस.ए.जी. और चार उप–काडरों के बीच में भारी विसंगति है;

(ङ) क्या सरकार ने अधिकारियों के काडर की पुनः समीक्षा और पुनर्गठन के लिए हरिहरन समिति नियुक्त की है;

(च) यदि हां, तो क्या इस बीच समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन में देरी होने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के पुनर्गठन के लिए कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है।

(ग) और (घ) सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारियों की प्रतिशतता 4.02 है जबकि गैर–शिक्षण, शिक्षण और जनस्वास्थ्य उप–संवर्गों में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के चिकित्सा अधिकारियों की प्रतिशतता क्रमशः 11.22, 11.02 और 10.25 है।

(ङ) से (छ) इस मंत्रालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की संवर्ग समीक्षा करने के लिए एक परामर्शदाता, श्री हरिहरन, को नियुक्त किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। संवर्ग समीक्षा में सहभागी यूनिटों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त आदि के साथ परामर्श करना सम्मिलित है। सहभागी यूनिटों को भी पुनर्गठन करना होगा। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है।

अण्डाशय प्रत्यारोपण

3404. श्री किरीट सोमैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सकों ने अण्डाशय प्रत्यारोपण की शल्यचिकित्सा सफलतापूर्वक की है, जो कि भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी बेजोड़ और अपनी तरह की प्रथम है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आयोजित शल्यचिकित्सा और शोध का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शोध और उपलब्धि को मान्यता दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) सरकार को यह सूचना दी गई है कि मुंबई से एक डाक्टर ने 'टर्नर्स सिंड्राम' के एक रोगी पर डिम्बग्रन्थी प्रतिस्थापन का एक आपरेशन किया है। इस डाक्टर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मान्यता देने के अनुरोध को इस विषय के विशेषज्ञों के समक्ष रखा गया था जिन्होंने यह राय व्यक्त की है कि इस मामले की जांच करने के लिए और अधिक जानकारी की जरूरत है।

दसवीं योजना में आयुर्वेद पद्धति को प्रोत्साहन

3405. श्री अनन्त नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दसवीं योजना में आयुर्वेद पद्धति के प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दसवीं योजना में आयुर्वेद पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ने कई प्रकार की योजनाएं उदाहरणार्थ, स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर संस्थाओं का उन्नयन, औषधीय मानकीकरण, अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती अनुसंधान प्रोत्साहन और सूचना, शिक्षा व संप्रेषण (आई ई सी) के माध्यम से सूचना फैलाना और जागरूकता कायम करना बहुत पहले ही कार्यान्वित कर रखी हैं। विभाग ने आयुर्वेदिक भेषजसंहिता भी तैयार कर ली है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के लिए 9वीं योजना में 364.43 करोड़ रुपए का आवंटन 10वीं योजना में बढ़ाकर 775.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ङ) 10वीं योजना के दौरान अनेक नई योजनाओं का प्रस्ताव आयुर्वेद के संवर्धनार्थ किया गया है।

आतंकवादी समूहों के संबंध में बांग्लादेश की राय

3406. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 नवम्बर, 2002 के कई अखबारों की खबर के अनुसार अलकायदा सहित कई आतंकवादी समूहों द्वारा बांग्लादेश के क्षेत्र का प्रयोग किए जाने के बारे में हमारी सरकार के आरोपों को बांग्लादेश ने निरस्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार राजनयिक माध्यमों और दोनों देशों के बीच विद्यमान संस्थागत तंत्रों के जरिए बांग्लादेश के भूक्षेत्र में आतंकवादी गुटों की उपस्थिति का मसला बांग्लादेश सरकार के साथ नियमित रूप से उठाती रही है।

बांग्लादेश सरकार का विचार, जैसा कि 29 नवम्बर, 2002 को समाचार पत्रों में छपा है, भारत सरकार को अभी आधिकारिक तौर पर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकारी तौर पर बांग्लादेश की सरकार ने अपना आश्वासन दोहराया है कि वह अपने भूक्षेत्र का उपयोग भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए होने की अनुमति नहीं देगा। सरकार आपसी हित के इस मसले पर बांग्लादेश सरकार से बातचीत करती रहेगी।

कर्नाटक में प्रजनन शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

3407. श्री अम्बरीश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रजनन शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ कार्य शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार को दी गई अनुमति वापिस ले ली है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता वापिस ली गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार को शेष कार्य पुनः शुरू करने की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) जी, नहीं। अनुमति वापस नहीं ली गई है। प्रजनक और बाल स्वास्थ्य के लिए राज्य को सूचित, परिव्यय पूर्ण कार्यक्रम हेतु उपलबध धन का नियत परिमाण 190.10 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्यों के लिए अनुमति सहित वास्तविक निर्मुक्तियां इस राज्य में इस कार्यक्रम की प्रगति के आधार पर तय की जाती हैं। प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक घटक, प्रजनक और बाल स्वास्थ्य उप-परियोजना के मामले में चूंकि प्रगति धीमी पाई गई, इसलिए परिव्यय को नवम्बर, 2000 में 15.05 करोड़ रुपए से घटाकर 12.82 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस बात पर सहमति हुई कि पर्याप्त प्रगति दिखाए जाने पर परिव्यय को संशोधित किया जा सकता है। अभी तक, 12.29 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है जबकि केवल 8.39 करोड़ रुपए के व्यय की सूचना दी गई है। यह उप-परियोजना मार्च, 2003 तक बन्द होनी तय है। उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए, इस उप-परियोजना के परिव्यय में संशोधन करना संभव प्रतीत नहीं होता।

समुद्री जल से हाइड्रोजन का उत्पादन

3408. श्री बसुदेव आचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग बिजली का उत्पादन करने और स्वच्छ जल बनाने के लिए समुद्री जल से हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब से उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) ऊर्जा संबंधी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हाइड्रोजन का उत्पादन करने के एक लक्ष्य सहित मूल ऊर्जा स्रोत के रूप में नाभिकीय ऊर्जा की भूमिका का विस्तार करना परमाणु ऊर्जा विभाग की दीर्घावधि-नीति का एक हिस्सा है। तथापि, इससे पहले कि इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान-कार्य के परिणामों का व्यावहारिक अनुप्रयोग किया जा सके, इस बात में काफी समय लगेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग ने, समुद्र जल को अलवण-जल में परिवर्तित करने के लिए कलपाक्कम में एक प्रदर्श संयंत्र भी स्थापित किया है।

स्वास्थ्य देखभाल को बुनियादी संरचना का दर्जा

3409. श्री सुबोध मोहिते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी.आई.आई. मेकिन्जी स्वास्थ्य देखभाल अध्ययन की जांच की है और उसका विचार देश में स्वास्थ्य देखभाल को बुनियादी संरचना का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस अध्ययन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा और कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) सी.आई.आई.-मेकिन्जी स्वास्थ्य परिचर्या अध्ययन की रिपोर्ट इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। इस समय, देश में स्वास्थ्य परिचर्या को आधारभूत ढांचा उद्योग का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, सरकार द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य परिचर्या वित्तपोषण, इक्वीटी, जन स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा, आदि सहित विभिन्न संगत कारकों पर विचार किया गया है जिनका देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने और उनके गुणस्तर में सुधार लाने पर प्रभाव पड़ेगा।

पश्चिमी बंगाल में पासपोर्ट जारी करना

3410. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान 30 नवम्बर, 2002 तक पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित समयावधि के भीतर कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 2001–2002 के दौरान पश्चिम बंगाल में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या 1,17,202 थी और वर्ष 2002–2003 के दौरान (30 नवम्बर, 2002 तक) 64,942 थी।

(ख) सरकार छह सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने का प्रयत्न करती है, बशर्ते कि आवेदन पत्र सभी मामलों में पूरा हो और स्पष्ट पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोलकाता द्वारा पासपोर्ट निर्धारित समय–सीमा के भीतर जारी किए जाते हैं।

लंबित सड़क परियोजनाएं

3411. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों की कितनी सड़क परियोजनाएं सरकार के पास अनुमोदनार्थ/स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। निर्माण कार्य सामान्यतः एजेंसी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से निष्पादित कराए जाते हैं।

हमारा यह प्रयास रहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्राक्कलनों को उनकी प्राप्ति के बाद 3 महीने के अंदर स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। लेकिन यह तभी संभव है जब प्रस्ताव पूरे ब्यौरों के साथ भेजे जाएं। इस समय स्वीकृति के लिए मंत्रालय में 98.98 करोड़ रुपए के 28 प्राक्कलन 3 माह से अधिक समय से लंबित हैं। इनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कुछ राज्यों के लंबित प्राक्कलन स्वीकृत नहीं किए जा सके क्योंकि स्वीकृति की मात्रा में वृद्धि हो गई है और कुछ अन्य मामलों में प्रस्तावों में आवश्यक पूरे ब्यौरे नहीं दिए गए थे तथा राज्य लोक निर्माण विभागों से कुछ स्पष्टीकरण भी प्राप्त होने थे।

(घ) राज्यों से पूरे ब्यौरे मांगे गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	लंबित सड़क परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1.	असम	5*	14.39
2.	गुजरात	3	21.78
3.	हिमाचल प्रदेश	1	3.47
4.	जम्मू और कश्मीर	1	0.63
5.	केरल	1	12.23
6.	मणिपुर	8*	19.52
7.	मेघालय	3*	5.71
8.	मिजोरम	1	2.16
9.	नागालैंड	1	1.81
10.	पंजाब	3	13.54
11.	उत्तर प्रदेश	1	3.74
	जोड़	28	98.98

*स्वीकृति की मात्रा अधिक हो गई।

[हिन्दी]

ई-मेल सेवा आरंभ किया जाना

3412. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधान डाकघरों में 'ई' मेल सेवा प्रदान करने, पोस्ट कार्ड की एक तरफ विज्ञापन छाप करके इसकी कीमत 25 पैसे कम करके प्रत्येक पंचायत में डाकघर खोलने और वर्ष के अंत तक डाकघरों में बिजली/पानी के बिल जमा कराने की सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) देश के ज्यादातर जिला मुख्यालयों में चुने गए डाकघरों में इंटरनेट, कम्प्यूटर तथा अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर ई-पोस्ट सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

पतालेखी तरफ के आधे हिस्से में विज्ञापन की सुविधा प्रदान करने वाले 25 पैसे मूल्य के मेघदूत पोस्टकार्ड 2.9.2002 से शुरू किए गए हैं।

डाकघर में बिजली और पानी के बिलों के भुगतान को ध्यान में रखते हुए विभाग ने डाकघरों में बिलों को जमा करने के लिए निर्धारित दर तय करने के आदेश जारी किए हैं। सेवा प्रदाता सुविधा का लाभ उठाने के लिए विभाग से संपर्क कर सकता है।

वर्ष के अंत तक प्रत्येक पंचायत में डाकघर खोलने का कोई विचार नहीं है।

(ख) सेवाओं को शुरू करने का कोई समयबद्ध लक्ष्य नहीं है क्योंकि ये विभिन्न प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। ई-बिल पोस्ट का विस्तार सेवा का उपयोग करने के लिए विद्युत बोर्ड जैसे सेवा प्रदाताओं की सहमति पर निर्भर है। मेघदूत पोस्ट कार्ड पहले ही शुरू किया जा चुका है।

[अनुवाद]

मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन द्वारा प्रदत्त सेवाएं

3413. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त राजस्व भारत की संचित निधि में जमा न करके सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंजीनियरिंग में जमा कराया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन द्वारा प्रदत्त सेवाओं से कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंजीनियरिंग के पास जाम कराई गई; और

(च) उपर्युक्त अवधि के दौरान सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंजीनियरिंग के पास जमा धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (घ) जी, नहीं। अंशांकन, परीक्षण तथा विकास सहायता सेवा से उपार्जित आय भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा की गई। किंतु, वर्ष 1994-95 से 1999-2000 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण, प्रमाणन, परामर्श सेवा और विशिष्ट परीक्षण से उपार्जित आय इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण इंजीनियरी संस्था (एसईटीई) के नाम में जमा की गई जो कुल आय का लगभग 18% है। प्रशासनिक प्राधिकारियों के समुचित अनुमोदन से ऐसा किया गया था। लेखा परीक्षा में तत्पश्चात् यह बताया गया कि सभी एसटीक्यूसी सेवाओं से अर्जित आय को केवल भारत सरकार के खाते में ही जमा किया जाना चाहिए।

(ङ) और (च) एसटीक्यूसी सेवाओं के वर्ष 1999-2000 में 1100 लाख रुपए, वर्ष 2000-2001 में 1283 लाख रुपए और वर्ष 2001-2002 में 1708 लाख रुपए की आय अर्जित हुई और भारत की समेकित निधि में जमा की गई। एसईटीई के खाते में कोई राशि जमा नहीं की गई है।

सर्पदंश रोधी औषधि

3414. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्पदंश रोधी औषधि का उत्पादन बंद कर दिया गया है;

(ख) क्या विदेश से सर्पदंश रोधी औषधि खरीदने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) पशुओं पर प्रयोगों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति के निर्देशों के अनुसार 21 वर्ष से अधिक आयु के घोड़ों से सर्प विष रोधी दवा का उत्पादन बन्द कर दिया गया है। जिन संस्थानों में घोड़ों की आयु 21 वर्ष से अधिक है उनमें इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आई है/बन्द हो गया है। इस शर्त से छूट के लिए यह मामला पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया गया है। इस समय विदेशों से सर्प विष रोधी सीरम की खरीद का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दसवीं योजना के दौरान खेल

3415. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन पर राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित किए जाने/खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) शून्य-आधारित बजटीय प्रक्रिया के अनुसरण में, मंत्रालय की सभी वर्तमान योजनागत स्कीमों को निम्नलिखित छः छत्र योजनाओं में मिलाया जा रहा है, जैसा कि योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई है :

1. अवस्थापना से संबंधित योजनाएं।
2. प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं।
3. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन समेत, प्रतियोगिताओं से संबंधित योजनाएं।
4. पुरस्कारों से संबंधित योजनाएं।
5. संस्थाओं से संबंधित योजनाएं।
6. खेल संबंधी गतिविधियों के संवर्धन के लिए योजनाएं।

सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, निम्नलिखित दो नयी योजनाएं भी तैयार कर रही है :

1. राज्य खेल अकादमी
2. डोप परीक्षण के लिए योजना।

(ग) खेलों के लिए दसवीं योजना का प्रस्तावित परिव्यय 1132.36 करोड़ रु. है, तथापि, राज्य-वार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उन्हें वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है।

डाकघरों में कमीशन एजेंट

3416. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघरों में काम को निपटाने के लिए कमीशन एजेंटों को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में ऐसे कितने डाकघर हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में इन एजेंटों द्वारा डाकघरों में लोगों को और खाताधारियों को ठगने के कोई मामले आए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने मामले प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मुख्य डाकघरों और अन्य डाकघरों में कार्यकरण को सुचारु बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत कार्यक्रम में विदेशी निवेश

3417. श्री के. येरननायडू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अपने परमाणु विद्युत कार्यक्रम में विदेशी निवेश आमंत्रित करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या कुछ देशों ने इस संबंध में रुचि दर्शाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) भारत सरकार, परमाणु विद्युत के क्षेत्र में, निजी फर्मों चाहे वे भारतीय हों अथवा विदेशी, की भागीदारी के लिए विशिष्ट पेशकशों का स्वागत करती है। तथापि, सरकार को देश में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई ठोस प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी पेशकशों के प्राप्त होने पर प्रचलित नियमों और विनियमों के अंतर्गत उन पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों के मुर्दाघर

3418. श्री राधामोहन सिंह :
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 2002 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "एच. सी. फाइन्स सेंटर फार नाट इम्प्रुविंग गवर्नमेंट हास्पीटल मोरट्यूरिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) कामन काज द्वारा दायर की गई सिविल रिट याचिका संख्या 4889 ऑफ 2001 कामन काज बनाम भारत संघ और अन्य पर 11.11.02 को सुनवाई करते समय न्यायाधीश अनिल देव सिंह और न्यायाधीश आर. एस. सोढी वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने सरकारी वकील के पेश न होने के कारण और आर. के. शर्मा समिति रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश न करने के कारण केन्द्रीय सरकार पर 20,000/- रुपए का जुर्माना लगाया था। तथापि, सरकारी वकील द्वारा दायर की गई आपातकालीन रिट याचिका की सुनवाई पर यह जुर्माना माफ कर दिया गया।

[अनुवाद]

लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार

3419. श्री नरेश पुगलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार लोक-सेवा-आयोग में भ्रष्टाचार के उदाहरणों के मद्देनजर, लोक-सेवा-आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने पदों का दुरुपयोग करने से रोकने हेतु विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) संविधान के अनुसार काम-काज का संचालन किए जा सकने की समीक्षा करने हेतु गठित किए गए राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए अपने ज्ञापन में संघ लोक सेवा आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाया था कि उपर्युक्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप मे बेदाग छवि के व्यक्ति ही नियुक्ति किए जाने सुनिश्चित करने की दृष्टि से संविधान के संगत प्रावधान संशोधित किए जाएं। फिर भी, संविधान के अनुसार काम-काज का संचालन किए जा सकने की समीक्षा करने हेतु गठित किए गए राष्ट्रीय आयोग ने यह सिफारिश की कि उसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा अन्य लोक सेवा आयोगों के बारे में संविधान के मौजूदा प्रावधानों में कोई रद्दोबदल किए जाने अथवा इस बारे में कोई अधिनियमन किए जाने विधान बनाए जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं लगी। उपर्युक्त आयोग ने स्वस्थ परिपाटियां विकसित किए जाने की सिफारिश की है।

जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग

3420. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में राज्य जनसंख्या आयोगों के साथ अपनी पहली बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उक्त बैठक में जनसंख्या को नियंत्रित करने के अपने तरीकों और जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनी इच्छा/सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु क्या अन्य मानदंड अपनाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने दिनांक 25.9.2002 को नई दिल्ली में राज्य जनसंख्या आयोगों/परिषदों के साथ अपनी पहली बैठक की है। यह बैठक श्री के. सी. पन्त, उपाध्यक्ष योजना आयोग एवं उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता में हुई जिसमें केन्द्रीय मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्रियों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के कुछ सदस्यों, सदस्य (स्वास्थ्य), योजना आयोग, राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जो राज्य जनसंख्या आयोगों/परिषदों के उपाध्यक्ष भी हैं, भारत सरकार के सचिवों, राज्य सरकारों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिवों तथा गैर-सरकारी संगठनों एवं उन संगठनों के प्रतिनिधि जो जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ने भाग लिया।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा इस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण, आदि से संबंधित व्यक्त किए गए विचारों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के मापदंडों की रूपरेखा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में रेखित की गई है। तथापि, देश में प्रचलित जनसांख्यिकीय अंतर की दृष्टि से कुछ राज्यों ने भी विशिष्ट समस्याओं, जिनका वे सामना कर रहे हैं, के समाधान के लिए अपनी-अपनी जनसंख्या नीतियां बनाई हैं।

एसटीपीआई का निगमीकरण

3421. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस् ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) को निगमीकृत करने पर सक्रियता पूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

आई.ए.एस अधिकारियों का सेवा-विस्तार

3422. **श्री हरिभाई चौधरी** :
श्री लक्ष्मण सिलुवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने आई.ए.एस. अधिकारी हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा में विस्तार दिया गया;

(ख) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसे सेवा-विस्तार का अनुरोध किया था और उनमें से कितनों को सेवा-विस्तार दिया गया; और

(ग) इस संबंध में अपनाए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) तीन।

(ख) संबंधित राज्य-सरकारों से इस बारे में छः प्रस्ताव मिले जिनमें से ऊपर (क) में उल्लिखित, भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का सेवा-काल बढाया गया।

(ग) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह-सेवा-निवृत्ति-प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम 16(1) के द्वितीय परन्तुक

में यह प्रावधान है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी ऐसे अधिकारी का सेवा–काल, लोक–हित में, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिकतम तीन माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो बजट का काम–काज देख रहा हो अथवा किसी ऐसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत हो जिसका कुछ ही समय में समापन किया जाना हो।

[अनुवाद]

विद्या वाहिनी परियोजना

3423. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी 6000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी विद्या वाहिनी परियोजना के लिए धनराशि का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं जिसका उद्देश्य तीन वर्षों में पूरे देश के 60,000 विद्यालयों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ना है;

(ख) राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जहां इस पायलट परियोजना को शुरू किया जा रहा है; और

(ग) इस योजना की अद्यतन स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिगम परिवेश में प्रौद्योगिकी साधनों तथा इंटरनेट के एकीकरण के लिए "विद्या वाहिनी" नामक एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों के शिक्षण के लिए अंकीय रूप में पाठ्यक्रम सामग्री और पाठों के विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षक वर्ग के विकास एवं प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर साधित अधिगम तकनीकों का इस्तेमाल करना है। स्थानीय भाषा में सूचना–सामग्री का विकास करने तथा इसे उपलब्ध कराने को महत्व दिया जाएगा।

यह कार्यक्रम देश के 60,000 सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक विद्यालय में 10 वैयक्तिक कम्प्यूटरों, सर्वर तथा अन्य कम्प्यूटर मदों वाली एक कम्प्यूटर प्रयोगशाला, 128 किलो बाइट्स प्रति सेकण्ड की क्षमता का इंटरनेट संपर्क तथा सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के इस्तेमाल पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और पाठ्य सामग्री के विकास के लिए इस परियोजना में प्रत्येक विद्यालय में प्रस्तावित उपस्करों सहित पूर्णतया नेटवर्किंग प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपए है।

मुख्य परियोजना शुरू करने से पहले एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। निम्नलिखित सात जिलों के ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों के 140 सरकारी विद्यालय शामिल किए गए हैं :

1. लखनऊ, उत्तर प्रदेश
2. इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
3. हजारीबाग, झारखंड
4. गांधीनगर, गुजरात
5. चित्तूर, आंध्र प्रदेश
6. पर्ली वैजनाथ, महाराष्ट्र
7. दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल

प्रत्येक ऊपर उल्लिखित जिलों में प्रत्येक विद्यालय में प्रस्तावित उपस्करों सहित एक पूर्णतया सुसज्जित प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है।

विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को विभिन्न भाषाओं में शिक्षण संबंधी समस्त सामग्री और पाठ्यचर्या सामग्री, समाचार तथा अन्य शैक्षणिक साधन उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय पोर्टल होस्ट करने का प्रस्ताव है।

(ग) दक्षिणी 24–परगना, गांधीनगर तथा कुप्पम जिलों में स्थापना–स्थल की तैयारी पूरी कर ली गई है। लखनऊ, इलाहाबाद, पर्ली वैजनाथ तथा हजारीबाग में कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना कार्यान्वयन के उन्नत चरण में है। उपस्कर का क्रयादेश दे दिया गया है तथा यह चुनिन्दा विद्यालयों में भेजा जा रहा है। पोर्टल विकास के अंतिम चरण में है।

प्रायोगिक परियोजना में शामिल किए गए लखनऊ, इलाहाबाद, गांधीनगर, दक्षिणी 24 परगना तथा हजारीबाग जिलों के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कम्प्यूटरों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक जिले में चुने गए विद्यालयों के 20 अध्यापकों के एक बैच को कम्प्यूटरों के इस्तेमाल तथा सूचना–सामग्री के विकास पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल विकास निधि

3424. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खेल विकास निधि गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, गठित करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के वित्तपोषण के प्रस्तावित स्रोत क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) सरकार ने पहले ही दिनांक 12.11.1998 की अधिसूचना के जरिए 1998-99 के दौरान एक राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) स्थापित कर दी है। एन.एस.डी.एफ. की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है :

1. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सामान्यतया खेलों के संवर्धन हेतु तथा विशेष रूप से विशिष्ट खेल विधाओं तथा व्यक्तिगत खिलाड़ियों के लिए निधि की धनराशि का संचालन करना तथा प्रयोग करना;

2. खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा खेल विशेषज्ञों को संबंधित खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण तथा कोचिंग प्रदान करना;

3. अवस्थापना का निर्माण एवं रखरखाव करना; जैसा कि खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में जरूरत हो;

4. खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करने के लिए, सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों तथा अलग-अलग व्यक्तियों को उपस्कर सप्लाई करना;

5. समस्याओं का पता लगाना तथा खेलों में उत्कृष्टता को समर्थन देने के लिए अनुसंधान और विकास अध्ययन शुरू करना;

6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से, आदान-प्रदानों का संवर्धन करना जो देशी खेलों तथा मानव संसाधनों के विकास का संवर्धन कर सकते हैं और उन गतिविधियों का भी, जो भारत और अन्य देशों के बीच हुए आदान-प्रदान कार्यक्रमों, की धनराशि के अंतर्गत हैं; तथा

7. किसी भी उपर्युक्त उद्देश्यों से संबंधित परियोजनाओं एवं गतिविधियों के लिए कम ब्याज पर अथवा बिना ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना।

निधि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संवैधानिक निकायों, संयुक्त राष्ट्र तथा इसके संबद्ध निकायों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी तथा सार्वजनिक निगमित क्षेत्र, ट्रस्टों, समितियों तथा व्यक्तियों से आवर्ती तथा गैर-आवर्ती दोनों तरह के अनुदान एवं अंशदान स्वीकार कर सकती है। सरकार ने आधारभूत धनराशि के रूप में 200 लाख रु. का प्रारंभिक अंशदान किया है। अगले सरकारी अंशदान, अन्य स्रोतों से प्राप्त अंशदानों के समतुल्य आधार पर हैं।

[अनुवाद]

हृदय रोग की दर

3425. श्री महबूब जाहेदी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार अमरीकीवासियों, यूरोपवासियों, चीनवासियों और जापानवासियों की तुलना में भारतवासियों में हृदय रोग की दर सबसे अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि 30 वर्ष से कम आयुवर्ग के भारतीयों में हृदय धमनी रोगों से होने वाली मौतें ब्रिटेन से तीन गुना अधिक हैं और सिंगापुर में यह संख्या चीन से दस गुना अधिक है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय लोगों को 25 प्रतिशत हृदय आघात तब होता है जब वे 40 वर्ष से कम उम्र के होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, हां। कई अध्ययनों से यह

पता चला है कि भारतीय तथा अन्य दक्षिण एशियाई लोगों में कोरोनरी हृदय रोग की प्रवणता काकेशियन (श्वेत लोगों), एफ्रो कैरेबियाई तथा चीनी लोगों जैसे अन्य जातीय समूहों की अपेक्षा अधिक है। युवा रोगियों तथा पहली बार हृदयघात की चपेट में आने वालों में कोरोनरी हृदय रोग से होने वाली मृत्युदर में वृद्धि हुई है। भारतीयों में हृदयघात के रोगियों का एक बड़ा हिस्सा 40 वर्षों से कम आयु के रोगियों का है।

(घ) देश में कार्डियो–वास्कुलर रोगों का इलाज शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं तथा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली में सार्वजनकि तथा निजी क्षेत्रों दोनों में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। अनेक जिला स्तरीय, अस्पतालों, जो द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराते हैं, के अतिरिक्त, प्रमुख सरकारी अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ जैसी स्वायत्त संस्थाएं इस क्षेत्र में विशिष्ट तृतीयक स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराती हैं।

[हिन्दी]

आरक्षित पदों का भरना

3426. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001, 2001–2002 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षित कितने रिक्त पद भरे गए;

(ख) क्या सरकार का विचार इन रिक्त पदों को भरने हेतु कोई विशेष अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सभी मंत्रालयों/विभागों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2000 में अनुसूचित जातियों के 21,865 और अनुसूचित जनजातियों के 8,424 उम्मीदवार भर्ती किए गए। इस बारे में जानकारी, कैलेण्डर वर्ष–वार एकत्र की जाती है, न कि वित्तीय वर्ष–वार।

(ख) से (घ) सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले बकाया चले आ रहे आरक्षित रिक्त पद शीघ्र ही आंकने की दृष्टि से अपेक्षित समीक्षा किए जाने और बकाया चले आ रहे ये आरक्षित रिक्त पद भरने के संगठित और भरसक प्रयास किए जाने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

सफदरजंग अस्पताल में खराब पड़े जांच-उपकरण

3427. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में कई जांच–उपकरण खराब पड़े हैं और रोगियों को अपनी चिकित्सीय जांच कराने हेतु एक विशिष्ट प्रयोगशाला में भेजा जाता है और चिकित्सकों को इससे एक निर्धारित दलाली (कमीशन) मिलती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मशीनों को कार्यशील बनाने और सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों की इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) प्रयोगशाला आयुर्विज्ञान और विकिरण विज्ञान विभाग में नैदानिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सभी उपकरण काम कर रहे हैं। रोगियों को अपनी चिकित्सीय जांच बाहर से कराने के लिए नहीं भेजा जाता है। तथापि, जब कभी सी.टी. स्कैन काम नहीं करता है तो सी.टी. स्कैन की तत्काल आवश्यकता वाले रोगियों को डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को रैफर किया जाता है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सुलभ इंटरनेशनल को आवंटित कार्य

3428. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि एक स्वयंसेवी संगठन, सुलभ इंटरनेशनल को देश के विभिन्न भागों में विशेषकर महाराष्ट्र में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न

कार्य सौंपे गए हैं और इस योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन हेतु इसे बड़ी धनराशि अग्रिम के तौर पर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सुलभ इंटरनेशनल को सौंपे गए कार्य सहित विशेषकर महाराष्ट्र में कितनी धनराशि अग्रिम के तौर पर दी गई है;

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त स्वयंसेवी संगठन को उसके द्वारा बरती गई विभिन्न अनियमितताओं के कारण विभिन्न राज्यों और एजेंसियों ने काली सूची में डाला हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठन को विकास कार्य आवंटित करने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) दिशा निर्देशों के पैरा 2.1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सरकारी या पंचायती राज संस्थाएं अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन, जिन्हें जिलाध्यक्ष द्वारा कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए सक्षम समझा जाए, कार्यकारी अभिकरण बन सकते हैं। अतः संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाधीन कार्यों को सुलभ इंटरनेशनल को सौंपा जा सकता है बशर्ते जिलाध्यक्ष इस संगठन को प्रतिष्ठित एवं कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए सक्षम माने।

(ख) वैयक्तिक कार्यकारी अभिकरणों को सौंपे गए कार्यों से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) सुलभ इंटरनेशनल को काली सूची में डाले जाने के संबंध में इस मंत्रालय को राज्य सरकारों/जिलाध्यक्षों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

मानसरोवर की यात्रा

3429. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में युवा मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तीर्थ यात्रियों से भारी शुल्क लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस लागत को कम करने या शुल्क पर राजसहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

आंध्र प्रदेश में पारपत्र जारी करना

3430. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान 31 अक्तूबर, 2002 तक कितने पारपत्र जारी किए गए हैं;

(ख) क्या पारपत्र जारी करने में असाधारण विलंब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो लंबित आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या 2,92,847 थी और 2002-2003 (31.10.2002 तक) 2,31,999 थी।

(ख) जी, नहीं। सरकार छह सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने का प्रयत्न करती है, बशर्ते कि आवेदन-पत्र सभी मामलों में पूरा हो और स्पष्ट पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो। हैदराबाद और विशाखापट्टनम स्थित पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पासपोर्ट जारी किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाक अधिकृत कश्मीर में दूरसंचार टावर

3431. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे दूर-संचार टावरों की एक सूची अमरीका को सौंपी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्या उद्देश्य है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जनवरी, 2000 में स्थापित, एक द्विपक्षीय संयुक्त कार्य दल के जरिए अपने जारी आतंकवाद रोधी सहयोग के भाग के रूप में, भारत और अमरीका ने घुसपैठ से संबद्ध मूल्यांकन और सूचना को बांटा तथा भारत में सीमा–पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन के अन्य सूचकों, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचा शामिल है।

(ग) अमरीका सहित यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शिक्षित करने की सरकार की इस पहल का भाग है कि भारत में सीमा–पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान का प्रायोजन, जो भारत में सीमा–पार आतंकवाद समाप्ति से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राष्ट्रपति मुशर्रफ के वायदों के बावजूद भी जारी है।

मलेरिया के कारण मौतें

3432. श्री के. पी. सिंह देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार मलेरिया के कारण कितने लोगों की मौत हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय और उड़ीसा से वर्ष 2001 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 2002 के दौरान (नवम्बर तक) मलेरिया के कारण हुई मौतों की संख्या में वृद्धि की सूचना मिली है।

विगत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1999, 2000 और 2001 (अ) के दौरान भारत में सूचित की गई मलेरिया से हुई मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000	2001 (अ)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11	6	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	14
3.	असम	111	43	122
4.	बिहार	131	2	0
5.	छत्तीसगढ़(*)	–	63	33
6.	गोवा	17	11	12
7.	गुजरात	7	2	19
8.	हरियाणा	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड(*)	–	16	21
12.	कर्नाटक	11	14	21
13.	केरल	7	9	9
14.	मध्य प्रदेश	50	92	81
15.	महाराष्ट्र	46	40	50
16.	मणिपुर	8	0	5
17.	मेघालय	5	11	17
18.	मिजोरम	73	33	43
19.	नागालैंड	12	0	1
20.	उड़ीसा	399	467	302
21.	पंजाब	0	1	0
22.	राजस्थान	0	10	36
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	1	0
25.	त्रिपुरा	11	6	9
26.	उत्तरांचल(*)	–	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	15

1	2	3	4	5
28.	पश्चिम बंगाल	144	103	191
संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	1	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	1048	931	1003

(*) = वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों को क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर दिया गया।

(अ) = अनंतिम

टेलीफोन कनेक्शन

3433. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवेदक टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षारत हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार क्या स्थिति है;

(ग) प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है :

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली	– 4,108
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	– 15,377

(ग) और (घ) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं :

(i) टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमताओं का विस्तार।

(ii) टेलीफोन केबल बिछाना।

(iii) अव्यवहार्य क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) प्रणाली लगाना।

(iv) दिल्ली में डीएलसी (डिजिटल लूप कैरियर) प्रणाली लगाना।

पुनालुर, केरल में नए डाकमंडल की स्थापना

3434. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कोल्लम जिले के पुनालुर में एक नया डाकमंडल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुनालुर से अलग डाक डिवीजन का गठन इस बारे में निर्धारित मौजूदा मानदंडों के आधार पर औचित्यसम्मत नहीं है।

बहादुरगढ़, हरियाणा में खराब टेलीफोन

3435. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के बहादुरगढ़ क्षेत्र में पिछले छः महीनों से लगातार कितने टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ख) क्या टेलीफोन सेवा की अनुपलब्धता के कारण बहुत से उपभोक्ताओं ने उत्पीड़न तथा मानसिक संताप के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति कब तक मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) बहादुरगढ़ में पिछले छः महीनों से कोई भी टेलीफोन लगातार रूप से खराब नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) केवल एक उपभोक्ता ने क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिसका टेलीफोन 9.9.2002 से 17.9.2002 तक खराब पड़ा था जिसके लिए नियमानुसार किराए में छूट दी गई है और वह छूट--राशि अगले बिल में समायोजित कर ली जाएगी।

बहुउद्देशीय पटल यंत्र (एम.पी.सी.एम.)

3436. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए बहुउद्देशीय पटल यंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि न केवल उक्त यंत्रों को प्रस्तावित संख्या में खरीदा गया बल्कि अभी तक उनका उपयोग भी नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 3000 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें प्राप्त की गई हैं।

(ख) प्राप्त की गई मशीनें चुनिंदा डाकघरों में स्थापित कर दी गईं और प्रयोग में लाई जा रही हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पी.ओ.एस. में इलेक्ट्रानिक निपटान सुविधा

3437. श्री किरीट सोमैया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पी.ओ.एस.बी. खाताधारकों के लिए इलेक्ट्रानिक निपटान सुविधा प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सुविधा कब तक प्रारम्भ की जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) के खाताधारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक निपटान सुविधा प्रदान करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जो बैंक और अंतर्बैंक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

(घ) हालांकि, डाक विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण प्रणाली के सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया है लेकिन, प्रस्ताव का कार्यान्वयन आवश्यक प्रचालन, तकनीकी और वित्तीय औपाचारिकताओं के पूरा होने पर ही किया जा सकता है।

भारत-रूस संबंध

3438. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवम्बर, 2002 के 'द हिन्दू' में "इण्डो-रसियन टाइज् पॉइज्ड फॉर क्वान्टम जम्प" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रूसी अधिकारियों के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) रूसी राष्ट्रपति की हाल की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विचार–विमर्शों का ब्यौरा और उनके परिणामों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की 3–5 दिसम्बर, 2002 तक भारत की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने 6 सरकारी दस्तावेज सम्पन्न किए। भारत के केनरा बैंक रूस के नेशेकोनोम बैंक के बीच भी दो वाणिज्यिक दस्तावेज सम्पन्न किए गए। सरकारी दस्तावेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन ने 3–5 दिसम्बर, 2002 तक भारत का दौरा किया। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के राष्ट्रपति डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, जिन्होंने उनके सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया, से मुलाकात की। भारत के उप–राष्ट्रपति श्री बी. एस. शेखावत, उप–प्रधान मंत्री श्री एल. के. आडवाणी, विदेशी मंत्री श्री यशवंत सिन्हा और विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने शिखर स्तर पर वार्षिक बैठकें साथ ही साथ मंत्रालयी और अन्य स्तरों पर बैठकें तथा आदान–प्रदान करने पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट राजनीतिक संबंधों को जारी रखने और उन्हें और आगे बढ़ाने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत–रूस अन्तर सरकारी आयोग के कार्य का समान आकलन किया और नोट किया कि दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग का एक मुख्य क्षेत्र था। इस बात का रूसी परिसंघ की सखालिन तेल एवं गैस परियोजना में ओ एन जी सी विदेश लि. की भागीदारी के लिए हुए एक करार से पता चलता है। कुंडाकुलम नाभकीय विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन, साथ ही सैन्य तकनीकी सहयोग, विशेषकर संयुक्त अनुसंधान, विकास एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग साथ ही साथ अंतर सेवा संबंधों, जिन्हें दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और एशिया तथा उससे बाहर शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक समझा गया, की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

दोनों पक्षों ने आपसी हित और चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर गहराई से विचारों का आदान–प्रदान किया। उनके विचारों में अत्यधिक आपसी समझबूझ और घनिष्ठ सामंजस्य था। सामरिक भागीदारों के रूप में भारत और रूस ने नई सहयोगी सुरक्षा व्यवस्था पर आधारित एक बहुध्रुवीय विश्व के विकास के लिए सामरिक स्थिरता से संबंधित मसलों पर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग की वचनबद्धता को पुनः दोहराया। मैत्री, आस्था और विश्वास के संबंध में संपूर्ण यूरोप और एशिया में स्थायित्व को बढ़ावा मिला और यह सार्वभौमिक महत्व का एक कारण है। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रातिनिधिक और प्रभावी बनाने के इरादे से इसमें लगातार सुधार की आवश्यकता के पक्षधर थे। रूसी परिसंघ ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक योग्य एवं प्रबल प्रत्याशी के रूप में भारत गणराज्य को अपना समर्थन पुनः दोहराया।

दोनों पक्षों ने इस बात की पुष्टि की कि आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता, अलगाववाद और पृथ्वाद, सीमापार संगठित अपराध तथा हथियारों एवं औषधों के अवैध व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थाायत्व के विरुद्ध बढ़ती हुई और गंभीर चेतावनी है। दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। उनके दोनों के पड़ोस में आतंकवाद की जड़ें उनके सुरक्षा हितों के लिए खतरा हैं। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान, इराक और मध्य पूर्व से संबद्ध मसलों पर भी विचारों का आदान–प्रदान किया। उन्होंने इस बात के महत्व पर बल दिया कि इस्लामाबाद, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नियंत्रण रेखा के पार तथा सीमा पर अन्य स्थलों से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने और साथ ही साथ 1972 के शिमला समझौते और 1998 की लाहौर घोषणा के अनुसार द्विपक्षीय रूपरेखा में सभी बकाया मसलों को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को पुनः आरम्भ करने की पूर्वापेक्षिता के रूप में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में आतंकवादी आधार संरचना को समाप्त करने के अपने दायित्वों और वायदों को क्रियान्वित करें।

विवरण-II

1. भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन द्वारा हस्ताक्षरित भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने से संबद्ध दिल्ली घोषणा : इस दस्तावेज में द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हितों के मसलों पर दोनों पक्षों की स्थितियों का उल्लेख है। रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन की अक्तूबर, 2000 में भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सामरिक भागीदारी से संबद्ध घोषणा संपन्न की। मौजूदा दस्तावेज में

दोनों पक्षों ने आपसी हित और हित–चिंता के राजनैतिक मसलों पर अपना–अपना सहयोग निरूपित किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र की विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक सशक्त तथा उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में भारत को अपने समर्थन की पुनः पुष्टि की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, मध्य पूर्व आदि के संबंध में भी अपनी साझी स्थिति का खुलासा किया। यह दस्तावेज़ से विभिन्न क्षेत्रों में भारत और रूसी परिसंघ के बीच मौजूदा सहयोग की रूपरेखा को व्यापक तथा सुदृढ़ करेगा और उनकी सामरिक भागीदारी को मजबूत बनाने में योगदान करेगा।

2. प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन द्वारा हस्ताक्षरित भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक सहयोग सुदृढ़ करने और संवर्धित करने से सम्बद्ध संयुक्त घोषणा : इस दस्तावेज में आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ करने तथा संवर्धित करने के संबंध में दोनों देशों के विचारों का उल्लेख है। दोनों पक्षों ने इस दिशा में कई उपाय करने के निर्णय लिए हैं जिनमें द्विपक्षीय निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा उसका संवर्धन और संरक्षण; और व्यवसाय संगठनों को उनके व्यापार तथा निवेश आदान–प्रदानों में वित्तीय संस्थाओं का पूरा सहयोग देना शामिल है। इसमें रूस में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं तथा भारत में रूसी वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं शीघ्र खोलना शामिल होगा। इस क्षेत्र में सहयोग में मानव संसाधन विकास; यातायात के संपर्कों तथा दोनों देशों के बीच तथा उनके भीतर विभिन्न प्रकार की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना शामिल है ताकि सामान और सेवाओं के यातायात के प्रवाह में बढ़ोतरी के साथ–साथ पर्यटन एवं यात्रा में बढ़ोतरी को समर्थन मिल सके। उत्तर–दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कोरिडोर के प्रचालन के लिए द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय परामर्शों को आगे बढ़ाने को विशेष महत्व दिया जाएगा। प्रभावी संचार संपर्कों विशेषकर विद्युत तथा दूरसंचार क्षेत्रों, व्यापार में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा–शुल्क प्रशासन को कारगर बनाने; तथा राष्ट्रीय मानकीकरण और व्यापार एवं निवेश के संगत प्रमाणन विनियमों को सुव्यवस्थित बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें दोनों देशों के नियामक निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकार प्राप्त शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान शामिल होगा। इस प्रकार के सहयोग में दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित तकनीकी अवरोधकों को हटाने; व्यापार आदान–प्रदानों के लिए कुशल वीजा व्यवस्था बनाने; दोनों देशों के सीमा क्षेत्रों के बीच सक्रिय अन्योन्यक्रिया को प्रोत्साहित करने; नए उद्यमों को शुरू करने के लिए तथा द्विपक्षीय करारों के अनुरूप संयुक्त उद्यम निधि की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने; और क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक अन्योन्यक्रिया को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

3. भारत गणराज्य की सरकार तथा रूसी परिसंघ की सरकार के बीच आतंकवाद प्रतिकार में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा तथा रूसी परिसंघ के विदेश मंत्री श्री इगोर इवानोव द्वारा संपन्न किया गया। इस करार के तहत, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद प्रतिकार से संबद्ध एक संयुक्त कार्यदल का गठन करेंगे। दोनों पक्षों की ओर से यह एक अंतर एजेंसी समूह होगा तथा इसका उनके अपने–अपने विदेश कार्यालयों द्वारा समन्वय किया जाएगा।

4. भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच 30 जून, 1994 को संपन्न वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग से संबद्ध करार के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और उपयोग से संबद्ध प्रोतोकोल पर डा. मुरली मनोहर जोशी, मानव संसाधन विकास और विज्ञान तथा तकनीकी मंत्री तथा श्री इलिया क्लेबानोव, उद्योग तथा एस एंड टी मंत्री ने हस्ताक्षर किए। 1994 के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग से संबद्ध करार के तहत, दोनों देशों को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त कार्य के परिणामों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के मसले पर फैसला करना था। अतः इस प्रोतोकोल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संपन्न 1994 के द्विपक्षीय विज्ञान और तकनीकी करार की रूपरेखा के भीतर संयुक्त गतिविधि की प्रक्रिया में उत्पन्न, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रभावी और समुचित अर्जन, वितरण, संरक्षण, बटवारे अथवा अन्तरण के मसलों का निपटारा करना है।

5. भारत गणराज्य के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा रूसी परिसंघ के संचार और सूचना मंत्रालय के बीच दूर-संचार के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन पर श्री प्रमोद महाजन, संचार और आई.टी. मंत्री तथा श्री एल. डी. रीमेन, संचार और सूचना मंत्री ने हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों देशों के संचार मंत्रालय टेलीकाम नीति और नियामक मसलों से संबद्ध सूचना का आदान-प्रदान, टेलीकाम सेक्टर में प्रभावकारिता प्राप्त करने के लिए तकनीकी समाधान संबंधी अनुसंधान, टेलीकाम के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित और लागू करना, तथा इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सुविधाओं की भागीदारी करेंगे।

6. भारत गणराज्य के कर्नाटक राज्य की सरकार तथा रूसी परिसंघ के समारा क्षेत्र प्रशासन के बीच व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध प्रोतोकोल पर श्री एस. एम. कृष्णा, कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा श्री के. ए. टिनोब, समारा क्षेत्र के गवर्नर ने हस्ताक्षर किए। यह प्रोतोकोल भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों तथा रूस के क्षेत्रों के बीच सहयोग से संबद्ध उस करार की रूपरेखा के भीतर संपन्न हुआ है जो अक्तूबर, 2000 में संपन्न हुआ था। कर्नाटक और समारा क्षेत्र, दोनों देशों की विधियों के अनुसार, व्याारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में तथा शिक्षा, खेल और पर्यटन सेक्टरों में सहयोग संवर्धित करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जापान के साथ समझौता

3439. श्री अम्बरीश : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और जापान के बीच संबंध को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में दोनों देशों के बीच कोई चर्चा हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस व्यापारिक संबंध से भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस हद तक लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) संघ सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान सहित कई देशों को निर्यात बढ़ाने की दिशा में निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। जापान को हमारा निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से सरकार और उद्योग संघों ने कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जापान में आयोजित प्रदर्शनियों और संगोष्ठियों में प्रतिभागिता, सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातकों और सूचना प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों को जापानी भाषा में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कराने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराने के लिए जापान के सूचना प्रौद्योगिकी बाजार में भाषा संबंधित बाजार अभिगम सुविधा प्रोत्साहन के लिए योजना शुरू करना और दोनों सरकारों में शीर्ष स्तर पर बातचीत करना शामिल है।

(ग) और (घ) जापान सरकार के निमंत्रण पर एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-जापान सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की बैठक में भाग लेने के लिए सितम्बर, 2001 में जापान का दौरा किया।

दोनों देशों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग बढ़ाने के आपसी हितों के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि तीसरे देशों के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दोनों को एक-दूसरे की क्षमताओं और अपेक्षाओं का पूरक बनकर प्रयास करना चाहिए। दोनों देशों के उद्योग के लिए यह श्रेयस्कर होगा।

(ङ) उपर्युक्त उद्देश्य भारत और जापान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात को गति देने की ओर निर्देशित है।

घरेलू भेषज उद्योग में अनुसंधान एवं विकास

3440. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार शीर्षक 'ग्रेटर सीनर्जी इन ड्रग इंडस्ट्री वाईटल' की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें छपे मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) घरेलू भेषज उद्योग की अनुसंधान एवं विकास की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की वार्षिक विचार–गोष्ठी में दिए भाषण से संबंधित है जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय फार्मा उद्योग को एक विश्वव्यापी ब्रांड बनाने के लिए अनुसंधान और विकास, उत्पाद गुणवत्ता आदि के संबंध में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच अधिक सहयोग करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) रसायन और पैट्रो–रसायन विभाग द्वारा गठित फार्मास्यूटिकल अनुसंधान और विकास समिति ने देश में अनुसंधान और विकास को सुधारने के विभिन्न मुद्दों की जांच की है।

टायफाइड का टीका

3441. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कतिपय फर्मों द्वारा क़िए जाने वाले टायफाइड के टीके उत्पादन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ग) क्या इस टीके की बहुत कमी है; और

(घ) यदि हां, तो देश में कितनी फर्में टायफाइड के टीके का उत्पादन कर रही हैं और उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले टीकों की कुल मात्रा कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) सरकार को होल सैल किल्ड टायफायड वैक्सीन का उत्पादन पुनः प्रारंभ करने हेतु हॉफकीन बायोफार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड (एच.बी.पी.सी.एल.), मुंबई को अनुमति देने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिए टायफायड वैक्सीन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु हॉफकीन बायोफार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई द्वारा होल सैल किल्ड टायफायड (ए.के.डी.) वैक्सीन के उत्पादन की सैद्धांतिक अनुमति देने का निर्णय लिया है। हॉफकीन बायोफार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई से यह अनुरोध किया गया है कि वे होल सैल किल्ड टायफायड वैक्सीन के उत्पादन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारत के औषध महानियंत्रक को अपना आवेदन पत्र भेजें। देश में टायफायड वैक्सीन की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पशुओं पर परीक्षण करने पर प्रतिबंध

3442. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं पर परीक्षण करने पर लगे प्रतिबंध से देश में भारतीय भेषज कंपनियों के अनुसंधान और विकास प्रयासों में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों द्वारा नई दवाइयों के परीक्षण का तरीका क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) देश में इंडियन फार्मास्युटिकल कंपनी के अनुसंधान और विकास प्रयासों में पशुओं पर परीक्षण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैसे, जानवरों पर प्रयोग हेतु निर्धारित किए गए नियमों से और सीपीसीएसईए (पशुओं पर परीक्षण करने के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति) द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया से अनुसंधान आधारित उद्योगों के लिए बड़े जानवरों तथा शिकारी कुत्तों और बंदरों पर प्रयोग करने पर बहुत कठिनाई आती है। एक सांविधित अपेक्षा होने के कारण, कंपनियों को ऐसे अध्ययन विदेशी निजी संविदा अनुंसधान संगठनों के जरिए कराने होते हैं जो कि अत्यधिक महंगे होते हैं।

(ख) और (ग) कंपनियां दो चरणों में अणुओं की जांच कर रही हैं। प्रथम चरण में, जहां तक संभव हो, परीक्षण प्रयोग

परखनली की (इनविट्रो) परिस्थितियों में किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में, इनके, केवल पशु माडलों का प्रयोग करते हुए, अंतर्जीव (इन–वीवो) परिस्थितियों में परीक्षण किए जाते हैं। इस समय अधिकतर कार्य, इन–विट्रो कोशिका लाइंस के साथ–साथ आणविक लक्ष्यों पर किया जा रहा है। तथापि, जहां पर अनिवार्य और आवश्यक होता है, जानवरों का उपयोग भी किया जाता है।

[हिन्दी]

भारत-चीन संबंध

3443. श्री राधा मोहन सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के नेतृत्व में बदलाव के मद्देनजर भारत–चीन संबंधों में सुधार की कोई आशा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार पंचशील के सिद्धांतों, एक–दूसरे की चिंताओं की परस्पर संवेदनशीलता तथा समानता के आधार पर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी के संबंध विकसित करने के प्रति वचनबद्ध है। यह बात भारत और चीन के हाल ही के उच्चस्तरीय राजनैतिक आदान–प्रदानों जिसमें मई–जून, 2000 में चीन के राष्ट्रपति की यात्रा, जनवरी, 2001 में वरिष्ठ चीनी नेता तथा एनपीसी के अध्यक्ष की यात्रा, जनवरी, 2002 में चीन के प्रधान मंत्री की यात्रा और मार्च/अप्रैल, 2002 में विदेश मंत्री की चीन यात्रा शामिल है, के दौरान रेखांकित हुई है।

प्रधान मंत्री को चीन की यात्रा का निमंत्रण दिया गया है और यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। राजनयिक माध्यमों के जरिए यात्रा की तारीखें तय की जा रही हैं।

पारासेटामोल का यकृत पर दुष्प्रभाव संबंधी चेतावनी

3444. श्री नरेश पुगलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अमरीका स्थित खाद्य और औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.) सलाहकार पैनल ने यह सिफारिश की है कि पारासेटामोल से युक्त ओवर द काउंटर (ओ.टी.सी.) औषधियों के ऊपर यकृत पर दुष्प्रभाव संबंधी खतरे की स्पष्ट चेतावनी लिखी होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, हां। यू.एस.–एम.डी.ए. के परामर्शदाता पैनल की कथित सिफारिश की जांच औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञों की उप–समिति द्वारा की जा रही है।

[अनुवाद]

कुरियर सेवा शुल्क

3445. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कुरियर सेवा प्रदाता पत्रों के स्थानीय वितरण हेतु डाक सेवा द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की अपेक्षा काफी कम शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी सेवाओं हेतु डाक शुल्क कम करने संबंधी विषय पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) डाक सेवाओं को सुधारने हेतु अन्य प्रस्ताव, यदि कोई हों, तो क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) विभाग के पास कुरियर उद्योग द्वारा लगाए गए शुल्क के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) डाक विभाग में शुल्क निर्धारण एक गतिशील प्रक्रिया है और इसमें प्रचालन की लागत, उपभोक्ता का स्वरूप, मांग की मूल्य सापेक्षता, प्रतिस्पर्द्धी सेवाओं के शुल्क आदि सहित कई तथ्यों का ध्यान रखा जाता है।

(घ) विभाग के पास बुनियादी ढांचे के विकास और धन की उपलब्धता के आधार पर उन्नयन, नेटवर्किंग और कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

राजधानी में मानसिक रोग अस्पताल

3446. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में मानसिक रोग अस्पताल परियोजना में हुए नौ वर्ष विलम्ब के संबंध में जांच गठित करने हेतु केन्द्र को आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो जांच कर क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 अक्तूबर, 2002 के अपने हाल ही के आदेश में मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार को इस परियोजना में हुए विलंब की जांच करने और विलंब हेतु जिम्मेवारी तय करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडार का मुनाफा

3447. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भंडार ने विगत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना मुनाफा अर्जित किया है;

(ख) तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय भंडार की नई शाखाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान अर्जित किया गया कुल लाभ निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	लाभ
1999–2000	403.95 लाख रुपए
2000–2001	640.98 लाख रुपए
2001–2002	621.51 लाख रुपए

(ग) और (घ) जब किन्हीं ऐसे स्थानों पर सरकार अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय भंडार को उपयुक्त इमारतें सुलभ करवा दी जाती हैं जहां अच्छी बिक्री होनी संभावित हो, तब वहां उपर्युक्त भंडार के बिक्री–केन्द्र खोल दिए जाते हैं।

अपंग व्यक्तियों के लिए खेलकूद गतिविधियां

3448. श्री बृजलाल खाबरी :
श्री रामदास रूपला गावीत :
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपंग व्यक्तियों व युवकों के लिए खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना अथवा राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) अपंग व्यक्तियों और युवाओं के लिए खेल संबंधी गतिविधियों के संवर्धन हेतु, अभी तक कोई योजना तैयार नहीं की गई है। अलबत्ता, "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता" की योजना में, शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त ऐसे खिलाडियों को, जो उस खेल में, मान्यता–प्राप्त टूर्नामेंटों में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के बराबर हैं या उसके नजदीक हैं, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ के माध्यम से, सहायता देने का प्रावधान किया गया है, न कि किसी व्यक्ति को सीधे ही।

[अनुवाद]

ओ.एफ.सी. के माध्यम से इंटरनेट सेवा

3449. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उपभोक्ताओं की ओर से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं अथवा बी.एस.एन.एल. पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने वाले संदिग्ध इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं हेतु कौन सी कानूनी सुरक्षा विद्यमान है;

(च) क्या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने के लिए कोई विनियामक निकाय अस्तित्व में है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने आप्टिकल फाइबर प्रणालियों पर आधारित नेशनल इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी–I) स्थापित किया है, जिसमें 45 मुख्य इंटरनेट नोड हैं जो 391 अन्य इंटरनेट नोडों से जुड़े हुए हैं।

(ग) और (घ) कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) नामतः मैसर्स डिशनेट डीएसएल लिमिटेड, मैसर्स पैट्रियॉट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट लिमिटेड और मैसर्स मिलाई करपागंबल इन्फोर्मेशन सिस्टम्स (प्रा.) लिमिटेड के विरुद्ध खराब सेवा के संबंध में उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस मामले को आईएसपी के साथ उठाया गया था और उसे हल किया गया।

(ङ) प्रचालनात्मक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के निदेश जारी किए गए हैं कि यदि किसी सेवा प्रदाता के पास इंटरकनेक्शन है और वह अपने उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करता है तो उसके पास वैध आई. एस.पी. लाइसेंस होना चाहिए।

(च) सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 14 के अंतर्गत दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ–साथ सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के समूहों के बीच किसी विवाद के बारे में न्याय–निर्णय देता है। उपभोक्ता की शिकायतों के लिए अन्य माध्यम उपभोक्ता न्यायालय और उपभोक्ता फोरम हैं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों का रख-रखाव

3450. श्री के. येरननायडू : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम के पूर्वी तट पर खाद्यान्नों के प्रचुर मात्रा में रख–रखाव हेतु प्रमुख एजेंसी के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम को केन्द्र सरकार के पास नामित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया;

(ग) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा आयात और निर्यात होने वाले खाद्यान्नों के भंडारण के लिए नामित आधार पर पट्टे पर 10 एकड़ जमीन किराये पर देने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह भूमि कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार बल्क अनाज हैंडलिंग सुविधा के सृजन के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में किसी एजेंसी को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने गोदामों के निर्माण के लिए किराये के भुगतान आदि के अध्यधीन आंध्र प्रदेश राज्य

भंडारण निगम (एपीएसडब्ल्यूसी) को 10 एकड़ आकार की **भूमि पहले** ही आवंटित कर दी है। एपीएसडब्ल्यूसी को भूमि **का कब्जा** लेने के लिए वार्षिक किराये के अग्रिम भुगतान **और** 9.65 लाख रु. के अप्रतिदेय प्रीमियम की व्यवस्था करनी होगी।

कोच्चि से खाड़ी देशों के लिए पोत सेवा

3451. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोच्चि से खाड़ी देशों के बीच पोत सेवा शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों में अंधता

3452. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों में अंधता विकसित देशों की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संकट को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) देश में बच्चों में नेत्रहीनता की व्याप्तता का पता लगाने हेतु कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। 2000-01 में किए गए प्रायोगिक सर्वेक्षण से पता चला कि दिल्ली में बच्चों से केवल 0.10 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 0.18 प्रतिशत नेत्रहीन होने का अनुमान था। बच्चों में नेत्रहीनता के मुख्य कारण अपवर्तक दोष, कॉर्नियल अपारदर्शिता, जन्मजात मोतियाबिन्द ओर दृष्टिपटलीय (रेटिनल) दोष हैं।

(ग) बच्चों में नेत्रहीनता की रोकथाम और नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

1. अपवर्तक दोषों की पहचान करने तथा उसमें सुधार करने हेतु स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम।
2. 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का विटामिन-ए द्वारा रोग निरोधन।
3. नेत्र स्वच्छता और दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में जन-जागरूकताएं।
4. नेत्रदान को बढ़ावा देना और दान की गई आंखों का उपयोग कार्नियल प्रतिरोपण के लिए करना।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

3453. श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली से पुनर्गठन हेतु एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से 320 मिलियन डालर का ऋण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इस ऋण राशि के उपयोग हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एशियाई विकास बैंक के इस ऋण से पूर्व पश्चिम गलियारा और महाराष्ट्र में अन्य राजमार्ग परियोजनाएं किस हद तक लाभान्वित होंगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) पूर्व-पश्चिम महामार्ग के 504 किमी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए सरकार ने हाल ही में 320 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ वार्ता की है।

(ग) और (घ) जी, हां। परियोजना का निर्माण कार्य सितंबर, 2003 तक शुरू करने का निश्चय किया गया है।

(ङ) पूर्व-पश्चिम महामार्ग का कोई भाग महाराष्ट्र राज्य में नहीं है।

बेतार कम्प्यूटरों का उपयोग

3454. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेतार कम्प्यूटरों के इस्तेमाल की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के घरेलू इस्तेमाल के लिए लाइसेंस कब से अपेक्षित नहीं होगा; और

(ग) देश भर में बेतार कम्प्यूटरों आदि के इस्तेमाल की अनुमति में किन अड़चनों के कारण विलम्ब हो रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बेतार सलाहकार, भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार "100 मिल वाट (एमडब्ल्यू) आरएफ पॉवर आउटपुट तथा तथा विस्तृत स्पेक्ट्रम मॉडूलेशन सहित आईईईई 802.11बी मानक तथा ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से 2.4.2.4835 गीगाहर्ट्ज बैण्ड में बेतार लैन के आंतरिक इस्तेमाल पर 2 नवम्बर, 2002 से लाइसेंस से छूट प्राप्त है।"

नौकर्मी भविष्य निधि

3455. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकर्मी भविष्य निधि के मामले में जांच, कार्यवाही और वसूली पूरी हो गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथाकथित धोखाधड़ी से संबंधित सूचना मिलते ही पोत परिवहन मंत्रालय ने इस मामले की जांच करने और इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए इसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपना जांच कार्य पूरा करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने वाला है। नाविक भविष्य निधि के निवेश में अनियमितताओं का पता चलने के बाद अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्रवाई की गई है

(i) आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया गया है जो तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे न्यासी बोर्ड, नाविक भविष्य निधि के समक्ष इसकी आगे होने वाली बैठकों में रखा जाएगा। प्रथम रिपोर्ट पहले ही रखी जा चुकी है।

(ii) उन सभी भौतिक प्रतिभूतियों को जिन्हें डीमेट फॉर्म में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है, उन्हें परिवर्तित कर दिया गया है।

(iii) निवेश प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक वित्त उप-समिति का गठन किया गया है।

एड्स रोधी औषधि

3456. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेनबेक्सी के एड्स रोधी औषधि को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृति प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस औषधि को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत एड्स रोधी औषिधि में शामिल करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स रेनबेक्सी प्रयोगशालाओं की निम्नलिखित एड्स-रोधी औषधों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृति प्राप्त हुई-जिडोवूडिन, लैमिवुडिन, लैमिवूडिन+जिकोवूडीन तथा नेविरेपिन गोलियां।

विकलांगता संबंधी प्रमाणपत्र

3457. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में केन्द्र सरकार के उन अस्पतालों का

ब्यौरा क्या है जो विकलांगता संबंधी प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक विकलांगता संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि विकलांग व्यक्तियों को अत्यधिक कठिनाइयों के बिना ऐसे प्रमाणपत्र जारी किए जाएं;

(घ) वर्ष 1996 में विकलांगता अधिनियम पारित कर दिए जाने के बावजूद विकलांगता संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत चिकित्सा संस्थानों के नाम अधिसूचित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी चिकित्सा संस्थानों की सूची तत्काल अधिसूचित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर मानसिक बीमारी, मानसिक मन्दन और अन्य तंत्रिका विज्ञानीय भौतिकीय विकलांगताओं के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करता है। गैर–तंत्रिकीय विकलांगताओं के लिए बंगलौर के राज्य सरकारी अस्पताल ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं। अपंग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) नियम 1996, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपंग व्यक्ति समान (अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995, की धारा 73 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31.12.1996 को अधिसूचित किए गए थे, के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण होंगे। राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड का गठन कर सकती है जिनमें से एक विशेषज्ञ नजर/सुनने की कमजोरी तथा बोलने की असमर्थता सहित लोकोमीटर/दृश्य कमजोरी, मानसिक मन्दन और उपचारित कुष्ठ का मूल्यांकन करने के लिए, जैसा भी मामला हो किसी क्षेत्र विशेष से होगा। विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसे चिकित्सा बोर्ड केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में मौजूद हैं।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में उत्पादन

3458. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के उत्पाद बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एच. एल. एल. के उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड निम्नलिखित उत्पादों का विर्निमाण करता है :

(1) कंडोम

(2) रक्त थैली

(3) कापर टी

(4) खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां स्टेरॉयडल तथा गैर–स्टेरॉयडल।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को यूरोपीय बाजारों में कंडोमों तथा रक्त थैलियों के लिए आई. एस. ओ. 9001 (2000) तथा सी. ई. चिह्न दक्षिण अफ्रीकी बाजारों में कंडोमों के लिए एस. ए. बी. एस. प्रत्यायन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने निर्यात हेतु अन्य देशों में भी अपने उत्पादों का पंजीयन कराया है। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड 70 से अधिक देशों को कंडोमों का निर्यात करता है। यह रक्त थैलियों का भी निर्यात करता है। निर्यात के आर्डर विश्व बाजार में प्रतियोगी निविदाओं पर प्राप्त किए जाते हैं।

(ग) सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को इसके विभिन्न उत्पादों के लिए विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। विभिन्न उत्पादों के संबंध में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की आरंभिक स्थापित क्षमता तथा मौजूदा विनिर्माण क्षमता नीचे बतलाई गई है :

क्र.सं.	उत्पाद	आरंभिक स्थापित क्षमता	मौजूदा विनिर्माण क्षमता
1.	कंडोम	576 मि. नग	692 मि. नग
2.	रक्त थैली	2 मि. नग	2.17 मि. नग
3.	गैर–स्टेरॉयडल ओ.सी.पी.	30 मि. गोलियां	30.0 मि. गोलियां
4.	स्टेरॉयडल ओ.सी.पी.	30 मि. चक्र	46.09 चक्र

(घ) कंडोम के उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः 30 मि. नग की एक लाइन स्थापित करने तथा आन्तरिक रूप से लाई गई तकनीकी नवीनताओं के कारण भी है।

पत्तनों का निजिकरण

3459. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी प्रमुख पत्तनों का विनिवेश/निगमीकरण/निजीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन निजी कंपनियों/निगमों के नाम क्या हैं जो इन पत्तनों से जुड़े हुए हैं;

(घ) उन पत्तनों के निगमीकरण/निजीकरण द्वारा कुल कितनी राशि सृजित की गई;

(ङ) क्या इस प्रकार से सृजित राशि का सही ढंग से इस्तेमाल किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) से (ग) देश में 12 महापत्तन हैं जिनमें से 11 महापत्तन, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के उपबंधों द्वारा शासित स्वायत्त निकाय हैं। इन्नौर में स्थित 12वें महापत्तन की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1965 के तहत एक नैगम सत्ता के रूप में की गई है। सरकार ने इन 11 महात्तनों का चरणबद्ध रूप में निगमीकरण करने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 जिसमें महापत्तन न्यासों के निगमीकरण के लिए एक समर्थकारी प्रावधान मौजूद है, को 31.8.2001 को संसद में पेश किया गया है। महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 को जांच और रिपोर्ट के लिए विभाग से जुड़ी परिवहन और पर्यटन संबंधी संसदीय स्थाई समिति के पास भेजा गया है। इस समय महापत्तनों में विनिवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.बी.आई. में रिक्त पद

3460. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. बी. आई. के समूह 'क' श्रेणी में भारी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक प्रत्येक श्रेणी में कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) इन पदों को यथाशीघ्र भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) 01.12.2002 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो में समूह 'क' के 201 पद रिक्त थे। प्रत्येक ग्रेड की रिक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई जा रही है।

केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो में समूह 'क' के रिक्त पद भरने के तीन भिन्न–भिन्न तरीके हैं अर्थात् प्रतिनियुक्ति, सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के माध्यम से। जबकि पुलिस–अधीक्षक से ऊपर के प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद, केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो के चयन–बोर्ड के माध्यम से भरे जाते हैं, उप पुलिस–अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/विधि अधिकारियों के पद, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भरे जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है; तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त अधिकारियों का चयन करने हेतु जब कभी आवश्यक हो, विभागीय पदोन्नति–समितियों की बैठकें की जाती हैं। केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो में समूह 'क' की रिक्तियां पहले से योजना बनाकर, सोच–समझकर भरने की दृष्टि से सरकार ने 01.01.2002 से एक विशेष भर्ती–अभियान

आरम्भ किया। उपर्युक्त अभियान के फलस्वरूप, केन्द्रीय अन्वेषण– ब्यूरो के चयन–बोर्ड और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, समूह 'क' के 114 रिक्त पद भरे गए हैं।

चूंकि उप पुलिस अधीक्षक का पद अन्वेषण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पद होता है और उप पुलिस–अधीक्षक के 101 पद रिक्त हैं, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पद भरने से जुड़ा कार्य, समय–बद्ध आधार पर करने के अलावा, प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले 24 पदों को पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के कोटे में बदल देना तय किया गया है।

विवरण

पदों के नाम	संस्वीकृत पदों की संख्या	पदों पर तैनात अधिकारियों की संख्या	रिक्त चल रहे पदों की संख्या
विशेष निदेशक/अपर निदेशक	3	2	1
संयुक्त निदेशक	16	15	1
उप महा निरीक्षक	39	35	4
वरिष्ठ पुलिस–अधीक्षक	10	9	1
पुलिस–अधीक्षक	89	77	12
तकनीकी अधिकारी (ए. एण्ड आई.टी)	3	0	3
व्याख्याता	2	0	2
अपर पुलिस–अधीक्षक	75	51	24
उप पुलिस–अधीक्षक	236	135	101
अपर विधि–सलाहकार	6	5	1
उप विधि–सलाहकार	20	15	5
वरिष्ठ लोक–अभियोजक	67	51	16
लोक–अभियोजक	96	66	30
कुल	662	461	201

[हिन्दी]

प्रो. सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र

3461. **श्री जय प्रकाश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो. सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र ने अन्य देशों के उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार से अन्य देशों के लिए अभी तक चार छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहकों के लिए प्रमोचन सेवा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।

(ख) सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार से अन्य देशों के लिए निम्न चार उपग्रह प्रमोचित किए गए हैं :

- कोरिया गणराज्य के लिए 1999 के दौरान पी.एस.एल.वी.–सी2 मिशन में 107 किलोग्राम भार का किटसैट–3 उपग्रह।
- बर्लिन की तकनीकी यूनीवर्सटी/जर्मन अन्तरिक्ष केन्द्र, जर्मनी के लिए 1999 के दौरान पी.एस.एल.वी.–सी2 मिशन में 45 किलोग्राम भार का डी.एल.आर.–टबसैट उपग्रह।
- वेरहर्ट डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट, बेल्जियम/यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी के लिए 2001 के दौरान पी.एस.एल.वी–सी3 मिशन में 94 किलोग्राम भार प्रोबा उपग्रह।
- जर्मन अन्तरिक्ष केन्द्र के लिए 2001 के दौरान पी.एस.एल.वी.–सी3 मिशन में 94 किलोग्राम भार का बर्ड उपग्रह।

[अनुवाद]

मोटरयान अधिनियम 1988

3462. **श्री ममसूर अली खां** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटरयान अधिनियम 1988 के अध्याय VI के प्रावधानों को समाप्त करने या संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य परिवहन उपक्रम योजना द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों के संचालन संबंधी एकाधिकार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय–VI के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है और इसलिए यह मामला राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को चयन सूची में शामिल करना

3463. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय–सेवा की वर्ष 1987, 1988, 1989, 1990 की ग्रेड–I (अवर सचिव) की चयन–सूचियों जिसमें 439 अधिकारियों के नाम थे उसमें क्रमशः 84 और 42 आरक्षित पद के स्थान पर केवल 1 अनुसूचित जाति और 4 अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के ही नाम शामिल किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर सामान्य वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है;

(ग) क्या ऐसा 1997 से कई वर्षों पूर्व रिक्त पदों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के दिनांक 02.07.1997 के कार्यालय–ज्ञापन का भूतलक्षी प्रभाव से प्रयोग करते हुए किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा 1987, 1988, 1989 और 1990 की चयन–सूचियों में 121 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के नाम शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) अनुसूचित ज़ातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मुहैया करवाने की दृष्टि से, सरकार द्वारा 02.07.1997 को जारी किए गए पदों पर आधारित रोस्टरों का चलन शुरू किए जाने के अनुदेश, उन मामलों से इतर अन्य मामलों में लागू हैं जिनमें, उपर्युक्त अनुदेशों के जारी किए जाने की तारीख से पहले उम्मीदवारों के चयन को अन्तिम रूप दे दिया गया हो।

केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अनुभाग अधिकारियों की उपर्युक्त सेवा के अवर सचिव–ग्रेड में पदोन्नति की दृष्टि से वर्ष 1987, वर्ष 1988, वर्ष 1989 और वर्ष 1990 की प्रवर सूचियां क्रमशः वर्ष 2000 और वर्ष 2001 के दौरान जारी की गईं। उपर्युक्त प्रवर सूचियां तैयार करते समय, संगत अनुदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को पदों पर आधारित रोस्टरों के अनुरूप आरक्षण सुलभ करवाया गया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के कोटे के किसी भी पद पर, सामान्य श्रेणी का कोई भी अधिकारी पदोन्नत नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या

3464. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत क्या है;

(ख) अखिल भारतीय औसत के संदर्भ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी नवीनतम वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें दौर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 1999–2000 वर्ष में गुजरात में ग्रामीण जनसंख्या का 13.17 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहा था।

(ख) अखिल भारत अनुमान सहित, वर्ष 1999–2000 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में गरीबी उपशमन और उसे कम करने के लिए त्रि–आयामी कार्रवाई की जा रही है। ये हैं : (i) आर्थिक विकास को तीव्र करना (ii) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना, समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना, आदि और (iii) गरीबों के लिए रोजगार और आय सृजक कार्यक्रमों और परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

विवरण

वर्ष 1999–2000 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.04
3.	असम	40.04
4.	बिहार	44.30
5.	गोवा	1.35
6.	गुजरात	13.17
7.	हरियाणा	8.27
8.	हिमाचल प्रदेश	7.94
9.	जम्मू और कश्मीर	3.97
10.	कर्नाटक	17.38
11.	केरल	9.38
12.	मध्य प्रदेश	37.06
13.	महाराष्ट्र	23.72
14.	मणिपुर	40.04
15.	मेघालय	40.04
16.	मिजोरम	40.04
17.	नागालैण्ड	40.04
18.	उड़ीसा	48.01
19.	पंजाब	6.35
20.	राजस्थान	13.74
21.	सिक्किम	40.04
22.	तमिलनाडु	20.55
23.	त्रिपुरा	40.04
24.	उत्तर प्रदेश	31.22
25.	पश्चिम बंगाल	31.85
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20.55
27.	चंडीगढ़	5.75
28.	दादरा और नगर हवेली	17.57
29.	दमन और दीव	1.35
30.	दिल्ली	0.40
31.	लक्षद्वीप	9.38
32.	पांडिचेरी	20.55
	अखिल भारत	27.09

टिप्पणियां : 1. असम के गरीबी अनुपात का प्रयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए किया गया है।

2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।

3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू और कश्मीर

के व्यय वितरण का प्रयोग जम्मू और कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।

4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पाण्डिचेरी और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया गया है।

5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चण्डीगढ़ की ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के लिए किया गया है।

6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा और नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग दादरा और नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।

7. गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन और दीव के लिए किया गया है।

8. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आवंटन

3465. श्री रामदास रूपला गावीत :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि में आमूल–चूक परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आमूल–चूक रूप से परिवर्तित केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2002–2003 के लिए राज्यवार कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क निधि की धनराशि के उपयोग की गति धीमी है, और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सड़क निधि (सी. आर. एफ.) के उपयोग की गति प्रारंभ में धीमी थी और अब उसमें सुधार हो रहा है। वर्ष 2002–03 के लिए राज्यवार जमा राशि और उसकी उपयोगिता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000–2003 में जमा राशि (लाख रु.)	धनराशि की उपयोगिता की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8145.08	51.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	1086.08	22.63
3.	असम	1540.08	54.92
4.	बिहार	3390.08	23.35
5.	छत्तीसगढ़	1728.08	72.92
6.	गोवा	409.08	22.16
7.	गुजरात	6813.08	54.44
8.	हरियाणा	35.75 08	42.31
9.	हिमाचल प्रदेश	1075.08	47.09
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3105.08	23.19
11.	झारखण्ड	1125.08	12.83
12.	कर्नाटक	5813.08	34.16
13.	केरल	2771.08	19.51
14.	मध्य प्रदेश	6659.08	38.30
15.	महाराष्ट्र	10141.08	29.66
16.	मणिपुर	324.08	34.19
17.	मेघालय	429.08	53.64
18.	मिजोरम	296.08	99.99
19.	नागालैण्ड	247	56.72
20.	उड़ीसा	2982.08	11.08
21.	पंजाब	4043.08	40.18
22.	राजस्थान	7671.08	53.01
23.	सिक्किम	110	69.60

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	6722.08	41.03
25.	त्रिपुरा	193	47.94
26.	उत्तर प्रदेश	9643.08	15.37
27.	उत्तरांचल	759.08	51.46
28.	पश्चिम बंगाल	3688.08	40.84
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	183.00	10.90
2.	चंडीगढ़	221.00	25.41
3.	दिल्ली	2705.00	12.41
4.	दमन और दीव	76.00	11.90
5.	दादरा एवं नगर हवेली	107.00	22.72
6.	लक्षद्वीप	5.00	11.65
7.	पांडिचेरी	219.00	26.22

केन्द्रीय भण्डार की खरीद-नीति

3466. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डार की खरीद–नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डार फोटोकॉपियर कागजों के सप्लायरों की संख्या कम करके नीति का उल्लंघन करता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सकरार का इस मामले की जांच कराने का प्रस्ताव है और खरीद–नीति के उल्लंघन से संबंधित लोगों को दण्डित करने का है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) खरीद–नीति की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भण्डार ने फोटोकॉपियर कागज की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। निविदाओं में दरों की पेशकश के साथ दिए गए फोटोकॉपियर कागज के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। उपर्युक्त नमूनों की जांच की रिपोर्टें तीन फर्मों द्वारा दिए गए फोटोकॉपियर कागज के नमूनों के ही संबंध में संतोषजनक पाई गईं। इनमें से दो फर्में, फोटोकॉपियर कागज की आपूर्ति निम्नतम दर पर करने के प्रति सहमत नहीं हुईं। अतः कुछ अरसे तक फोटोकॉपियर कागज का एक ही आपूर्तिकर्त्ता रहा। बाद में, विभिन्न निर्माताओं से, समाचार–पत्रों के माध्यम से दरों की पेशकश से युक्त निविदाएं आमंत्रित की गई और उनकी जांच–पड़ताल करके उन पर यथोचित कार्रवाई की गई। इस समय, केन्द्रीय भण्डार में सेंचुरी, जे.के., आई.टी.सी. भद्राचलम, टी.एन.पी.एल. और बिल्ट कॉपी पॉवर जैसे विभिन्न ब्रैंडों के फोटोकॉपियर कागज हैं।

विवरण

खरीद नीति

25.09.2001 को हुई 72वें बोर्ड की बैठक के उद्धरण।

कार्य सूची की मद संख्या 6 खरीद/अधिप्राप्ति नीति

उपभोक्ता डिवीजन, किराना डिवीजन तथा लेखन–सामग्री डिवीजन में विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति के लिए खरीद नीति पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि खरीद नीति मुख्यतया सोसाइटी के लिए सामान की अधिप्राप्ति को युक्तियुक्त बनाने तथा सोसाइटी में विभिन्न मदों के लिए सप्लायर का पंजीकरण करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने यह राय भी व्यक्त की कि यदि खरीद नीति सोसाइटी की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक नहीं पाई गई तो बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। बोर्ड द्वारा निदेशकों के विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से खरीद नीति का अनुमोदन कर दिया गया। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित खरीद नीति की प्रति संलग्न है।

खरीद नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों से कोई विचलन अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से ही किया जाएगा तथा उसकी जानकारी कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में दी जाएगी।

केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली

विषय : खरीद/अधिप्राप्ति नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

1. सामान्य नीति

(क) ब्रांड वाले उत्पाद सीधे उत्पादकों/निर्माताओं से खरीदे

जाएंगे। जहां कहीं निर्माता इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करेंगे वहां खरीद उनके प्राधिकृत वितरकों से की जाएगी।

(ख) साधारणतया टेंडर उन मदों के लिए आमंत्रित किए जाएंगे जिनकी सामान्य स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार खरीद की जाती है और जिनके लिए ब्रांड नामों की सुसंगतता नहीं होगी।

(ग) तेजी से बदलती हुए मदों की खरीद यदा–कदा करते रहना चाहिए ताकि उनमें पैसा फंसा न रहे और ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज की अदायगी न करनी पड़े। जिन वस्तुओं के भाव बढ़ते न हों उन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सोसाइटी सप्लायरों के साथ उचित अवधि तक के कान्ट्रेक्ट कर सकती है।

(घ) ज़हां तक संभव हो, अनुमोदित क्वालिटी की वस्तुएं ही खरीदी जाएंगी जिन पर एग्मार्क, आई.एस.आई. मार्क लगा हो।

(ङ) कान्ट्रेक्ट की बाध्यताओं के संतोषजनक ढंग से निभाने की दृष्टि से सप्लायरों को एफिडेविट के साथ रजिस्ट्रेशन फार्म भरना होगा, अन्य संगत दस्तावेजों के साथ 25000/– रुपए की जमानत राशि (एक ग्रुप की वस्तुओं के लिए) भरनी होगी। एक से अधिक ग्रुप की वस्तुओं के लिए रजिस्ट्रेशन चाहने वाले सप्लायरों को 50,000/– रुपए की जमानत राशि भरनी होगी। बहुराष्ट्रीय/प्रतिष्ठित भारतीय कंपनियों के मामले में था कल्याण संगठनों आदि के मामले में जमानत की राशि को जमा करने से छूट महाप्रबंधक की सिफारिश पर अध्यक्ष के अनुमोदन से दी जा सकेगी।

(च) इस नीति में शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ही खरीद की जानी चाहिए।

(छ) क्वालिटी तथा प्रतियोगी कीमत ही अपनाई जाने वाली इस नीति का मुख्य आधार होगी।

(ज) उपभोक्ताओं की पसंद की वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा सप्लायरों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ 3 से 4 ब्रांडों या किस्मों की वस्तुएं खरीदी जाएंगी।

किराना, उपभोक्ता, राशन का सामान, स्टेशनरी तथा अन्य मदों की खरीद के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया जाना चाहिए।

2. किराना का सामान

(क) दालों/चावल/मसालों जैसी आम स्पेसिफिकेशन वाली आम किस्म की वस्तुओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सहकारी समितियों तथा उन पंजीकृत सप्लायरों से वस्तुओं के नमूनों सहित पाक्षिक टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे जिनके पास दालों का लाइसेंस/अनाज का लाइसेंस/एग्मार्क लाइसेंस आदि होगा और जिनकी वस्तुएं केन्दीय भंडार के स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगी तथा खाद्य सामग्री मिश्रण निवारण (पी.एफ.ए. स्पेसिफिकेशन)/एग्मार्क स्पेसिफिकेशन के तहत निर्धारित स्पेसिफिकेशन से बेहतर होगी स्पेसिफिकेशन की समय--समय पर समीक्षा की जा सकेगी। सप्लायरों द्वारा प्रस्तुत रेट और सैम्पलों तथा उनके पहले के कार्य–निषपादन के आधार पर खरीद समिति की सिफारिशों पर खरीद की जा सकेगी। इन वस्तुओं की खरीद करते समय इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित होने वाली कीमतों की घटत–बढ़त को भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि समिति यह महसूस करती है कि रेट और क्वालिटी उचित नहीं है तो वह उचित कीमतों की जानकारी हासिल करने के लिए मार्किट का दौरा कर सकती है और फिर खरीद नीति के अनुरूप पंजीकृत सप्लायरों से खरीद की जा सकती है। खरीद समिति द्वारा चुने गए सैम्पल को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्से में ए.जी.एम., पी. एण्ड एस.ई. और सी.ए.ओ./ए.ओ.के. विधिवत हस्ताक्षरों सहित सीलबंद लिफाफे में सबंधित गोदाम के सुपरिन्टेन्डेन्ट को दिया जाएगा ताकि यह सुनिशचत हो सके कि सप्लायर से प्राप्त वस्तुएं सैम्पल के अनुरूप ही हैं। सैम्पल का दूसरा हिस्सा ए.जी. एम की हिफाजत में रखी जा सकेगी। गोदाम के सुरिन्टेन्डेन्ट द्वारा अनुमोदित सैम्पलों के साथ वस्तुओं को मिलाकर देख लेने के बाद वस्तुओं को गोदाम में उतार लिया जाएगा। तत्पश्चात क्वालिटी नियंत्रण विभाग द्वारा भारी मात्रा में वस्तुएं सप्लाई करने वाले सप्लायरों के सैम्पल भरे जाएंगे और अनुमोदित प्रयोगशाला में उनकी जांच की जाएगी। संतोषजनक रिपोर्ट मिलने के बाद वस्तुओं को पैक करने और केन्द्रीय भंडार के बिक्री केन्द्रों से बेचने की अनुमति

प्रदान की जाएगी। इन वस्तुओं को केन्द्रीय भंडार के गोदामों में पैक किया जाना चाहिए और नई पर लॉट संख्या, पैकिंग की तारीख तथा बिक्री मूल्य दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार खरीद समिति द्वारा सरकारी संस्थानों में आई.टी.डी.सी. होटलों, अस्पतालों, सरकारी स्कूलों तथा मारुति उद्योग लिमिटेड आदि जैसे अन्य एजेन्सियों के लिए बढ़िया किस्म की दालें/चावल/मसाले/ड्राई-फ्रूट टेंडर के जरिए खरीदे जाएंगे।

(ख) स्टोरों को सीधे ही आपूर्तिकर्त्ता के पैक में चावल/दालों की आपूर्ति के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए कि किसी प्रकार की कमी के लिए आपूतिकर्त्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

(ग) आटे और मेदे की खरीद उन ख्याति प्राप्त फर्मों के माध्यम से की जा सकती है जिन्हें ठेका दिया गया है और जिनकी अपनी पिसाई मिलें हैं तथा जिनकी दरें प्रत्येक सप्ताह में इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित चक्की गेहूं और बेसन की दरों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी।

(घ) खाद्य तेल, वनस्पति, शुद्ध घी आदि जैसी ग्रोसरी की वस्तुओं की खरीद या तो सीधे ही विनिर्माता से या उनके प्राधिकृत वितरक से थोक व्यापारी पर लागू दरों पर की जाएंगी, जहां तक संभव हो विनिर्माता की मूल पैकिंग में विनिर्दिष्ट पी.एफ.ए./एग्मार्क/आई.एस.आई के अनुरूप उत्पादों को खरीदा जाए। सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध उत्पाद को वरीयता दी जाए।

(ङ) नहाने-धोने के साबुन के लिए विज्ञप्ति निविदा आमंत्रित की जाएंगी और उनकी दरों, ब्रांडों, विगत के उनके कार्य निष्पादन तथा बिक्री की संभाव्यता आदि के आधार पर उसकी खरीद की जाएगी।

(च) दालों/चावल/चीनी और मसालों की पैकिंग के लिए पैकिंग का प्रावधान करने हेतु प्रत्येक वर्ष विज्ञापित निविदा मंगाई जाएगी। निविदाकर्ता की दरों, क्षमता तथा उसकी कार्य निष्पादन की क्षमता के आधार पर ठेका दिया जाएगा।

(छ) अगरबत्ती, दलिया, पापड़, बासमती चावल, फैंसी मसाले/मिसाले आदि जैसे अन्य उत्पादों को थोक बिक्री की दरों पर विनिर्माता या उनके प्राधिकृत वितरक को आपूर्तिकर्ता के पैक में ख्याति प्राप्त उत्पाद की खरीद की जा सकती है। किसी भी नए उत्पाद को शुरू करने से पहले उसकी दरों और लोकप्रियता के संबंध में बाजार का सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसी बीच बाजार में इन उत्पादों के नमूने खरीदे जाएंगे और अनुमोदित प्रयोगशाला से उनका परीक्षण कराया जाएगा। इस प्रकार केवल उन्हीं उत्पादों को शुरू किया जाएगा जो बाजार में स्थापित हों और जिनकी गुणवत्ता स्वीकार्य हो।

(ज) जहां कहीं संस्थान, मासिक निविदा के आधार पर असई.एस.यू. द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में आहार से संबंधित वस्तुओं की खरीद नहीं करता है और उनके लिए भिन्न-भिन्न एजेंसियों से अलग से निविदा मांगी जाती है वहां केन्द्रीय भंडार, पंजीकृत और विगत के आपूर्तिकर्त्ताओं से कोटेशन प्राप्त कर निविदा में भाग ले सकता है। इसके लिए केन्द्रीय भंडार अधिकतम 30 प्रतिशत तक का मार्जिन रख सकता है जो निविदा की प्रतियोगिता, आदेश क्रे मूल्य पर निर्भर करेगा तथा मार्जिन कम किया जा सकता है ताकि केन्द्रीय भंडार को आदेश प्राप्त हो जाएं।

(झ) सामान्यतया आपूर्तिकर्ताओं को निम्नलिखित दिनों में भुगतान किया जाएगा :

(1) चावल, दाल आदि – 10 दिन

(2) मसाले – 30 दिन

(3) ब्रांडेड वस्तुए – केन्द्रीय भंडार और विनिर्माता या उनके प्राधिकृत वितरकों के बीच हुए समझौते के अनुसार।

3. राशन की वस्तुएं

सरकार द्वारा प्रयोजित एजेंसियों से सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर इनकी खरीद की जाती है। इन वस्तुओं की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने या बातचीत करने या खुले बाजार से इनकी खरीद का प्रश्न ही नहीं होता। अतः इनकी खरीद, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थानों से की जाती है।

4. उपभोक्ता वस्तुएं

उभोक्ता प्रभाग का संबंध प्रसाधन साबुन, डिटरजेंट, सौंदर्य और स्वास्थ्य आदि से संबंधित वस्तुओं से है जो ब्रांडेड हैं

और उनके लिए निविदा आमंत्रित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(i) ख्याति प्राप्त बहुराष्ट्रीय/राष्ट्रीय उत्पादों को या तो सीधे ही विनिर्माता से या उनके प्राधिकृत वितरक से उनकी थोक बिक्री की दरों पर खरीदा जाएगा।

(ii) तथापि एक्सरसाइज नोट बुकों, रजिस्टरों आदि को विज्ञापित निविदा के आधार पर खरीदा जाएगा।

(iii) किसी भी नए उत्पाद को शुरू करने से पहले उसकी दरों, बिक्री की संभाव्यता आदि के संबंध में बाजार का सर्वेक्षण कराया जाएगा।

(iv) गोदाम की आपूर्ति की स्थिति की विनिर्माता और उनके प्राधिकृत वितरकों के बीच आपस में हुए समझौते के अनुसार भुगतान की अवधि 7 दिन से 40 दिन तक होगी। वस्तुओं की सीधे ही आपूर्ति किए जाने की सूरत में सामान्यतया परेषण के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

5. लेखन सामग्री की वस्तुएं

निविदा

उन वस्तुओं की खरीद के लिए सामान्यता निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए जिनका प्रापण सामान्य विनिर्देशनों के अनुसार किया जाता है और जिनके लिए ब्रांड नाम की जरूरत नहीं है तथा आपूर्तिकर्त्ता से जिनके लिए बाजार का समर्थन न तो संभव है और न ही आवश्यक। उन वस्तुओं की सचित्र सूची परिशिष्ट–1 में दी गई है जिनकी समय–समय पर समीक्षा की जाएगी। पंजीकरण और कीमतों के अनुमोदन के लिए नियमित अंतरालों पर निविदा आमंत्रित किए जाएंगे तथा वे दो वर्ष की अधिकतम अवधि तक वैध रहेंगे जो बाजार की स्थिति पर दरों में संशोधन के अध्यधीन होगी।

(क) निविदा की प्रक्रिया, तकनीकी और वित्तीय नामक दो चरणों में की जाएगी। प्रत्येक निविदा के लिए तकनीकी और वित्तीय दोनों चरणों का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन करते समय फर्म की क्षमता और सक्षमता, बाजार में उसकी ख्याति और उसकी स्थिति, वित्तीय सुदृढ़ता, आदि सहित सभी तकनीकी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। निविदाकर्त्ताओं से तकनीकी और वाणिज्यिक निविदा (बोली) एक साथ जमा करने लिए कहा जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन के बाद छंटनी की जाएगी और छांटी गई फर्मों को अपनी वित्तीय बोलियो में अपनी दरों को, यदि कोई हो, कम करने का एक और अवसर दिया जाएगा। छांटी गई फर्मों से प्राप्त वित्तीय बोलियों को उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा और न्यूनतम निविदा (एल 1) को स्वीकार किया जाएगा। यदि यह पाया गया कि न्यूनतम निविदाकर्त्ता (एल 1) की पूरी मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है तो बाकी मात्रा की आपूर्ति करने के लिए (एल 2) को उसी कीमत और शर्तों तथा निबंधनों पर आपूर्ति करने के लिए कहा जाता है।

(ख) किसी वस्तु के मासिक उपभोग के आधार पर प्राप्त निविदा के उत्पादन को दर्शाया जाएगा। निविदाकर्ताओं से कहा जाएगा कि वे अपने प्रस्ताव के साथ लेखापरीक्षित तुलना पत्र प्रस्तुत करें।

(ग) यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि निविदा के सामने आपूर्ति की गई वस्तुओं पर किसी भी ब्रांड के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा और केन्द्रीय भंडार, अपने अधिकारों के अंदर, निविदा प्रणाली से बाहर, ब्रांडेड वस्तुएं प्राप्त करेगा।

6. ब्रांडेड उत्पाद

(क) ब्रांडेड उत्पादों को निविदा प्रणाली के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जाएगा। इन वस्तुओं के प्रापण के लिए केन्द्रीय भंडार बड़े पैमाने पर खरीदने के लिए लागू दरों पर सीधी आपूर्ति हेतु विनिर्माताओं से कहेगा। यदि वे लिखित में केन्द्रीय भंडार से ऐसा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हैं तो उसे उनके प्राधिकृत वितरकों से प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) जिन वस्तुओं की मासिक बिक्री 5 लाख रुपए तक है उनके लिए समान उत्पादों के अलग–अलग ब्रांडों के वास्ते अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की संख्या से पांच तक सीमित किया जाएगा। जिन वस्तुओं की बिक्री इस सीमा से अधिक है उनके आपूर्तिकर्ताओं की संख्या, उदाहरणार्थ फोटोकापियर पेपर और मशीन, कम्प्यूटर आदि को 10 तक सीमित किया जाएगा। यह संख्या फर्नीचर के आपूर्तिकर्ता की संख्या को छोड़कर है जिनकी संख्या इस समय 20 है और जिसे 15 तक करने का लक्ष्य है। पंजीकरण के समय नए आपूर्तिकर्ता सहित सभी आपूर्तिकर्ताओं को

बिक्री का एक लक्ष्य दिया जाएगा जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी (नए आपूर्तिकर्ताओं के लिए छः महीने में)।

(ग) फर्नीचर के लिए किसी नए विनिर्माता का पंजीकरण करने से पहले उनकी क्षमता का मूल्यांकन करने तथा उनकी श्रेणी का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों की एक टीम विनिर्माता की यूनिट का दौरा करेगी जो उनके आधारभूत ढांचे, प्लांट और उपकरणों, अनुभवों तथा ग्राहकों को उनके सामान की बिक्री के आधार पर जायजा लेगी।

(घ) ऐसी वस्तुओं की और विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के कागजों की एक बहुत बड़ी संख्या है जिनकी मांग का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इनमें मैपलिथो पेपर, आर्ट कार्ड, आर्ट पेपर आदि जैसे पेपर आते हैं जिनके लिए सामान्यतया स्टाक नहीं रखा जाता है, इसकी केन्द्रीय भंडार को आपूर्ति करने के लिए न तो विनिर्माता और न ही उनके प्राधिकृत वितरक इच्छुक होते हैं। उस सूरत में निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए जिसमें मिलों आदि के नाम बताए गए हों, इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से कहा जाए कि वे आपूर्ति आदि के स्रोत के बारे में बताएं और प्राधिकृत निविदाकर्ता से न्यूनतम दर का अनुमोदन किया जाए।

(ङ) आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण एक वर्ष के लिए वैध होगा और इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

(च) उस मामले को छोड़कर जिसमें केन्द्रीय भंडार, निविदा के विरुद्ध अपनी कोटेशन प्रस्तुत करता है जिसमें उसका मार्जिन, सामान्य मार्जिन का 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगा, केन्द्रीय भंडार, किसी उत्पाद को लाभ के निर्धारित मार्जिन पर बेचेगा जो 3 प्रतिशत वे 9 प्रतिशत तक होगा। कई वस्तुओं के सरकारी निविदाओं की कार्रवाई को सरल बनाने के उद्देश्य से जो आपूर्तिकर्ता 60 प्रतिशत से अधिक के मूल्य के आदेश के लिए केन्द्रीय भंडार में पंजीकृत है (निविदा में शामिल) उसे केन्द्रीय भंडार में अनुमोदित दरों से अनधिक दर यदि कोई हो, संपूर्ण आदेश निष्पादित करने की अनुमति दी जाएगी।

(छ) उत्कृष्ट उपकरण, फर्नीचर आदि बेचने के उद्देश्य से केन्द्रीय भंडार ने उन आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत का समझौता किया जो केन्द्रीय भंडार की ओर से अपने उत्पाद का विपणन करने के लिए अपेक्षित होंगे। चूंकि उत्कृष्ट वस्तुएं महंगी हैं इसलिए केन्द्रीय भंडार द्वारा इनकी वस्तु सूची नहीं रखी जाएगी।

(ज) कुछ ऐसी वस्तुएं हैं (उदाराणार्थ फोटोकापियर मशीनें) जिन पर अन्य राज्यों की तुलना मे स्थानीय बिक्री कर बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार किसी स्थान विशेष पर स्थित किसी विनिर्माता यूनिट को या तो बिक्री कर से पूरी तरह छूट दी गई है या उस पर बिक्री कर की कम दर लागू है। चूंकि केन्द्रीय भंडार का यह उद्देश्य है कि ग्राहकों को कम कीमत पर या बाजार में उपलब्ध सामान की दर पर सामान उपलब्ध कराया जाए। ग्राहकों को ऐसे उत्पादों की बिक्री, एजेंसी बिक्री के आधार पर की जाए। ऐसे लेन–देनों में आपूर्तिकर्ता अपने बिल सीधे ही ग्राहकों को देंगे। अलबत्ता, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता को चेक भेजने से पहले उसे, प्रविष्टि करने के लिए केन्द्रीय भंडार को भेजेंगे। केन्द्रीय भंडार ऐसे अंतरणों पर एजेंसी कमीशन प्राप्त करेगा।

नीति के अनुसार "एजेंसी बिक्री" को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और केवल आपवादिक मामलों में ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

7. अलग-अलग मामलों का अनुमोदन

(क) जब कभी विशेष फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की मांग की जाती है तो केन्द्रीय पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से सीमित निविदाएं आमंत्रित करेगा और कम से कम तीन निविदाओं में से न्यूनतम दर का अनुमोदन किया जाएगा।

8. लेखन सामग्री की वस्तुओं के भुगतान की शर्तें

(i) निविदा की वस्तुएं	–	40 दिन का उधार
(ii) ब्रांडेड वस्तुएं	–	केन्द्रीय भंडार और विनिर्माता या उनके प्राधिकृत वितरकों के बीच हुए पारस्परिक समझौते की शर्तों के अनुसार
(3) उत्कृष्ट उपकरण फर्नीचर आदि	–	ग्राहकों से राशि प्राप्त हो जाने के बाद।

9. टेंडरों के संबंध में कार्रवाई

(i) विज्ञापित टेंडरों के लिए टेंडर नोटिस तैयार करना

इस दृष्टि से कि भावी टेंडरदाताओं को केन्द्रीय भंडार द्वारा खरीदे जाने वाले सामान का स्पष्ट अंदाज हो सके, अपेक्षित मदों के संबंध में संक्षिप्त और स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।

(ii) टेंडर प्राप्त करने और खोलने का समय नीयत करना

टेंडर प्राप्त करने और खोलने की तारीख तथा समय टेंडर नोटिस और टेंडर इंक्वारी में दिया जाए। विज्ञापित टेंडरों के मामले में यह समय टेंडर नोटिस प्रकाशित होने की तारीख से 4 सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए तथा सीमित टेंडरों के मामले में यह समय दो सप्ताह से कम नहीं हो।

(iii) निवेदों को स्वीकार करने के लिए मान्य रखने के लिए अनुमत्य समय

सामान्यतः टेंडरदाताओं को अपने निवेद टेंडर खोले जाने की तारीख से एक माह की अवधि के लिए मान्य रखने के लिए कहा जाए। परन्तु कठिनाई से मिलने वाली मदों, जिनके लिए टेंडर के नमूनों का परीक्षण किया जाना है या इसी प्रकार के अन्य मामलों में, टेंडर मान्य रखने के लिए टेंडरदाताओं के लिए अधिक अवधि नियत करनी होगी।

साधारणतः मूल वैधता अवधि से आगे समय बढ़ाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। अपवादात्मक मामले में उस अवधि तक समय बढ़ाने के लिए कहा जाए जिसमें मांग के लिए आदेश दिए जाने की आशा हो।

(iv) टेंडर खोलने की तारीख को स्थगित करना

टेंडर खोलने की तारीख को आगे बढ़ाने के अनुरोध पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। किसी टेंडर को खोले जाने की तारीख स्थगित करने का निर्णय लिए जाने पर सभी संबंधित को आरंभ में निर्धारित तारीख से पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया जाए ताकि शिकायतें न हों।

(v) विज्ञापित टेंडरों की बिक्री

टेंडर सैट रोकड़ काउंटर पर प्रति सैट 200/- रुपए ले कर बेचे जाएं। विज्ञापित टेंडर नोटिस की एक प्रति उस मद के पंजीकृत/संभावित पूर्तिकर्ताओं को डाक-प्रमाणित से भेजी जाएगी। सभी मामलों में एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।

(vi) सीमित टेंडर इंक्वारी

इस प्रकार की इंक्वारी सभी पिछली/संभावित फर्मों को डाक प्रमाणित से भेजी जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस सूची को काली सूची में डाल दी गई/निलम्बित कर दी गई/रोक लगा दी गई फर्मों के नाम हटा कर तथा नए पूर्तिकर्ताओं और पिछले पूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल कर अद्यतन रखा जाए।

(vii) टेंडरों की प्राप्ति और अभिरक्षा तथा टेंडर खोलना

सभी टेंडर, टेंडर जमा करने के लिए रखे गए मुहरबंद टेंडर बॉक्स में जमा किए जाएं। टेंडर एक रजिस्टर में दर्ज किए जाएं जो कि इस कार्य के लिए रखा गया है। टेंडर खोलने की समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :

1. लेखा अधिकारी/सिस्टम एनेलिस्ट
2. क्रय और बिक्री एक्जीक्यूटिव

किसी अधिकारी के उपलब्ध न होने पर प्रभागीय प्रधान किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

(viii) टेंडर खोले जाना

टेंडर खोलने संबंधी समिति को यह सत्यापन कर लेना चाहिए कि टेंडर खोले जाने के समय उन्हीं फर्मों के केवल अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद हों, जिन्होंने वास्तव में टेंडर प्रस्तुत किए हैं। अधिकृत प्रतिनिधि या ऐसी फर्म, जिसने टेंडर प्ररतुत नहीं किया है, के प्रतिनिधि को मौजूद रहने की अनुमति न दी जाए। टेंडर देने वाली फर्मों से यह अनुरोध किया जाए कि वे अपने उस प्रतिनिधि के नाम और पते के बारे में सूचित कर दें जो उनकी ओर से टेंडर खोले जाने के समय मौजूद रहेगा।

टेंडर खोलने संबंधी समिति, प्राप्त हुए कोटेशनों का तुलनात्मक विवरण तत्काल तैयार करे, जिसमें उनकी मुख्य बातें दी जाएं। प्रत्येक टेंडर के पहले पृष्ठ पर गोले में क्रम संख्या दी जाए और आद्यक्षर किए जाएं। मूल्यों की अनुसूचि में प्रत्येक पृष्ठ पर और सुपुर्दगी अवधि पर गोला लगाया जाए तथा आद्यक्षर किए जाएं। खाली टेंडर रद्द कर दिया जाए जिस पर टेंडर खोलने संबंधी समिति के सदस्यों द्वारा आद्यक्षर किए जाएं और तारीख डाली जाए। यदि फर्म द्वारा टेंडर में लिखे हुए पर लिखा गया हो/शुद्धि की गई हो तो उस पर टेंडर खोलने वाले अधिकारी द्वारा आद्यक्षर किए जाएं। टेंडर खोलने का कार्य

शुरू हो जाने के बाद किसी भी कारण से टेंडरों में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ऐसे टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा जिसमें दिए गए मूल्य संदिग्ध हों।

(ix) देर से और विलंबित टेंडर

टेंडर खोलने के लिए निश्चित समय के बाद प्राप्त टेंडर या टेंडरों में आशोधनों को 'देर से' माना जाता है जबकि टेंडर खोने जाने के समय से पूर्व परन्तु टेंडर प्राप्ति की नियत तारीख और समय के पश्चात टेंडरों और टेंडरों के आशोधनों को "विलंबित" टेंडर माना जाता है। देर से/विलंबित टेंडरों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रश्न हो सकता है कि यदि टेंडर खुलने के बाद बातचीत करने का निर्णय लिया जाता है तो देर से/विलंबित टेंडर प्ररतुत करने वाली फर्म को क्या बातचीत के लिए बुलाया जाए। देर से/विलंबित टेंडरों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाए तथा उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाए। यह प्रश्न हो सकता है कि क्या ऐसी फर्म को बताचीत के लिए बुलाया जाए जिसने आरम्भ में अपने निवेद समय पर प्रस्तुत किया परन्तु टेंडर खुलने के बाद उसमें संशोधन किया।

टेंडर खुलने के बाद उसमें संशोधन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यदि बातचीत ऐसे ठोस कारणों से होनी है, जो किसी भी प्रकार से किसी विशेष फर्म के टेंडर खुलने के बाद संशोधन से संबंधित या प्रभावित नहीं है तो उस फर्म को भी यातचीत के लिए बुलाया जाए। यदि टेंडर खुलने के बाद संशोधन से उनके निवेद की रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तथा केन्द्रीय भंडार को लाभ है तो केवल तभी टेंडर खुलने के बाद संशोधन स्वीकार किया जा सकता है।

(x) तुलनात्मक विवरण तैयार करना

टेंडर खुल जाने के पश्चात तथा तैयार किए गए सार के आधार पर संबंधित पी. एण्ड एस.ई. तुलनात्मक विवरण तैयार करेगा जिसमें फर्म के निवेद से संबंधित आवश्यक ब्यौरा जैसे दरें, सुपुर्दगी, मात्रा, दी गई छूट तथा अन्य संगत जानकारी दी जाएगी। पी. एण्ड एस.ई. तुलनात्मक विवरण की यथातथ्यता के लिए उत्तरदायी होगा।

किसी विशेष प्रकार की मांग के लिए टेंडरदाताओं से प्राप्त कोटेशनों की जांच क्रय और बिक्री एक्जीक्यूटिव द्वारा सावधानी से की जानी चाहिए। तुलनात्मक विवरण की जांच फर्म से प्राप्त टेंडर से पूरी तरह की जाए ताकि गलती की संभावना न रहे।

(xi) दरों में संशोधन

दरों के निर्धारण/संशोधन पर विचार करते समय, क्रय समिति यह विचार करेगी कि क्या संशोधन निम्नलिखित के कारण आवश्यक है :

(क) कच्चे माल के मूल्य में आम वृद्धि;

(ख) सरकार द्वारा लेवी/करों की प्रमात्रा में वृद्धि तथा

(ग) कोई अन्य संगत कारक।

10. मदों की अधिप्राप्ति के लिए क्रय समिति निम्नलिखित अनुसार होगी :

(क) लेखन सामग्री के लिए क्रय समिति

1.	डी.जी.एम. (स्टेशनरी)/ए.जी.एम. (स्टेशनरी)	– अध्यक्ष
2.	सी.ए.ओ./ए.ओ.	– सदस्य
3.	पी. एण्ड एस.ई (स्टेशनरी)	– सदस्य–सचिव
4.	अधीक्षक (स्टेशनरी गोदाम)	– सदस्य
5.	वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक/ स्टेशनरी काउंटर प्रभारी	– सदस्य

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं के लिए क्रय समिति

1.	ए.जी.एम.(सी)	– अध्यक्ष
2.	सी.ए.ओ./ए.ओ.	– सदस्य
3.	पी. एण्ड एस.ई.(सी)	– सदस्य–सचिव
4.	अधीक्षक, उपभोक्ता वस्तुओं का गोदाम	– सदस्य

(ग) किराना-सामान के लिए क्रय समिति

1.	ए.जी.एम.(जी)	– अध्यक्ष
2.	सी.ए.ओ./ए.ओ.	– सदस्य
3.	पी. एण्ड एस.ई. (जी)	– सदस्य–सचिव
4.	अधीक्षक, किराना सामान का गोदाम, महादेव रोड	– सदस्य

5. अधीक्षक, किराना सामान का गोदाम, पुष्प भवन – सदस्य

6. प्रभारी, मसाला यूनिट – सदस्य (केवल मसाले खरीदने के लिए)

अध्यक्ष/महाप्रबंधक आवश्यकतानुसार किसी अधिकारी को सहयोजित कर सकते हैं या क्रय समिति का पुनर्गठन कर सकते हैं।

11. गुणवत्ता नियन्त्रण

(क) पूर्ववर्ती परीक्षण

टेंडरों के द्वारा खरीदी गई दालों, चावल और मसालों का, बिक्री के लिए दिए जाने से पहले पूर्ववर्ती परीक्षण किया जाए। गुणता नियन्त्रण प्रभाग द्वारा थोक सप्लाई में से कहीं भी नमूने लिए जाएं तथा प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाएं। परीक्षण रिपोर्ट विनिर्देश के अनुसार प्राप्त होने पर, गोदाम बिक्री के लिए सामान जारी करेंगे।

(ख) आखर्ती परीक्षण

गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग संघ सेवा भंडार से कुछ भी सामान उठाकर प्रयोगशाला में उसके सैम्पल का परीक्षण करवा सकता है यदि सामान खरीद विनिर्देशन पर खरा नहीं उतरता है तो उसे लॉट/बैच की बिक्री को रोककर उसे बदलने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अचानक उत्तरवर्ती परीक्षण स्टेशनरी की वस्तुओं पर भी लागू होगा। केन्द्रीय भंडार में लाए जाने से पहले हर खाद्य वस्तु का परीक्षण किया जाना चाहिए।

(ग) स्टेशनरी की मदें

यथासंभव सीमा तक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मदों को संबंधित अधीक्षक (गोदाम)/प्रबंधक द्वारा स्वीकृत किए जाने के समय मूल विनिर्माता/मिल पैकिंग में ही प्राप्त किया जाना चाहिए। सामान की गुणवत्ता का अनुमोदित सैम्पल और अन्य मापदंडों के अनुसार परीक्षण किया जाना चाहिए जैसे कि भार, आकार, पैकिंग लेवल आदि। एक नियमित अंतराल पर सैंपलों को लेकर उन्हें प्रयोगशाला में भेजा जाए। केन्द्रीय भंडार को नकली सामान की आपूर्ति का न होना सुनिश्चित करने के लिए उस सामान के कुछ सैंपल उसकी अधिकारिता प्रमाणित करने के लिए उसके मूल विनिर्माता के पास भेजे जाने चाहिए।

12. क्षतिपूर्ति

(क) आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति के मद्दे केन्द्रीय भंडार और इसके ग्राहकों पर लागू शर्तें उन पर भी लागू होंगी।

(ख) यदि केन्द्रीय भंडार या किसी संवैधानिक प्राधिकरण का कोई ग्राहक किसी कारण से आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए किसी उत्पाद के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करता है तो वह उस पर लागू होगी और उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय भंडार एवं उसके कर्मचारियों की होगी।

(ग) खाद्य वस्तुओं के लिए आपूर्तिकर्ता को पी.एफ.ए. में उल्लिखित के अनुसार वारंटी प्रमाणपत्र के साथ अपना बिल प्रस्तुत करना चाहिए।

13. शक्तियों का प्रत्यायोजन

खरीदने की वित्तीय शक्तियां निम्नलिखित होंगी :

(क) यदि आपूर्तियों को विनिर्माताओं या उनके अधिकृत वितरकों से प्राप्त करने/खरीदने का प्रस्ताव हो तो खरीद समिति विनिर्माता/वितरक तथा प्राप्त दरों को चिह्नित करेगी।

(ख) दालों, अन्य खाद्यान्नों, मसालों आदि जैसी वस्तुओं के मामले में खरीद समिति को राज्य सहकारी विपणन परिसंघ और पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से अपनी जरूरत की वस्तुएं प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

(ग) महाप्रबंधक किसी भी समय 20 लाख रुपए मूल्य के सामान को खरीदने की स्वीकृति दे सकता है और यदि सामान 20 लाख रुपए से अधिक का है तो अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त की जाए।

(घ) नए आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण और नई मद का समावेश केवल अध्यक्ष के अनुमोदन से ही किया जाए।

(ङ) महाप्रबंधक विद्यमान उत्पादक मूल्य में संशोधन की स्वीकृति दे सकता है या उत्पाद के आधार पर संभागीय शीर्ष अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। वह संभागीय शीर्ष अधिकारियों को एक लाख रुपए तक की खरीद के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(च) महाप्रबंधक एक लाख रुपए तक मूल्य के क्षतिग्रस्त सामान को बट्टे खाते में डाल सकता है और इससे अधिक मूल्य के सामान के लिए ऐसा करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

क्र.सं.	टेंडर मदों की सूची
1.	अभ्यास पुस्तिका
2.	नोटशीट पैड
3.	फाइल कवर
4.	फाइल बोर्ड, फ्लैप, इंडैक्स फाइल, डाक पैड
5.	रूल रजिस्टर
6.	डायरी
7.	फैक्स रोल, अमोनिया पेपर
8.	विभिन्न प्रकार के पेपर
9.	लिफाफे
10.	श्रुतलेखन नोट बुक/स्लिप पैड
	स्टेशनरी काउंटर-II
11.	टेबल ग्लास
12.	टैग, थ्रड बाल, पेपर वेट.
13.	टाट, सुतली, रबर बैंड, ऐस्ट्रे, ड्राइंग पिन, हैमर
14.	तौलिया
	स्टेशनरी काउंटर-IV
15	ब्रश, झाडू, एम.ओ.पी. आदि
16.	ब्लीचिंग पाउडर, जेमेक्साइन, सोडा ऐश
17.	डस्टर

कार्यकारिणी समिति की 21 अक्तूबर, 2000 को हुई बैठक के उद्धरण

कार्य सूची की मद संख्या 3 — **खरीद नीति के संबंध में निर्वाचित निदेशकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार**

खरीद नीति के संबंध में निर्वाचित निदेशकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गए

(क) यदि खरीद नीति के निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों से हटकर वस्तुओं की खरीद की जानी हो तो उसके लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। तथापि, ऐसे मामलों को कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जाना चाहिए।

(ख) यह भी निर्णय किया गया कि यदि टेंडर में दिए गए आर्डर के मूल्य की 60 प्रतिशत सप्लाई पंजीकृत सप्लायरों के जरिए की जानी हो तो उसी सप्लायर को शेष वस्तुओं की भी सप्लाई करने दी जानी चाहिए चाहे वह सप्लायर शेष वस्तुओं की सप्लाई के लिए केन्द्रीय भंडार के पास पंजीकृत न भी हो लेकिन यह सप्लाई केन्द्रीय भण्डार में अनुमोदित रेट से अधिक रेट पर नहीं होनी चाहिए।

(ग) यह निर्णय किया गया कि नई वस्तुएं जो केन्द्रीय भंडार की अनुमोदित सूची में न हों अध्यक्ष के अनुमोदन से शामिल कर ली जाएंगी और बाद में उन्हें कार्यकारिणी समिति की जानकारी के लिए उसके समक्ष लाया जाएगा।

(घ) यह निर्णय किया गया कि क्षतिग्रस्त वस्तुओं को बट्टे खाते डाल दिया जाए जैसा कि खरीद नीति में शक्तियों के प्रत्यायोजन में परिभाषित किया गया है। तथापि, ऐसे मामले कार्यकारिणी की जानकारी के लिए उसके सामने लाए जाएं। श्री एम.डी. पाण्डेय का यह विचार था कि स्टोर में क्षतिग्रस्त वस्तुओं का पता लगाया जाए और उन वस्तुओं के बट्टे खाते डालने के लिए विचार करने हेतु एक समिति बनाई जाए। उस पर सहमति व्यक्त की गई और अध्यक्ष के निर्देशों के तहत एक समिति बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया।

(ङ) यह निर्णय किया गया कि यदि 20 लाख रुपए से अधिक की कोई वस्तु स्थापित निर्माता अथवा उनके अधिकृत एजेन्टों से इतर किसी अन्य स्रोत से खरीद करनी हो तो उसके लिए अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जाए और इसे कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जाए।

28.09.2001 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक के कार्यवृत्त से उद्धरण

कार्यसूची की मद संख्या-3 खरीद-नीति में संशोधन

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत, खरीद–नीति में प्रस्तावित संशोधन इस टिप्पणी सहित अनुमोदित कर दिया गया कि जब निविदा से संबद्ध प्रक्रिया आरंभ की जाए तो यह सुनिश्चित किया जाए कि वस्तुओं की आपूर्ति और उनकी बिक्री में हरज नहीं हो। खरीद–नीति का मौजूदा पैरा 6 अब निम्नानुसार पढ़ा जाए

"ब्रैंडेड वस्तुएं, निर्माताओं से, कंपनी अथवा कंपनी की सीधी बिक्री–प्रणाली नहीं होने की स्थिति में थोक वितरकों से सीधे बातचीत करके मंगवाई जाएं। फिर भी, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और वस्तुएं, यथेष्ट और न्यून्तम कीमत पर खरीदने की दृष्टि से, वे ही/सदृश उत्पाद मंगवाने हेतु केन्द्रीय भंडार, पंजीकृत/विख्यात आपूर्तिकर्ताओं से सीमित निविदाएं आमंत्रित करने का अथवा खुली निविदाएं भी आमंत्रित करने का आश्रय ले।"

बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

3467. श्री अरूण कुमार : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने अक्तूबर, 2002 में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की मंजूरी/स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन-नीति

3468. श्री राजैया मल्याला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सरकार की वर्तमान पेंशन–नीति का ब्यौरा क्या है?

लघु **उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)** : इस समय, केन्द्रीय सरकार की, अपने दायरे के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों और कर्मचारी–पेंशन–योजना, 1995 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में एक पेंशन–नीति है। उपर्युक्त योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शाई जा रही हैं।

उपर्युक्त के अलावा, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के संबंध में भी एक पेंशन–योजना सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा कर्मचारी–पेंशन–योजना, 1995 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में मौजूदा पेंशन–योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दर्शाई जा रही हैं :

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन-योजना

मौजूदा पेंशन–योजना, सुनिश्चित लाभ से युक्त प्रसुविधा की एक ऐसी योजना है जिसके लिए कर्मचारियों को कोई अंशदान नहीं करना होता तथा पेंशन से संबद्ध देयता का निर्वाह, भारत की संचित निधि से किया जाता है। सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रसुविधाओं के मौजूदा पैकेज में निम्नलिखित प्रसुविधाएं शामिल हैं :

- सेवा के अंतिम 10 माह की औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन।
- 10 वर्ष की सेवा के उपरांत अधिवर्षिता–पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सिवाय, पेंशन की पात्रता की दृष्टि से न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा की जानी अपेक्षित है।
- पेंशन का संराशीकरण--01.01.96 से सेवानिवृत्त होने वाला कोई सरकारी कर्मचारी, अपनी पेंशन की 40 प्रतिशत धनराशि संराशीकृत करवा सकता है। पेंशन का यह संराशीकृत भाग, संराशीकृत धनराशि के भुगतान की तारीख से 15 वर्ष के उपरांत बहाल कर दिया जाता है।
- मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति–उपदान–अधिकतम 3.5 लाख रुपए तक का मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति–उपदान, की गई अर्हक सेवा के आधार पर परिलब्धियों के 16–1/2 गुणे की दर पर देय होता है। इस प्रयोजन से परिलब्धियों में मूल वेतन और महंगाई–भत्ता शामिल होता है।

कर्मचारी-पेंशन-योजना, 1995 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में पेंशन-योजना

सदस्यों को :

- अधिवर्षिता की आयु के हो जाने पर/सेवानिवृत्त हो जाने और स्थाई तौर पर पूर्णतः निःशक्त हो जाने पर जीवन–पर्यन्त पेंशन;
- विकल्प सूत्रों के आधार पर, पूंजी–प्रति लाभ (निकाय–संवर्धन) की सुविधा;
- पेंशन की धनराशि के 1/3 भाग तक, पेंशन का संराशीकरण।

सदस्य के दिवंगत हो जाने पर परिवार के सदस्यों को :

- विधुर/विधवा को जीवन–पर्यन्त अथवा जब तक वह पुनः विवाह नहीं कर ले तब तक पेंशन;
- विधुर/विधवा–पेंशन/25 वर्ष की आयु के हो जाने तक दो अनाथ बच्चों को पेंशन के साथ–साथ, दो बच्चों को उनके 25 वर्ष के हो जाने तक पेंशन;
- परिवार में बच्चों की आयु और उनकी संख्या पर ध्यान दिए बिना पूर्ण और स्थाई तौर से निःशक्त बच्चे/अनाथ, जैसी भी स्थिति हो, बच्चा–पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे;
- अविवाहित अथवा अपने परिवार में पेंशन प्राप्त करने का कोई भी पात्र सदस्य नहीं छोड़ गए किसी सदस्य के दिवंगत हो जाने की स्थिति में, उसके नामिती को पेंशन के भुगतान की सुविधा; और
- सदस्य के दिवंगत हो जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपने परिवार में पेंशन प्राप्त करने का कोई पात्र सदस्य पीछे नहीं छोड़ जाने पर और न ही उसके द्वारा भरा गया कोई नामांकन मौजूद होने पर आश्रित पिता/माता को पेंशन के भुगतान की सुविधा।

[हिन्दी]

बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा

3469. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किए जाने के लिए अगस्त, 2002 में प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को एनडीसी के समक्ष इसकी अगली बैठक में विचारार्थ रखे जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार की बिक्री

3470. श्री रामजी मांझी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान स्टेशनरी डिवीजन तथा उपभोक्ता/पड़चूनी के जरिए हुई बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय भंडार 9 प्रतिशत लाभ का मार्जिन प्रभारित कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके द्वारा वसूले गए लाभ का मदवार मार्जिन कितना है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में कुल और निवल आय कितनी थी;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार अधिकांशतया सामान, उत्पादकों की बजाय पुनः विक्रेताओं से खरीद रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सारा सामान उत्पादकों से खरीदने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) इस बारे में जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग 200 और 201

3471. श्री परसुराम माझी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं राष्ट्रीय राजमार्ग 200 और राष्ट्रीय राजमार्ग 201 के पूर्ण होने के लिए कोई समय सीमा तय की है;

(ख) यदि हां, तो कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए जारी की गई धनराशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनका समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां। सड़क गुणता में सुधार और नवीकरण कार्य मार्च, 2004 तक पूरा करना तय किया गया है।

(ख) और (ग) इन दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वीकृत कार्यों के ब्यौरे और मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सितम्बर, 2002 तक इन दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर 842.34 लाख रु. व्यय किए गए हैं।

(घ) परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से मानिटरिंग और प्रायः निरीक्षण किए जाते हैं।

विवरण

धनराशि (लाख रु.)

क्र.सं.	रा.रा.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	वर्तमान प्रगति (प्रतिशत में)	30.9.2002 तक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	201	240 से 256 किमी में आई आर क्यू पी और चौड़ीकरण	420.89	पूर्ण हो चुका है।	420.89
2.	200	42 से 54 किमी में आई आर क्यू पी	173.46	पूर्ण हो चुका है।	111.21
3.	200	405 से 413 किमी में आई आर क्यू पी	155.88	पूर्ण हो चुका है।	128.38
4.	200	413 से 428 किमी में आई आर क्यू पी	298.26	पूर्ण हो चुका है।	162.99
5.	201	143 से 147 किमी और 177 से 185 किमी में आई आर क्यू पी	189.46	कार्य शुरू हो चुका है।	–
6.	201	पुलियों का निर्माण	72.08	30 प्रतिशत	18.41
7.	201	257 से 270 किमी में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	763.28	निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	0.46
8.	200	389.5 किमी से 405.00 किमी में आई आर क्यू पी	28.28	निविदा की कार्रवाई की जा रही है।	–
9.	200	66 से 72 किमी में आई आर क्यू पी	99.23	हाल ही में स्वीकृति दी गई है।	–
10.	201	300 से 313 किमी में आई आर क्यू पी	250.46	हाल ही में स्वीकृति दी गई है।	–

1	2	3	4	5	6
11.	200	294 से 300 किमी तक 309 से 319 किमी में आई आर क्यू पी	187.75	हाल ही में स्वीकृति दी गई है।	–
12.	201	1 से 3 और 6 से 19 किमी में आई आर क्यू पी	276.72	हाल ही में स्वीकृति दी गई है।	--
13.	200	219 से 227 किमी और 232 से 240 किमी में आई आर क्यू पी	83.30	हाल ही में स्वीकृति दी गई है।	–
14.	200	0 से 6, 10 से 15, 17 से 20 और 30 से 34 किमी में आई आर क्यू पी	161.95	हाल ही में स्वीकृति दी गई है।	–
15.	201	हाटी पुल से एस एंड आई	8.9	हाल ही में स्वीकृति दी गई है।	–
16.	200	342 से 352 किमी और 378 से 389.5 किमी में आई आर क्यू पी	364.10	हाल ही में स्वीकृति दी गई है।	–
17.	201	72 से 80, 116 से 134, 147 से 152 किमी में आई क्यू पी	422.88	हाल ही में स्वीकृति दी गई है।	–

गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

3472. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कराने वाले मेडिकल कालेजों/संस्थाओं के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक कालेज में गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 10(क) के अधीन डी.एम. (जठरांत्र रोग विज्ञान) पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्राप्त और अनुमत कालेजों/संस्थानों के राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इन संस्थाओं में से ज्यादातर ने 1993 में भारतीय चिकित्सा परिषद में संशोधन से पूर्व यह पाठ्यक्रम शुरू किया था और इसलिए इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी, 1993 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन के पश्चात् निम्नलिखित मेडिकल कालेजों को यह पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है :

1. एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर–2 सीट
2. किलपौक मेडिकल कालेज, चेन्नई–2 सीट
3. आन्ध्र मेडिकल कालेज, विशाखापटनम–1 सीट

विवरण

आंध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश मेडिकल कालेज, विशाखापटनम

चंडीगढ़

2. पोस्ट–ग्रेजुएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च चंडीगढ़।

दिल्ली

3. जी. बी. पन्त हॉस्पीटल, नई दिल्ली।
4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

केरल

5. मेडिकल कालेज, तिरुवनन्तपुरम।

राजस्थान

6. एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर।

तमिलनाडु

7. किलपौक मेडिकल कालेज, चेन्नई।

8. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लौर।

9. चेन्नई मेडिकल कालेज, चेन्नई।

10. स्टैनले मेडिकल कालेज, चेन्नई।

उत्तर प्रदेश

11. संजय गांधी पोस्ट–ग्रेजुएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ।

पत्तनों को लाभ/घाटा

3473. श्री सुनील खां : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाले/घाटे में चलने वाले पत्तनों के नाम क्या हैं;

(ख) कितनी हानि/लाभ हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान घाटा कम करने/लाभ बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 द्वारा शासित महापत्तनों द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्जित किया गया/उठाया गया पत्तन–वार निवल अधिशेष/घाटा नीचे दर्शाया गया है :

निवल अधिशेष/घाटा (करोड़ रु. में)

महापत्तन का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4
मुरगांव	23.44	22.20	7.72
जवाहरलाल नेहरू	133.05	101.21	112.97
कांडला	214.92	170.65	192.40
कोचीन	2.71	(–)33.76	(–)35.02
नव मंगलूर	55.72	42.89	49.69
मुम्बई	83.41	(–)367.35	(–)159.50
विशाखापत्तनम	29.01	19.46	42.83
पारादीप	46.70	72.88	32.85
तूतीकोरिन	36.89	37.38	40.49
चेन्नई	145.26	37.60	213.55
कोलकाता	43.64	(–)7.53	120.37

(ग) पत्तनों के कार्यचालन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। पत्तनों की वित्तीय स्थिति की समय–समय पर समीक्षा की गई है और पत्तनों को अपनी आय बढ़ाने तथा लागत कम करके व्यय संबंधी किफायत बरतने की उचित सलाह दी गई। विभिन्न पत्तनों द्वारा उठाए गए कदमों में अधिक कार्गो आकर्षित करने के लिए सुविधाओं का सृजन करना और प्रोत्साहन देना, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सरल व कारगर बनाना, गहन निगरानी के जरिए कार्गो हैंडलिंग की कार्य–कुशलता तथा उत्पादकता में सुधार लाना, सेवानिवृत्ति आयु को पुनः कम करके, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के जरिए और भर्ती पर रोक लगाकर जनशक्ति घटाना शामिल हैं।

फ्लूगरासिट्म औषधि को बाजार से हटाया जाना

3474. डा. बलिराम :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.सी.जी.आई. द्वारा मैसर्स निकोलस कंपनी की औषधि फ्लूगरसिट्म के संबंध में डा. रेड्डी लेबोरेट्रीज की तुलना में पक्षपात किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि डा. रेड्डी लोबोरेट्रीज को बाजार से उनकी औषधि को हटा लेने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिनांक 28.6.2001 को डा. रेड्डीज प्रयोगशाला, हैदराबाद को आर.एच.यु.–जी.सी.एस.एफ. इंजेक्शन बनाने तथा इसका विपणन करने की अनुमति दी गई थी। पैकेज के भीतर आर.एच.यु–जी.सी.एस.एफ./फिलग्रास्टिम के लिए डा. रेड्डीज प्रयोगशाला द्वारा दिए गए हवाले का निकोलस पिरामल द्वारा विरोध किया गया क्योंकि वास्तविक साहित्यिक हवाले का संबंध न्यूपोजेन (फिलग्रास्टिम) से है। डा. रेड्डीज प्रयोगशाला को ऐसे हवालों को हटा लेने का अनुदेश दिया गया। इस समय इस मामले की जांच महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जा रही है क्योंकि मैसर्स, निकोलस पिरामल इण्डिया ने डा. रेड्डीज प्रयोगशालाओं द्वारा आई.एन.एन. नाम के फिलग्रास्टिम के प्रयोग का विरोध किया था।

डा. रेड्डीज प्रयोगशालाओं को बाजार से अपनी औषध को हटाने के लिए नहीं कहा गया है।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुरु जल संयंत्र का हस्तांतरण

3475. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में थाल नामक स्थान पर गुरु जल संयंत्र स्थापित किया गया है जो राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अमोनिया संयंत्र के साथ स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे आर.सी.एफ. को हस्तांतरित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

नेत्र विशेषज्ञों की कमी

3476. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देश में नेत्र विशेषज्ञों की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नेत्र विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए नेत्र विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्रति एक लाख जनसंख्या पर एक नेत्र शल्य–चिकित्सक के अनुपात के साथ देश में 11,000 से अधिक योग्य नेत्र–शल्य–चिकित्सक हैं। देश के विभिन्न चिकित्सा कालेजों में एम.एस. तथा डी.ओ.एम.एस. पाठ्यक्रम के अलावा, नेत्र विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम देश की विभिन्न मान्यताप्राप्त संस्थाओं में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

[अनुवाद]

डी.सी.जी.आई. की नियुक्ति

3477. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान डी.सी.जी.आई. अभी भी अस्थाई आधार पर अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सकरार द्वारा नियमित डी.जी.सी.आई. की नियुक्ति कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारत के औषधि–महानियंत्रक के पद का दर्जा बढ़ाया गया था। इस पद के लिए भर्ती नियमों को संशोधन पूरा होने के पश्चात, बढ़े हुए दर्जे वाले पद को नियमित आधार पर भरा जाएगा। इसके लंबित रहने तक, भारत के औषधि महानियंत्रक के पद का कार्यपदक्रम में वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा वर्तमान कार्यभार आधार पर किया जा रहा है।

पोतों को प्राप्त करना

3478. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने हाल ही में और पोत प्राप्त करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त किए जाने वाले जोतों की कुल लागत कितनी है; और

(ग) भारतीय नौवहन निगम के चल रहे विनिवेश प्रस्ताव के मद्देनजर इन्हें प्राप्त करने का क्या औचित्य है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, हां। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एस सी आई) ने दो अत्यधिक विशाल क्रूड कैरियरों (वी एल सी सी) के अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है।

(ख) सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एस सी आई) ने 70 मिलियन डालर प्रति जलयान के सांकेतिक मूल्य की परिकल्पना की है जिसका अर्थ यह है कि इस कार्य में लगभग 679 करोड़ रु. का कुल निवेश होगा।

(ग) इन जलयानों का अधिग्रहण कार्य दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान एस सी आई की अधिग्रहण योजना का एक हिस्सा है जिसके परिव्यय को अनुमोदन योजना आयोग द्वारा कर दिया गया है। इस समय भारतीय बेड़े में कोई वी.एल.सी.सी. नहीं है और भारत की तेल कंपनियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वी एल सी सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से किराए पर लेने पड़ते हैं। एस सी आई ने इस अधिग्रहण की योजना भारतीय व्यापार के लिए भारतीय ध्वज वाले जलयानों की पेशकश करने के उद्देश्य से बनाई है और एस सी आई को आशा है कि इस अधिग्रहण से एस सी आई में फिलहाल चल रही विनिवेश की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। दूसरी ओर इन जलयानों का क्रयादेश देने से कंपनी की आर्डर बुक स्थिति सुधरेगी जिससे एस सी आई का बेहतर मूल्यांकन हो सकेगा।

केन्द्रीय भंडार में उच्च दरें

3479. श्री अमर राय प्रधान :
श्री शीश राम सिंह रवि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार के कर्मचारी खुले बाजार में वस्तुओं की दरों तथा उन दरों जिन पर आपूर्तिकर्त्ता केन्द्रीय भंडार प्रबंधन को इन वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं के बारे में सर्वेक्षण नहीं कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार प्रबधन को रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय भंडार द्वारा अन्य सहकारी भंडारों की तुलना में उच्च दरों पर विभिन्न वस्तुओं को बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो 1.1.2002 और 31.11.2002 की अवधि के दौरान केन्द्रीय भंडार प्रबंधन को एसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रबंधन ने शिकायतकर्ताओं को पावती भेजने की शिष्टता का भी पालन नहीं किया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार, वस्तुओं की बाजार में चल रही कीमतों की, आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा बताई गई कीमतों से तुलना करने और वस्तुओं की बिक्री की कीमत निश्चित करने की दृष्टि से, उनकी समय-समय पर जांच करता है।

(ग) से (च) कभी-कभी उपभोक्ताओं और आवासी-कल्याण-संघों से ऐसी शिकायतें मिलती हैं। जब कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तब उनकी जांच-पड़ताल करके उन पर यथोचित कार्रवाई करने के प्रयत्न किए जाते हैं। फिर भी, ऐसी शिकायतों का कोई भी व्यवस्थित अभिलेख (रिकॉर्ड) नहीं रखा जाता।

उड़ीसा में स्टेडियम

3480. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सराकर ने खेल के मैदानों तथा स्टेडियमों के विकास हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1999–2000 से 2001–2002 तक खेल, अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, उड़ीसा सरकार से खेल मैदानों के विकास और स्टेडियमों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का जिला–वार ब्यौरा/तत्संबंधी स्थिति संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावों का ब्यौरा	स्थिति
1	2	3
		जिला कटक
1.	खूंटाकाता हाई स्कूल, अथागढ़ में खेल मैदान	31.1.2002 को 1.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित
2.	खूंटाकाता हाई स्कूल, ब्रम्बा में खेल मैदान	31.1.2002 को 1.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित
3.	गदाधर हाई स्कूल, तिगरीड में खेल मैदान	31.1.2002 को 1.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित
		जिला धेनकनाल
4.	गवर्नमेंट हाई स्कूल, बोंसा पोखरी में खेल मैदान	30.7.2001 और 18.10.2001 को कमियां बताई गईं।
5.	परिकुल हाई स्कूल, धेनकलाल में खेल मैदान	30.7.2001 और 26.9.2001 को कमियां बताई गईं।
6.	माथाकारगोला हाई स्कूल, कामाख्यानगर में खेल मैदान	दिनांक 7.8.2001 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत अहाते की दीवार के लिए सहायता स्वीकार्य नहीं है।
7.	गुनादेव हाई स्कूल, में खेल मैदान, गुनादेवी	दिनांक 27.12.2001 को योजना के मानदंडों के अनुसार प्रस्तावों को दुबारा तैयार करने की सलाह दी गई।
		जिला भद्रक
8.	नेहरू स्टेडियम, भद्रक में स्टेडियम और बास्केटबाल कोर्ट	22.3.2002 को 17.841 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित
		जिला भुवनेश्वर
9.	शहीदनगर, भुवनेश्वर में इंडोर स्टेडियम	दिनांक 5.9.2002 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत गैलरियों के लिए सहायता स्वीकार्य नहीं है।
10.	अथनाल्लिक, अंगुल, भुवनेश्वर में स्टेडियम	दिनांक 31.10.2001 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत अहाते की दीवार के लिए सहायता स्वीकार्य नहीं है।
		जिला बहरामपुर
11.	बहरामपुर में खेल परिसर	दिनांक 5.9.2002 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत गैलरियों के लिए सहायता स्वीकार्य नहीं है।

1	2	3
		जिला बोलनगीर
12.	पतुआगढ़, बोलनगीर में खेल परिसर	दिनांक 22.5.2002 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन खेल परिसर के लिए पात्र नहीं है।
		जिला बालासोर
13.	बालासोर में इंडोर स्टेडियम	दिनांक 11.8.2000 को योजना के मानदंडों के अनुसार प्रस्तावों को दुबारा तैयार करने की सलाह दी गई।
		जिला देवगढ़
14.	कंधाल हाई स्कूल, कंधाल में खेल मैदान	दिनांक 27.11.2001 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत, निजी स्कूल अनुदान के लिए पात्र नहीं है।
		जिला सुंदरगढ़
15.	पंचायत हाई स्कूल, बरगासन में एथलेटिक ट्रैक	दिनांक 19.4.2002 को अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी थी।
		जिला खुर्दा
16.	बालगढ़ में स्टेडियम	दिनांक 29.8.2000 को योजना के मानदंडों के अनुसार प्रस्तावों को दुबारा तैयार करने की सलाह दी गई।
17.	एम.बी. विद्यापीठ, चांढका में खेल मैदान	31.1.2002 को 1.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित
18.	कालूपाडा घाटा गर्ल्स स्कूल, खुर्दा में खेल मैदान	31.10.2001 को 1.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित
		जिला क्योंझर
19.	टिप-टॉप हाई स्कूल, भीमपुर, उखाण्डा में खेल मैदान	31.3.2002 को 1.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित
		जिला केन्द्रपारा
20.	आर.एन. हाई स्कूल, राज कनिका में खेल मैदान	दिनांक 24.7.2001 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत अहाते की दीवार, के लिए सहायता स्वीकार्य नहीं है।
21.	पतकुरा हाई स्कूल, पतकुरा में खेल मैदान	दिनांक 7.8.2001 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि अहाते की दीवार, के लिए सहायता स्वीकार्य नहीं है।
		जिला नयागढ़
22.	एस.पी. विद्यापीठ, गोदीपाड़ा में खेल मैदान	8.8.2001 को कमियां बताई गईं।
23.	जगन्नाथ प्रसाद हाई स्कूल, भोपुर में खेल मैदान	11.12.2001 को कमियां सूचित की गईं।

1	2	3
		जिला गंजम
24.	छतरपुर में स्टेडियम	दिनांक 10.7.2001 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत गैलरी के निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान नहीं है।
		जिला मयूरभंज
25.	बापू जी हाई स्कूल, मयूरभंज में खेल मैदान	दिनांक 14.9.2000 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल अनुदान के पात्र नहीं है।
		जिला पुरी
26.	जगाभास व्यावसायिक हाई स्कूल, टिटीपा में खेल मैदान	दिनांक 12.9.2000 को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि योजना के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल अनुदान के पात्र नहीं है।

भ्रष्टाचार

3481. श्री रामजी मांझी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 22 नवम्बर, 2002 को अमरीकी ट्रेजरी–सेक्रेटरी ने देश की अपनी यात्रा के दौरान यह टिप्पणी की थी कि "भारत विश्व आर्थिक मंच के नवीनतम वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैकिंग में ऊपर आ सकता है" यदि व्यापक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी न हो;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कुछ उपाय करने का है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार को, भ्रष्टाचार–अवबोध–सूची में भारत की रैंकिंग से संबंधित ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट की जानकारी है। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता और अपने काम–काज में यथासम्भव पारदर्शिता लाना सुनिश्चित करने के प्रति सरकार पूरी तरह जागरूक है।

(ग) संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन की योजनाओं और उसकी क्रियाविधियों के बारे में जनता को जानकारी मुहैया करवाने और उसकी मदद करने की दृष्टि से, सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में 90 सूचना–सुविधा–काउंटर स्थापित करने जैसे कई उपाय किए हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों अथवा संगठनों की, निर्धारित विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर विशेष सेवाएं सुलभ करवाने के प्रति प्रतिबद्धता उजागर करने की दृष्टि से केन्द्र–सरकार के 71 संगठनों में नागरिक चार्टर भी हैं। कुछ मंत्रालयों/विभागों ने ई–शासन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, अपनी–अपनी वेबसाइट विकसित की है। सरकार और सार्वजनिक निकायों के काम–काज के संचालन में और ज्यादा पारदर्शिता तथा खुलापन लाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सूचना का स्वातंत्र्य–विधेयक, 2000 भी संसद में प्रस्तुत किया गया है।

औषधियों पर प्रतिबन्ध

3482. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवम्बर, 2002 के "दि हिन्दू" में "बैन्ड ड्रग्स नॉट फुलि बैन्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विश्व की बारह प्रतिबंधित औषधियों का देश में आज भी उत्पादन, भंडारण और धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथ्य क्या है;

(घ) इन औषधियों पर प्रतिबन्ध न लगाए जाने के पीछे क्या कारण है;

(ङ) क्या उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति प्रतिबंधित औषधियों व विक्री पर प्रतिबन्ध लगाने में असफल रही है; और

(च) यदि हां, तो देश में औषधियों के प्रवेश और उनके विनियमन पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु और अधिक कड़े उपाय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) कुछ देशों से हटाई गई औषधि का प्रयोग अन्य देशों द्वारा जारी रखा जा सकता है और निर्णय विभिन्न कारकों जैसे कि किसी देश के रोग पैटर्न, औषध के प्रति किसी नियत जनसंख्या के विशेष जातीय समूहों में भिन्न–भिन्न प्रतिक्रियाएं तथा अपेक्षाकृत निरापद विकल्पों की उपलब्धता और किसी विशेष रोग के उपचार में निहित लागत संबंधी कारकों पर निर्भर करता है। औषधों के वैश्विक निषेध जैसी कोई प्रणाली नहीं है। वैसे, अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के समाचार–पत्रों इत्यादि में किसी गंभीर प्रतिकूल मामले की सूचना दिए जाने पर भारत में औषधों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु एक पर्याप्त तंत्र विद्यमान हैं। अब तक 74 औषधों/औषध फार्मूलेशन्स को निषिद्ध/चरणबद्ध रूप से हटा दिया गया है।

विकसित देशों में जिन औषधों अथवा फारमूलेशनों पर रोक लगा दी गई है उनकी जांच संबंधित विशिष्टता के अग्रणी विशेषज्ञों से परामर्श करके की जाती है। उनके परामर्श के आधार पर ये मामले औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। यह बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जो चिकित्सा व्यवसाय, राज्य औषध प्रवर्तन प्राधिकारियों, विशेषज्ञों, संस्थाओं, एजेन्सियों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना है तथा यह औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के कार्यान्वयन से जुड़े किसी मौजूदा औषध पर प्रतिबन्ध लगाने या न लगाने/उसे चरणबद्ध रूप से हटाने या न हटाने जैसे तकनीकी मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है।

[हिन्दी]

बीहड़ क्षेत्रों का विकास

3483. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोक सभा निर्वाचित क्षेत्रों के विशाल बीहड़ क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है;

(ख) क्या इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष के अतिरिक्त किसी अन्य पैकेज का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (घ) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी, हैदराबाद के सहयोग से भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई "वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया, 2000" में समाविष्ट सूचना के अनुसार देश में पथरीली एवं बीहड़ भूमि का फैलाव 2.06 मिलियन हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। भूमि संसाधन विभाग द्वारा बीहड़ क्षेत्रों के उद्धार के लिए कोई विशिष्ट योजना/कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के अंतर्गत, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित सांसदों की अनुशंसा पर विकासात्मक कार्य किए जाते हैं। बीहड़ों के विकास के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोई विशेष पैकेज नहीं है।

[अनुवाद]

उच्च स्तरीय समिति

3484. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दूरसंचार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए किसी तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार क्षेत्र में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों की तुलना में निजी क्षेत्र अपना आधार तेजी से बढ़ा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उच्चस्तरीय समिति इस प्रकार के मुद्दे किस सीमा तक हल करेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3485. श्री के. पी. सिंह देव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उड़ीसा में विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है,

(ख) उन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और उन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) आज की तारीख में उन परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) फिलहाल उड़ीसा राज्य में विदेशी सहायता प्राप्त निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

क्र.सं.	परियोजना	अनुमानित ऋण	ऋण सहायता	स्थिति
1.	जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) से ऋण सहायता के अंतर्गत रा.रा. 5 के चंडीखोल–जगतपुर खंड को चार लेन बनाना	105.61 करोड रु.	586 मिलियन जापानी येन	70% प्रगति
2.	रा.रा. 5 के कटक–भुवनेश्वर खंड पर मरम्मत और पुनरुद्धार घटक	6.34 करोड रु.	1.5 मिलियन अमरीकी डालर	निविदाएं मांगी गई हैं।

मंगलौर पत्तन का आधुनिकीकरण

3486. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मंगलौर पत्तन के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) समुद्री व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए महापत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नव मंगलूर पत्तन में हाल में पूरी की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में क्रूड और उत्पाद टैंकरों की हैंडलिंग के लिए दूसरी तैल जेट्टी, जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली और बहुउद्देशीय तरल कार्गो जेट्टी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नव मंगलूर पत्तन के विकास और आधुनिकीकरण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 147.40 करोड़ रु. के परिव्यय की परिकल्पना की गई है जिसमें बकाया परियोजनाओं का परिव्यय भी शामिल है। दसवी पंचवर्षीय योजना की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ (गहन डुबाव बर्थ) का निर्माण करने, कंटेनर हैंडलिंग उपस्करों के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा सामान्य कार्गो बर्थ को सुधारने, सुदृढ़ करने तथा गहरा करने से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

केन्द्रीय भंडार में कम्प्यूटरीकरण

3487. श्री रामजी मांझी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, केन्द्रीय भंडार की सभी शाखाओं के कार्यकरण का कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय भंडार की सभी शाखाओं में कार्य को कब तक कम्प्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केन्द्रीय भंडार

के विभिन्न कार्य–कलापों को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रयत्न किए गए हैं। दिल्ली में लेखन–सामग्री–प्रभाग में लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया गया है। हाल ही में, दिल्ली में एक स्टोर में, बार कोड रीडर की सुविधा से सम्पन्न कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली कायम की गई है। इसी तरह, लेखा–विभाग, एक उपभोक्ता–गोदाम, किराने की खरीद के तहत दालों और मसालों से संबंधित काम–काज कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। कम्प्यूटरीकरण एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है तथा इस बारे में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है।

मनोविकार ग्रस्त बच्चे

3488. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक 100 बच्चों में से कम से कम 10 से 12 बच्चे मनोविकार से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में नई दिल्ली में इस विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यशाला के क्या परिणाम रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) हालांकि कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी अनुमान है कि लगभग 10 प्रतिशत स्कूली बच्चे न्यूरोटिक/पदार्थों के प्रयोग से होने वाली बीमारियों सहित मनोरोगों से ग्रस्त हैं। भारतीय बाल और किशोर मनोविज्ञान संघ तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ द्वारा प्रायोजित "अंतर्राष्ट्रीय बाल और किशोर मनोरोग एवं संबद्ध व्यवसाय कांग्रेस" पर एक कार्यशाला हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी। उस कार्यशाला की सिफारिशें अभी इस मंत्रालय को नहीं मिली हैं।

राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में उपलब्धियां

3489. श्री अम्बरीश : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई एथलीट जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था वे बुसान में कांस्य पदक भी नहीं जीत सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा आगामी ओलम्पिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने और युवा तथा होनहार/प्रतिभाशाली लेकिन गरीब खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। यह मुख्यतः इस तथ्य के कारण हुआ कि चीन, जापान, कोरिया तथा सी.आई.एस. देशों की सहभागिता से, एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा का स्तर, राष्ट्रमंडल खेलों की तुलना में काफी अधिक है।

(ग) ओलंपिक खेलों सहित, प्रमुख बहु–विधात्मक प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय एवं साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान खेल प्रबंधन संबंधी ढांचे में खेलों का संवर्धन, अधिकांशतः खेल परिसंघों के क्षेत्र में आता है।

जहां तक भारत सरकार का संबंध है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे कि राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों तथा ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों को तैयार करने की दृष्टि से, संबधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षण पद्धतियों में सुविज्ञ व्यक्तियों के परामर्श से, दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अलावा, संभावित खिलाड़ियों को अपेक्षित वैज्ञानिक तथा उपस्कर सहायता, प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय एवं विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

होनहार खिलाड़ियों तथा सहायक कार्मिकों को सहायता की योजना के अंतर्गत, होनहार खिलाड़ियों को विदेशों में प्रशिक्षण तथा टूर्नामेंटों में भाग लेने, वैज्ञानिक समर्थन के लिए उपस्करों की खरीद तथा प्रशिक्षण एवं देश में टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत दी गई सहायता का उद्देश्य, प्रमुख बहु–विधात्मक प्रतियोगिताओं में पदक जीतना है।

कर्नाटक में यूथ हॉस्टल

3490. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अब तक निर्मित यूथ हॉस्टलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त यूथ हॉस्टल संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में निर्माणाधीन यूथ हॉस्टलों की संख्या कितनी है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि हसन यूथ हॉस्टल में वार्डन का पद पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इसके क्या कारण हैं; और

(ज) हसन स्थित यूथ हॉस्टल के वार्डन का रिक्त पद भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) कर्नाटक में तीन युवा छात्रावासों अर्थात मैसूर, हासन और तीर्थरामेश्वर, प्रत्येक में एक–एक युवा छात्रावास का निर्माण किया गया है।

(ख) युवा छात्रावासों का प्रबंधन युवा छात्रावास मैनुअल के अनुसार, प्रत्येक छात्रावास के लिए गठित छात्रावास प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि ये तीनों छात्रावास संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ग) और (घ) दो युवा छात्रावास, कारवाड़ और [illegible] प्रत्येक में एक निर्माणाधीन हैं। अब तक, निर्माण कार्य [illegible] कारवाड़ के वास्ते 40.00 लाख रु. और सोगालू [illegible] लिए 39.20 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(ङ) से (ज) पदस्थ के त्यागपत्र देने के कारण युवा छात्रावास, हासन में वार्डन का पद दिनांक 1.8.2002 को रिक्त हो गया है। हासन में युवा छात्रावास में विद्यमान रिक्त स्थान के लिए श्री वी. आर. कानेकर को दिनांक 28.6.2002 को, वार्डन के पद के लिए पेशकश की गई थी। उन्होंने उक्त पद के लिए दिनांक 9.7.2002 को अपनी स्वीकृति से अवगत करवा दिया था लेकिन दिनांक 6.8.2002 के अनुस्मारक के बावजूद भी, उन्होंने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है।

*सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यम

3491. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए उद्यमों को बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से बौद्धिक सम्पदा पूंजी को परस्पर प्रतिभूति के रूप में लेने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों को अपनी इकाई शुरू करने के लिए सहायता देने हेतु विशेष कोष स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यम को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य प्रस्तावों के वित्त पोषण पर विचार किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5 प्रतिशत शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक सामान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अन्तर्गत है।

3. इलैक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थाई समिति (आईएमएमसी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यून्तम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमा शुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयो तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोतरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90 प्रतिशत तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कम्प्यूटर पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002-03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टैपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत, फ्लापी डिस्क पर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से 0 प्रतिशत, इलैक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25-35 प्रतिशत से 15 प्रतिशत, इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत और इलैक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25-35 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

- कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर 0 प्रतिशत की दर से जारी है। इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5 प्रतिशत की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत, दूरसंचार के पुर्जों पर 5 प्रतिशत, सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0 प्रतिशत की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की गई संरचनाओं के स्थान पर 16 प्रतिशत की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16 प्रतिशत की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80 एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (शृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं :

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100 प्रतिशत धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप मे किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कंपनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर नियेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कंपनी में साम्यापूंजी की कुल 24 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

26. धारा 80-।ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिती) प्रावधानों के अन्तर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत अब

स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा, सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15 प्रतिशत की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003–04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुनःस्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक हो।

30. जो भारतीय कंपनियां विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का पूंजी निवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अमरीकी डॉलर है (बजट 2002–03 की घोषणा)।

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कपनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50 प्रतिशत तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25 प्रतिशत है (बजट 2002–03 की घोषणा)।

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलूओं का प्रावधान किया गया है।

खेलों का विकास

3492. श्री जी. जे. जावीया : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 31 मार्च, 2002 तक देश में खेलों की अवसंरचना के सृजन और विकास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 285 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ये परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक गैर–सरकारी संगठन और शैक्षिक संस्था को कितनी–कितनी धन राशि आवंटित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, अनुमोदित 285 प्रस्तावों में से, 113 प्रस्ताव गैर–सरकारी संगठनों तथा शैक्षिक संस्थाओं को स्वीकृत किए गए थे। आवंटित धनराशि सहित उनका राज्य–वार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/शैक्षिक संस्था का नाम	अनुदान का प्रयोजन	स्वीकृत धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
	असम		
1.	विश्वनाथ जिला खेल संघ, विश्वनाथ चारियले, सोनितपुर	आऊटडोर स्टेडियम	27.00
	हरियाणा		
2.	लाला दीवान चंद माडर्न कुश्ती एवं योग केन्द्र, झज्जर	इंडोर स्टेडियम	44.08
	हिमाचल प्रदेश		
3.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लोहारा	खेल मैदान	1.00
4.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लाद्रोर, हमीरपुर	–वही–	1.165
5.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भारेरी, हमीरपुर	–वही–	0.779
6.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राक्कर, कांगड़ा	–वही–	1.50
7.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लूडामहादेव, हमीरपुर	–वही–	1.00
8.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुलथेरा, हमीरपुर	–वही–	1.00
9.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चोलथेरा, मंडी	–वही–	0.625
10.	राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हमीरपुर	–वही–	1.50
11.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बवाना, कांगड़ा	–वही–	0.99
	जम्मू व कश्मीर		
12.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोइल, पुलवामा	–वही–	0.707
13.	राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, नौगांव, अनंतनाग	–वही–	0.315
14.	राजकीय माडल स्कूल, नूनमद, अनंतनाग	–वही–	1.84
15.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दलौरी राजौरी	–वही–	0.485
16.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धांग्री, राजौरी	–वही–	2.34
17.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चल्लीप्रात, राजौरी	–वही–	0.745
18.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दोरु, अनंतनाग	–वही–	1.147
19.	राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेल्लार, अनंतनाग	–वही–	1.84
20.	राजकीय बाल मिडल स्कूल, कनेलवान, अनंतनाग	–वही–	1.00

1	2	3	4
21.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भादवाह, जिला डोडा	खेल मैदान	1.00
22.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़, जम्मू	–वही–	0.915
23.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर, जम्मू	खेल मैदान	0.30
24	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, (बाल), साम्बा, जम्मू	–वही–	0.30
25.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अर्निया, जम्मू	–वही–	0.678
26.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रया, जम्मू	–वही–	1.5975
27.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्लेथिया ब्लाक, जम्मू	–वही–	0.73
28.	राजकीय एच.एस.एस.स्मेलपुर, जम्मू	–वही–	0.825
29.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांबा, जम्मू	–वही–	0.525
30	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जौरियन, जम्मू	–वही–	0.645
31.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फलनवाला, जम्मू	–वही–	1.205
32.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खौरा, जम्मू	–वही–	1.22
33.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांधी नगर, जम्मू	–वही–	1.30
	कर्नाटक		
34.	श्री मणिक प्रभु शिक्षण समिति, मणिकनगर, जिला बीदर	तरणताल	25.00
	केरल		
35.	त्रिसूर टेनिस ट्रस्ट पुंकुन्नाम	इंडोर स्टेडियम	20.00
36.	राजकीय जनजातीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूमला, इदुक्की	खेल मैदान	1.75
37.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्रीकंडापुरम, कुन्नूर	–वही–	1.443
38.	राजकीय व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कम्मार, कासरगोडै	–वही–	1.50
39.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वेल्लथूवाल, इदुक्की	–वही–	1.30
	मध्य प्रदेश		
40.	राजकीय बालिका एच.एस. स्कूल, टीकमगढ़	–वही–	3.305
41.	राजकीय एच.एस.स्कूल, कुदेश्वर, टीकमगढ़	–वही–	3.46
42.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बडगवार, टीकमगढ़		3.75
43.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खर्गापुर, टीकमगढ़	–वही–	3.50

1	2	3	4
44.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलदेवगढ़, टीकमगढ़	खेल मैदान	3.77
45.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ततारा, टीकमगढ़	–वही–	3.32
46.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहनगढ़, टीकमगढ़	–वही–	3.05
47.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पालारा, टीकमगढ	–वही–	3.42
48.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निवारी, टीकमगढ़	–वही–	3.045
49.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ओरछा, टीकमगढ़	–वही–	3.99
50.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, त्रिचरकलान, टीकमगढ़	–वही–	3.345
51.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़	–वही–	2.502
52.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिजावार, छतरपुर	–वही–	3.50
53	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुल्गंज, छतरपुर	–वही–	3.50
54.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घूरा, छतरपुर	–वही–	3.50
55.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लिधोर टीकमगढ	–वही–	3.05
	महाराष्ट्र		
56.	परवारा ग्रामीण शिक्षा संस्था, अहमदनगर	तरणताल	47.40
57.	सतचिकित्सा, प्रसासक मंडल, वाधेपुर, यवतमाल	तरणताल	36.90
58.	जे. एम. राठी ट्रस्ट, रोहा, रायगढ़	तरणताल	37.50
59.	पताशीबाई रत्नचंद मानव कल्याण ट्रस्ट, सांगली	खेल छात्रावास	30.00
60.	शिप्रा प्रतिष्ठान, पुणे	तरणताल	25.00
61.	सांगली महिला परिषद्, सांगली	इंडोर स्टेडियम	11.035
62.	जिला राष्ट्रीय तालिम संघ, कोल्हापुर	इंडोर स्टेडियम	19.254
63.	आर.एल. तावड़े संस्थान, कोल्हापुर	तरणताल	24.54
64.	नवजीवन शिक्षा समिति, नासिक	तरणताल	25.00
65.	केन्द्रीय हिन्दू सैनिक शिक्षा रामिति, नागपुर	तरणताल	60.00
	मणिपुर		
66.	टेबल टेनिस संघ, थाऊबाल	इंडोर स्टेडियम	30.00
67.	युवा समाज कल्याण संघ, बिश्नुपुर	आऊटडोर स्टेडियम	27.00
68.	सामाजिक विकास एवं शिक्षा संगठन, हाओखा	आऊटडोर स्टेडियम	22.50

1	2	3	4
69.	अंगथा पश्चिमी पंथोबी क्लब, अंगथा	आऊटडोर स्टेडियम	27.00
70.	समेकित ग्रामीण उन्नयन सेवाएं, थाऊबल	खेल मैदान	3.38
71.	मणिपुर महिला समन्वयकारी परिषद, इम्फाल	स्केटिंग रिंक	2.997
	नागालैंड		
72.	एक्सप्रैशन वोलेनटरी आरगेनाइजेशन, दीमापुर	तरणताल	76.50
73.	के.के. क्लब यूथ वेलफेयर सोसायटी, न्यू तेसफेन्यू	तरणताल	30.00
74.	टीन्स क्लब, ओखा	खेल मैदान	5.33
75.	हिल पायोनियर्स, फेक	इंडोर स्टेडियम	30.00
76.	नागालैंड टेनिस संघ, दीमापुर	इंडोर स्टेडियम	6.50
77.	सैकू सोसायटी, फेक	इंडोर स्टेडियम	29.85
78.	मम्मी'स मल्टीपरपस सोसायटी, काशीराम गांव	खेल मैदान	
79.	समाज कल्याण संगठन, लाखुटी, वोखहा	खेल मैदान	2.25
80.	मिक्सड फार्म सोसायटी, बाघती	खेल मैदान	2.25
81.	जनजाति कल्याण विकास संघ, दीमापुर	खेल मैदान	4.152
	उड़ीसा		
82.	एम.बी. विद्यापीठ, चंडका, जिला खुर्दा, उड़ीसा	खेल मैदान	1.50
83.	खूंटाकांटा उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्राम्बा, जिला कटक	—वही—	1.50
84.	खूंटाकांटा उच्च माध्यमिक विद्यालय, अथागढ, जिला कटक	—वही—	1.50
85.	गदाधर उच्च माध्यमिक विद्यालय, टीगीरिड, जिला कटक	—वही—	1.50
86.	टिपटॉप उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीमापुर, उखांड, जिला क्योंझर	—वही—	1.50
87.	कालुपाडाघाटा बालिका विद्यालय, जिला खुर्दा	—वही—	1.50
	राजस्थान		
88.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवगढ़	—वही—	0.79
	तमिलनाडु		
89.	तिरुपुर खेल संगठन, तिरुपुर, जिला कोयम्बटूर	इंडोर स्टेडियम	60.00
90.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पोथानपुर, जिला नामाक्काल, तमिलनाडु	खेल मैदान	0.9145
91.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आथुर, सेलम	—वही—	0.2885

1	2	3	4
92.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मानाप्पाराय, जिला त्रिचुरापल्ली	खेल मैदान	0.75
93.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, डिंडीगुल, जिला मदुरै	–वही–	0.9395
94.	राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओंडी	–वही–	1.00
95.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिन्नदारपुरम, जिला करूर	–वही–	0.2415
96.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उप्पीदामंगलम, जिला करूर	–वही–	0.2445
97.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वेस्ट माम बलम, अशोक नगर पोस्ट चेन्नई	–वही–	0.739
98.	राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोन्नेरी जिला तिरुवल्लोर	–वही–	0.705
99.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एम एम डी ए कालोनी अरुम्बाकम, चैन्नई	–वही–	1.00
100.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पालानी, जिला डिंडीगुल	–वही–	1.495
101.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अरियादुर, जिला पेरम्बलूर	–वही–	1.405
102.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वृद्धाचलम, जिला कुड्डालोर	–वही–	1.442
103.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोंदीवरम, जिला कांचीपुरम	–वही–	0.9375
104.	राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मार्थादन, कन्याकुमारी	–वही–	1.50
105.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अबालवोई मोझी, कन्याकुमारी	–वही–	1.00
106.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजक्का मंगलम, कन्याकुमारी	–वही–	2.50
107.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कडामल, कन्याकुमारी	–वही–	1.00
108.	राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कड्यामल्लूर, जिला तिरुनेलवेली	–वही–	0.75
109.	एम.के.बी.सी.सी.एम. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंजूर कुंडा, ऊटी	–वही–	0.30
110.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अनीकोराम ऊटी	–वही–	0.30
	उत्तर प्रदेश		
111.	भारतीय शिक्षा समिति, कानपुर	आऊटडोर स्टेडियम	18.00
	पश्चिम बंगाल		
112.	जलपाईगुड़ी इंडोर बैडमिन्टन प्लेयर्स एसोसिएशन, जलपाईगुडी	इंडारे स्टेडियम	20.00
113.	तरुण संघ, फकीरचक, मिदनापुर	खेल मैदान	1.385

अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

रूस के राष्ट्रपति श्री ब्लादिमीर पुतिन की हाल की भारत यात्रा

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, रूसी संघ के राष्ट्रपति 3 से 5 दिसम्बर तक राजकीय दौरे पर भारत आए थे। उनकी इस यात्रा ने हर वर्ष शिखर बैठकें आयोजित करने की उस नई परम्परा को कायम रखा है जिसकी हमने अक्तूबर, 2000 से शुरूआत की थी। राष्ट्रपति पुतिन हमारे राष्ट्रपति जी से मिले, जिन्होंने गणमान्य अतिथि के सम्मान में प्रीतिभोज दिया। उप राष्ट्रपति, उप प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और लोक सभा में विपक्ष की नेता ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की।

राष्ट्रपति पुतिन और मैंने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक बातचीत की और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान किया। इस विचार–विमर्श से भारत एवं रूस के पारस्परिक हितों के अनेक मुद्दों पर हमारी गहन सहमति मुखरित हुई है।

इस यात्रा के समापन पर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए, वे हमारे अनेकानेक हितों को परिलक्षित करते हैं। इनमें स्ट्रैटेजिक भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने संबंधी दिल्ली घोषणा–पत्र, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग को मजबूत करने हेतु एक संयुक्त घोषणा–पत्र तथा आतंकवाद से निपटने में सहयोग करने संबंधी एक समझौता–ज्ञापन शामिल हैं। ये दस्तावेज तथा इस यात्रा से संबंधित संयुक्त वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए। कर्नाटक सरकार तथा रूसी संघ के समारा क्षेत्र के बीच सहयोग संबंधी एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए।

हम समझते हैं कि इन दस्तावेजों से भारत और रूसी संघ के बीच बहु–आयामी सहयोग के राजनैतिक–कानूनी आधार को और मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हमारे दोनों देशों को अपने व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल करनी चाहिए। हमें अधिक मूल्य एवं उच्च तकनीक वाली वस्तुओं तथा तेल एवं गैस, हीरा आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाना होगा। हमें व्यापार के क्षेत्र में विविधता लाने की तत्काल जरूरत है क्योंकि रुपए और रूबल के संबंध में हमारे द्विपक्षीय समझौते के तहत ऋण भुगतान की मात्रा में वर्ष 2005 से तेजी से गिरावट आएगी। इस समय भारत से रूस को किया जाने वाला लगभग समस्त निर्यात इसी ऋण भुगतान द्वारा पोषित होता है। हम आपसी निवेश बढ़ाने की जरूरत पर भी सहमत हुए।

ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हमारे दोनों देशों के लिए दीर्घकालीन स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है। दोनों पक्ष विश्व ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करती है, पर समुचित व्यवस्था के तहत नियमित रूप से द्विपक्षीय विचार–विमर्श करेंगे। सखालिन–I परियोजना में हमारे सहयोग में अच्छी प्रगति हुई है। हम कैस्पीयन सागर सहित अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं में तथा ऊर्जा क्षेत्र के दूसरे पहलुओं पर अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर हमने संतोष व्यक्त किया और यह महसूस किया कि इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग दोनों देशों के हित में होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु ऊर्जा को असैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाने के संबंध में भारत के साथ सहयोग को जारी रखने में रूस की दिलचस्पी की पुष्टि की। हमारी बातचीत के बाद, संयुक्त प्रेस सम्मेलन में उन्होंने विचार व्यक्त किया कि इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। हम इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं।

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि भारत और रूस के बीच रक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग है। अब हमारा सहयोग केवल हथियारों के क्रेता और विक्रेता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयुक्त रूप से अनुसंधान विकास और उत्पादन भी शामिल है। अत्याधुनिक ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र हमारे संयुक्त अनुसंधान और विकास प्रयासों का परिणाम है। भारत और रूस दोनों ही इस प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का संयुक्त उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं ताकि इसे दोनों देशों के सशस्त्र बलों में शामिल किया जा सके। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस बात पर सहमत थे कि ऐसी कई अन्य परियोजनाएं हैं जिनमें हम भविष्य में सहयोग कर सकते हैं।

दिल्ली घोषणा–पत्र में इस सिद्धान्त पर बल दिया गया है कि हम दोनों में से कोई सा भी देश ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे दूसरे देश की सुरक्षा पर कोई आंच आए। हमने यह घोषणा की है कि दोनों देश अपनी सुरक्षा तथा रक्षा नीतियों में और तीसरे देशों के साथ सैन्य–तकनीकी सहयोग

करते समय इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। ये महत्वपूर्ण आपसी वचनबद्धताएं हैं जो भारत और रूस के बीच सक्रिय रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा करते समय हमारा यह समान मत था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस और स्थायी उपाय किए जाने चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों–और विशेषकर प्रस्ताव संख्या 1373–का कड़ाई से पालन किया जाए। भारत और रूस दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं और आतंकवाद की जड़ें हमारे दोनों देशों के पड़ोस में फैली हुई हैं, इसलिए भारत और रूस का ठोस सुरक्षा हित इसी में निहित है कि इस खतरे का मुकाबला राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर निवारक और निरोधक उपायों के जरिए किया जाए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल गठित करने संबंधी आपसी समझौते से इस क्षेत्र में हमारा सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा।

भारत और रूस ने अलकायदा और तालिबान ताकतों, जिनका उनके प्रायोजकों से बराबर संपर्क बना हुआ है, के फिर से एकजुट होने से अफगानिस्तान की सुरक्षा को जो खतरा बना हुआ है, उस पर भी गंभीर चिंता जाहिर की। हमने राष्ट्रपति करजाई की सरकार का, तथा राष्ट्रीय मेल–मिलाप, आर्थिक पुनर्स्थापना और अफगानी संस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए उसके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का, पूर्ण समर्थन किया। भारत और रूस अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे। इनमें अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। अफगानिस्तानी नेतृत्व के साथ भारत अपनी द्विपक्षीय बातचीत भी जारी रखेगा तथा अफगानिस्तान की जनता के साथ अपने पारम्परिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगा।

दक्षिण–एशिया की स्थिति पर हमारे दृष्टिकोणों की समरसता को हमारे संयुक्त वक्तव्य में दर्शाया गया है। रूस हमारे इस रुख से सहमत है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी शुरू कर सकते हैं जब वह सीमा पार से घुसपैठ रोके और पाकिस्तान तथा पाक–नियंत्रित क्षेत्र में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करे।

संक्षेप में, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से भारत और रूस के आपसी हितों से जुड़े सभी मुद्दों पर हमारी शिखर स्तरीय बातचीत को जारी रखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हुआ है। इस यात्रा से हमारी इस आपसी प्रतिबद्धता को बल मिला है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक भागीदारी को निरंतर सुदृढ़ बनाएं, अपने राजनैतिक विचार–विमर्शों में तेजी लाएं और अपने आर्थिक संबंधों को नया स्वरूप प्रदान करें। इस यात्रा से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे समान दृष्टिकोण की पुष्टि हुई है।

हम रूस के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च महत्व देते रहेंगे। वार्षिक शिखर बैठकें आयोजित करने की हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मैंने अगले वर्ष रूस की यात्रा करने के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।

भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी के समेकन पर दिल्ली घोषणा

भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ मैत्री और अच्छे पड़ोस की परम्परा पर विश्वास करते हुए;

28 जनवरी, 1993 के भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच मैत्री और सहयोग के करार और 5 अक्तूबर, 2000 के भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी पर घोषणा का सस्मरण करते हुए;

इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि भारत और रूस की सामरिक भागीदारी दोनों देशों की राष्ट्रीय हित और भू–राजनैतिक प्रधानताओं की पूरकता पर स्थापित है;

अपनी सामरिक भागीदारी को द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में और अधिक उच्च और गुणात्मक नए स्तर तक बढ़ाते हुए;

राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, बहुवाद, विविधता और सहिष्णुता को स्थायी और मजबूत बहुध्रुवीय विश्व की आधारशिला के रूप में मान्यता देते हुए;

स्थायी विश्व क्रम के योगदान में अपनी अपूर्व भूमिका और जिम्मेदारी को बहुजातीय और बहुवादी राज्यों के रूप में मानते हुए; जैसाकि एशिया और पूरे विश्व में शांति, स्थायित्व और खुशहाली में योगदान देने पर 8 सितम्बर, 2000 के संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि घोषणा और 30 जून, 1994 को भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ द्वारा मास्को घोषणा निहित है;

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग तंत्र द्वारा सुरक्षा प्राथमिक रूप से आतंकवाद की नई चुनौतियां और खतरे का मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय करते हुए;

एतद्द्वारा घोषणा करते हैं;

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हमारी सामरिक भागीदारी दीर्घावधिक और बहुमुखी संबंधों की रूपरेखा प्रदान करती है। पारस्परिक सुरक्षा, विकास और अपने लोगों की खुशहाली इस भागीदारी का प्रमुख अंग हैं। यह विश्वव्यापी चुनौतियों और खतरों का सामना करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामरिक स्थायित्व के संवर्धन में भी सहायक हैं।

शिखर स्तर और मंत्री एवं कार्य स्तर की वार्षिक बैठकें आयोजित करने, संसदीय, न्यायिक और अन्य संवैधानिक निकायों के बीच आदान-प्रदान करने की स्थापित अभ्यास और अधिक तीव्र होगा। द्विपक्षीय संबंधों के आर्थिक पक्ष और अधिक गहन होंगे। दोनों समितियों के बीच संबंधों के नेटवर्क विस्तार द्वारा परस्पर लोक संपर्क बढ़ेगा।

हमारे संविधान में निहित प्रजातंत्र और कानून के नियम के स्तर अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत हमारी राजनीति के मूल घटक हैं। वे बहुवाद राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूपरेखा के लिए और मानवाधिकार के लिए सम्मानित जीवन और वांछना और भय से मुक्त अपने लोगों के लिए एक विश्वसनीय गारंटी हैं। ये वह स्तर हैं जो अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों के लिए भी मार्ग-दर्शन करते हैं। विशाल बहुजातीय और बहुवादी राज्यों के रूप में हमें विश्वास है कि हम हमारी क्षेत्रीय अखंडता सहित आतंकवाद, उग्रवाद और पृथकवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से मुकाबला कर उनका अंत कर सकेंगे। हम अपने संविधाओं में निहित एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और परस्पर संप्रभुता को सम्मान पहुंचाने में समर्थन को दोहराते हैं। कोई भी पक्ष ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे दूसरे पक्ष की सुरक्षा को खतरा या नुकसान हो। दोनों पक्ष अपनी सुरक्षा और प्रतिरक्षा नीतियों और तीसरे देशों के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने में इस नियम से मार्ग-दर्शित होंगे।

सार्वभौमीकरण की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने, विशेषकर नकारात्मक आविर्भावों को कम करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग और अन्य देशों के साथ सहयोग और अधिक संवर्धित होगा। सार्वभौमीकरण और राष्ट्रीय पहचान विश्व व्यवस्था के अभिन्न घटक को प्रदर्शित करते हैं। मानव प्रगति के लिए विविधता की पहचान और उसके प्रति सम्मान एक आवश्यक पूर्व शर्त हैं और सभ्यताओं के बीच वार्ता का अभिन्न अंग हैं।

मैत्री, विश्वास और आत्मविश्वास और सामान्य हितों के बने रहने से भारत और रूस को एक नई विश्व व्यवस्था का विकास करने में अपूर्व क्षमता प्राप्त होती है, जो स्थायी, सुरक्षित समय और दीर्घावधिक होगी और जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के प्रति सम्मान पर आधारित होगी। इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और तंत्रों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि पहले से कहीं अधिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षवाद के प्रति कटिबद्ध होने की आवश्यकता है।

दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति आदर की भावना के सिद्धांतों के आधार पर एक न्यायोचित बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना में सहयोग के लिए अपनी दृढ़ भावना की पुनः पुष्टि की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सामान्य बनाने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय तंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उसमें और सुधार करने का समर्थन किया। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रातिनिधिक और प्रभावकारी बनाने के लिए उसमें बराबर सुधार करते रहने की आवश्यकता पर सहमत थे। रूसी परिसंघ ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत गणराज्य की योग्य और दृढ़ उम्मीदवार के रूप में अपने समर्थन की पुनः पुष्टि की।

हम जोहन्सबर्ग में संपोषणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों से अवगत हैं और इस संदर्भ में रियो सिद्धांतों की पुनःपुष्टि का स्वागत करते हैं। दोनों देशों द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के मुद्दे को दिए गए महत्व को ध्यान में रखते हुए हम अक्तूबर-नवम्बर, 2002 में भारत की मेजबानी में आयोजित परिवेश परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र स्वरूप अभिसमय के आठवें सम्मेलन के पक्षकारों में निष्कर्षों और पर्यावरण परिवर्तन पर मास्को में 2003 के शरतकालीन के आयोजन की रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की पहल का स्वागत करते हैं।

दोनों देश ऐसी नई सहयोगात्मक सुरक्षा व्यवस्था हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को मान्यता प्रदान करती है, शस्त्रों के कम स्तर पर विश्व शांति और स्थायित्व का संवर्द्धन करती है और अप्रसार व निःशस्त्रीकरण के लक्ष्यों को सुदृढ़ करती है। भारत और रूस यह मानते हैं कि परमाणु अस्त्रों में कटौती और अंततः उन्हें नष्ट करने को शामिल करते हुए निशस्त्रीकरण प्रक्रिया का संवर्द्धन एशिया और विश्व की सुरक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है।

हम ब्रह्मांड में शस्त्रों की तैनाती नहीं करते, ब्रह्मांड आधारित वस्तुओं के संबंध में बल का प्रयोग नहीं करने अथवा बल

का प्रयोग करने की धमकी नहीं देने, और ब्रह्मांड के प्रयोग को सहयोगात्मक, शांतिपूर्ण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए संरक्षित करने हेतु समेकित व्यवस्था करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय वार्ता शीघ्र आरंभ करने की मांग करते हैं।

हमारे समान पड़ोस अफगानिस्तान और मध्य एशिया में स्थित दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा हित की है। हम महसूस करते हैं कि अफगानिस्तान में उभरती हुई स्थिति का लगातार मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और हम अफगानिस्तान पर निकट का सहयोग जारी रखने और उसका विस्तार करना चाहते हैं। हम बॉन समझौते के सफल कार्यान्वयन का स्वागत करते हैं और उन स्वदेशी सुरक्षा ढांचों सहित अफगान संस्थानों के पुनर्निर्माण, अफगान अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और राष्ट्रीय मेल-मिलाप के संवर्द्धन के उद्देश्य से परवर्ती प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे जो अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और रूस अफगानिस्तान में पुनर्गठन प्रयासों में निकट सहयोग करने के लिए सहमत हैं और इस बात के लिए सहमति व्यक्त कर चुके हैं कि इन्हें अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए। हम संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस आवश्यकता पर बल देते हैं कि अफगानिस्तान का आतंकवाद, नशीली दवाओं और बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होकर एक स्वतंत्र प्रभुसत्तासंपन्न राष्ट्र का पुनरुत्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की मध्य एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा, स्थायित्व और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था बनाए रखने में व्यापक रुचि है।

हम मध्य एशिया में हिंसा पर रोक लगाने और सद्भावना से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों 242(1967), 338(1973) और 1397(2002) के आधार पर न्यायोचित और स्थायी शांति की स्थापना हेतु बातचीत पुनः आरम्भ करना चाहते हैं।

दोनों देश इराक पर सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए राजनैतिक और राजनयिक प्रयासों को जारी रखने का समर्थन करते हैं।

भारत और रूस आतंकवाद से पीड़ित हैं और लोकतांत्रिक और मुक्त समाज होने के कारण आतंकवाद और बड़े पैमाने पर विनाशक हथियारों के बीच नए संबंधों के प्रस्फुटन सहित आतंकवाद के वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों से प्रभावित हो सकते हैं। आतंकवाद मानवाधिकार, विशेषकर जीवित रहने के अधिकार का हनन करता है—और यह मानवता के विरुद्ध एक हथियार है। भारत और रूस आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं चाहे वे कहीं भी घटित हुए हों और उनकी अभिप्रेरणा कुछ भी रही हो। आतंकवाद को किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है और जहां भी यह मौजूद हो वहां इसकी स्पष्ट तौर पर निंदा की जानी चाहिए। दोनों देश उनकी कड़ी निंदा करते हैं जो आतंकवाद का वित्तपोषण करते हों अथवा आतंकवादियों को प्रशिक्षण, शरण अथवा सहयोग प्रदान करते हों। आतंकवादियों को प्रेरित करने वाले अथवा उनको शरण देने वाले राज्य भी आतंकवाद के लिए उतने ही दोषी हैं जितने कि उसको अंजाम देने वाले।

हम आतंकवाद, पृथकवाद और अतिवाद के विरुद्ध युद्ध में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने और संगठित अपराध से इनको प्राप्त होने वाली सहायता, अवैध शस्त्र, नशीली दवाइयों के व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई में अपने सहयोग को प्रतिबद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश इन्हें वैश्विक खतरों के तौर पर मान्यता देते हैं जिसे केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक, समेकित, प्रतिबद्ध और सतत प्रयासों के माध्यम से ही प्रभावी तौर पर हटाया जा सकता है। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए और आतंकवाद को समर्थन देने के वित्तीय और अन्य स्रोतों पर निशाना साधा जाना चाहिए। दोनों देश 6 नवम्बर, 2001 के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर रूसी परिसंघ और भारत गणराज्य द्वारा मास्को घोषणा की संगतता की पुष्टि करते हैं। इस संबंध में वे आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों विशेषकर संकल्प 1373 और सार्विक आतंकवाद विरोधी अभिसमयों के कड़े कार्यान्वयन के महत्व पर बल देते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप आतंकवाद का सामना करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं हेतु आधारिक स्वरूप का सृजन करता है। भारत और रूस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं और परमाणु आतंकवाद की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समेकित अभिसमय पर शीघ्र समझौता करने और उसे प्रभावी करने की मांग करते हैं।

उस आतंकवाद का शिकार होने पर जिसकी जड़ें हमारे समान पड़ोस में हैं, इस समान खतरे को राष्ट्रीय और द्विपक्षीय तौर पर रक्षात्मक और रोधी उपायों के माध्यम से समाप्त करने में हमारी विशेष रुचि है। दोनों देश भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रूसी परिसंघ सुरक्षा परिषद द्वारा गठित आतंकवाद पर दल और अफगानिस्तान पर संयुक्त कार्यदल के तत्वावधान

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

के तहत सहयोग के संदर्भ को शामिल करते हुए आतंकवाद का सामना करने में द्विपक्षीय सहयोग के संवर्द्धन हेतु सहमत हैं। आतंकवाद का सामना करने पर भारत–रूसी संयुक्त कार्यदल के गठन हेतु समझौते से इस क्षेत्र में हमारा सहयोग और सुदृढ़ होगा।

दोनों पक्ष मानते हैं कि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पाद और आपूर्तियों को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित के और संगत कार्यपद्धतियों के माध्यम से नियमित द्विपक्षीय चर्चाओं के विषय होंगे। भारत और रूस संपोषणीय विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में सहयोग सुदृढ़ करेंगे।

भारत और रूसी परिसंघ इस बात के लिए सहमत हैं कि यह घोषणा विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग के स्वरूप को सुदृढ़ और विस्तृत करेगी और हमारी सामरिक भागीदारी के समेकन में योगदान देगी।

भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री	रूसी परिसंघ के
4 दिसम्बर, 2002	राष्ट्रपति
नई दिल्ली	

भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ करने और संवर्धित करने से सम्बद्ध संयुक्त घोषणा

1. भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का विस्तार करने को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। राजनैतिक तथा सामरिक आयामों के साथ–साथ आर्थिक एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग भारत–रूस भागीदारी का मुख्य बिन्दु है। द्विपक्षीय संबंध को और मजबूती प्रदान करने के दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की 3 से 5 दिसम्बर, 2002 तक की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति के बीच बातचीत में इस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों नेताओं ने सहयोग के निम्नलिखित सिद्धांतों पर जोर दिया :

2. भारत और रूस की उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक एवं मानव संसाधन, उद्योग, कृषि, सेवाएं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सुस्थापित उत्पादन क्षमता है। पिछले दशक में सुधार एवं उदारीकरण की प्रेरणा से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नयी गति प्राप्त हुई है तथा विशिष्ट नयी क्षमताएं और अपेक्षाएं उभरी हैं।

3. इसने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिए एक गुणात्मक परिवर्तित पर्यावरण सृजित किया है। दोनों देशों को परस्पर लाभकारी अन्योन्यक्रिया के लिए उन संवर्धित अवसरों का इष्टतम उपयोग करने के प्रयास करने चाहिए जो दोनों देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगी, और दोनों देशों के लोगों के हित–कल्याण और समृद्धि के लिए होगी। समग्र संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा भारत और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी को और आर्थिक दृढ़ता एवं दीर्घावधिक सम्पुटता भी प्रदान करेगी।

4. यद्यपि इस दिशा में प्रगति हो रही है, फिर भी संवर्धित द्विपक्षीय निवेश और व्यवसाय आदान–प्रदान के जरिए आर्थिक सहयोग की सहज सम्भावना पूरी तरह से प्राप्त होनी शेष हैं तथा दोनों देशों के उत्कृष्ट राजनैतिक संबंधों के लिए कम है।

5. उपर्युक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए, द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के उन्नयन पर विशेष ध्यान तथा दिशा दी जाएगी, यद्यपि दोनों देशों के व्यवसाय क्षेत्र तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीवाद प्रमुख भागीदार होंगे, दोनों देश इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और कायम रखने के लिए अपने–अपने प्रमुख उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे। दोनों नेताओं ने इस संबंध में अपनी–अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की।

6. तद्नुसार भारत सरकार और रूसी परिसंघ आर्थिक सहयोग की प्रगति में व्यवसाय क्षेत्र के साथ अपने–अपने नियमित सम्पर्क तथा परामर्श को मजबूत बनाएंगे, वे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने तथा संवर्धित करने में व्यापक संकल्पना और रूपरेखा तैयार करेंगे।

7. वे व्यवसाय अन्योन्यक्रिया तथा निवेश के लिए एक सकारात्मक पर्यावरण प्रदान करने के लिए सरकारी नीति एवं संस्थाओं, अभिकरणों और विनियमों की रूपरेखा को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। वे

निम्नलिखित उपायों को करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे :

(1) द्विपक्षीय निवेश तथा उसके संवर्धन तथा संरक्षण के लिए अनुकूल पर्यावरण सृजित करना।

(2) व्यवसाय संगठनों को उनके व्यापार और निवेश आदान–प्रदान में वित्तीय संस्थाओं को पूरा समर्थन प्राप्त होना। इसमें रूस में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों तथा भारत में रूसी वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं शीघ्र खोलना शामिल होगा। इस क्षेत्र में सहयोग में मानव संसाधन विकास शामिल होगा।

(3) सामान तथा सेवाओं की बढ़ती हुई आवाजाही के साथ–साथ पर्यटन तथा यात्रा को समर्थन देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच तथा दोनों देशों में विभिन्न प्रकार के परिवहन सम्पर्कों तथा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना। उत्तर–दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कारीडोर को चालू करने के लिए द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय परामर्शों को आगे बढ़ाने को विशेष महत्व दिया जाएगा। प्रभावी संचार सम्पर्क विशेष रूप से इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार के क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(4) व्यापार की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमाशुल्क प्रशासन को कारगार बनाना।

(5) व्यापार और निवेश के संगत राष्ट्रीय मानकीकरण एवं प्रमाणन विनियमों में सामंजस्य रखना। इसमें अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान शामिल होगा जिसमें दोनों देशों के नियामक निकायों का प्रतिनिधित्व होगा। इस प्रकार का सहयोग दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिबंधों को समाप्त करने पर भी ध्यान देगा।

(6) व्यवसाय आदान–प्रदानों के लिए कुशल वीजा व्यवस्था करना।

(7) दोनों देशों के बीमा क्षेत्रों के बीच सक्रिय अन्योन्यक्रिया को प्रेरणा देना।

(8) नए उद्यमों को शुरू करने के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना की सम्भावनाओं की जांच करना।

(9) द्विपक्षीय करारों के अनुरूप, क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक अन्योन्यक्रिया प्रोत्साहित करना।

8. दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य आर्थिक सहयोग की वृद्धि के लिए परस्पर अपेक्षाओं और संभावनाओं के बारे में पर्याप्त अद्यतन सूचना आवश्यक है। अतः नियमित संपर्क, यात्राओं के आदान–प्रदान के जरिए, इलेक्ट्रोनिक साधनों, सार्वजनिक मीडिया के उपयोग के जरिए संचार, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन तथा सक्रिय भागीदारी के जरिए प्रभावी सूचना प्रवाह के लिए व्यवस्था स्थापित करने के लिए व्यवसाय और संबद्ध क्षेत्रों के प्रयासों के लिए सहायता तथा बल देने की सख्त आवश्यकता है। दोनों सरकारें इस गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगी। वे दोनों देशों में सूचना प्रसार के लिए तथा व्यापार और निवेश के लिए संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत और रूसी परिसंघ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में घटनाचक्र और प्रवृत्तियों पर एक डाटाबेस के रूप में कार्य करने के लिए एक संयुक्त व्यवस्था केन्द्र की स्थापना करने में भी सहायता करेंगे।

9. दोनों पक्षों ने इस बात को माना कि उनके आर्थिक संबंधों में प्रगति के लिए एक स्थायी व्यवस्था क्षेत्र संवाद अहम है। इसलिए, व्यवसाय परिसंघों के बीच, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर विस्तारित नियमित संपर्क आवश्यक है। इस संबंध में उन्हें संयुक्त व्यवस्था परिषद तथा रूसी संघ के उद्योगपतियों तथा उद्यमियों और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच नए संपर्कों के कार्य के उत्प्रेरण द्वारा प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार के आदान–प्रदानों को मजबूत किया जाएगा।

10. भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं में लघु और मध्यम उद्यमों की अहम महत्ता को स्वीकार करते हुए, विशेष रूप से निर्यात क्षेत्र में, तथा दोनों देशों में इस क्षेत्र के लिए विशेष बल दिया जाता रहा है, यह सहमति हुई थी कि लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में, संपर्कों तथा सूचनात्मक और वाणिज्यिक आदान–प्रदानों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया जाएगा।

11. दोनों पक्ष प्रबंधन में अनुभव के आदान–प्रदान के संबंध में सहयोग प्रोत्साहित करेंगे, तथा इस क्षेत्र में, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र अकदमियों का समर्थन करेंगे।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

12. दोनों देशों की सरकारें वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं, हल्की इंजीनियरी वस्तुओं, खाद्य प्रस्संकरण तथा कृषिगत उत्पादों में मौजूदा व्यापार आदान–प्रदानों का विस्तार करने संबंधी उपायों का समर्थन करेंगे। वे ज्ञान आधारित उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुओं तथा उन सेवाओं जिन्हें व्यापार बाजार में शामिल किया जा सकता है, व्यापार विकसित करने में तथा उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यमों के लिए प्रयास भी करेंगे।

13. दोनों पक्ष अपनी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगतात्मकता और अधिक बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएंगे। व्यवसायी समुदाय को राष्ट्रीय विधायन के अनुरूप गुणवत्ता आश्वासन तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

14. दोनों सरकारें संयुक्त रूप से अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग व्यवस्थाओं की संभावनाओं का पता एक ऐसी रीति से लगाएंगे जो उनके अपने–अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो।

15. दोनों देशों की विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में एक दीर्घ परम्परा तथा सुस्थापित क्षमताएं हैं तथा लाभदायक तथा परस्पर रूप से लाभकारी सहयोग का एक कीर्तिमान है। इस अन्योन्यक्रिया को राष्ट्रीय विधायन तथा अंतर्राष्ट्रीय करारों के अनुरूप प्रमुख प्रौद्योगिकीयों के सार्थक वाणिज्यिकरण के लिए वातावरण के सर्जन पर विशेष बल देकर प्रगाढ़ किया जाएगा। इसमें उच्च प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान और अनुप्रयोग के सीमांत क्षेत्रों के लिए ध्यान देना भी शामिल होगा। दूरसंचार, कम्प्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एक साथ मिलकर कार्य करने की संभावनाएं भी सक्रिय रूप से निष्पादित की जाएंगी। दोनों सरकारें इस प्रयोजन के लिए संगठनात्मक और अन्य आवश्यक समर्थन प्रदान करेंगी।

16. दोनों पक्ष ज्ञान आधारित उद्योगों के सर्जन के लिए अपने–अपने संबंधित देशों में कुशल जनशक्ति की बड़ी संख्या द्वारा प्रदत्त अवसरों को अधिकतम करने के लिए प्रयास करेंगे, इसके विपरीत, एक–दूसरे के बाजारों में, विशेष रूप से कापीराइटों तथा पेटेंट के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित करते हुए।

17. ऊर्जा सुरक्षा के मसले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कि भारत और रूसी परिसंघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक उदीयमान महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में दीर्घावधिक सहयोग गहन करने के लिए अपनी साझी इच्छा का संकेत दिया, जिसका केस्पीयन सागर, और ऊर्जा क्षेत्र के अन्य पहलुओं सहित अन्य क्षेत्रों के लिए विस्तार किया जा सकता है।

18. द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के प्रयास में, दीर्घकालीन विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के सिद्धांतों के लिए समुचित महत्व प्रदान किया जाएगा।

19. दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक तथा वित्तीय निकायों के साथ अपनी अन्योन्यक्रिया में सहयोग की महत्ता को माना। भारत विश्व व्यापार संगठन में रूस के शीघ्र प्रवेश का समर्थन करता है, तथा इस संबंध में सभी संभव सहायता प्रदान करेगा।

20. दोनों पक्ष अपने आर्थिक संबंधों के लिए दिशा तथा एक अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करने में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग संबंधी अंतर–सरकारी आयोजन के स्थायी योगदान को मानते हैं। अंतर–सरकारी आयोग तथा रूस सहायक निकाय इस संयुक्त घोषणा के प्रावधानों को अमल में लाने में एक आवश्यक समन्वयकारी तथा नोडल भूमिका अदा करेंगे। यह अंतर–सरकारी आयोग इस संयुक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट उपायों के क्रियान्वयन में प्रगति मानीटर करने के लिए एक कार्यबल का गठन करेगा तथा आगामी शिखर बैठक में रिपोर्ट करेगा।

प्रधान मंत्री	राष्ट्रपति
भारत गणराज्य	रूसी परिसंघ

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2002

भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग से संबद्ध समझौता-ज्ञापन

भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद पक्षकार कहा गया है,

आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध विद्यमान

अंतर्राष्ट्रीय करारों के लक्ष्यों और सिद्धांतों, संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के संकल्पों को ध्यान में रखते हुए,

भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच 5 अक्टूबर, 2000 को संपन्न सामरिक भागीदारी से संबद्ध घोषणा तथा भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के द्वारा 6 नवंबर, 2001 को संपन्न अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध मास्को घोषणा के अनुसरण में कार्य करते हुए,

बढ़ रहे आतंकवादी खतरों पर चिंता व्यक्त करते हुए,

बिना किसी अपवाद के सभी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों की भर्त्सना करते हुए,

आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास और साथ ही बुनियादी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के उपभोग के लिए एक खतरा है, इस बात को स्वीकार करते हुए,

संगठित अपराध के सभी स्वरूपों, विशेषकर आतंकवाद और स्वापक औषधियों एवं तस्करी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों से संबंधित अपराधों के बीच विद्यमान संपर्कों को ध्यान में रखते हुए,

निम्न अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-एक

1. दोनों पक्षकार अपने-अपने राष्ट्रीय विधानों के अनुसरण में :

   (क) उन आतंकवादी गुटों के संबंध में जानकारी, जिसमें दोनों देशों के आतंकवादियों के बीच संपर्क स्थापित होने से संबंधित जानकारी शामिल है, का आदान-प्रदान करेंगे जिनकी गतिविधियों के कारण उनके हितों को हानि पहुंचती है;

   (ख) अपने-अपने देशों और राष्ट्रिकों के विरुद्ध यथावश्यक राजनयिक माध्यमों से, संभावित आतंकवादी कृत्यों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे;

   (ग) यदि उनके हित प्रभावित होते हैं तो दोनों पक्षकार आतंकवादी कृत्यों को रोकने और इनकी जांच करने, इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों की खोज करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक-दूसरे के साथ सक्रिय विचार-विमर्श करेंगे।

2. दोनों पक्षकार राज्य और सरकार के स्तर पर संपर्कों के दौरान और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक खेलों और अन्य समारोहों के दौरान सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करेंगे।

3. दोनों पक्षकार दोनों देशों के बीच परिवहन संचार के लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु विचार-विमर्श करेंगे और इस उद्देश्य से अपने-अपने देशों के सुरक्षा प्राधिकारियों के बीच सूचना और अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

4. दोनों पक्षकार आतंकवादी कृत्यों, जिसके लिए संभवतः नाभिकीय, रासायनिक और जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है, पर रोक लगाने से संबंधित मामलों पर संपर्क बनाए रखेंगे।

5. दोनों पक्षकार सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए उपाय करेंगे और मादक द्रव्यों और शस्त्रों के गैर-कानूनी व्यापार, जो आतंकवादी संगठनों के वित्त-पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर रोक और दमन के लिए सहयोग करेंगे।

6. दोनों पक्षकार विशेष प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों, जैसे कि बंधक बनाने और बल प्रयोग करके विमानों का अपहरण करने पर रोक लगाने और उनका दमन करने के लिए जानकारी और अनुभव का आदान-प्रदान करेंगे।

7. दोनों पक्षकार उपकरणों, शस्त्रों के उन्नयन और तकनीकी संरक्षण के लिए आपसी आधार पर आतंकवाद का मुकाबला करने में लगी इकाइयों के कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे और साथ ही जानकारी और अनुभव का आदान-प्रदान करेंगे।

8. दोनों पक्षकार उपयुक्त उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएंगे।

9. दोनों पक्षकार निम्नलिखित में एक-दूसरे को सहयोग और सहायता करेंगे :

   (क) आतंकवाद के कारणों, इसकी विषय-वस्तु, संरचना, गति और अभिव्यक्तियों का अध्ययन;

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

(ख) प्रासंगिक वैज्ञानिक और प्रशिक्षण सामग्री, विशेषज्ञों और प्रशिक्षुओं का आदान–प्रदान;

(ग) संयुक्त कार्यकारी बैठकें, कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का आयोजन;

(घ) आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों के वित्त पोषण की पहचान करना, इस पर रोक लगाना और दमन करना;

(ङ) आतंकवाद का वित्त–पोषण करने के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय को वैध बनाने (लाउण्डरिंग) का मुकाबला करने के लिए पैसों अथवा अन्य संपत्तियों के लेन–देन में शामिल संगठनों पर नियंत्रण रखना।

10. इस ज्ञापन के अंतर्गत अपने सहयोग की क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से दोनों पक्षकार आपसी आधार पर जिम्मेदार संपर्क अधिकारी नामित कर सकते हैं।

अनुच्छेद-दो

भारत गणराज्य का विदेश मंत्रालय और रूसी परिसंघ का विदेश मंत्रालय आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना करेंगे। इस दल की गतिविधियां अनुबंध द्वारा शासित होंगी जो कि इस ज्ञापन का एक अभिन्न अंग है।

अनुच्छेद-तीन

इस ज्ञापन का प्रभाव दोनों पक्षकारों के उन अधिकारों और बाध्यताओं पर नहीं पड़ेगा जो किसी ऐसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों अथवा अभिसमय के फलस्वरूप दोनों पक्षकारों को प्राप्त हैं, जिनके ये पक्षकार हैं।

अनुच्छेद-चार

1. यह ज्ञापन इसके प्रवृत्त होने के लिए दोनों पक्षकारों द्वारा अनिवार्य घरेलू प्रक्रियाएं पूरा कर लिए जाने के संबंध में अंतिम लिखित अधिसूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के पश्चात प्रवृत्त हो जाएगा और एक वर्ष के लिए लागू रहेगा।

2. इस ज्ञापन की अवधि एक–एक वर्ष के लिए स्वतः बढ़ जाएगी बशर्ते कि दोनों में से कोई एक पक्ष इसे समाप्त करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना कम से कम 90 दिन पूर्व दूसरे पक्ष को न दे दे।

नई दिल्ली में 4 दिसम्बर, 2002 को हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो–दो पाठों में संपन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	रूसी परिसंघ की सरकार की ओर से

अनुबंध

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रतिकार से सम्बद्ध एक संयुक्त भारत-रूसी कार्यदल की स्थापना

1. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के कृत्यों, औषध व्यापार तथा उनके सम्पर्कों से सम्बद्ध अनुभवों और परिणामों के आकलन का आदान–प्रदान करने;

   – अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और औषध व्यापार के प्रतिकार से सम्बद्ध दृष्टिकोण के समन्वयन,

   – भारत और रूस में स्थित आतंकवादी समूहों अथवा अन्तःराष्ट्रीय सम्पर्कों वाले अन्य आतंकवादी समूहों की गतिविधियों के विषय में सूचना का आदान–प्रदान करने,

   – भारत और रूस के विरुद्ध आतंकवादी कृत्यों की योजना, समर्थन, अथवा निष्पादन में लगे हुए समूहों सहित आतंकवादी समूहों की गतिविधियों को कुचलने,

   – संस्थागत सहयोग के उद्देश्य से दोनों पक्ष एक संयुक्त भारत–रूस कार्यदल की स्थापना करेंगे।

2. कार्यदल

   – आतंकवादी कृत्यों और औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार का समर्थन करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क की पहचान का प्रयत्न करेगा।

   – प्रचलनात्मक गुप्त आसूचना के आदान–प्रदान की प्रक्रिया पर विचार करेगा।

   – निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर सुझाव देगा :

(क) आतंकवादियों की गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण तथा आपराधिक अभियोजन।

(ख) परस्पर तकनीकी सहायता विशेषरूप से पुलिस तथा जन सुरक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण क्षेत्र में और व्यावसायिक अनुभवों का आदान–प्रदान।

(ग) आतंकवादी संगठनों के वित्तीय स्रोतों/निधि के प्रवाह की पहचान, रोकथाम और दमन।

– अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और औषधों के व्यापार के विधिक उपायों का समर्थन करने के तौर–तरीकों का पता लगाना।

– विमान अपहरण को रोकने, बंधकों के बचाव और अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी अनुभवों का आदान–प्रदान।

– किसी अन्य देश के विरुद्ध कार्य कर रहे आतंकवादी संगठनों अथवा उनके अपने क्षेत्रों से जन–संहार के हथियारों को प्राप्त करने से रोकने में सहयोग।

– आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय के वैधीकरण को रोकने की दृष्टि से परस्पर कार्य–कलाप।

– अन्तःराष्ट्रीय आतंकवाद के प्रतिकार से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय को शीघ्र स्वीकार और पारित कराने की दृष्टि से समन्वित प्रयास।

अन्तःराष्ट्रीय सम्पर्कों सहित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के विचार से सहयोग।

– इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों के साथ सहयोग के प्रयत्नों के तरीकों पर चर्चा;

– दोनों पक्षों के परस्पर करार, पर अन्य क्षेत्रों में सहयोग कायम रखना।

3. भारत के पक्ष की ओर से गृह मंत्रालय और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों और साथ ही औषध व्यापार तथा मुद्रा के लेन–देन से संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की भागीदारी से विदेश मंत्रालय कार्यदल की समन्वधक गतिविधियों का प्रमुख अभिकरण होगा; रूसी परिसंघ के पक्ष की ओर से, उपयुक्त रूसी विभागों को प्रतिनिधियों की भागीदारी सहित, विदेश मंत्रालय कार्यदल की समन्वयक गतिविधियों के लिए प्रमुख अभिकरण होगा।

4. कार्यदल प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक समय में अपनी बैठकें करेगा। बैठकें बारी–बारी से नई दिल्ली और मास्को में होंगी।

यह कार्य दल कार्य में अपनी तरह से गोपनीयता बरतेगा।

इस समझौते के अन्तर्गत सहयोग के लिए एक पक्ष द्वारा प्रदान की गई कोई सूचना उस पक्ष की सहमति के बिना जिसने सूचना प्रदान की है, किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जाएगी।

संयुक्त वक्तव्य

रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री ब्लादिमीर पुतिन 3 से 5 दिसम्बर, 2002 तक राजकीय यात्रा पर भारत आए।

रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम से मुलाकात की। भारत के उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत, उप प्रधान मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा और विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात की। भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति ने विभिन्न द्विपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर वार्ता की।

ये व्यापक चर्चाएं गर्मजोशी एवं सद्भावना, विश्वास और मैत्री तथा परस्पर विश्वास के पारम्परिक माहौल में सम्पन्न हुईं जो कि दोनों देशों के बीच के संबंधों की विशेषता है।

इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित "भारत और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक भागीदारी को अधिक मजबूत बनाने संबंधी दिल्ली घोषणा" का लक्ष्य है–द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मंच दोनों के संदर्भ में सामरिक भागीदारी को उच्चतर और गुणात्मक रूप से एक नए स्तर पर ले जाना। भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच "आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ करने और बढ़ाने संबंधी संयुक्त घोषणा" पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस दस्तावेज में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों–व्यापार, निवेश, सहयोग के नए क्षेत्रों तथा वाणिज्यिक घटक वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के उन्नयन पर खास तौर से ध्यान केन्द्रित किया गया है। सहयोग के

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

विभिन्न क्षेत्रों में भारत–रूस संबंधों के विकास को सुकर बनाने के लिए अन्य अनेक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

दोनों ही पक्षों ने शिखर स्तरीय वार्षिक बैठकों के साथ–साथ मंत्रिस्तरीय एवं अन्य स्तरों पर बैठकों एवं आवागमन की स्थापित परम्परा के बारे में संतोष व्यक्त किया। दोनों ही पक्षों ने, दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट राजनैतिक संपर्कों को जारी रखने और इन्हें विस्तारित करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय द्वारा विभिन्न मुद्दों पर नियमित एवं गहन परामर्शों को उपयोगी तथा लाभदायक माना गया।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद के बीच सतत सहयोग की वृद्धि से समान खतरों और चुनौतियों का सामना करने के बारे में दोनों देशों के बीच परामर्शों को बहुमूल्य दिशा मिली है।

व्यापारिक एवं आर्थिक सम्बन्धों को और भी मजबूत बनाने के अपने प्रयासों को द्विगुणित करने के अपने इरादे की पुनः पुष्टि दोनों पक्षों ने की। इन प्रयासों का लक्ष्य है--निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार बढ़ाने के साथ–साथ व्यापार बाधाओं को हटाना। "व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत–रूस अंतर्सरकारी आयोग" के द्वारा किए गए कार्य के सकारात्मक मूल्यांकन पर चर्चा करते हुए दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के घटकों के साथ–साथ वैश्विक मंच पर उभर रही प्रवृत्तियों में प्रत्याशित परिवर्तनों पर आधारित दूरदर्शी दृष्टिकोण/दीर्घकालिक रणनीति को अंगीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संबंध में, नवम्बर, 2002 में नई दिल्ली में सह–अध्यक्षों की अंतर्संत्रीय समीक्षा समिति की बैठक को महत्वपूर्ण समझा गया।

दोनों ही पक्षों ने नोट किया कि दोनों पक्षों के बीच सहयोग का एक संभावनापूर्ण क्षेत्र है--ऊर्जा सुरक्षा का। यह भावना एक समझौते को संपन्न किए जाने के रूप में व्यक्त हुई जिसके द्वारा रूसी परिसंघ में स्थित सखालिन तेल एवं गैस परियोजना में ओ एन जी सी विदेश लि. की सहभागिता सुकर हुई। दोनों ही पक्ष उनके परस्पर हितों को प्रभावित करने वाले वैश्विक ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति के बारे में उपयुक्त तंत्रों के माध्यम से नियमित द्विपक्षीय चर्चा करेंगे।

कुदनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन में की गई प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष जताया और यह माना कि परियोजना की विस्तारित व्याप्ति से दोनों देशों का हित साधन हो सकेगा।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों में भारत और रूस के बीच सहयोग की उत्पादक क्षमता के एक उदाहरण के रूप में अप्रैल, 2001 में जी एस एल वी का सफल प्रक्षेपण किया गया जिसमें कि रूसी क्रायोजेनिक स्टेज का प्रयोग किया गया था। इस क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी वचनबद्धता दोनों ही पक्षों ने दुहराई।

दोनों ही पक्षों ने महसूस किया कि सैन्य तकनीकी सहयोग, विशेष तौर पर संयुक्त अनुसंधान, विकास एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ अंतर सेना संपर्क भी दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप और एशिया तथा इससे परे भी शांति एवं स्थायित्व के अनुकूल है।

दोनों ही पक्ष इस पर सहमत थे कि संस्कृति के क्षेत्र में पारंपरिक संपर्कों को मजबूत बनाना और दोनों देशों के लोगों के बीच दीर्घकाल से चले आ रहे ऐतिहासिक संपर्कों को संयोजित करना महत्वपूर्ण है। यह बात दुहराई गई कि 2003–2004 की अवधि के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर अति निकट भविष्य में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

भारत और रूस ने रोरिक परिवार की अनूठी कलात्मक एवं सांस्कृतिक धरोहर जो कि भारत–रूस मैत्री के लिए चिर स्थायी महत्व की है, के संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता महसूस की।

दोनों ही पक्षों ने निर्णय लिया कि वर्ष 1993 के बाद से भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण समझौतों एवं दस्तावेजों का एक संयुक्त प्रकाशन निकाला जाए।

दोनों ही पक्षों ने परस्पर हित एवं रुचि के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन विचार–विमर्श किया। उन्होंने पाया कि उनके बीच परस्पर समझ उच्च स्तर की है और उनके मत बहुत मिलते–जुलते हैं।

सामरिक भागीदारी के रूप में भारत और रूस ने एक नई सहयोगात्मक सुरक्षा व्यवस्था पर आधारित एक बहुध्रुवीय विश्व के विकास के लिए सामरिक स्थायित्व से जुड़े मुद्दों पर द्विपक्षीय रूप से और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करने की अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की। मैत्री, विश्वास और निष्ठापूर्ण संबंधों ने समग्र रूप से यूरेशियाई स्थायित्व में योगदान किया और यह एक वैश्विक महत्व वाला घटक है।

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य

के साथ ही विशेषरूप से व्यवस्थित और क्रमिक प्रयत्नों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित निरस्त्रीकरण के लक्ष्यों के लिए समर्थन देकर विश्व के नाभिकीय हथियारों को उत्तरोत्तर कम करते हुए अंततोगत्वा उनको समाप्त करने के उद्देश्यों को प्राथमिक महत्व देने पर विचार किया गया। भारत ने रूस और अमरीका द्वारा संपन्न उनकी सामरिक आक्रामक हथियारों को उत्तरोत्तर कम करने से संबद्ध सामरिक आक्रामक हथियारों से संबद्ध संधि का स्वागत किया है। भारत और रूस ने अन्य नाभिकीय हथियारों वाले देशों को भी उपयुक्त समय पर नाभिकीय हथियारों को कम करने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का आह्वान किया है।

दोनों पक्षों ने दोहरे उपयोग की सामग्री और प्रौद्योगिकियों के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले अपनी राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की। दोनों देश उच्च–प्रौद्योगिकी के आदान–प्रदान को बढ़ाने, व्यापार और वाणिज्य की अनुकूलता सहित दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी के लिए भी कार्य करेंगे।

दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति आदर की भावना के सिद्धांतों के आधार पर एक न्यायोचित बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना में सहयोग के लिए अपनी दृढ़ भावना की पुनः पुष्टि की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सामान्य बनाने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय तंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उसमें और सुधार करने का समर्थन किया। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रातिनिधिक और प्रभावकारी बनाने के लिए उसमें बराबर सुधार करते रहने की आवश्यकता पर सहमत थे। रूसी परिसंघ ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत गणराज्य की योग्य और दृढ़ उम्मीदवार के रूप में अपने समर्थन की पुनः पुष्टि की।

दोनों पक्षों ने इस बात की पुष्टि की कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक कट्टरवाद, अलगाववाद और पृथग्वाद सीमापार संगठित अपराध और हथियारों तथा औषधों के अवैध व्यापार अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थायित्व के लिए बढ़ता हुआ तथा गंभीर खतरा है। अक्तूबर, 2002 में मास्को में बंधक बनाए जाने और साथ ही भारत तथा अन्य देशों में हुए आतंकवादी हमले दर्शाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय आतकवादियों के जोखिम को झेल रहा है। भारत और रूस सभी प्रकार के आतंकवाद चाहे राजनीतिक, धार्मिक अथवा वैचारिक किसी भी आधार पर हो और जहां भी विद्यमान हो, को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं। इस बात पर बल दिया गया कि इस संकट से निपटने के लिए व्यापक और दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। ऐसे उपाय उन देशों, सत्ताओं और व्यक्तियों के लिए भी होने चाहिए जो सीमा पार आतंकवाद में लिप्त लोगों को आश्रय अथवा शरण देते हैं। अथवा आतंकवादियों को समर्थन, धन देते हैं अथवा उन्हें उकसाते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध मुकाबले के लिए दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। दोनों पक्षों ने 6 नवंबर, 2001 को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध मास्को घोषणा की संगतता की भी पुनः पुष्टि की। उन्होंने आतंकवाद के मुकाबले से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों, विशेषरूप से संकल्प 1373 के कड़ाई से अनुपालन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने नाभिकीय आतंकवाद की कार्यवाही के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रारूप और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अभिसमय के प्रारूप को अंतिम रूप देने के प्रयासों को तेज करने का भी समर्थन किया। आतंकवाद की जड़ें जो दोनों के साझे पड़ोस में मौजूद हैं उनके सुरक्षा हितों के लिए खतरा हैं। दोनों पक्ष इन खतरों का सामना करने और इस संबंध में सहयोग के लिए निवारक उपाय करेंगे। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की रोकथाम और उसके दमन के लिए मिलजुलकर तथा द्विपक्षीय प्रयास करने की अपनी इच्छा जताई। यह इच्छा वर्तमान भारत–रूस शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम से संबद्ध समझौता ज्ञापन को संपन्न करके पुनः पुष्ट की गई।

अफगानिस्तान की घटनाओं पर गहन चर्चा में दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की सुरक्षा को मिल रही लगातार धमकियों को नोट किया। भूतपूर्व तालिबान और अल कायदा के संभावित पुनर्मिलन और उनके अपने प्रायोजकों के साथ निरन्तर संपर्कों के प्रति चिंता जाहिर की गई। इसी समय दोनों पक्षों ने यह आशा व्यक्त की कि अफगानिस्तान का अंतरिम प्रशासन देश में शांति की बहाली करने, आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना की पुनर्स्थापना और आर्थिक समुत्थान में सफल होगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में होगा कि वह देखे कि अफगानिस्तान में एक स्थिर और प्रभुतासम्पन्न सरकार हो। सभी संबंधित देशों को अंतरिम प्रशासन को बराबर समर्थन देने की राय बनानी चाहिए। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को दी जा रही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं मानवीय सहायता को और बढ़ाने का समर्थन किया और दोनों ही पक्ष उनके कार्यकलापों का निकटता से समन्वय करना जारी रखने

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पर सहमत हुए। भारत और रूस ने अक्तूबर, 2000 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत की यात्रा के दौरान स्थापित अफगान से सम्बद्ध उनके संयुक्त कार्य दल की अनवरत उपयोगिता का सकारात्मक आकलन किया।

दोनों पक्षों ने मध्य एशिया में सुरक्षा और स्थापित्व को उनके लिए अत्यन्त विशिष्ट माना और मध्य एशिया की जनता द्वारा चुनी गई धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जीवन प्रणाली को और दृढ़ करने का समर्थन किया।

दोनों पक्षों ने एशिया में वर्तमान स्थिति पर विस्तार में चर्चा की। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर में तथा सीमापार में अन्य स्थानों पर नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने और साथ ही 1972 के शिमला समझौता और 1998 की लाहौर घोषणा के अनुसार द्विपक्षीय रूपरेखा में दोनों देशों के सभी अनसुलझे मसलों को निपटाने के लिए पुनः शांतिपूर्ण वार्ता की पूर्वापेक्षा के रूप में पाकिस्तान स्थित और पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में आतंकवादी आधारसंरचना को समाप्त करने के दायित्वों और वायदों को पूरा करने में इस्लामाबाद की महत्ता पर बल दिया।

दोनों पक्षों ने एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व को देखा और इस व्यापक क्षेत्र के स्थायी और सुरक्षा से संबद्ध हित में इस क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों की विशिष्टता पर बल दिया।

दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन अथवा एक तरफा बल प्रयोग की धमकी और साथ ही अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया। इस बात पर बल दिया गया कि इराक की स्थिति का व्यापक समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था के अनुसार और केवल संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में राजनीतिक और राजनयिक प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ विश्वास में लेकर सहयोग के साथ उसे प्रोत्साहित करके इराकी नेतृत्व के साथ लगातार गहन कार्य की महत्ता को नोट किया।

दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व में गतिविधियों के संबंध में चिंता जाहिर की जहां अभी तक संकटपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उन्होंने इजरायल-फिलीस्तीन वार्ता को पुनः आरंभ करने के तत्काल उपायों का समर्थन किया और यह नोट किया कि शांति प्रक्रिया का कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने फिलीस्तिनियों और इजरायलियों दोनों के विरुद्ध हिंसा की किसी कार्रवाई का विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1435 के शीघ्र संभावित कार्यान्वयन को कहा।

दोनों पक्षों ने यह विश्वास जाहिर किया कि रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा और इस यात्रा के दौरान हुई चर्चाएं दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी को और विकसित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को दृढ़ करने तथा न्यायोचित, निष्पक्ष लोकतांत्रिक तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए द्विपक्षीय सहयोग और कार्यकलापों का विस्तार करने में सहायक हों। रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान मंत्री को रूसी परिसंघ की यात्रा का निमंत्रण दिया। यह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया गया। यात्रा की तारीख राजनयिक माध्यमों से तय की जाएगी।

नई दिल्ली

4 दिसम्बर, 2002

अपराह्न 12.10 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 1204(अ) जो 16 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गंजम से सुनाखाला खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1205(अ) जो 16 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गंजम से सुनाखाला खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1206(अ) जो 16 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जो उड़ीसा राज्य के खुर्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर सुनाखाला से खुर्द तक (विशाखपत्तनम–भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1207(अ) जो 16 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं. एल.टी. 6310/2002]

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6311/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य–संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2001 जो 28 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 228 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2001 जो 28 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 229 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य–संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 139 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 140 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य–संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 141 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य–संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 144 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य–संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम,

2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 146 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.निन. 147 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6312/2002]

(2) (एक) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6313/2002]

(3) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6314/2002]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6315/2002]

(5) (एक) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आगरा के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आगरा के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6316/2002]

(6) (एक) फ्रैगरेन्स एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्रैगरेन्स एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6317/2002]

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6318/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं डा. संजय पासवान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 की धारा 86 की उपधारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2002 जो 19 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचा संख्या का.आ. 1015 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6319/2002]

(2) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6320/2002]

(4) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6321/2002]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001–202 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6322/2002]

(6) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति) विनियम, 2001, जो 15 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5–4/2000 (ए एण्ड एल) में प्रकाशित हुए थे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रबंधक (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का रखरखाव) नियम, 2002, जो 27 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 782 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त मद संख्या (6) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी 6323/2002]

[अनुवाद]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टि.ट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6324/2002]

(3) (क) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 1998–1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 1998–1999 से वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6325/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26–क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 732 (अ) जो 29 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय औषधियों का मानव उपभोग के लिए विनिर्माण, विक्रय तथा वितरण का निषेध करने के बारे में है, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6326/2002]

(2) (एक) आर.एस.टी. रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर.एस.टी. रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6327/2002]

(4) (एक) आर.एस.टी. रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर.एस.टी. रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6328/2002]

(5) (एक) कैंसर इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6329/2002]

(6) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे :

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6330/2002]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ौदा

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6331/2002]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6332/2002]

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6333/2002]

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6334/2002]

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6335/2002]

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6336/2002]

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6337/2002]

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6338/2002]

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6339/2002]

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6340/2002]

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6341/2002]

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, सागर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6342/2002]

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6343/2002]

(पंद्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6344/2002]

(सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरुवनंपुरम

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6345/2002]

(सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6346/2002]

(अठारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र विशाखापत्तनम

(7) उपरोक्त केन्द्रों के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6347/2002]

(8) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6348/2002]

(9) (एक) पाश्ट्योर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पाश्ट्योर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6349/2002]

(10) हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6350/2002]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखा–पत्तनम के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखा–पत्तनम का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6351/2002]

(ख) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6352/2002]

(2) (एक) मुर्मूगाओ पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाओ के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुर्मूगाओ पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाओ के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6353/2002]

3. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 222(अ) जो 22 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 4 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 246(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) सा.का.नि. 284(अ) जो 15 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 18 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तीन) सा.का.नि. 750(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 23 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 380(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(4) उपर्युक्त मद संख्या (3) के (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6354/2002]

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 285(अ) जो 15 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी) पहला संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 290(अ) जो 18 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 381(अ) जो 2 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 319(अ) जो 2 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 380(अ) जो 23 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) दूसरा संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 393(अ) जो 30 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 757(अ) जो 8 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन किया गया है।

(6) उपर्युक्त मद संख्या (5) के (एक) से (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6355/2002]

(7) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत महानिदेशालय (समूह 'क' और समूह 'ख' गैर-तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2002 जो 18 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6356/2002]

(8) एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6357/2002]

अपराह्न 12.12 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) **"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 9 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए शरणार्थी**

सहायता कर (उत्सादन) निरसन विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002 को 9 दिसम्बर, 2002 को राज्य सभा द्वारा पारित, सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.12½ बजे

[हिन्दी]

याचिका समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं याचिका समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.13 बजे

[अनुवाद]

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

चौरासीवां से इक्यानवेवां प्रतिवेदन

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों* की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन के बारे में 84वां प्रतिवेदन (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय)।

(2) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटेड (एच एस सी एल), इस्पात मंत्रालय को वित्तीय सहायता एवं पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन की स्थिति तथा कम्पनी के पुनरुद्धार के बारे में 85वां प्रतिवेदन।

(3) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड (एम एस टी सी), इस्पात मंत्रालय की कार्य-निष्पादन समीक्षा के बारे में 86वां प्रतिवेदन।

(4) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड (बी आर एल), इस्पात मंत्रालय को वित्तीय सहायता एवं पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन की स्थिति तथा कम्पनी के पुनरुद्धार के बारे में 87वां प्रतिवेदन।

(5) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल), इस्पात मंत्रालय की कार्य--निष्पादन समीक्षा के बारे में 88वां प्रतिवेदन।

(6) दुर्गापुर स्टील प्लांट (डी एस पी), इस्पात मंत्रालय के आधुनिकीकरण, पुनर्गठन तथा विस्तार कार्यक्रमों के बारे में 89वां प्रतिवेदन।

(7) कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र (लघु उद्योग मंत्रालय) में रुग्णता के बारे में 90वां प्रतिवेदन; और

(8) कयर बोर्ड--कार्य-निष्पादन समीक्षा (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) के बारे में 91वां प्रतिवेदन।

*माननीय सभापति, राज्य सभा को 20 अगस्त, 2002 को, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, प्रस्तुत किए गए।

अपराह्न 12.14 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों के समक्ष आ रही समस्याएं

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

"खाड़ी देशों में जाने वाले और वहां कार्य कर रहे भारतीयों के समक्ष आ रही समस्याओं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : खाड़ी देशों में रह रहे तथा कार्य कर रहे भारतीय राष्ट्रिकों विशेषकर अकुशल कामगारों के समक्ष आमतौर पर पेश आ रही समस्याएं मुख्यतः मजदूरी का भुगतान न किया जाना, लम्बे कार्य घंटे, दुर्व्यवहार, छुट्टी देने से इंकार करने, भर्ती करने वाले एजेन्टों द्वारा धोखाधड़ी, संविदा से संबंधित बाध्यताओं का पूरा न किया जाना, कार्य करने और रहने की घटिया किस्म की परिस्थितियां, मृत्यु और विकलांगता संबंधी मुआवजा न देने और शवों को भारत वापिस भेजने से संबंधित हैं। अकुशल और अर्ध-कुशल कामगारों की मांग में कमी और वेतन स्तर में कमी के कारण अर्धकुशल और अकुशल कामगार असुरक्षा की भावना से भी ग्रस्त हैं। उनके रोजगार के समय से पहले समाप्त होने की दशा में भारत में उनकी वापसी पर उनके पुनर्वास और पुनःस्थापन से संबंधित चिंता भी है। इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों ने स्थानीयकरण और अरबीकरण की नीतियां लागू की हैं जिससे आने वाले वर्षों में भारतीय श्रम प्रभावित होगा। हालांकि ये नीतियां भेदभाव रहित हैं और विशेष रूप से भारतीयों को लक्ष्य नहीं बनाया गया है।

भारत सरकार उत्प्रवास के इच्छुक व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए और खाड़ी देशों तथा अन्य देशों में रोजगार के लिए जा चुके उत्प्रवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है।

खाड़ी देशों में इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी भारतीय मिशनों की पूर्ण विकसित श्रम शाखाएं हैं।

यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती केवल पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के माध्यम से की जाए। जब मंत्रालय के समक्ष गैर-कानूनी एजेन्टों द्वारा भर्ती के मामले लाए जाते हैं, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु मामले को तुरन्त पुलिस प्राधिकारियों को सौंपने की तत्काल कार्रवाई की जाती है।

उत्प्रवासी संरक्षक के कार्यालयों में सभी श्रमिकों के उत्प्रवास की स्वीकृति से संबंधित आवश्यक रोजगार दस्तावेजों की भली-भांति जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों को वास्तविक मांग के अनुरूप विदेश भेजा जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अकुशल श्रमिकों को उत्प्रवास की अनुमति तभी दी जाए जब उनके दस्तावेजों को विदेशों में स्थित भारतीय मिशन सत्यापित कर दें।

गृह मंत्रालय के माध्यम से उत्प्रवास प्राधिकारियों को उत्प्रवास करने वाले श्रमिकों को देश छोड़ने की अनुमति देने से पूर्व पासपोर्ट की जांच करने का परामर्श दिया गया है।

जब कभी श्रमिकों के उत्पीड़न, वेतन का भुगतान न किया जाना आदि से संबंधित मामले मंत्रालय अथवा विदेशां में हमोर दूतावासों के ध्यान में लाए जाते हैं, संबंधित पंजीकृत भर्ती एजेन्टों को श्रमिकों की शिकायत तत्काल दूर करने की सलाह दी जाती है। अधिकांश मामलों में, पंजीकृत भर्ती एजेन्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि श्रमिकों की शिकायतों का समाधान शीघ्रतापूर्वक किया जा सके। उत्प्रवास महासंरक्षण के निदेशों का पालन न करने वाले अभिकर्त्ताओं के मामलों में, उनका पंजीकरण स्थगित कर दिया जाता है और यथाआवश्यक आगे की कार्रवाई की जाती है।

समझौते के अनुसार वेतन का भुगतान न करने वाली विदेशी एजेंसियों अथवा श्रमिका मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने वाली एजेंसियों को "प्रायर एप्रूवल कैटेगरी" (पी.ए.सी.) में शामिल किया जाता है और ऐसी एजेंसियों के लिए किसी भी नयी भर्ती को तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि विदेशों में स्थित भारतीय मिशन से नयी सकारात्मक सिफारिश प्राप्त न हो जाए।

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, सरकार खाड़ी देशों में जाने वोल और वहां कार्य कर रहे भारतीयों के समक्ष आने वाली समस्याओं से पूरी तरह से परिचित है और इस संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, पहले भारत श्रमिकों का विदेश जाना स्थायी उत्प्रवासन के आधार पर होता था। 1970 के दशक के मध्य में सहसा तेल क्रांति हुई जिसने उत्प्रवास का सारा रंग-रूप ही बदल गया। बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक अर्ध-कुशल और अकुशल खाड़ी देशों में जाने लगे। राजस्व में वृद्धि के कारण, खाड़ी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों की गति तेज हुई है। यदि आप गत पांच वर्षों के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि रोजगार के लिए भारत से होने वाला उत्प्रवासा में अत्यधिक कमी आई है। वर्ष 1997 में, यह संख्या 4.16 लाख थी और वर्ष 2001 में यह 2.79 लाख रह गई है। यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यधिक गिरावट देखने में आई है। इस मरुस्थल स्वर्ग में परिवर्तित करने में भारतीय लोगों का योगदान प्रशंसनीय है। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग से संपूर्ण मध्य-एशिया में शांति, सौहार्द

[श्री रमेश चेन्नितला]

और विकास को बढ़ावा देने में निश्चित रूप से मदद मिली है।

संयुक्त अरब अमीरात जनवरी, 2003 से मौजूदा श्रम कानून में परिवर्तन करने वाली है। केरल में सभी मलयाली दैनिक समाचार पत्रों में समाचार व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ है कि अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक खाड़ी देशों में रोजगार के अवसर गंवा देंगे। संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के नागरिकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल अकुशल और कुशल श्रमिक प्रभावित होंगे बल्कि इसका असर उच्च पदों पर कार्य करने वाले श्रमिकों पर भी पड़ेगा। इसका एक कारण विदेशों पर उनके नागरिकों की आवश्यकता से अधिक निर्भरता को समाप्त करना हो सकता है। अगले साल से, ओमान स्थानीय नागरिकों के लिए सात और विभाग आरक्षित करने वाला है। सऊदी अरब सरकार पहले ही भारतीय लोगों को वीजा देने पर पाबंदियां लगा चुकी है। कई क्षेत्रों में पाबंदी लगाने का दृढ़ प्रयास किया जा रहा है और वीजा प्रदान करने से पूर्व अधिक कठोर जांच की जा रही है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां वीजा के संबंध में बहुत कठोर नियम लागू किए जा रहे हैं और हमारे देश के बहुत कम लोगों को इस देश के लिए वीजा मिल रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात और मध्य–पूर्व देशों में परिवर्तित होते इन कानूनों के मद्देनजर, मैं मंत्री जी और विदेश मंत्रालय से इन शिकायतों का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार विशेष रूप से विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित मिशनों और खाड़ी क्षेत्र की सरकारों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखे।

जब हमारे कुछ संसद सदस्यों को विदेश जाने का अवसर मिलता है, तो हमें वहां दूतावासों के कार्यों के बारे में पता चलता है। जहां तक खाड़ी मिशनों का मामला है, वे भारतीय मूल के हजारों लोगों से निपटते हैं। विदेशों में मिशनों में उचित ढंग से कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाती और विशेष रूप से हमारे मिशनों में श्रम विभाग में कर्मचारियों का अभाव बना रहता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी मिशनों विशेष रूप से खाड़ी देशों में मिशनों के उचित कार्यकरण के लिए अधिक संख्या में अधिकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे?

मेरे प्रश्न का संबंध खाड़ी देशों में स्थित मिशनों में संचित निधि बनाने से है ताकि भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं का समाधान उचित ढंग से किया जा सके। जब बहुत सारे मामले आ जाते हैं तब दूतावास असहाय महसूस करते हैं। वे कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अपने बजट से धन व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या सरकार खाड़ी देशों में विभिन्न कारणों से कष्ट भोग रहे भारतीय मूल के लोगों की सहायता के लिए संचित निधि के निर्माण पर विचार करेगी? क्या सरकार के मुखिया के रूप में प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में इन खाड़ी देशों में अपने मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण दौरे करेंगे और इन देशों के शासकों के साथ बातचीत करेंगे ताकि हमारे व्यापार संबंधों को प्रोत्साहन मिले, हमारे द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ हों और वहां कार्यरत भारतीय श्रमिकों को अधिक प्रोत्साहन मिले? इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर भी मिलेंगे।

हमारे देश के समक्ष बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। हमारे पास एकमात्र शक्ति श्रमशक्ति है। यदि श्रमशक्ति पाबंदियां हटाई नहीं जातीं तो इसका हमारे देश की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए, यह देखना केन्द्र सरकार का विशेष रूप से विदेश मंत्री का कर्त्तव्य है कि वह इन खाड़ी देशों में अपने मैत्री और सौहार्दपूर्ण दौरे करें ताकि वह उन शासकों के साथ बातचीत कर सकें और हमारे लोगों को विदेश जाने के अधिक अवसर मिल सकें।

जहां तक खाड़ी देशों से वापास आने वाले लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन का संबंध है, इस समस्या पर अधिक गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। केरल सरकार ने नोरका (एन.ओ.आर.के.ए.) नामक एक विभाग की स्थापना की है। श्री एम. एम. हसन मंत्री हैं और उन्हें खाड़ी देशों से वापस आने वाले लोगों की आवश्यकताओं की देखभाल करने का पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। क्या भारत सरकार इन लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन में इनकी मदद करने हेतु केरल सरकार के नोरका विभाग को हर संभव सहायता प्रदान करेगी?

अंत में, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पासपोर्ट जारी करने में असाधारण विलंब और पासपोर्टों के नवीकरण के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करूंगा। उत्प्रवास महासंरक्षक के पास उत्प्रवास से संबंधित लंबित पड़े मामलों को बिना किसी देरी के निपटाना होगा। क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मेरे निर्वाचन

क्षेत्र में प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य खाड़ी देशों में कार्यरत है।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : यही बात मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी है।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी यही बात है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इससे समस्या की गंभीरता प्रकट होती है। कुल परिणाम यह है कि यदि एक परिवार में कोई मृत्यु होती है, तो दाह–संस्कार उसी दिन नहीं होता। इसे अगले दिन अथवा उससे भी अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है क्योंकि उनके संबंधियों को खाड़ी देशों से आना पड़ता है। केरल में यह स्थिति है। यह सब कहकर, मैं इस समस्या की गंभीरता के संबंध में मंत्री जी को बताना चाहता था।

मैं कतिपय पुनर्वास उपायों का सुझाव देना चाहूंगा जो अति अविलम्बनीय हैं। हम यह जानते हैं कि उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। लोगों ने बड़ी संख्या में अमेरिका जाना आरंभ कर दिया है। अब उनकी छंटनी की जा रही है और उनकी संख्या कम की जा रही है।

अतः सबसे बड़ा प्रश्न पुनर्वास का है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को कुछ प्रयास करने चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आप्रवासन अधिकारी विदेश जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी से 2000 रुपए एकत्रित कर रहे हैं। मोटे तौर पर मुझे समझाया गया है कि केन्द्र सरकार के पास यह धनराशि बढ़कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इससे केन्द्रीय पुनर्वास कोष बनाया जा सकता है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह धनराशि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के योगदान से जुटाई जा सकती है ताकि खाड़ी देशों से छंटनी किए गए लोगों की भारत में स्थिति बेहतर बनाई जा सके या उन्हें पुनर्वास की सुविधा दी जा सके।

वे विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। एक तरह से वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और इसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अतः, हमें उन गरीब कामगारों के लिए यथासंभव सब कुछ करना चाहिए जो कि खाड़ी देशों में अनुपयुक्त परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उन देशों में वे खून–पसीना एक करके कार्य कर रहे हैं। वहां गरीब लोग कार्य कर रहे हैं। वे विदेशी मुद्रा के बल पर जीवित रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका वेतन अधिक होता है। ऐसा नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि उनको अपनी कमाई विदेशी मुद्रा से सहायता मिलती है। विदेशी मुद्रा से ही उनकी कुछ कमाई होती है और वह भारत को भेजते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश लोग निर्माण आदि कार्यों पर अपना धन व्यय करते हैं।

यहां दूसरा पहलू यह है कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया इन लोगों का शोषण कर रही थी। उनसे बहुत अधिक किराया लिया जाता था। हाल ही में इसमें विदेशी सेवा के प्रचालन से कमी आई है क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया अपना प्रभार कम करने को बाध्य हुई। लेकिन इसमें बहुत कमी नहीं की गई। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया दोनों ही गरीब लोगों का शोषण कर रही हैं। अतः, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

एक दूसरी समस्या भाषा से संबंधित है। वहां रहने वाले भारतीयों में कम से कम 75 प्रतिशत मलयाली हैं। वहां प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में सभी दूतावासों में कुछ ऐसे कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए जो कि मलयालम अच्छी तरह से बोल सकें। दक्षिण के कामगारों में यह आशंका है कि उनके साथ भाषा की कठिनाई के कारण भेदभाव किया जाता है। अतः, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मध्य–पूर्व के देशों में कुछ कर्मचारी मलयाली या केरल के हों। इससे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि वहां गरीब एवं कुशल लोग कार्य कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो पढ़ना भी नहीं जानते और वे केवल मलयाली जानते हैं। इन प्रकार के मामलों में उनका उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरी अगली बात भारत लाए जाने वाले शवों से संबंधित है। प्रत्येक दिन एक या दो मौतें होती हैं और शव हमारे राज्य को भेजे जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि प्रायोजक मुकर जाते हैं। वे खर्चे का भुगतान नहीं करते। इस मामले में दूतावास के कर्मचारियों के अविलम्ब हस्तक्षेप से बहुत मदद मिलेगी। इंडियन एयरलाइन्स उन्हें मुफ्त नहीं लाती है। बहुत अधिक प्रभार वसूला जाता है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ऐसी व्यवस्था करें ताकि बिना किसी विलंब के शवों को भारत लाया जा सके।

अंततः मैं यह कहना चाहूंगा कि अनेक गरीब कामगार आयात संबंधी कठिनाइयों और तकनीकी बारीकियों या उनके

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

विरुद्ध लगाए गए आपराधिक आरोपों के कारण जेलों में सड़ रहे हैं। उन्हें खाड़ी के देशों में रखा गया है। जब तक दूतावास के कर्मचारी त्वरित उपाय नहीं करेंगे उन्हें भारत नहीं लाया जा सकता। अतः जेलों में पड़े मलयाली लोगों पर विचार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें भारत लाने हेतु अविलंब कदम उठाए जाएं और उनके साथ न्याय किया जाए।

मैं पुनः मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मध्य-पूर्व के देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में त्वरित एवं अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिए और इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वहां विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अनेक लोग कार्य कर रहे हैं। उनके पुनर्वास और शवों को भारत लाने की व्यवस्था करके उनके साथ न्याय किया जाए और उनको यथासंभव हर प्रकार की सहायता दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, अपने उत्तर के पैरा 2(क) में मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है :

"खाड़ी देशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों में पूर्ण रूप से सक्रिय श्रमिक स्कंध हैं जो इन समस्याओं को निपटाते हैं।"

वास्तव में खाड़ी देशों के स्थानीय लोगों के घरों में कार्य करने वाली महिला कामगारों को उनके नियोजक सदैव धोखा देते हैं। उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है और उन्हें अपने घरों को पत्र लिखने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो वे इन स्थानीय लोगों के विरुद्ध शिकायत कैसे कर सकती हैं? खाड़ी के देशों में भारतीयों, विशेषकर, महिलाओं की यही समस्या है।

दूसरे आपने अपने मंत्रालय से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया है। जैसा कि श्री वरकला राधाकृष्णन जी ने उल्लेख किया, प्राप्त होने वाली शिकायतों में से अधिकांश एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वसूले जा रहे प्रभार से संबंधित हैं। हमें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वसूले जा रहे अत्यधिक किराए से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, खाड़ी देशों को जाने वाले केरल के लोगों में अधिकांश मेरे निर्वाचन क्षेत्र कालीकट के होते हैं। कालीकट के विमानपत्तन पर इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का एकाधिकार है। कोचीन और त्रिवेन्द्रम के विमानपत्तन अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं लेकिन कालीकट का विमानपत्तन अंतरराष्ट्रीय नहीं है। इसे केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर मिला हुआ है। अतः केवल इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया ही कालीकट से उड़ान की सेवाएं देते हैं। वे यात्रियों से अधिक किराया लेते हैं। मैं मंत्री महोदय से किराया घटाने का अनुरोध करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारी यहां उपस्थित हैं। आप, खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे सामान्यतः सभी भारतीयों और विशेषकर केरल के लोगों की सहायता करने के लिए कुछ कीजिए।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है कि अनेक आवेदक कुवैत से क्षतिपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषकर केरल में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा निर्धारित नये प्रपत्र को भरना है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग से कहा जाए कि कुवैत क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले आवेदनों को भरने की समय सीमा बढ़ाई जाए। ये कुछ बातें हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। हम सरकार से अनुकूल उत्तर की आशा करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण, नियम 197 से स्पष्ट है केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्होंने सूचना दी है। दुर्भाग्य से कुछ सदस्यों ने सूचना नहीं दी है। इसलिए, अब मैं किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। हमें नियमानुसार कार्य करना है। हां, अब मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निःसंदेह यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप इस मामले को जब भी संभव हो, किसी अन्य नियम के अंतर्गत उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं पर विचार करें।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्यों को कोई नया मुद्दा उठाए जाने की अनुमति दी जा सकती है। कोई पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं किसी सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने के इच्छुक सदस्यों को चाहिए कि मंत्री महोदय को लिखें। मंत्री महोदय को उस पर भी विचार करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया दोनों ही खाड़ी के देशों को उड़ानों का संचालन करती हैं। एयर इंडिया ने एक मार्गरक्षी के साथ शवों को मुफ्त में लाकर उदारता का परिचय दिया है जबकि इंडियन एयरलाइन्स जिसकी सेवाएं सर्वाधिक हैं, यह सुविधा नहीं दे रही है। परिणामस्वरूप, शवों को वहां कई दिनों तक रखा जाता है...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने आपकी बात समझ ली है ...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : नागर विमानन मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूं।

श्री कोडीकुनील सुरेश : संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारतीय कामगारों पर प्रतिबंध लगा दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, जैसा कि रमेश चेन्नितला जी ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से पूरे सदन और सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास किया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो गल्फ एरिया में काम करते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा जो इस देश में आती है तो इसी इलाके से आती है। यह बात अलग है कि ये गरीब किस्म के लोग हैं लेकिन इनकी सबसे ज्यादा दौलत इस देश को मिलती है। इसलिए जो हमारा विदेश मंत्रालय है, वह पूरी तरह से उन सारी बातों पर ध्यान रखता है जिनका जिक्र यहां किया गया है। रमेश जी का सबसे पहला सवाल था कि अब गल्फ में हमारे वर्कर्स कम जा रहे हैं और जिस रेगिस्तान को हमने स्वर्ग बनाया, उसमें हमारी भूमिका कम हो रही है। दरअसल जो काम हमें करना था, जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स वहां थे, जो जरूरत के सामान बनाने थे, उन कामों को पूरा किया जा रहा है और करीब-करीब वे काम पूरे हो गए हैं। इसीलिए अब यह बात सही है कि वर्कर्स का वहां जाना कम हो रहा है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो काम था, वह पूरा हो चुका है और कुछ मायने में जो मास्टर प्लान था, अगर मैं कहूं कि उसमें 70 से 80 फीसदी काम पूरा हो गया है, तो ऐसा कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी। अब इतना कम हो गया है कि आपके लिए चिंता का विषय बन रहा है। दूसरा कारण यह बना है कि आजकल इन दिनों वहां जो अरबायेशन थ्योरी चल पड़ी कि अरब के लोगों को प्राथमिकता दें तो उसमें भी मैं एक बात कहना मुनासिब समझूंगा कि आज भी भारतीयों को पूरे इलाके में प्राथमिकता दी जाती है। अगर किसी देश में यह पूछा जाए कि कहां के लेबर को आप पहले बुलाएंगे तो भारतीय आज भी प्राथमिकता में हैं और आज भी तीन लाख से चार लाख लोग हर साल रोजगार पा रहे हैं। कुल इलाके में 35 लाख के आसपास भारतीय काम कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि उनके हितों का पूरा ख्याल रखे और इस दिशा में जो कुछ बात उठाई गई है, हम उसके बारे में फिर कहना चाहेंगे कि आपकी चिंता थी और राधाकृष्णन जी ने चिंता जताई कि जो हमारे लेबर लोग जो विदेशों में मर जाते हैं, उनको यहां लाने में कठिनाई होती है। यहां एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के मंत्री बैठे हुए हैं। हमने दस से पंद्रह प्रतिशत तक का एयर इंडिया का भाड़ा घटाया है जिससे लोगों को आने में राहूलियत हो। डैड बॉडीज के लाने का इंतजाम जहां एम्पलायर तो करते ही हैं लेकिन असफल होते हैं तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों मिलकर बीस कि.ग्रा. वजन के साथ उनकी बॉडी को लाने का काम करती हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : मंत्री महादय, यह मात्र एयर इंडिया ही कर रही है। इंडियन एयरलाइंस ऐसा नहीं कर रही है। आप इसके बारे में अपने सहयोगी से पूछ सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको बता रहा हूं। आपको सच्चाई की जानकारी नहीं है। इंडियन एयरलाइंस भी ऐसा कर रही है। यद्यपि उनको कुछ अनिच्छा है लेकिन माननीय

[श्री दिग्विजय सिंह]

नागर विमानन मंत्री मेरे पीछे बैठे हैं, वे इसका ध्यान रखेंगे।

जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है तो मैं कहूंगा कि दोनों एयरलाइंस बॉडी को वापस लाने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, इस सच्चाई के अलावा उन देशों में विशेषकर सऊदी अरब में कानूनों के कारण शरीर को वापस लाने में अत्यधिक विलंब होता है। मैं यह कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल करना चाहता हूं कि जब भी हम सांसद विदेश मंत्रालय को लिखते हैं तो शीघ्र कार्रवाई की जाती है। लेकिन खाड़ी देशों में कार्यरत आम आदमी हमारे दूतावासों और मिशनों से संपर्क करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हमारे दूतावासों और मिशनों को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : बिल्कुल सही बात है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है और बिल्कुल ठीक कहा कि सऊदी अरब में कुछ कानून हैं जिनसे अड़चन आती है लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार इसके लिए सतत प्रयास कर रही है कि इस क़ानून को कैसे ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जाए जिससे डैड बॉडीज को लाने में सहूलियत हो। मुरलीधरन साहब ने मेड सर्वेन्ट्स के बारे में बात कही।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। मुझे पूरी बात कहने दें। तब मैं आपको मौका दूंगा।

श्री ई. अहमद : सऊदी अरब जैसे देशों में 1.3 मिलियन से भी अधिक भारतीय काम कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह : आप उनकी संख्या कम कर रहे हैं। वहां 1.4 मिलियन लोग कार्य कर रहे हैं। कृपया इसे कम करके न आंकें।

श्री ई. अहमद : ठीक है, मैं कहता हूं कि वहां 1.5 मिलियन लोग काम कर रहे हैं।

हमारे वहां जो मिशन हैं एक जेद्दा में है और दूसरा रियाद में है। लेकिन दामा और अन्य स्थानों पर कोई भारतीय मिशन नहीं हैं। इन स्थानों पर रह रहे भारतीयों के लिए उन मिशनों से संपर्क साधना बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए क्या सरकार वहां और भारतीय मिशन खोलेगी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, श्री मुरलीधरन जी ने मेड सर्वेन्ट्स के बारे में कहा है, वहां के कानूनों में ऐसा प्रावधान है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जो न्यू रिक्रूटमेंट मेड सर्वेन्ट्स की हो रही है, उसमें भारत सरकार बहुत गंभीरता से मोनिटरिंग कर रही है। अभी दस हजार मेड सर्वेन्ट्स जो एम्बैसीज के माध्यम से रिक्रूट हुए हैं, उनके बारे में हमारे पास कोई कम्पलेंट नहीं आई है। अगर माननीय सदस्यों को इसकी कोई सूचना मिली हो, तो जरूर हमारे मिशन या मंत्रालय को बताएं, ताकि हमारा मंत्रालय उस पर कार्रवाई कर सके।

श्री रमेश चेन्नितला जी ने एक सवाल उठाते हुए कहा था कि हमारे प्रधान मंत्री, मंत्री या बडे लोग वहां जाएं, जिससे हमारा तालमेल बना रहे। आप जानते हैं कि भारत की विदेश नीति में अरब देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी विदेश नीति में प्रमुख स्थान है और उसी के हिसाब से हमारी प्राथमिकता रहती है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधान मंत्री जी या विदेश मंत्री या अन्य दूसरे गण्यमान्य व्यक्ति वहां जाएं और उनके प्रतिनिधि यहां आएं। यह सिलसिला लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। श्री राधाकृष्णन जी ने एक सवाल यह भी किया था कि इन देशों में जो मलयाली लोग हैं, उनके लिए एम्बैसीज में मलयाली स्टाफ हो, ताकि उनको बोलचाल में सहूलियत हो। यह अच्छा सुझाव है और मैं इस सुझाव का हमेशा आदर करूंगा तथा इसको ध्यान में रखूंगा।

[अनुवाद]

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय महोदय तमिल भाषी लोगों को भी भारतीय मिशनों में शामिल करेंगे क्योंकि काफी तमिल लोग उन देशों में रह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : जिन माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। मलयाली, तमिल और उर्दू--सभी अपनी भाषाएं हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया है,

इस सुझाव का पूरा-पूरा ख्याल रखेंगे। श्री रमेश चेन्नितला जी ने वैलफेयर फंड बनाने के बारे में सवाल उठाया है। मैं बताना चाहता हूं कि वैलफेयर फंड बनाने के लिए भारत सरकार विचार कर रही है। विचार ही नहीं कर रही है, उस पर बहुत गंभीरता से काम शुरू किया है। हमारे आठ कॉन्सुलर्स वहां हैं। उन्होंने कान्फ्रेंस करके एक प्रस्ताव भेजा है कि किस तरह से वैलफेयर फंड बनाया जाए या किस तरह से उनके हितों में काम किया जाए। कैबिनेट के पास यह प्रस्ताव है। जैसे ही वह प्रस्ताव पास होगा, उस फंड को बनाएंगे और पूरा-पूरा ख्याल रखेंगे कि भारतीय श्रमिकों के साथ बदइंतजामी या बेइंसाफी न हो।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इंडियन एयरलाइंस द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा अब समाप्त हो चुका है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, एयर इंडिया मृत शरीर को भारत वापस लाने की सुविधा प्रदान करती है लेकिन इंडियन एयरलाइंस यह सुविधा नहीं प्रदान कर रही है। क्या माननीय मंत्री इस पहलू पर कुछ कहना चाहेंगे?

श्री दिग्विजय सिंह : ये सुविधाएं इंडियन एयरलाइंस द्वारा भी दी जाएंगी।

अपराह्न 12.43 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

विशेषाधिकार का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय : अब 'शून्य काल' में चर्चा करें। डा. नीतिश सेनगुप्ता।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सभा और सरकार के ध्यान में लाने का मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. नीतिश सेनगुप्ता। मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा दिए गए विशेषाधिकार नोटिस को वरीयता दूंगा। कृपया अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आप जानते हैं कि मैंने पहले ही आपके विशेषाधिकार नोटिस को अस्वीकृत कर दिया है। लेकिन अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, दिनांक 17.5.2002 को मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा; तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, श्री वेंकैयानायडू और योजना मंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया था।

महोदय, तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग के मुताबिक पंचायती राज और नगर पालिकाओं के संबंध में जो वित्त आयोग द्वारा राशि बिहार राज्य को देनी थी, सदन को गुमराह करते हुए कहा कि आयोग ने ही कहा था कि जो राज्य चुनाव नहीं कराएंगे, वह रुपया उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1996-97 में बिना चुनाव के आयोग ने बिहार राज्य को रुपया दिया है। एक तथ्य हमने प्रस्तुत किया। फिर वेंकैया नायडू जी और वसुंधरा राजे जी ने सदन को मिसलीड किया और कहा कि वह रुपया लैप्स कर दिया है, जबकि आयोग ने निर्देश दिए थे कि वह राशि लैप्स नहीं करती है और उसकी के मुताबिक 2000-2001 में राशि मिली थी। इस प्रकार तीनों मंत्रियों ने सदन को नोइंगली, विलफुली और डैलीब्रेटली मिसलीड किया और बिहार का 6000 करोड़ रुपया रुकवा कर रखा है। आपने कृपा की, उनसे टिप्पणी मंगाई और शोकॉज पूछा। हमने प्रोसीडिंग्स के साथ तथ्य प्रस्तुत किए हैं और आरोप लगाए हैं। जो उन्होंने जवाब दिया है, उसमें कोई तालमेल नहीं है। पुराना गीत गा रहे हैं। उन्होंने सदन को मिसलीड किया है।

उस संबंध में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इनका शो-कॉज नोटिस संतोषजनक नहीं है, इसलिए इसे विशेषाधिकार समिति में जांच-पड़ताल और कार्यवाही के लिए भेज दिया जाए। चूंकि नियम और परम्परा कहती है कि श्री वेंकैया नायडू राज्य सभा के सदस्य हैं, इसलिए इनके खिलाफ जो विशेषाधिकार है उसे राज्य सभा में भेज दिया जाए। नियम और परंपरा के मुताबिक सदन के जो सदस्य होते हैं, वही हाउस उसके लिए काम्पीटेंट है। इसलिए नियम, कायदा और तथ्य प्रोसिडिंग

में हैं, जो इन्होंने कहा और हमने जो आरोप लगाया, तथ्य एवं सबूत दिया, अभी तक का जो प्रीसीडेंट है वह यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करते हैं, इसलिए आप उसे देख लें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाए, उसके सुपुर्द कर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिनांक 17.5.2002 को योजना राज्य मंत्री तथा तत्कालीन वित्त और ग्रामीण विकास मंत्रियों के विरुद्ध बिहार राज्य को वित्तीय पैकेज के संबंध में सभा को कथित रूप से गुमराह करने के लिए विशेषाधिकार के प्रश्न की एक सूचना दी थी।

मैंने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की सूचना के संबंध में संबंधित मंत्रियों से उनकी टिप्पणियां मांगी थीं। मुझे मंत्रियों से उनकी टिप्पणियां मिल गई हैं।

यह एक सुस्थापित परम्परा है कि यदि किसी सदस्य अथवा मंत्री द्वारा सभा में कोई वक्तव्य दिया जाता है जिसको कोई अन्य सदस्य असत्य, अधूरा अथवा गलत मानता है तो वह विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। विशेषाधिकार का हनन अथवा सभा की अवमानना का मामला बनने के लिए यह सिद्ध किया जाना होता है कि उक्त वक्तव्य न केवल गलत अथवा गुमराह करने वाला था अपितु वह सभा को गुमराह करने के लिए जानबूझकर दिया गया था। विशेषाधिकार हनन का मामला केवल तभी उठ सकता है जब सदस्य अथवा मंत्री स्वेच्छा से सुविचारित तथा जानबूझकर गलत तथा झूठा वक्तव्य देता है।

इस मामले में मंत्रियों की टिप्पणियों का अवलोकन करने पर मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मंत्रियों द्वारा सभा को गुमराह नहीं किया गया है, जैसा कि सदस्य ने आरोप लगाया है।

तदनुसार, मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को अस्वीकृत कर दिया है।

इन मंत्रियों की टिप्पणियों की प्रतियां डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आयोग ने नहीं कहा, इन्होंने सदन को कहकर गुमराह किया आयोग ने कहा।...*(व्यवधान)* बिहार का पैसा डुबो दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप जानते हैं कि एक बार रूलिंग दे दिया गया है, अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, अगर कोई मंत्री सदन को गुमराह करता है तो वह माफी मांगता है। इन्होंने यह भी नहीं किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, की लाखों आदिवासियों की दुर्दशा के प्रति सरकार की उपेक्षा की ओर इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन्हें 50 और 60 के दशक में उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया था और उधम सिंह नगर और इस जैसे अन्य अनेक जिलों में बसा दिया गया था।

अपराह्न 12.49 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अनुसूची में इसका उल्लेख है। लेकिन उन्हें सरकार की उदासीनता और टालमटोल के कारण गत 40–50 वर्षों से यह दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। समग्र रूप से वे नामासुद्र और पुंड्रा क्षत्रिय समुदाय के हैं। इन सभी को भारत शासन अधिनियम, 1935 में संलग्न अनुसूची के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन जब वे यहां आए और भारत सरकार द्वारा उन्हें बसाया गया था तो उन्होंने जंगल काटे और उन्होंने कृषि योग्य बनाया। उन्होंने उन भूमियों को उपजाऊ बनाया और उस पर फसलें उगाईं। लेकिन उन्हें गत लगभग 40–50 वर्षों से अनुसूचित जाति का दर्जा देने से लगातार इंकार किया जाता रहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। उन्हें शैक्षिक और रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया है। उत्तर प्रदेश की उत्तरवर्ती सरकारों ने उन्हें वायदे दिए लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया।

यह समझा जाता है कि लंबे समय बाद उत्तरांचल सरकार

ने उनके मामले की गृह मंत्रालय से सिफारिश की है। मैं केन्द्रीय गृह मंत्री से इस चिरप्रतीक्षित न्याय को उन्हें दिलाने की अपील करता हूं ताकि वे अपना जीवन सम्मान के साथ पुनः शुरू कर सकें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं भी बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको उनके साथ संबद्ध करने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, आजादी के 54–55 वर्षों के बाद भी शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को एक राज्य में शैड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में रखा जाता है जबकि दूसरे राज्यों में उन्हें शैड्यूल्ड कास्ट नहीं माना जाता है। हम जानते हैं कि हर राज्य के अपने–अपने नियम बने हुए हैं। शैड्यूल्ड कास्ट के लोग जिस स्टेट में पैदा होते हैं उन्हें वहां तो शैड्यूल्ड कास्ट माना जाता है लेकिन अन्य राज्यों में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को भी।

श्री राम विलास पासवान : जी सर, थैंक्यू सर। जैसे पासवान हैं वे बिहार में शैड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में हैं लेकिन दिल्ली में नहीं हैं। फिशरमैन पश्चिम बंगाल में शैड्यूल्ड कास्ट में है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बैकवर्ड–क्लास में हैं। धोबी हैं, वे यहां तो शैड्यूल्ड कास्ट में हैं लेकिन कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में इस श्रेणी में नहीं हैं। अगर शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसका स्टेटस कोई बढ़ नहीं जाता है, वह शैड्यूल्ड कास्ट ही रहता है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इस पर एक चर्चा होनी चाहिए कि अगर कोई शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी किसी दूसरे राज्य में जाए तो उसे शैड्यूल्ड कास्ट ही माना जाए। सरकार कह सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा में उसे मान्यता है, लेकिन मेरा कहना है कि जब वह किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उस राज्य की सेवा के लिए उसे कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसलिए हमारी मांग है कि शैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का आदमी देश के किसी भी कोने में जाए, उसे उसी श्रेणी में मान्यता दी जानी चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, नुनिया, मल्लाह, तत्मा, कुम्हार, तुरहा जातियों को कुछ राज्यों में तो शैड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में मान्यता है लेकिन कुछ राज्यों में उन्हें बैकवर्ड क्लास में रखा जाता है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : महोदय, हमें इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा करनी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, तमिलनाडु के अनेक लोग विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग दिल्ली आए लेकिन उन्हें कोई लाभ न मिल सका। मेरा अनुरोध यह है कि उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें यहां भी चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि जैसी सुविधाएं मिल सकें।...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, इस देश में पांच करोड़ लोग हैं जिन्हें पहले अधिसूचित किया गया है और वे घुमंतु आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं तथा उन्हें सामान्यतः टपरीवास और विमुक्त जाति के नाम से जाना जाता है जिससे अहीरिया, बंजारा, बजानिया, भेरकूट, बेरिया, बौरिया, बंगाली, बेलदार, बाजीगर, चिड़ीमार, छारा, देश, छिनवार, धागर, गढी, लोहार, गड़रिया, गांधीला, जोगी, कोल, कंजर, कपाड़िया, मिरासी, मदारी, नाथ, नट, पराहिया, राय सिख, सिक्लीगर, रोहरिया, सिंगीवाला, सपेरा, सरेरा, ओद और अन्य जनजाति जैसे समुदाय शामिल हैं।

ऑल इंडिया टपरीवास एंड विमुक्त जाति फेडरेशन वर्ष 1950 से सरकार को अभ्यावेदन देता रहा है और किसी ने भी उनकी वास्तविक और संवैधानिक मांग को अस्वीकार नहीं किया लेकिन अभी तक उनके लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इस मामले का संक्षिप्त इतिहास यह है कि इन समुदायों का शासन 1785 के विशेष विनियमन सं. बाइस और 1871 के प्रेसीडेंसी एक्ट द्वारा होता था जिसे बाद में इन जनजातियों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए अपराधी जनजाति अधिनियम, 1924 (क्रिमनल ट्राइब्स एक्ट, 1924) के रूप में संशोधित किया गया था। इस काले अधिनियम को 31 अगस्त, 1952 तक आजादी बाद भी निरस्त नहीं किया गया और जब ऑल इंडिया क्रिमनल ट्राइब्ज इन्क्वायरी कमीशन जिसे अय्यंगर समिति (1949–52)

के नाम से जाना जाता है, ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इन आदिवासियों को "विशेष दर्जा" देने की सिफारिश की। सरकार ने समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए पूर्व-अपराधी जनजाति (एक्स-क्रिमनल ट्राइब्स) की बजाय खानाबदोश जातियों के रूप में उनका पुनः नामकरण किया लेकिन सरकार ने इन आदिवासियों को "विशेष दर्जा" देने संबंधी सिफारिश का पालन नहीं किया और बिना कोई विचार-विमर्श किए उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में विभाजित करके संविधान (अनु. जा.) आदेश 1950 में उन्हें शामिल कर लिया गया।

भारत सरकार द्वारा 1965 में इन मुद्दों पर विचार करने के लिए लोकुड़ समिति के रूप में एक अन्य समिति गठित की गई। इसने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची वैज्ञानिक नहीं है और यह बिना औचित्य के तैयार की गई है और इसे अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए।

महोदय, स्वतंत्र भारत में, 1975 के सीडब्लूपी सं. 132 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1982 में अपना निर्णय देते हुए सरकार को निर्देश दिया कि विमुक्त और टपरीवास जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। एक दूसरे मामले में सीडब्लूपी सं. 9286 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2001 में सरकार को निर्देश देते हुए अपना निर्णय दिया कि कोल जनजाति को अनुसूचित जाति की सूची की बजाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। इन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए काफी बलिदान दिया है। अतः, मैं समझता हूं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, ऑल इंडिया टपरीवास एंड विमुक्त जातीय फेडरेशन अपनी शिकायतों के निवारण के लिए यहां-वहां दौड़ रहे हैं। इनका अभ्यावेदन जनजातीय कार्य मंत्री के पास लंबित है और उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा।

अतः मैं माननीय मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें तत्काल अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर आठवले, आपने अलग इश्यू पर नोटिस दिया है, मैं आपको बुलाऊंगा। क्या आप इस विषय से संबद्ध होना चाहते हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसमें एसोसिएट करता हूं।

श्री प्रकाश अम्बेडकर, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, मैं एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा उठाना चाहूंगा कि सरकार ने पवित्र गंगा नदी के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है।

सरकारी निजी प्रबंधन की विश्व बैंक प्रणाली के अंतर्गत गंगा नदी का निजीकरण कर दिया गया है और इसे स्वेज-डेग्रेमोण्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक फ्रांसीसी कंपनी को दे दिया गया है। सरकार ने एक समझौता किया है और काम भी शुरू हो चुका है। इस कंपनी ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक समझौता किया है। टिहरी बांध से ऊपरी गंगा नहर लगभग 300 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बहती है। इसके 635 मिलियन क्यूबिक प्रतिदिन पानी का इस्तेमाल अब दिल्ली की जलापूर्ति के लिए किया जाएगा। इस क्षेत्र में आने वाले 21 जिलों में 19 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। वे इस पानी से वंचित होने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपने दो मिलियन डालर निवेश किए हैं। यह कंपनी केवल जल शुद्धिकरण की प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने जा रही है। जल के प्रबंधन की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। और आगे इसे निजी कंपनी द्वारा जल के शुद्धिकरण के लिए जो प्रभार लिया जाएगा वह लगभग 2 रु. प्रति लीटर बैठेगा जिस पर मैंने व्यक्तिगत रूप से विश्वास नहीं किया, किन्तु सरकार द्वारा किए गए समझौते का अध्ययन करने के बाद यह सच पाया गया कि यह कंपनी 2 रु. प्रति लीटर का प्रभार लगाएगी। यह समझौते का प्रथम चरण है।

समझौते का अगला चरण गंगा नदी के तट पर स्थित सभी शहरों में शुरू होने जा रहा है। उन्हें इस कंपनी से पानी लेने पर बाध्य किया जाएगा। नदी और जल राष्ट्र की संपत्ति हैं। पूरी परियोजना में एक पैसा लगाए बिना यह कंपनी दिल्ली को जलापूर्ति मात्र करके 20,000 करोड़ रु. का लाभ अर्जित करने जा रही है...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बात पूरी करने दीजिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : इनका न केवल निजीकरण ही किया जा रहा है बल्कि मुझे यह बताने दीजिए कि तमिलनाडु सरकार ने एक कदम और आगे बढ़कर एक और नदी, कावेरी की सहायक 'भवानी' का निजीकरण कर दिया है। यदि पानी का निजीकरण होने जा रहा है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? क्या आम आदमी इसका बोझ उठा सकता है? मैं चाहूंगा कि सरकार से पूछने में पूरा सदन मेरा साथ दे कि क्या वे इस समझौता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं या यह समझौता रद्द होने जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर, 'शून्य काल' के दौरान आपको एक मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करनी है। भाषण मत दीजिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि सभी सदस्य सरकार द्वारा इस समझौते को रद्द कराने में मेरा साथ दें। सरकार को जवाब देना चाहिए कि यह सच है या नहीं?

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, कल शाम पांच बजे मेरे चुनाव क्षेत्र सोनीपत में आहूलाना शुगर मिल में पुलिस, बेरोजगार लड़कों और किसानों के बीच भारी पथराव और गोलियां चलीं। अभी तक यह रिपोर्ट नहीं आई है कि उसमें कितने लोग मारे और घायल हुए तथा कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है? इसे लेकर गांव में बड़ा तनाव है। एक तरफ पुलिस बैठी है जिसने चारों तरफ से गांव को घेरा हुआ है और दूसरी तरफ गांव के लोग बैठे हैं। जैसे एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, वैसी स्थिति और तनाव बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और पार्लियामेंट के मैंबर्स की एक कमेटी वहां जल्दी विजिट करे। वहां कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है क्योंकि बहुत अधिक तनाव है। किसानों और नौजवान लड़कों के साथ इन्साफ किया जाए क्योंकि उनके ऊपर बड़ी ज्यादती हुई है। वहां सारी रात पथराव और गोलियां चलती रहीं।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान 24 जुलाई, 2001 को दिए गए तारांकित प्रश्न के उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी।

उत्तर के अनुसार, भारत में 6,38,518.31 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि उपलब्ध है। ऐसा समझा जाता है कि भारत के प्रधान मंत्री 22 दिसम्बर, 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने जा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करे।

कल भारत के प्रधान मंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और उपलब्ध बंजर भूमि में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन गरीबों और पिछड़ों को भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से सभी राज्यों के लिए बंजर भूमि विकास हेतु और धनराशि का आवंटन करने का अनुरोध करती हूं। एक राज्यवार रिपोर्ट दी गई है और दसवीं पंचवर्षीय योजना में और धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग को भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होगा। भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को बंजरभूमि की उपलब्धता के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए और राष्ट्रीय विकास परिषद में कार्य योजना पर चर्चा होनी चाहिए। तमिलाडु में बंजरभूमि विकास के लिए हमने 20 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा है। मैं चाहूंगी कि सरकार इस हेतु और धन का आवंटन करे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 14 अक्तूबर, 1956 को डा. बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और तब महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए 36 असेम्बली की और छः लोक सभा की सीटें थीं। लेकिन जब हम लोगों ने हिन्दू धर्म से इसमें कन्वर्शन कर लिया तो उसके बाद 18 असेम्बली और 3 लोक सभा की सीटें कम कर दी गई थीं। डीलिमिटेशन कमेटी की चर्चा के समय मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था, इसीलिए अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधाएं तो बौद्धों को मिल रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में असेम्बली की 18 और लोक सभा की तीन सीटें जो पहले कम कर दी गई थीं, उन्हें आने वाले चुनाव से पहले रिजर्व कर देना चाहिए-यही हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य

के लिए अंग्रेजों के जमाने में सारण सुरक्षा तटबंध का निर्माण किया गया था। उस तटबंध का सांगोपांग ढंग से मरम्मती का कार्य करीब एक दशक से बंद है। सुरक्षा तटबंध विगत तीन वर्षों से दर्जनों स्थानों पर बाढ़ के कारण टूटे हैं। तटबंध एवं घरकी (रिंग बांध) के टूटने के कारण गोपालगंज जिले के कुचार्द कोर्ट, गोपालगंज, काझा, बरौली, सिद्धवलिया एवं बैकुंठपुर प्रखंडों के किसानों की खेती मारी जा रही है। जमीन बर्बाद हो गई है। सड़क, स्कूल, सरकारी भवन एवं निजी सम्पत्ति के अलावा जानमाल का बराबर नुकसान होता रहा है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने संसाधन से सुरक्षा तटबंध के मरम्मती का कार्य करा सके।

राज्य सरकार की ओर से गंगा बाढ़ नियंत्रण विभाग जल संसाधन विभाग, भारत सरकार के पास प्राक्कलन बनकर आया हुआ है। यदि फरवरी माह से मरम्मती कार्य आरंभ नहीं किया गया तो अगली बरसात में भी बाढ़ से नुकसान उठाना पड़ेगा।

अस्तु मैं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि शीघ्र ही राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत कर मांग के अनुसार आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराएं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : कृपया मुझे एक बहुत बडी समस्या पर बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सारे किसान दिल्ली शहर में इकट्ठा हुए हैं। उनकी समस्या यह है कि सरकार और हम लोग भी यह कह रहे हैं कि गुटखा और तम्बाकू से संबंधित सभी चीजों को बैन कर दिया जाए। चीन जो हमारे साथ तम्बाकू का व्यापार करता था, वह अपना हिस्सा नहीं उठा रहा है। आठवीं योजना में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नरसिंहराव जी ने उस समय भी किसानों से यह कहा था कि तम्बाकू ग्रोअर्स क्रॉप होलीडे ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय, क्रॉप होलीडे लेने में उनका भविष्य कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह सलाह दी थी कि अपने देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं

[अनुवाद]

हम वैकल्पिक उपयोग हेतु तम्बाकू का इस्तेमाल करेंगे। अतः तम्बाकू के वैकल्पिक उपयोग का अनुसंधान किया जाना चाहिए और किसानों को बताया जाना चाहिए जिससे उनकी फसल का कुछ मूल्य मिले और इसका परम्परागत क्षेत्र यथा सिगरेट इत्यादि में प्रयोग न किया जाए। जहां तक मूल्य वर्द्धित फसल के संबंध में वैज्ञानिक बोर्ड द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान का सवाल है, इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस संबंध में कार्यवाही करे। अब जबकि हम दसवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने जा रहे हैं, हमें हमारे गांवों में उपयोग किए जाने वाले तम्बाकू के वैकल्पिक उपयोग को देखना चाहिए।

[हिन्दी]

आजकल जितने भी लोग गांवों में हैं वे तम्बाकू को अपने दरवाजों की चौखट पर लगाकर जला देते हैं जिससे चौखट में कीड़े न लगें।

[अनुवाद]

तम्बाकू का वैकल्पिक प्रयोग पेस्ट और माइट के इलाज के लिए और जमीन से दीमक को मिटाने के लिए एक जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाना चाहिए। अतः इस विषय को तत्काल महत्व दिया जाना चाहिए। अनुसंधान किए जाने चाहिए ताकि तम्बाकू उत्पादकों को आश्वासन दिया जा सके और शीघ्र ही तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र के लिए वैकल्पिक फसल की भी पहचान की जानी चाहिए ताकि ये किसान जो आज मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उन्हें कोई कठिनाई न हो।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ रही है। इस सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए जो सार्थक प्रयास करने चाहिए थे वे प्रयास सरकार ने नहीं किए। 1998 में लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के अवसर मुहैया कराएंगे। पिछले साल राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में, जो एक तरह से सरकार का ही भाषण होता है और जिसे सरकार का वायदा कहा जाता है, उसमें बेरोजगारी दूर करने की बात कही थी, लेकिन इस वर्ष बजट भाषण में बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक शब्द भी नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मौंटैक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में इस सरकार ने एक कमेटी बनाई और कहा कि हम नए रोजगार सृजन के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अहलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट सरकार की इस रोजगार सृजन की भावना के बिलकुल विपरीत है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने दो वर्ष पूर्व दूसरे श्रम आयोग

का गठन किया था और उससे यह आशा की थी कि देश में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, लेकिन इस आयोग की जो रिपोर्ट आई है वह बेरोजगारी की दिशा में सार्थक प्रयास करने वाली नहीं है बल्कि बेरोजगारी बढ़ाने वाली है। इस आयोग की सिफारिशों से मालिकों के स्वार्थ सिद्ध होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक सुधार के नाम पर जो कुछ देश में हो रहा है, उससे आप भलीभांति जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या अत्यंत गंभीर हो गई है। दूसरे श्रम आयोग की जो रिपोर्ट आई है वह खतरनाक और मजदूर विरोधी है। मेरी मांग है कि इस पर सदन में चर्चा कराई जाए।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन, भारत सरकार तथा देश का ध्यान आल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन एवं आल इंडिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स आर्गेनाइजेशन के आह्वान पर देश के 26 राज्यों में कार्यरत 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आए हजारों ग्रामीण बैंककर्मियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो आज जन्तर–मन्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एम. वी. चलपतिराव समिति की सिफारिशें जो जन विरोधी तथा ग्रामीण बैंक विरोधी हैं, उन्हें पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए तथा ग्रामीण साख व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए देश के सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर शीघ्र विधेयक लाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए।

महोदय, इन बैंकों ने दिनांक 31.3.2001 तक, कुल मिलाकर 1265 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है जो राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन का समुचित आधार है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की मांग इस सदन में वर्ष 1993 से की जाती रही है और समय–समय पर इस सदन के सांसद इस मांग का समर्थन कर चुके हैं।

महोदय, दिनांक 28.8.1992 को नाबार्ड के अध्यक्ष एवं दिनांक 5 सितम्बर, 1992 को भारतीय रिजर्व बैंक समेत अन्य व्यावसायिक बैंकों के ग्रुप के द्वारा भी इस मांग को स्वीकृत किया गया था। वित्त मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की अनुशंसा की थी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि चलपतिराव कमेटी की सिफारिशों को निरस्त किया जाए और भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की घोषणा तत्काल की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको माननीय सदस्य श्री सुरेश चन्देल से संबद्ध करता हूं। इसकी आप मुझे अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको इस विषय में एसोसिएट करने की अनुमति प्रदान करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं भारतीय रेल से संबंधित एक खास समस्या पर ध्यान दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप यहां शांति बनाए रखते हैं तो अध्यक्षपीठ सभी पक्षों पर ध्यान देगी।

श्री प्रबोध पण्डा : महोदय, भारतीय रेल में तकनीकी कर्मचारियों की संख्या लगभग ग्यारह लाख है। गैर–तकनीकी कर्मचारी भी हैं। किन्तु जहां तक तकनीकी कर्मचारियों का सवाल है, उन्हें उचित वेतनमान से वंचित रखा जा रहा है। गैर–तकनीकी कर्मचारियों के लिए आरंभिक चरण पर योग्यता माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण होना है और वेतनमान 3,000–4,590 से शुरू होता है और यह 7,450–11,500 तक बढ़ाया जा सकता है। किन्तु तकनीकी कर्मचारियों के मामले में यद्यपि यह 3000–4590 के वेतनमान से शुरू होता है और मात्र 5,000–8,000 के वेतनमान तक जाता है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं यहां एक वाक्य और जोड़ना चाहूंगा। इस समस्या को माननीय रेल मंत्री को भेजा गया है और इस पर मंत्रियों के समूह ने भी विचार किया था।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करने और समस्या का समाधान करने का अनुरोध करता हूं। यह भारतीय रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों से संबंधित समस्या है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध राय ने भी इस पर नोटिस दिया है। मैं उन्हें भी प्रबोध पण्डा से संबद्ध होने की अनुमति देता हूं।

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : नहीं, महोदय, मेरा विषय अलग है। कृपया मुझे अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आप अपनी बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय : उपाध्यक्ष महोदय, देश के तमाम रेलवे

विभागों में जो टेक्नीकल कर्मचारी काम करते हैं, उनको अपनी ड्यूटी के समय हाजिरी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी हाजिरी बड़े अधिकारियों द्वारा लगाई जाती है। मेरा कहना है कि 10 लाख कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनको हर वक्त अपमान सहना पड़ता है। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है कि उन कर्मचारियों को जो रेलवे के टेक्नीकल इम्प्लाइज हैं, उनको अपनी ड्यूटी के समय हाजिरी लगाने का अधिकार मिलना चाहिए जैसे बाकी कर्मचारियों को हाजिरी लगाने का अधिकार है।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों से घोर अकाल से पीड़ित राजस्थान के किसान भुखमरी, बेरोजगारी और फसलों की बर्बादी के चलते आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। यह बहुत चिंता का विषय है।...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : यहां बयान दिया गया था कि भूख से कोई मौत नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, समय नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. रासासिंह रावत : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले तीन वर्षों में राजस्थान के लगभग पांच हजार किसानों ने आत्महत्या की। सिर्फ वर्ष 2001 में इस तरह के 5000 से ज्यादा मामले प्रकाश में आए हैं। ब्यूरो के अनुसार 1997 से लेकर 2001 तक 3329 किसानों ने आत्महत्या की। दुर्भिक्ष एवं अकाल के कारण लगातार हो रहे नुकसान के कारण और कर्ज के बढ़ते बोझ के बीच कृषि और पशु-पालन नकारा हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि घोर अकाल से पीड़ित राजस्थान के किसानों को जीने तथा राहत प्रदान करने हेतु 25 हजार रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएं ताकि वे किसान अपने घर-परिवार को थोड़ा सहारा देने लायक हो जाएं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आप कर्ज माफ करने की बात सरकार से करिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरा...*(व्यवधान)* दूसरी तरफ सदन के अंदर गलत बयानी होती है।

प्रो. रासासिंह रावत : आपको इसका समर्थन करना चाहिए। हम किसानों के प्रतिनिधि हैं।...*(व्यवधान)* हम सरकार से कह रहे हैं और सरकार सुन रही है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.15 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन

केरल की दो प्रमुख नदियों के जल की दिशा बदलने संबंधी तमिलनाडु सरकार का कथित निर्णय

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, मुझे अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय जल संसाधन मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अत्यंत गंभीर मामला उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील सुरेश के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मैं तमिलनाडु सरकार द्वारा केरल की दो प्रमुख नदियों-पम्पा और अचेन कोइल के जल को अन्यत्र मोड़ने के प्रयासों के कारण केरल में उत्पन्न अत्यंत गंभीर स्थिति को माननीय सभा के तत्काल ध्यान में लाना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब व्यवधान न पहुंचाएं।

(व्यवधान)

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, तमिलनाडु के इस कदम से केरल के अनेक भागों विशेषतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गंभीर जलाभाव होगा। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने कहा है कि इन नदियों में अतिरिक्त जल है। दूसरी ओर जल संसाधन प्रबंधन केन्द्र का विचार है कि इन नदियों में अतिरिक्त जल नहीं है।

जहां तक मैं समझता हूं तमिलनाडु सरकार बांध के निर्माण की परियोजना को इस आशा के साथ चला रही है कि केन्द्र

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार अपनी मंजूरी दे देगी। ऐसा कहा गया है कि इन एजेंसियों की दोनों रिपोर्टें जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी परामर्शदात्री समिति के विचाराधीन हैं।

यदि सेनगोत्ताई के नजदीक प्रस्तावित बांध का निर्माण किया जाएगा तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कोन्नी, अचेन कोइल जैसे स्थान जलमग्न हो जाएंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि इस बांध के चालू होने से कोन्नी और अचेन कोइल की लगभग 2,000 हेक्टेयर वन भूमि पूर्णतः जलमग्न हो जाएगी। यह मध्य लावणकोर विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत विनाशकारी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं? आप अनुरोध कीजिए।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, जैसा कि सभा को ज्ञात है प्रतिवर्ष कई मिलियन भक्त साबरीमला की दरगाह जाते हैं। वे पम्पा नदी का पानी उपयोग करते हैं जो एक अत्यंत पवित्र नदी है। यदि इस नदी के जल को दूसरी तरफ मोड़ा जाएगा तो इन भक्तों को बहुत कठिनाई होगी।

इसलिए, मैं जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप करें और तमिलनाडु सरकार को निर्देश दें कि मेक्काराई में इस बांध के निर्माण को रोकें।

साथ ही मैं सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की सिफारिशों को अस्वीकार करें और जिससे केरल और तमिलनाडु के बीच कोई जल विवाद न हो...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री आदिशंकर बोलेंगे। श्री कोडीकुनील सुरेश आपने पहले ही भारत सरकार से अनुरोध कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। वह उत्तर दे सकते हैं। यह मेरे क्षेत्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है और स्थिति बहुत गंभीर है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : तमिलनाडु सरकार से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है। सदस्य महोदय को इस तथ्य पर इस तरह से संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अतः चिंता करने की कोई बात नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि उस राज्य का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री आदिशंकर (कुड्डालोर) : महोदय, देश के विभिन्न भागों में अनेक कारणों से बार–बार सांप्रदायिक दंगे होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगों के मूल कारणों का अध्ययन करने के लिए एक दल का गठन किया है। प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी श्री आर. टी. राठौड़, जो कि मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त हैं, के अधीन कार्य कर रहा अध्ययन दल अपने अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस ही सांप्रदायिक दंगों के मूल कारण हैं। अनेक बार गणपति पूजा, मुहर्रम, शिव जयन्ती और रमजान एक साथ ही पड़ते हैं और एक ही समय मनाए जाते हैं। ये त्यौहार मूर्ति जुलूस, दैनिक पूजा, पवित्र ग्रंथों के पठन, संदल जुलूस और उर्स आदि जैसे परंपरागत संस्कारों के साथ निकाले जाते हैं।

इन त्यौहारों और धार्मिक जुलूस के कारण दोनों संप्रदायों के बीच तनाव पैदा हो जाता है जो पूरे वर्ष बना रहता है और कट्टरपंथियों को गंभीर सांप्रदायिक दंगे फैलाने के विभिन्न कारण मिल जाते हैं। दोनों धर्मों के अधिकांश लोग चाहते हैं कि दंगे न हों। सांप्रदायिकता से ग्रसित कुछ विशेष लोग ही अपने भड़काऊ भाषणों और एक या किसी अन्य कारण से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं।

सांप्रदायिक दंगों को रोकने और सभी धर्म के लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का वातावरण बनाने हेतु महाराष्ट्र के कुछ भागों में सांप्रदायिक सद्भाव योजना क्रियान्वित की गई है। जनता की प्रतिक्रिया अच्छी रही और सांप्रदायिक दंगों को रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की दिशा में बेहतर परिणाम मिले हैं।

महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने श्री आर. टी. राठौड़ जो कि मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त हैं, के नेतृत्व में सांप्रदायिक सद्भाव योजना को लागू करने हेतु एक संकल्प पारित किया है। इसे पूरे महाराष्ट्र राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। राष्ट्रीय पुलिस अकादेमी, हैदराबाद ने भी इस योजना को स्वीकार किया है। अतः मैं माननीय उपप्रधान मंत्री से अनुरोध

करता हूं कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कौन्सटीटूएंसी सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के नौगढ़ स्टेशन से गौतमबुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी तक रेल लाइन की मांग करता हूं। लुम्बिनी गौतमबुद्ध की जन्मस्थली है जो हमारे क्षेत्र से नेपाल राज में नौगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र दस किलोमीटर है। इसलिए रेल मंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया है और मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस रेल लाइन को डैवलप करने के लिए नौगढ़ से लुम्बिनी तक रेल लाइन बिछाई जाए। जय हिन्द।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य में 1200 मेगावाट बिजली की कमी है, इसलिए उद्योग, किसान और अन्य ग्राहक बहुत हैरान हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दो वर्ष पहले 500 मेगावाट का उरन में एक प्लांट लगाया है। महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलियम मिनिस्टर से दो वर्ष से हजीरा से गैस लेने के लिए विनती कर रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने गैस नहीं दी है, इसलिए प्लांट बंद हो गया है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से गैस की आपूर्ति करने की विनती है।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता, उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के एक मुद्दे पर सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर बंगाल की पूरी जनसंख्या को मूलभूत अधिकार से वंचित किया गया है। दो वर्ष पहले उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निश्चय किया था कि जलपाईगुडी में एक 'सरकिट बेंच' होनी चाहिए ताकि पूरे उत्तर बंगाल के मुकदमे लड़ने वालों को लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम में एक छोटा–सा संशोधन करने की आवश्यकता होगी जो कि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।

यह सभा इस महीने की लगभग 20 तारीख को स्थगित होगी, हम मार्च में बजट सत्र तक एकत्रित नहीं हो पाएंगे जिससे इस कार्य में देरी होगी। इसलिए, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार पर प्रभाव डालना चाहता हूं कि एक छोटा संशोधन लाया जाए ताकि जलपाईगुड़ी में एक सरकिट बेंच की स्थापना की जा सके।

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, इस मुद्दे पर हम अपने को सदस्य महोदय के विचारों से संबद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है और यह देश का एक ख्याति प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विभूतियों को नये आयाम देने का कार्य किया है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1997 से छात्र संघ के चुनाव पर प्रतिबंध लगाया गया है, इससे छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी.एच.एयू. के चिकित्सालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब छात्रों ने सर सुन्दर लाल चिकित्सालय के अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध किया तो विश्वविद्यालय प्रबंध तंत्र ने छात्रों की आवाज को दबाने के लिए छात्र संघ पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। जिस विश्वविद्यालय ने एक नहीं, अनेक विभूतियों को जन्म देने का काम किया हो, उसमें छात्र संघ के चुनाव पर प्रतिबंध लगाया गया और सैकड़ों छात्रों को निष्कासित कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार को क्या करना है, उसके बारे में पूछिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं पहले समस्या रख दूं, तब मैं मांग करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन सौ से अधिक छात्रों को निष्कासित किया गया है, उनमें से कई छात्र स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिन छात्रों को निष्कासित किया गया है, उनका निष्कासन अविलंब समाप्त किया जाए और तत्काल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र संघ को बहाल किया जाए, वरना छात्रों की, नौजवानों की आहें आपके शासन को भस्म कर देने का काम करेंगी।

[अनुवाद]

श्री वी. एस. शिवकुमार (तिरुअनंतपुरम) : मैं तिरुअनंतपुरम में धनुवचपुरम रेलवे हाल्ट के विभागीय रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन से संबंधित महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

महोदय, इस समय धनुवचपुरम रेलवे हाल्ट ठेके पर चल

रहा है जो कि तिरुअनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 24 कि. मी. दूर है जो कि तिरुअनंतपुरम कन्याकुमारी क्षेत्र में आता है।

इस हाल्ट का उद्घाटन 18 अगस्त, 1980 को किया गया था और इससे इस क्षेत्र के दैनिक यात्रियों का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा हुआ है।

22 वर्ष के बाद भी इस हाल्ट के विभागीय स्टेशन में परिवर्तित करने हेतु रेल विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। इस समय यह हाल्ट एक अस्थाई ऐस्वेटास में चल रहा है जिसमें कोई मूल सुविधा नहीं है।

जहां तक यात्रियों की संख्या और अर्जन का संबंध है पूरे तिरुअनंतपुरम–नागर कोइल क्षेत्र के स्टेशनों में इसका पहला स्थान है। इस स्टेशन के आसपास अनेक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, मंजूरी प्राप्त नये मेडिकल कालेज और सरकारी कार्यालय हैं।

इन स्थितियों में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि धनुवचपुरम हाल्ट का पूर्ण विभागीय स्टेशन के रूप में उन्नयन करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं और इस प्रस्ताव हेतु अगले वर्ष के रेल बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किया जाए।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड) : महोदय, मैं रेबीज की गंभीर समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं। महोदय, मुझे अपनी मातृभाषा 'मलयालम' में बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हां, क्यों नहीं...आप मलयालम में बोल सकते हैं।

***श्री टी. गोविन्दन** : महोदय, मैं इस समस्या के दो पहलुओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास रेबीज का कोई निवारणात्मक टीका नहीं है और उपलब्ध उपचारात्मक टीका बहुत महंगा है जिसकी कीमत लगभग 1000 रुपए से 12,000 रुपए तक है। सामान्य परिस्थितियों में लोग रेबीज के शिकार हो जाते हैं। अतः रेबीज निरोधक टीका आसान कीमत पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और आवश्यक गुणवत्ता की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

महोदय, हाल ही में स्थानीय प्रशासन द्वारा नियुक्त लोग आवारा कुत्तों को पकड़ना और मारना नहीं चाहते। उनके अनुसार न्यायालय के एक आदेश की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए, मैं सरकार, पशु कल्याण संगठन और न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या को बढ़ाने वाले आवारा कुत्ते की अपेक्षा रेबीज से मरने वाले अपने साथियों का ध्यान रखें। एक बार पुनः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि पशुओं के प्रति अपनी तथाकथित चिंता से वर्तमान समस्या को न उलझाएं। कंपनियों को आवारा कुत्तों को मारने वाली सीरम का उत्पादन करते रहने दिया जाए और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों को इन कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार, पशु कल्याण समूहों और न्यायालयों को मानव जाति जो कि संकटापन्न जाति होती जा रही है, के लिए इस खतरे के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : भारत सरकार की संस्था कोल इंडिया लि. और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. में देखा गया है कि महिलाओं ने वहां कम्पैशनेट ग्राउंड पर बहाल होने के लिए दरख्वास्त दी थी। लेकिन उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि न तो बहाल करेंगे और न काम देंगे। यह हिन्दुस्तान के संविधान के खिलाफ है कि महिलाओं को बाहर कर दिया जाए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस पर ध्यान दे और कोल इंडिया लि. तथा ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि., जो भारत सरकार की संस्था है, उसको कहे कि इन महिलाओं को वहां बहाल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने बहुत पहले 1974 में घोषणा की थी कि रेलवे स्टेशनों पर बुकस्टालों का एकाधिकार समाप्त किया जाएगा और नए स्टाल समाज के कमजोर वर्गों के लोगों तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने कड़ाई से उस नीति का पालन नहीं किया और उसे लागू नहीं किया। आज तक रेल मंत्रालय रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल यथा मैसर्स व्हीलर्स एण्ड कम्पनी जैसे बड़े एकाधिकार वाले बुक हाउसों को आवंटित करता रहा है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि रेलवे स्टेशनों पर इन बुक स्टालों को 1974 में घोषित की गई अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए बड़े बुक हाउसों यथा मैसर्स व्हीलर्स

एण्ड कम्पनी को देने की बजाय इन्हें समाज के कमजोर वर्गों के लोगों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तथा बेरोजगार शिक्षित युवाओं को आवंटित किया जाए।

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष 26 सितम्बर, को मंत्रालय ने आसनसोल मंडल में पांडवेश्वर–पलाशथली नामक एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन को बंद कर दिया है। इस मार्ग पर एक यात्री गाड़ी चल रही थी। यह पश्चिम बंगाल को निकटवर्ती झारखंड राज्य से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेल सेवा थी। पिछड़े वर्गों के लोग इस सुविधा का न केवल परिवहन हेतु बल्कि अपनी आजीविका के लिए भी लाभ उठा रहे थे। इस आदेश से लगभग 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हमें इस रेलवे लाइन को बंद करने के सही–सही कारणों की जानकारी नहीं है। इससे उस क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि और विलंब किए बिना पांडवेश्वर और पलाशथली के इस खंड पर इस रेलगाड़ी को बहाल किया जाए।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम विमान पत्तन एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है और कोलीन तक कालीकट में विमानपत्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। दुर्भाग्य से इन विमानपत्तनों के अधिकतम उपयोग के मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। हमारे यहां इन विमानपत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भारी कमी है। हमारे पास समस्त आवश्यक सुविधाएं हैं। कोचीन विमानपत्तन ऐसा विमानपत्तन है जिसका अनिवासी भारतीयों के योगदान से निर्माण कराया गया था। तथापि, इस विमानपत्तन का अधिकतम उपयोग मंत्रालय के लिए गंभीर चिंता का मामला नहीं रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन विमानपत्तनों से और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करे ताकि लोगों को फायदा हो सके और विमानपत्तन का इष्टतम उपयोग किया जा सके। एयर इंडिया ने हाल ही में न्यू जर्सी–कोचीन के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की है। उड़ान भरी हुई जा रही है और यह लाभकारी है। यदि यहां से ऐसी उड़ानें फ्रेंकफर्ट, लंदन और यूरोप में अन्य दूरस्थ स्थानों के लिए शुरू की जा सकें तो इस विमानपत्तन पर अधिक यात्रियों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अभी भी हमारे लोग केरल वापस जाने से पूर्व मुम्बई विमानपत्तन और अन्य विमानपत्तनों पर आते हैं। इसलिए, यह बहुत जरूरी है कि न केवल मध्य–पूर्व से अपितु अन्य यूरोपीय देशों को भी इन विमानपत्तनों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने परिचालित की जाएं।

सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब इन विमानपत्तनों पर सुविधाएं तथा यात्री उपलब्ध हैं तो इस क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने क्यों नहीं परिचालित की जा सकतीं?

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां हमें भारत की सेना पर गर्व है, पूरे देश, सदन और देश की जनता को गर्व है लेकिन कभी–कभी भारतीय सेना के जवानों का व्यवहार इतना अमानवीय होता है जिससे मानवता भी हिल जाती है। पिछले दिनों सियालदा–जम्मूतवी एक्सप्रेस जा रही थी जो गया स्टेशन पर रुकी थी। सहारनपुर के दो यात्री गया स्टेशन पर कुछ खाने–पीने के लिए उतरे और ट्रेन चल पड़ी तो उसके बाद वे भागते हुए ट्रेन के डिब्बे में घुसने लगे लेकिन सामने मिलिट्री के जवानों की बोगी पड़ी तो उसी में बैठ गए और वहां वे हाथ जोड़ते रहे कि अगले स्टेशन आने पर वे अपने डिब्बे में चले जाएंगे लेकिन मिलिट्री के जवानों ने उनको ट्रेन से उठाकर फेंक दिया। एक आदमी मर गया और एक घायल हो गया।

मैं मांग करता हूं कि भारत की सेना के जवानों को अनुशासन और मानवता भी बताएं। कम से कम कोई आदमी अगर किसी मजबूरी में है तो उसके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए और कहीं–कहीं सुनने में आता है कि भारत की सेना के जवान जिसको जब चाहे पीट देते हैं और जिसको चाहे नुकसान पहुंचा देते हैं। यह परम्परा पैदा हो गई है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि उन पर रोक लगाई जाए और उन्हें मानवीय व्यवहार करने का निर्देश दिया जाए। इस घटना के दोषी जो बोगी में थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यह मैं मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में रेवाड़ी-बीकानेर, सादुलपुर-हिसार तथा रतनगढ़-डेगाना मीटर लाइन के आमान परिवर्तन को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : सभापति महोदय, रेवाड़ी–बीकानेर, सादुलपुर–हिसार, रतनगढ़–डेगाना मीटर गेज रेल लाइन को ब्रोड गेज में परिवर्तित किए जाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। मैंने भी इस मांग को बार–बार सदन में उठाया है लेकिन अभी तक इस महत्वपूर्ण मांग को पूर्ण नहीं किया गया है। रेवाड़ी से सादुलपुर व सादुलपुर से हिसार मार्ग के आमान परिवर्तन की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है लेकिन आज तक यह कार्य चालू नहीं हुआ। चालू वर्ष के लिए 14 करोड़ रुपयों का आवंटन भी किया गया है लेकिन मंत्रालय द्वारा उसका भी उपयोग नहीं किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू में जोधपुर मेल जोधपुर से दिल्ली चला करती थी, यह गाड़ी इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गाड़ी थी। कुछ भाग पर आमान परिवर्तन होने के कारण इस गाड़ी को बंद कर दिया गया। जिसके कारण यहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के व्यापारियों व आम जनता का देश के विभिन्न भागों में आना–जाना बना रहता है। सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उक्त रेल लाइनों का आमान परिवर्तन कर यहां की जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

(दो) देश में हेपेटाइटिस-बी रोग के खतरे से निपटने के लिए देशी टीके का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे देश में हैपेटाइटिस–बी बीमारी के प्रकरण दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं जो सारे देश के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण पानी एवं खानपान का प्रदूषित होना है।

देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार 5000 व्यक्ति प्रतिवर्ष इस बीमारी के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। इसे रोकने हेतु सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उनके द्वारा तैयार महंगी वैक्सीन अपने देश में प्रयोग करने हेतु दबाव डाल रही हैं। यह इस देश के पर्यावरण एवं जलवायु के अनुकूल नहीं है। प्रारंभ में तो विदेशों से मुफ्त में यह वैक्सीन प्राप्त होगी, लेकिन जब देश उसके ऊपर निर्भर हो जाएगा तो वे अत्यंत महंगी एवं मनमानी कीमत पर उसे हमारे देश को बेचेंगे और विवश होकर हमें वह खरीदनी पड़ेगी।

अपराह्न 2.19 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

मेरा आग्रह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस अप्रत्यक्ष दबाव में न आकर हमें अपने देश में ही इस हेतु चल रहे अनुसंधान को बढ़ावा देकर अपनी जलवायु और वातावरण के अनुकूल सस्ती हैपेटाइटिस–बी वैक्सीन तैयार करने हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(तीन) झारखंड में सिंहभूम जिले में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में हर वर्ष आने वाले सूखे की स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र लगभग पूरी तरह से सिंचाई के लिए वर्षा पर आधारित है क्योंकि यहां बिजली का अभाव है। लोगों के पास आर्थिक संसाधन कम होने के कारण, वर्षा न होने पर यहां के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई से वंचित होना पड़ता है। तालाबों के सूखने से पशुओं को पानी नहीं मिल पाता है। इस साल भी वैसी ही स्थिति होनी थी। इसके लिए सूखे से राहत पहुंचाने हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में सूखे की स्थिति से सामना करने के लिए अभी से एक पैकेज उपलब्ध करवाना चाहिए।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करके अभी से सूखे में गरीब एवं आदिवासी के हित के लिए प्रबंध किए जाएं।

(चार) महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) : सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र जलगांव जिला मुख्यालय है तथा इस क्षेत्र की आबादी 5 लाख के करीब होगी। जलगांव, महाराष्ट्र के प्रमुख औद्योगिक शहरों में माना जाता है। यहां पर रेमण्ड, जैन इर्रिगेशन, के. बी. एक्स, सुप्रीम पाइप जैसी महत्वपूर्ण इकाइयां स्थापित हैं। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं जलगांव से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिसे देखने के लिए देश व विदेश से पर्यटक आते हैं और पर्यटकों के लिए इस स्थान हेतु जलगांव एक मात्र रेलवे स्टेशन है। जलगांव में नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी होने से शिक्षा की दृष्टि से भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। जलगांव मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां से मुम्बई, सूरत तथा नागपुर और दिल्ली की ओर गाड़ियों का आवागमन होता है। लेकिन कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियां यहां पर न रुकने के कारण पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र केला उत्पादन में देश में एक प्रमुख स्थान रखता है और यहां पर देश के कोने-कोने से व्यापारी आते रहते हैं, लेकिन एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव जलगांव में न होने के कारण उन्हें भी कठिनाई होती है। इस संबंध में मैं काफी समय से जलगांव में एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव हेतु पत्र लिखकर रेलवे विभाग से अनुरोध कर रहा हूं, लेकिन अभी तक इस संबंध में रेलवे विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव रेलवे स्टेशन के महत्व को देखते हुए निम्नलिखित रेल गाड़ियों को जलगांव रेलवे स्टेशन पर ठहराव हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करेंगे।

गाड़ी नं. 2165/2166, 1069/1070, 1093/1094, 2617/2618, 1067/1068, 2779/2780, 1031/1032, 1029/1030.

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा में भुवनेश्वर में गवर्नमेंट टेक्स्टबुक प्रिंटिंग प्रेस को बंद किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : उड़ीसा के लोगों को जब भारत सरकार के भुवनेश्वर में सरकारी टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने संबंधी निर्णय का पता चला तो वे आंदोलन पर उतर आए। मुद्रण निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले 21 सरकारी प्रेसों में से भुवनेश्वर, मैसूर और चंडीगढ़ स्थित तीन सरकारी प्रेस अच्छा कार्य कर रही हैं। भुवनेश्वर स्थित टेक्स्ट बुक प्रेस का समय-समय पर उन्नयन किया गया है। 1985 में रंगीन उच्च गति वाली वेब ऑफसैट प्रिंटिंग मशीनें लगाने के साथ ही इस मुद्रणालय की फार्म छापने की क्षमता में और वृद्धि की गई। आधुनिक और अत्याधुनिक मशीनों वाला प्रेस उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश और संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र अर्थात असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश तक मणिपुर की आवश्यक टेक्स्ट बुकों और विभिन्न फर्मों के मुद्रण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। एक बार मुद्रणालय बंद कर दिए जाने से इन राज्यों की मुद्रण सामग्री की आवश्यकता को भारी आघात लगेगा। इसके अतिरिक्त उस प्रेस में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे।

इस तरह मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रेस को बंद करने के अपने निर्णय की पुनरीक्षा करे और भुवनेश्वर में भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में इसे चलाने की अनुमति दे।

(छह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर पोलोलीपालम में पुल के पुनर्निर्माण के लिए प्राक्कलन स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर पालोलीपालम स्थित वर्तमान पुराने और संकरे पुल का 1948-50 के दौरान निर्माण कराया गया था और इसका वाहन मार्ग 6.70 मीटर था। भारी और लगातार यातायात तथा पालोलीथोडू के खारे पानी के घुसने के कारण पुल बहुत जर्जर अवस्था में है। इसके लिए वहां पुल का पुनर्निर्माण करने हेतु 225.50 लाख रुपए की लागत से भूमि अधिग्रहण करने संबंधी एक प्रस्ताव 22.8.2001 को मंत्रालय को भेजा गया था। 2001-2002 के लिए वार्षिक योजना में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान है। परन्तु स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है।

मैं माननीय भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध करती हूं कि मामले की जांच करें और कार्य के लिए अनुमानित लागत स्वीकृत करने हेतु आवश्यक निर्देश दें।

(सात) आंध्र प्रदेश में मछलीपटनम और पेनुमुडी से होकर कट्टीपुडी से ओंगोल तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

214 का गुजरना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपटनम) : गत 50 वर्षों से आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र के लोगों ने तटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वप्न देखा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 214 नामक ऐसे तटवर्ती राजमार्ग की योजना बनाई जो कट्टीपुड़ी से शुरू होता है और नरसापुरम को छूते हुए तथा मछलीपट्टनम होते हुए ओंगोल रा.रा.–5 पर समाप्त होता है। परन्तु यह देखकर आश्चर्य होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 214 के वास्तविक मार्ग को बदल दिया गया था जो कि तटवर्ती क्षेत्र के लोगों के हितों के विरुद्ध है। बदले गए मार्ग मछलीपट्टनम होते हुए वास्तविक मार्ग से 178 किलोमीटर से भी अधिक दूर है।

गत तीन माह से विभिन्न वर्गों के लोग आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल हो रही हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि मछलीपट्टनम होते हुए वास्तविक मार्ग तथा पुलिगड्डा और पेनुमुडी के बीच कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय राजमार्ग–214 वास्तविक मार्ग अर्थात् कट्टीपुडी से ओंगोल रा. राजमार्ग–5, वाया मछलीपट्टनम और पेनुमुडी से होकर गुजरना चाहिए।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश में सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गाजीपुर जिले में वृन्दावन में एक डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत विकास खंड सादात में एक गांव सभा वृन्दावन है जिसकी आबादी पांच हजार से भी अधिक है। इस गांव सभा में पोस्ट ऑफिस नहीं होने से गांव सभा के लोगों को डाक संबंधी सभी कामों के लिए रोजाना लगभग पांच किलोमीटर दूर हुरमुजपुर हाल्ट जाना पड़ता है जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। गर्मी और बरसात के दिनों में आने–जाने में लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस गांव सभा के लोग लम्बे अर्से से यहां एक पोस्ट ऑफिस खोलने की मांग करते आ रहे हैं। इस संबंध में गांव सभा के लोगों ने कई दरख्वास्तें भी दीं लेकिन उस पर आज तक विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अतः सरकार से हमारी मांग है कि जनता की कठिनाइयों को देखते हुए गांव सभा वृन्दावन, विकास खंड सादात में एक पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए यह विभाग से तत्काल कदम उठाने का निर्देश दे।

(नौ) बिहार के खगड़िया जिले में मानसी तथा महेशखुंट रेलवे स्टेशन के बीच चुकती ढाला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर सड़क उपरिपुल का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला के मानसी और महेशखुंट रेलवे स्टेशन के बीच चुकती ढाला, (एनएच–31) पर रोड ओवर ब्रिज निर्माण हेतु करीब ढाई वर्ष पूर्व तत्कालीन रेल राज्य मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था लेकिन अधिकारियों के अड़चनों एवं अकर्मण्यता के कारण अपार जनहित के इस कार्य को प्रारंभ नहीं किया जा सका है जबकि इस निर्माण कार्य हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय में आपसी सहमति भी हो चुकी है। चुकती ढाला होकर एनएच–31 क्रॉस करती है जो बिहार राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार, असम एवं अन्य राज्यों के मालवाहक ट्रक, बस एवं निजी वाहनों के आवागमन का यह मुख्य मार्ग है। प्रत्येक दिन चुकती ढाला होकर दर्जनों रेलगाड़ियों के गुजरने से एनएच–31 पर कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग जाने से घंटों यातायात बाधित हो जाता है। उक्त स्थल में असामाजिक तत्वों के जमाव रहने के कारण आए दिन लूटमार की जाती है। अतः आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि खगड़िया जिला के मानसी एवं महेशखुंट रेलवे स्टेशन के बीच चुकती ढाला (एनएच–31) पर रोड ओवर ब्रिज निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किया जाए।

[अनुवाद]

(दस) कृषक समुदाय विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : महोदय, हमने आत्महत्या करने वाले किसानों और दक्षिण भारत में गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों के बारे में सुना है। यदि सरकार शीघ्र ही अर्थक्षम कृषि नीति तैयार नहीं करती है तो इस प्रवृत्ति से उत्तरी क्षेत्र भी प्रभावित होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान शीघ्र ही गन्ना–अपनी मुख्य नकदी फसल को जला रहे होंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मिलें यथाशीघ्र किसानों को उनके देय और बकाया

[श्री चन्द्र विजय सिंह]

धनराशि का भुगतान करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषक समुदाय की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु नई नकदी फसल के उत्पादन को प्रकटित करने के लिए उत्पादों की कीमत बढ़ाई जानी चाहिए और युद्ध स्तर पर उपाय किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

(ग्यारह) महाराष्ट्र के नासिक जिले में बिजली की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के नासिक जिले में बिजली संकट पैदा हो गया है। दो–तीन दिन के बाद बिजली आती है और आते ही चली जाती है। कई–कई जगहों पर खेती के लिए पानी है, लेकिन बिजली संकट के कारण खेती को पानी देना बहुत मुश्किल हो गया है। किसान हैरान हो गए हैं। उद्योग भी भारी संकट में हैं। बिजली पर नियामक भार लगा दिया गया है। किसी–किसी जगह पर दो–दो, तीन–तीन महीनों से ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं। बिजली केवल प्रकाश देने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह मानवीय विकास का एक अंग बन गई है। मेरी आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से विनती है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार बिजली की समस्या को दूर करें।

अपराह्न 2.32 बजे

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

मैं सभा से पूर्वोत्तर परिषद विधेयक पर विचार करने और इसका अनुमोदन करने का अनुरोध करता हूं जिसे राज्य सभा द्वारा सभा के सभी वर्गों द्वारा व्यापक समर्थन के साथ निर्विरोध पारित किया गया है। महोदय, आपकी अनुमति से, मैं तीन–चार मिनटों में इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कि परिषद का गठन 1972 में किया गया था। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा कुशलता से कह गए शब्दों को पढूंगा कि परिषद का गठन किए जाने के पीछे की अवधारणा क्या थी। परिषद के उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा :

"इस परिषद का प्राथमिक उद्देश्य बेहतर मानव कल्याण हेतु इस क्षेत्र का विकास करना है। विकास का पहला सिद्धांत समन्वित क्रियाकलाप है।"

इसीलिए परिषद का गठन किया गया था क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विभिन्न राज्यों के अंतर्गत आ रहा है और बेहतर समन्वय के लिए इसका गठन किया गया है। उन्होंने आगे कहा :

"यह विकास एवं कल्याण हेतु समन्वित योजना तैयार करने हेतु संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित इस क्षेत्र की विभिन्न राजनीतिक इकाइयों का एक संगठन है। मैं राज्यपाल श्री बी. के. नेहरू द्वारा व्यक्त की गई उम्मीद को बांटना चाहती हूं कि परिषद क्रमिक रूप से सद्भावना, उत्तरदायित्व एवं पारस्परिक आदर के वातावरण में क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में एक प्रभावशाली समन्वयकारी अभिकरण के रूप में उभरेगा।

मैं चाहूंगी कि परिषद उन परियोजनाओं पर कार्य करे जो एक से ज्यादा इकाइयों के लिए लाभदायक होगी और इस समन्वित क्रियाविधि में क्रियान्वित किया जा सके। यातायात एवं संचार, विद्युत, विपणन, संस्थानिक वित्त, प्रशिक्षण, उद्योगों इत्यादि हेतु संभाव्यता की तैयारी जैसे क्षेत्र हैं जिसमें क्षेत्रीय अभिगम का स्वागत किया जाएगा।"

परिषद एवं इसके अवस्थापन का उद्घाटन करने के बाद, उन्होंने मंत्रिपरिषद, कैबिनेट के अपने सभी सहयोगियों को पत्र लिखा/इसमें उन्होंने कहा :

"मैंने नवम्बर, 1972 में विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक कारणों से पूर्वोत्तर परिषद का उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण है कि परिषद शीघ्र एवं प्रभावी रूप से कार्य करे। परिषद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के पूर्वोत्तर की कई राजनीतिक इकाइयों के अस्तित्व से इसके आर्थिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, यह कि उनके त्वरित आर्थिक एकीकरण में सहायक हो एवं यह कि क्षेत्र की समस्याओं को समेकित रूप से निपटाया जाए।"

यही इसके गठन के पीछे का उनका आधार था। जैसा कि पूर्वोत्तर के माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों

से परिषद बेकार बैठा है। वस्तुतः, परिषद के सचिव के सीबीआई के मामलों में जाना पड़ा था और बैठकों का आयोजन अनियमित रूप से किया गया था। अब, पिछले चार वर्षों में इस परिषद को पुनर्जीवित करने और इसे एक प्रभावी निकाय बनाने हेतु महान प्रयास किया गया है। परिषद के सचिव, जनरल सिन्हा, जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, एवं अन्य लोगों ने कड़ी मेहनत की है और अब यह सक्रिय परिषद बन गया है।

मैं जिस विशिष्ट विधेयक पर विचार करने एवं पारित करने का अनुरोध कर रहा हूं, वह लगभग छह से सात वर्षों से मौजूद है। इसे नवम्बर–दिसम्बर, 1998 में रखा गया था। इस पर मार्च, 2001 में सरकार द्वारा पुनर्विचार किया गया था और इसे अगस्त, 2001 में विभागीय स्थायी समिति को भेजा गया था।

इस संशोधन के दो उद्देश्य साधारण किन्तु महत्वपूर्ण हैं। जिसमें से एक पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को शामिल करना है। यह सिक्किम की जनता एवं सरकार की आकांक्षा रही है। दूसरा इसके मात्र सलाहाकर–संस्था होने के संबंध में है। पूर्वोत्तर परिषद को क्षेत्रीय योजना निकाय का रूप दिया जाना चाहिए ताकि श्रीमती इंदिरा गांधी एवं अन्य लोगों द्वारा परिषद के गठन के समय रखे गए लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने अपने विचारों पर पुनर्विचार किया है और स्थायी समिति द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों पर भी पुनर्विचार किया है। मतभेद पूर्वोत्तर परिषद में राज्यपालों को शामिल किए जाने के प्रश्न पर रहा है। आज, सात राज्यों के राज्यपाल परिषद में शामिल हैं। अब इसमें आठ राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री होंगे। सरकार ने, एक चरण में कहा है कि सरकार को इसमें नहीं होना चाहिए और मूल संशोधन, जिसका प्रस्ताव श्री आडवाणी ने किया था, राज्यपालों को लागू रखा गया था। परन्तु, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वोत्तर में, राज्यपाल एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसीलिए इस संशोधन को वापस ले लिया गया है और हम इस संबंध में मूल अधिनियम को जारी रखना चाहता हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : हमें वह सब स्वीकार करना होगा जो आप लेकर आए हैं। हमारी संसद में, हम इसे नहीं बदल सकते हैं। परन्तु आपने अभी एक विशेष टिप्पणी की है कि राज्यपाल, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर में विशिष्ट स्थान रखता है। कृपया इस मुद्दे का वर्णन कीजिए। यह हमारे लिए सहायक होगा। अन्यथा, हम वह स्वीकार करते हैं जो आप कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वाद–विवाद में सम्मिलित होने वाले हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैंने अन्यत्र कहीं बैठक की है।

श्री अरुण शौरी : मैं उस मुद्दे का वर्णन करूंगा एवं तत्पश्चात बैठूंगा।

मुद्दा यह है कि राज्यपाल का स्थान निश्चित ही भिन्न है। इन मामलों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभारों पर रहने वाले श्री संतोष मोहन देव इसे जानते हैं। संविधान के छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा में संविधान में स्वायत्त परिषद है। इन सबका कार्य राज्यों के राज्यपालों द्वारा किया जाना है। ऐसा मामला देश के अन्य भागों में नहीं है। केवल इतना ही नहीं है। इन राज्यों में नौ स्वायत्त परिषदें हैं।

दूसरे, राज्य अधिनियमों के अंतर्गत दस अन्य स्वायत्त परिषदें हैं। इनमें भी राज्य सरकार का विशिष्ट उत्तरदायित्व है।

जैसा कि श्री देव ने नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अनुच्छेद 371(क) एवं 371(ज) के अंतर्गत, सरकार के पास कानून–व्यवस्था के संबंध में विशिष्ट उत्तरदायित्व है।

तीसरा मुद्दा यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण है। यह उत्तरवर्ती सरकारों का प्रयास रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपालों के रूप में नियुक्त अथवा चयनित व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि सुरक्षा मामलों के संबंध में एक विशिष्ट पृष्ठभूमि रखने वाले होते हैं। यह हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक रहा है। उदाहरण के लिए, असम का मामला लें, जब संयुक्त कमान बनाया गया है, उप–थलसेनाध्यक्ष को असम का राज्यपाल चुना गया था। वह वहां बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम रहे हैं।

अंतिम मुद्दा यह है कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बेहतर स्थायित्व है जैसा देश के कुछ अन्य भागों में स्थायित्व है। नागालैंड में लगभग अठारह वर्षों से प्रतिष्ठित मुख्य मंत्री हैं। परन्तु, पूर्वोत्तर के अन्य भागों में, सरकारें बार–बार बदलती हैं और दल बार–बार बदलते हैं जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती

[श्री अरूण शौरी]

है जिसमें विकास एवं सुरक्षा समस्याओं, दोनों से निपटने के लिए अपेक्षित प्रशासन को जारी रख पाना प्रभावित होता है ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : हम संसद सदस्यों को भी शामिल नहीं कर रहे हैं।

श्री अरूण शौरी : मैं इसकी बात करूंगा।

ये दो मुख्य परिवर्तन हैं। एक सिक्किम को शामिल करने के संबंध में है, जिसके बारे में, मैं आश्वस्त हूं कि सभा के सभी पक्ष इसका समर्थन करेंगे। दूसरे, इसे और प्रभावी बनाने का ही लक्ष्य है। मूल अवधारणा यह थी कि परामर्शदात्री निकाय के बजाय इसे क्षेत्रीय योजना निकाय का रूप दिया जाता।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार करे और इसे पारित करे जिसे राज्य सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : महोदय, 1972 में गठित पूर्वोत्तर परिषद में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मणिपुर के राज्य सम्मिलित हैं। तथापि, इस स्थिति में नागालैंड, विदेश मंत्रालय के प्रशासनाधीन था। इसे बाद में पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासन के अंतर्गत रखा गया है।

उपरोक्त वर्णित विभिन्न जाति समूह वाले अधिकतर राज्यों को असम के राज्य से ही बाहर निकाला गया था। ये राज्य कई पंचवर्षीय योजनाओं के व्यपगत होने के बाद अस्तित्व में आए थे, जब ज्यादातर बड़े राज्य विकसित हो चुके थे और संसाधनों का लाभ प्राप्त था। अतएव, राजभवन, सिविल सचिवालय, अधिकारियों के लिए आवास, जिला मुख्यालयों, उप-मंडलीय मुख्यालयों एवं कर्मचारी क्वार्टरों की आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से किया गया था। अतएव केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया गया अधिकतर धन का उपयोग मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु किया जाता था और तदन्तर, आर्थिक विकास हेतु धन की कमी थी, जिससे कि सभी उपरोक्त वर्णित राज्यों में गंभीर रूप से आर्थिक गिरावट आई।

शेष भाषण को पढ़ने से पहले, मैं पूर्वोत्तर के धनपोषण के रुझान का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि गत कुछ वर्षों के दौरान संसाधन की कमी में अभूतपूर्व तेजी आई है। निश्चित ही, यह एक अखिल भारतीय संवृत्ति है। परन्तु पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में अत्यंत बुरी स्थिति है। उनके संसाधन का आधार न केवल छोटा है बल्कि स्थिर भी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक विक्षोभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण स्थिर अर्थव्यवस्था है। केन्द्र सरकार को क्षेत्र में स्थित राज्यों में संसाधनों की कमी की पहचान करनी चाहिए और समस्या से निपटने के लिए वास्तविक रवैया अपनाना चाहिए। उदारीकरण के नाम पर क्षेत्रीय असंतुलन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

वर्ष 1998-99 में शुरू की गई विशेष श्रेणी के राज्यों के वित्तपोषण की मौजूदा प्रणाली ने राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ दिया है। छोटे राज्यों से जो अलगाववाद, कम औद्योगिकीकरण अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, दुरूह क्षेत्र और नगण्य निवेश अवसरों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनसे सभी योजनागत तथा गैर-योजनागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने की अपेक्षा करना अव्यवहारिक और अवास्तविक है। इन राज्यों के लिए जमीनी वास्तविकता पर आधारित एक विशेष वित्तीय प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ताकि वे निकट भविष्य में अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हों। यह न तो केन्द्र के हित में है और न ही राज्य के हित में है वे प्रायः दैनंदिन आधार पर केन्द्र सरकार की दया पर आश्रित हो। प्रधान मंत्री जी ने 8 मई, 1998 को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी।

उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संसाधनों के एक गैर-व्यपगतनीय केन्द्रीय पूल का जिक्र किया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के बजट की धनराशि से 10 प्रतिशत धनराशि निकाली जानी चाहिए और उसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु केन्द्रीय पूल में रखा जाना चाहिए।

इस संबंध में मैं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के विशेष विकास के संबंध में खंड 5(चार) का उल्लेख करना चाहूंगा। यह प्रायः देखा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जिनका सृजन 1972 में किया गया था, का उचित विकास नहीं किया गया है। अधिकांश गांव, प्रखंड और यहां तक कि कुछ जिला मुख्यालय भी परिवहन से सही ढंग से नहीं जुड़े हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां कतिपय ऐसी सड़कें हैं जो दिल्ली से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अन्य भागों से जुड़ी हैं। इसके अलावा माननीय प्रधान मंत्री जी ने संपूर्ण उत्तर और दक्षिण क्षेत्र और पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक विशेष घोषणा भी की है।

गुजरात में सौराष्ट्र और असम में सिल्चर तक प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित किए गए प्रस्तावित सुपर राजमार्ग का निर्माण कार्य एक अच्छी बात है। भारत सरकार को गुवहाटी से मोरे तक इस सुपर राजमार्ग का विस्तार करना चाहिए। मोरे तक के इस मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग की एक शाखा को नागालैंड से भी गुजरना चाहिए। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए इन सब बातों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के समय सुलझाए जाने की आवश्यकता है।

अब, मैं खंड 5 (पांच) पर चर्चा करूंगा जो पर्याप्त रेल परिवहन सुविधाएं मुहैया कराने की बात करता है। आज हमारे पास गुवहाटी से तिनसुखिया को जोड़ने वाली मुख्य ट्रंक सड़कें और ट्रंक रेल सेवा है जिसका निर्माण अंग्रेज सरकार द्वारा किया गया था। इसका बड़ी लाइन में परिवर्तन कर लिया गया है। लेकिन आज हम पाते हैं कि अन्य राज्यों में दो अथवा तीन रेल संपर्क उपलब्ध हैं जो नगरों और शहरों के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं। लेकिन पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां आठ राज्य हैं इसे मात्र एक ट्रंक रेल संपर्क प्राप्त है। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करना चाहूंगा कि एक और रेल संपर्क होना चाहिए जो दोतरफा आवागमन के लिए उपयोगी हो।

मैं यहां एक और प्रस्ताव ट्रांस–एशियन हाइवे और रेलवे के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से ट्रांस–एशियन हाइवे और रेलवे पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। एशियाई भूमि परिवहन बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के अंतर्गत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा परियोजना पर विचार किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भूमंडलीकरण परिदृश्य का एक हिस्सा बने और इसीलिए ट्रांस–एशियन हाइवे/रेलवे के निर्माण की ऐसी अवधारणा स्वागतयोग्य कदम है। यदि एक बार यह प्रस्तावित ट्रांस–एशियन हाइवे/रेलवे को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो इससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने की संभावना बढ़ेगी। विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी।

अब मैं खंड 5(छह) पर चर्चा करूंगा जो जल विद्युत के उत्पादन के बारे में है। यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की भारी संभावनाएं हैं क्योंकि यहां पर्वतीय क्षेत्र है। यहां बहुत ही कम लागत में विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। तकनीकी सर्वेक्षण ने यह साबित किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के लिए विद्युत भंडार बन सकता है। यहां एक लाख किलोवाट बिजली उत्पादन की भी क्षमता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत का स्रोत पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का भूभाग पर्वतीय है और इस क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की लागत देश के अन्य किसी भी भाग मं आने वाली लागत से कम होगी।

महोदय, विधेयक के खंड 5(छह) में पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थानों के लिए भारी संभावना है। जहां विभिन्न जातीय संस्कृतियां हैं जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और जो पर्यावरण के अनुकूल ऐसे पर्यटन स्थलों को तरजीह देते हैं। तब थाईलैंड और म्यांमार जैसे हमारे मित्र देशों के लोग कम लागत पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पर्यटक स्थलों का दौरा कर सकते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने की तार्किक प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना चाहिए सभी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति समय पर दी जाए और मानसून मौसम शुरू होने के पहले धनराशि वितरित हो जाए क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र एक मानसून प्रवण क्षेत्र है और यहां एक वर्ष में छह महीने तक बारिश होती है। यह कहा जाता है कि दिल्ली में जितनी बारिश पूरे वर्ष में होती है वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक दिन की बारिश के बराबर है। इसलिए भारी भू–कटाव, बाढ़ और गाद जमता है। इसे अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सड़कें भारी वर्षा के कारण लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती हैं। इसलिए पूर्वोत्तर परिषद को मानसून शुरू होने के पहले परियोजनाएं और योजनाएं तैयार करनी चाहिए और परियोजनाओं को स्वीकृति समय पर मिलनी चाहिए ताकि निविदाएं आमंत्रित की जा सकें और सड़कों, पुलों और विद्युत परियोजमाओं के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे संबंधी कार्य सुचारु ढंग से हो सकें। ऐसा करके हम लागत वृद्धि को रोक सकते हैं।

महोदय, मैं यहां कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा जिस पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सांसदों ने हाल ही में एक संकल्प पारित किया है। मैं उस संकल्प को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

(1) हम सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद के एक सदस्य के रूप में शामिल करने का स्वागत करते हैं।

[श्री के. ए. सांगतम]

(2) हम इस बात पर सहमत हैं कि परिषद एक ग्रामीण योजना निकाय के रूप मं कार्य करेगी।

(3) पूर्वोत्तर परिषद का कार्य न सिर्फ सलाहकार का हो बल्कि प्रभावी और कार्यकारी होना चाहिए।

(4) पूर्वोत्तर परिषद को अपने सदस्य राज्यों में सुरक्षा संबंधी मामले और सार्वजनिक व्यवस्था की समीक्षा संबंधी अपनी भूमिका छोड़ देनी चाहिए।

(5) राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख हैं, परिषद के सदस्य नहीं होंगे।

(6) पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा।

चूंकि अधिकांश योजनागत धनराशि केन्द्रीय पूल से दी जाती है इसलिए यह आवश्यक है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर परिषद के कार्यकरण में सक्रिय रूप से भाग ले। इसके अलावा ये सभी परियोजनाएं जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए परिकल्पित किया जाता है उन्हें स्वीकृति के लिए दिल्ली लाया जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत समग बर्बाद होता है। इसलिए इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मैं समझता हूं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।

संकल्प में आगे कहा गया है :

(7) पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य के रूप में एक कार्यकारी उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे।

(8) भारत के राष्ट्रपति आठ संसद सदस्यों को पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करेंगे जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का एक संसद सदस्य शामिल होगा।

यह संकल्प पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांसदों द्वारा पारित किया गया है।

चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकांश राज्य केन्द्र की योजनागत धनराशि पर निर्भर हैं, अतः यह उचित होगा कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष हो।

मुझे पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने पर गंभीर आपत्ति है क्योंकि वे मात्र भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। सामान्य प्रक्रिया में किसी महत्वपूर्ण मामले में जो विशेषकर इस राज्य से संबंधित होता है। एक आम आदमी को किसी राज्य के राज्यपाल से संपर्क करना असंभव होता है। एक राज्यपाल से मिलने की प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि वास्तव में किसी आदमी के लिए राज्यपाल के सामने अनुरोध करना और अपनी स्थिति स्पष्ट करना असंभव होता है।

कभी-कभी पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे राज्य के जनसाधारण की याचिकाओं पर ज्यादा प्राथमिकता दें। उन्हें अन्य राज्यों के लोगों की ऐसी याचिकाओं के बीच शासन करना होता है।

सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी निर्वाचित मुख्य मंत्रियों को परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया है इसलिए वे अपने संबंधित राज्यों में पूर्वोत्तर परिषद के खर्च पर परियोजनाओं, योजनाओं और मुद्दों को सामने रखने में सक्षम हैं।

सिक्किम पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक अभिन्न राज्य है। यद्यपि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की परिधि में आ गया है लेकिन दुर्भाग्यवश इसे अभी पूर्वोत्तर परिषद में शामिल नहीं किया गया है। मैं सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद के आठवें सदस्य राज्य के रूप में शामिल करने का प्रबल समर्थन करता हूं।

अंत में दूरसंचार, डाक सेवाएं, अन्य सेवाएं और अन्य विभाग और केन्द्रीय मंत्रालय जो पश्चिम बंगाल के नियंत्रणाधीन हैं, को पूर्वोत्तर परिषद को हस्तांतरित कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, देर से ही सही, किन्तु पहले मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री अरुण शौरी को बधाई देना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को राज्य सभा से पारित करा लाए हैं।

चूंकि मंत्री जी विनिवेश मंत्री भी हैं, इसलिए इन्होंने इस विधेयक में मुख्य मंत्रियों और सांसदों का भी विनिवेश कर दिया है। हम लोग कहीं नहीं हैं। किन्तु उनका विचार नया है। वे तर्क दे रहे हैं कि अमुक कारणों से इसे लाया गया है। मैं इस तर्क का समर्थन करता हूं। किन्तु, मेरा मानना है कि यह कुछ समय के लिए अर्थात् पांच या दस वर्षों के लिए होना चाहिए। इसके बाद आप यह उम्मीद नहीं कर सकते

कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता और असुरक्षा बनी रहेगी। आपको स्थिति की समीक्षा करनी होगी। यही मेरा विचार है। यह रिकार्ड में होना चाहिए।

अब चूंकि आपका जोर क्षेत्रीय योजनाओं पर है और आपने भारी मन से संशोधन लाया है, मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपने चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान अपनी घाटी के लिए कुछ नहीं कर सका हूं। यह घाटी बराकवैली के नाम से जानी जाती है। कई योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। आप भी प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। कारण है कि जब कोई मंत्री, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो या वर्तमान सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र जाता है, तो वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केवल खोखले वादे करता है। वास्तव में, कुछ होता नहीं है।

अब, मैं दो ज्वलंत उदाहरण दूंगा। आप 25 तारीख से एक छोटे एयरक्राफ्ट की सेवा शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। यह हमारी इच्छा रही है। यह बहुत अच्छा किया गया है। किन्तु, हमारी मांग रही है कि उस छोटे एयरक्राफ्ट की सेवा का मुख्यालय कोलकाता न होकर गुवाहाटी होना चाहिए। अभी, आप इसका परिचालन कोलकाता से कर रहे हैं। इसका मुख्यालय गुवाहाटी होना चाहिए, न कि कोलकाता।

दूसरा, मूल विचार यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की राजधानियों और कुछ प्रमुख नगरों या शहरों को आपस में एक--दूसरे से जोड़ा जाए। मेरा संसदीय क्षेत्र भी इनमें से एक है। आपने एक बोइंग सर्विस की अनुमति दी है। गुवाहाटी से सिल्चर और वापस सिल्चर से गुवाहाटी तक का विमान किराया 3660 रुपए है। यह बहुत अधिक है।

अपराह्न 3.00 बजे

यह बहुत अधिक है। इसलिए जब आप इस सेवा का विस्तार करते हैं, तो सिल्चर–गुवाहाटी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वहां जो बोइंग सर्विस है, उसे नहीं होना चाहिए। अब आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि सिल्चर, करीमगंज और अगरतला से गुवाहाटी तक रात्रिसेवा की 82 बसें चल रही हैं। इसलिए, इससे लोगों के आवागमन के समय में कमी आएगी और लोग इसके लिए आपकी सराहना करेंगे।

दूसरी बात है, तिपाई मुख डेम के बारे में--आप इससे अवगत हैं--प्रधान मंत्री ने इसे नीपको (एनईईपीसीओ) को देने का निर्णय किया है। अब, समस्या यह है कि सड़क परिवर्तन और बाढ़ पर आने वाला खर्च बढ़ गया है। यदि आप सुरक्षा लागत बढ़ाते हैं, तो प्रति यूनिट विद्युत का खर्च हद से ज्यादा होता है। यह 8 रुपए से भी अधिक है। इसलिए, कुछ विशेष निधियां प्रदान की जानी चाहिए। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने 2 तारीख को कैबिनेट के पास जाने का फैसला किया था कि ये निधियां दी जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि यह आपके दिशा–निर्देश पर हुआ है। चूंकि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मंत्री हैं, इसलिए आप विनिवेश को भूल जाइए। जब यह आइटम कैबिनेट के पास जाएगा, तो कृपया आप हमारा समर्थन करें। यह मेरी आपसे विनम्र अपील है। इसका कारण है कि इससे न केवल जलविद्युत का भला होगा, बल्कि बाढ़ के पानी पर आधारित बराक वैली के जलाशय में भी पानी का स्रोत हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह अच्छी फसलों के लिए वरदान–सा है। इसमें और सुधार होगा।

अब, मैं लुमडिंग–सिल्चर रेल लाइन के आमान परिवर्तन पर आता हूं। जिस तरह आप पैसे दे रहे है। उससे तो हमारी अगली पीढ़ी के छोटे बच्चे भी उस बड़ी रेल लाइन पर यात्रा नहीं कर सकेंगे। हर वर्ष आप 60 करोड़ की राशि प्रदान कर रहे हैं। आज उस परियोजना की लागत 1400 करोड रुपए है। यदि प्रति वर्ष 60 करोड़ दिए जाएं, तो जब तक यह परियोजना पूरी हो तब तक तो इस पर आने वाली लागत काफी बढ़ जाएगी। इसलिए, इसे एक राष्ट्रीय परियोजना माना जाए। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि सौराष्ट्र से सिल्चर तक एक सुपर हाइवे बनाया जाएगा। मैं श्री सांगतम का इस बात के लिए पूरा समर्थन करता हूं कि विभिन्न राज्यों के बीच कुछ वर्गीकरण किया जाना चाहिए। यातायात का हमारा मुख्य साधन सड़क मार्ग ही है।

तीसरे मैं सिल्चर हवाई अड्डा के विस्तार पर आता हूं। इसके लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, किन्तु रक्षा मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच खींचतान चल रही है। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से मिला। मेरे सामने ही उन्होंने इसका निपटारा करने के लिए अधिकारियों से कहा। मैं नागर विमानन मंत्री से भी मिला। उन्होंने विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाकर कहा। किन्तु, नौ महीने बाद भी इसका निपटारा नहीं हुआ है। अब काम प्रारंभ करने का समय आ गया है। यदि वहां से बोइंग सर्विस को हटकार एयर बस दे दी जाए, तो यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि इस समय हमें चिकनलेग से होकर असम तक की यात्रा करनी पड़ती है जिसमें काफी समय लगता है।

[श्री संतोष मोहन देव]

और, अंत में जो मैं कहना चाहता हूं वह भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपने स्वयं अपने पहले प्रस्तुतीकरण में कहा था कि असम सरकार या पूर्वोत्तर क्षेत्र की सरकार कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों द्वारा और कर्मचारियों की हैं। इसका कारण है कि हमारे राजस्व से होने वाली पूरी आय कर्मचारियों के वेतन में चली जाती है। तथापि, वे इस खर्च में कटौती कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जैसा कि सांगतम ने कहा है, प्रणालीबद्ध ढंग से योजना बनाने के काम में एनईसी को भूमिका निभाने दिया जाए कि जो पैसा पूर्वोत्तर क्षेत्र को जा रहा है उसका समुचित उपयोग किया जा सके और इससे देयता की अपेक्षा अधिक से अधिक परिसंपत्ति का सृजन हो सके। परिसंपत्ति के सृजन संबंधी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। अब, इस क्षेत्र की अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं, किन्तु इनमें परिसंपत्तियों के सृजन संबंधी कोई योजनाएं शुरू नहीं की गई हैं। इन योजनाओं से केवल लघु अवधि का ही फायदा हो सकेगा। जबकि, लम्बी अवधि तक फायदा होने वाली योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे धैर्य के साथ सुना। मैं मंत्री जी का उत्तर सुनने के लिए यहां उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, लेकिन कल मैं इसकी प्रति ले जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब मैं खड़ा होऊं तो हर बार आप इसी तरह सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको हर बार के लिए आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, जब मैं यहां पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक के समर्थन में खड़ा होता हूं, तो मैं महसूस करता हूं कि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासनिक पैटर्न और कार्यकरण में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इस विधेयक में मुख्यतः दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और दूसरी कि सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.05 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

जैसा कि आपको पता है कि यह एक परामर्शदात्री परिषद है क्योंकि इसका आदेश 1971 के अधिनियम के तहत पारित किया गया था। किन्तु, परामर्श संबंधी मामले का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। इसका एक समुचित क्रियान्वयन प्राधिकरण होना चाहिए था।

पहली बात तो यह परिषद संशोधन के उपरांत कार्यक्रम को तैयार कर इसका क्रियान्वयन करेगी। मैं असम से पिछले 30 वर्षों से जुड़ा रहा हूं। मैं कुछ समय के लिए असम में एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हुआ था और बाद में मैं उन क्षेत्रों का दौरा करता रहा हूं क्योंकि मुझे वहां की संस्कृति और लोग जिस तरीके से वहां रह रहे हैं उससे बहुत लगाव है। किन्तु, यह दुर्भाग्य की ही बात है कि वहां की कठिन परिस्थितियों में रह रहे लोगों की दशा में सुधार के लिए समुचित प्रगति नहीं हुई है।

1998 में माननीय प्रधान मंत्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया था। कई नई चीजें उभरकर सामने आई हैं। पहले मैं व्यपगत न होने वाली निधियों की बात करूंगा। मैं विभिन्न आवंटनों में निधियों की बात नहीं कर रहा हूं। कभी व्यपगत न होने वाला कोष एक ऐसा कोष है जिसका सृजन वहां के लोगों को काम देने के निमित्त लम्बी अवधि के लिए किया गया है। पर, इस क्षेत्र का दुःखद पहलु यह रहा है कि पूर्व में गठित इस परामर्शदात्री परिषद में कई राज्यपाल शामिल रहे हैं। मैं इनमें कुछ ही चीजें बताना चाहता हूं। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक अधिकार है, जैसा कि माननीय मंत्री ने इसका संकेत दिया था। वे समुचित ध्यान नहीं दे रहे थे और उनमें शामिल राज्यपालों में एक उसका अध्यक्ष होते थे। वे बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि एक राज्यपाल की अध्यक्षता में दूसरे राज्यपाल नहीं आना चाहते थे। कई तरह की दुविधाएं भी थीं। इसलिए पूर्वोत्तर परिषद के कार्य पैटर्न को समुचित तरीके से शुरू नहीं किया गया था।

दूसरी बात कि पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के सचिवालय ने क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने के महत्वपूर्ण कार्य को कभी गंभीरता से नहीं लिया और इसी कठिनाई की वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र जूझता रहा है। मैं एक ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड का उदाहरण बताता हूं। यह एक अच्छा बोर्ड गठित किया गया था। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले कार्यकलापों को लक्ष्य करके इस बोर्ड का गठन किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी के घुमावदार बहाव की कहानी सबको मालूम है। यह उस क्षेत्र के लोगों पर महाप्रलय मचाता है। किन्तु यह ब्रह्मपुत्र बोर्ड अपनी नीतियों को बनाने

में नाकाम रहा है क्योंकि इसमें पर्यवेक्षण संबंधी नियंत्रण और योजना आयोग से पर्याप्त सहायता का अभाव रहा है।

तीसरी बात यह है कि इसने उच्च स्तर की विशेषज्ञता और सक्षमता विकसित नहीं की थी। पूर्वोत्तर परिषद ने अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित नहीं की। पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) को केन्द्रीय मंत्रालय और यहां तक कि योजना आयोग से भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है। रिमोट कंट्रोल की युक्तियों से योजनाओं को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में मदद नहीं मिलती है। योजना आयोग भी पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) सचिवालय को एक मीनी–योजना आयोग के रूप में विकसित करने में नाकाम रहा। फिर दो या अधिक राज्यों की योजनाओं और परियोजनाओं को भी एक साथ जोड़ा नहीं जा सका। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को भिन्न–भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए एक साथ जोड़ा जांना चाहिए।

माननीय मंत्री जी संचार, जलापूर्ति और विद्युत के बारे में बता रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय की घाटियों में होने वाले जलप्रपात और नदियों से पनबिजली पैदा की जा सकती है। जब तक इन सबको एक साथ जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक वांछित परिणाम निकाल पाना किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगा। दो या अधिक राज्यों की योजनाओं और परियोजनाओं को शुरू से ही 1971 से ही जोड़ा जाना चाहिए।

और, अंत में जो मैं कहना चाहता हूं वह भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह यह कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कठिनाइयां यह रही हैं कि वहां की आर्थिक सक्षमता बहुत कमजोर रही है विशेषकर कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, और इसका परिणाम रहा है कि गांवों में गरीबी व्याप्त है।

जैसा कि आप देखेंगे, चाहे वे ब्रह्मपुत्र घाटी के गन्ना उत्पादक हों या मेघालय के बांस की बाल्टियां बनाने वाले या नागालैंड के कुटीर उद्योग, जहां तक कुटीर उद्योग या लघु उद्योग की बात है यह सभी कार्य पहल न करने के कारण परेशानी में हैं। इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए यह संशोधनकारी विधेयक उन स्थानों के लिए लाया गया है जहां के निर्वाचित लोकप्रिय मुख्य मंत्री उस क्षेत्र विशेष की परिषद के सदस्य हैं। निःसंदेह, मेरे विचार नागालैंड के मेरे साथी से भिन्न हैं कि जहां यदि कोई मंत्रालय नहीं है तो स्वभावतः राज्यपाल को स्वयं इसमें भाग लेना होगा।

इसी वजह से इस परिषद का पुनर्गठन किया है ताकि लोगों की आम भावना को समझा जा सके। परन्तु जब आम भावना की बात की जाती है तो एक चीज नजरअन्दाज हो जाती है। स्वायत्तशासी क्षेत्रों और राज्य स्वायत्तशासी परिषदों संबंधी तथ्य नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत बनाए गए स्वायत्तशासी प्रदेश और स्वायत्तशासी परिषदों के पास कुछ ज्यादा शक्तियां तथा कुछ ज्यादा अधिकार हैं, जबकि राज्य परिषदों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कारबियोंगलोंग का ही मामला लें। इसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कारबियोंगलोंग और उत्तरी कचार पहाड़ी जिलों की ओर पर्याप्त ध्यान दें...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : बोडोलैण्ड के बारे में क्या हुआ?

श्री अनादि साहू : हां, बोडोलैण्ड भी है। बोडोलैण्ड के मेरे एक अच्छे मित्र यहां हैं। वह बोडोलैण्ड पर बोलेंगे। इसी कारण, यदि मैं बोडोलैण्ड पर बोलता हूं तो यह उस विषय में व्यर्थ बोलना होगा। आपको उस पर बोलना होगा।

इसलिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राज्यों द्वारा स्वयं स्थापित स्वायत्त परिषदों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए–ये लगभग दस हैं–जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए सड़कों और संचार संबंधी मुद्दे देखिए। नागालैण्ड के मेरे मित्र परिवहन और संचार का उल्लेख कर रहे थे। पुराना बर्मा रोड और स्टील–वैल रोड को यातायात और वाणिज्य के लिए खोला जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के मित्र हमें तावांग मोनास्ट्री ले गए और हमने स्टील–वैल रोड देखा। यह बहुत अच्छा रोड है। 1961 तक यहां काफी चहल–पहल रहती थी। इसके बाद, कई ऐतिहासिक कारणों की वजह से इसका उपयोग नहीं किया गया। अब वह समय आ गया है कि यह सड़क तिब्बत के साथ व्यापार के लिए इस तरफ खोल दी जाए और म्यांमार के इस तरफ की सभी सड़कें और नागालैण्ड से म्यांमार तक की और उन सभी स्थानों के लिए भी खोल दी जानी चाहिए।

मैं मेघालय भी गया था। मेघालय से थोड़ा नीचे दक्षिण की ओर जाइए और बांग्लादेश सीमा पर आइए वहां आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि सब तरफ पानी ही पानी है। परन्तु कभी–कभी मेघालय के कुछ भागों में पीने को भी पानी नहीं होता। यद्यपि चेरापूंजी और आसपास के इलाके में प्रतिवर्ष 300 इंच वर्षा होती है क्योंकि सारा पानी बांग्लादेश में बह

[श्री अनादि साहू]

जाता है। मैं सीमा तक यह देखने के लिए गया था कि यह सब कैसे होता है। मैं यह देखने बरसात के मौसम में गया था। मैं मात्र यह देखने के लिए एक वर्ष पहले गया था कि उन क्षेत्रों में पानी कैसे संग्रह किया जाता है। मैंने पाया कि पूरा बांग्लादेश पानी की चादर है और लोग नावों में रहते हैं, और चावल और मछली खाते हैं और कुछ नहीं, जो लोग चेरापूंजी क्षेत्र में रहते हैं उनके पास पीने को पानी नहीं है क्योंकि इस पूरे वर्ष सूखे की स्थिति रही।

इसलिए, हम उन क्षेत्रों में जल संग्रहण नहीं कर पाए जिन्हें इसकी जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा है नदियों के प्रवाह क्षेत्र को छोटा करने से पूर्वोत्तर के लोगों की समस्याएं घटने की बजाय बढ़ गई हैं। इसलिए यहां भी मैं देखता हूं कि पूर्वोत्तर परिषद को अधिकार तो दिए गए हैं, परन्तु वे कोई खास नहीं हैं, मेरा मत है कि विभाग को अपना कार्य कारण दिल्ली की बजाय शिलांग से ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि हमारी पूर्वोत्तर परिषद है। परन्तु इसके पास अधिक अधिकार होने चाहिए जिससे यह ठीक से कार्य कर सके और इस विभाग का कार्यालय भी शिलांग में ही होना चाहिए। इन सब विषयों पर विचार करते हुए विकास कार्य के लिए जो जांच समिति बनाई जा रही है उसे इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यह कोई नौकरशाही उलझन या नौकरशाही बाधा उत्पन्न करेगा या उस क्षेत्र के लोगों के लिए वास्तव में सही कार्य करने के हक में होगा।

जब मैं यह सब कहता हूं तो यह विनम्रता से कहता हूं। माननीय मंत्री जी जो कि पूर्वोत्तर से संबंधित क्रियाकलापों के लिए बहुत सक्रिय रहे हैं वे कृपया इस तथ्य पर विचार करेंगे कि जांच समिति की बैठकें वर्ष में दो बार ही नहीं बल्कि वे उतनी बार बैठकें कर सकती हैं जितनी कि संभव हो और उन क्षेत्रों में जरूरत के कार्य को अंजाम दे। अन्यथा ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड की तरह यह कई वर्षों तक बेकार पड़ी रहेगी।

मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और मैं कहता हूं कि यह एक स्वागत योग्य संशोधन है और इससे निश्चित तौर पर सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा।

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान) : सभापति महोदय, पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि परिषद का महत्व बहुत है क्योंकि उन नौ राज्यों के क्षेत्र का भौगोलिक दृश्य लगभग समान है। 1970 से हम बहुत कहते आ रहे हैं परन्तु हमने किया कुछ भी नहीं है। हम उस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर तक विकसित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। इसी कारण से माननीय मंत्री जी श्री अरूण शौरी को इस तरह का संशोधन विधेयक लाना पड़ा है।

जैसा कि आप जानते हैं यह क्षेत्र आतंकवादी क्रियाकलापों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए स्वर्ग बन गया है। यहां तक कि हमारी केन्द्रीय सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की देखरेख के लिए सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या मुहैया कराने में असफल रही है। अब, हम काफी सुनते हैं कि आईएसआई के लोग बांग्लादेश और अन्य क्षेत्रों में शरण लेते हैं। असम और त्रिपुरा में निर्दोषों की हत्याएं अत्यंत सामान्य बात हो गई है। नागालैण्ड के बारे में हम यह नहीं जानते हैं कि वह क्षेत्र हमारे देश में है या नहीं क्योंकि उस पूरे राज्य में अर्द्ध सैनिक बलों की सहायता के बिना वहां कोई घूम नहीं सकता है। हम वहां गए तो सुरक्षा बलों ने हमें वहां घूमने की इजाजत नहीं दी। हम होटल में बैठे और आनंद लिया। पूर्वोत्तर राज्यों की यही स्थिति है।

उस पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हुई है। उसे केन्द्र से तुरंत मदद की जरूरत है क्योंकि वह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण है। लोग बहुत साधारण और मेहनती हैं परन्तु उन क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है। उस कारण से, संचार की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम नहीं जानते कि धर्मनगर और अगरतला के बीच रेलवे लाइन कब पूर्ण होगी। कोई नहीं जानता कि यह किस वर्ष में पूर्ण होगी। हम आमान परिवर्तन के बारे में काफी सुनते हैं। इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उड़ानों की संख्या में वृद्धि की जानी है और उस क्षेत्र में एयर-लिंकों की संख्या में भी वृद्धि की जानी है ताकि हमारे देश की मुख्य धारा से इन क्षेत्रों को भली-भांति जोड़ा जा सके।

अलग-अलग राज्य सरकारें हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक इकाइयां और पहले से संभवतः नौ स्वायत्त परिषद अस्तित्व में हैं, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद में समन्वय पूरी तरह से एक विफलता ही रहा है। इसका विकास किया जाना चाहिए। वर्ष 1971-72 के बाद से, यह बुरी तरह से विकासात्मक गतिविधियों में समन्वय करने में बुरी तरह विफल रही है। सभी विफलताओं में सबसे बड़ी विफलता यह है कि इस देश के अन्य भागों के साथ इन क्षेत्रों का भावनात्मक संबंध कम है।

इस क्षेत्र में यह सबसे बड़ी विफलता रही है। हमें इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और लगभग 30 वर्षों से उपस्थित संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

बाहर पृथकवतावादी और साम्राज्यवादी ताकतें दुर्भावनापूर्वक ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे हमारा राष्ट्र अस्थिर हो सके। यह क्षेत्र बहुत-बहुत संवेदनशील है और वहां राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां हो रही हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार पूरी तरह से जागरूक है अथवा नहीं। अन्यथा, वह इन पृथकतावादी ताकतों को समाप्त करने और पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत पहले कदम उठा चुकी होती।

यह अजीब बात है कि यद्यपि बड़ी धनराशि आवंटित की गई हैं, तो भी पारदर्शी तरीके से व्यय नहीं किया जाता। जहां तक पूर्वोत्तर परिषद का संबंध है, समन्वय और पारदर्शिता में वह विफलता ही है। यहां तक कि पूर्वोत्तर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा सचिव को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में यह स्थिति है, और इस क्षेत्र की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यदि केन्द्र सरकार इस संपूर्ण क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने की इच्छुक है तो त्रुटियां अवश्य दूर की जानी चाहिए।

हमें मालूम हुआ कि वहां क्या चल रहा है यह देखने के लिए और विकासात्मक परियोजनाओं और गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक वेबसाइट स्थापित की गई है। कई संदर्भों में, सिक्किम आगे है लेकिन फिर भी यह अल्पविकसित है। निःसंदेह, पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को शामिल करना एक अच्छा कदम है। यह संशोधन कुछ भी नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन है और इसका उद्देश्य विकासात्मक योजना के लिए अधिक अधिकार देना और अन्य गतिविधियों को पूरा करना है।

हम केन्द्र सरकार से इस संपूर्ण क्षेत्र को विभिन्न प्रकार से राष्ट्रीय विकासात्मक कार्यक्रमों से जोड़ने का आग्रह करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भीम दाहाल (सिक्किम) : सभापति महोदय, सिक्किम के लोग औपचारिक रूप से पूर्वोत्तर परिषद में शामिल होने के लिए पारित किए जाने वाले इस संशोधन विधेयक की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में, सिक्किम के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। सिक्किम में बहुत सी बातें पूर्वोत्तर के समान हैं। हमारी नस्ल लगभग एक समान है और हमारी भौगोलिक विशेषता भी लगभग समान है। यह सिक्किम के लोगों की काफी पुरानी मांग है। मैं यह विधेयक लाने के लिए प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री और विशेषकर पूर्वोत्तर के मंत्री श्री अरूण शौरी का वास्तव में कृतज्ञ हूं। अपने प्रिय नेता श्री पवन चामलिंग और सिक्किम के लोगों की ओर से मैं केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर के अपने मित्रों, सभी मुख्य मंत्रियों और पूर्वोत्तर के सांसद मंच के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम भारत संघ में सिक्किम के भावनात्मक एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। यद्यपि सिक्किम भारत का एक भाग है फिर भी इस सम्मिलन के परिणामस्वरूप भारत संघ के साथ इसका भावनात्मक एकीकरण हो जाएगा। हम विशेषकर देश के हर दल के क्षेत्रों के संसद सदस्य कम बोलते हैं अथवा हमें इस सभा में बोलने का अवसर भी नहीं मिला। किन्तु विनिवेश मंत्रालय की स्थापना के साथ ही हमारे क्षेत्रों के अधिकतर कार्य अब किए जा रहे हैं। मैं इसके लिए श्री अरूण शौरी की प्रशंसा करता हूं। मैं जब भी अपने राज्य की समस्याओं के साथ उनसे मिला हूं जिनकी प्रकृति अलग है, चाहे वे राजनीतिक हों अथवा उनका संबंध राज्य में विद्यमान पुराने कानूनों से हो अथवा राज्य के विकास संबंधी कार्यकलापों के बारे में हों, वह उन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए सदैव उदार रहे हैं। वह एक प्रकार से सिक्किम के संरक्षक बन गए हैं। वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एकमात्र मंत्री हैं जिन्हें मैंने किसी को विदा करते समय दरवाजे तक आते हुए देखा है। इसलिए इस मंत्रालय की स्थापना और पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम के शामिल करने से सिक्किम के लोगों को काफी लाभ होगा।

महोदय, हमारे मुख्य मंत्री, श्री पवन चामलिंग राज्य में पर्यटन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और बागवानी क्षेत्र विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह सिक्किम के सभी भागों में सड़कों और पुलों की स्थिति सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस मंत्रालय ने वास्तव में इन क्षेत्रों के सुधार के हमारे प्रयासों में सहायता की है। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने सभी मित्रों का भी आभारी और शुक्रगुजार हूं। इन क्षेत्रों के विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में मेरे नागालैंड के मित्र ने भली-भांति बताई हैं। हमारे राज्य में भी ऐसी ही समस्याएं हैं। समग्र राष्ट्रीय योजना इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुकूल नहीं हैं और इसलिए यह मंत्रालय एक आदर्श और मॉडल मंत्रालय ही नहीं होगा बल्कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास की

[श्री भीम दाहाल]

देखभाल करने के लिए एक प्रमुख मंत्रालय भी होगा। यदि विकास अच्छी प्रकार से होता है तो अन्य समस्याओं पर स्वतः ही ध्यान दिया जाएगा।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राजकुमार वंग्चा (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, बोलने का यह अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को शामिल करने का स्वागत करता हूं। आज यह विधेयक विचार हेतु सभा के समक्ष रखा गया है। यह विधेयक बहुप्रतीक्षित था। इस पूर्वोत्तर परिषद को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए इस विधेयक पर बहुत चर्चा हुई ताकि यह पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास में अधिक सकारात्मक भूमिका निभा सके। स्थायी समिति जिसने विधेयक के विभिन्न उपबंधों की जांच की, के सदस्य के रूप में हमने कुछ मामलों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

चिन्ता का एक क्षेत्र पूर्वोत्तर परिषद की सुरक्षा संबंधी भूमिका थी। श्री अरूण शौरी ने विशेष प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया है जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड सरकारों को दिए गए हैं।

यहां मेरी राय अलग है। ये विशेष शक्तियां सुरक्षा मामलों के संबंध में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के राज्यपाल को दी गई है।

पूर्वोत्तर परिषद के बारे में अपनी शुरूआत से इसने सुरक्षा मामलों में कभी कोई भूमिका नहीं निभाई है। अतः हमने सुझाव दिया है कि विकास कार्यकलापों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यहां यह परिषद 1971 से है। हमने पूर्वोत्तर में ढेर सारी समस्याओं का सामना किया था। नागालैंड में पिछले पैंतालीस वर्षों से हम कानून और व्यवस्था की अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। असम में भी हम दो दशकों से विद्रोह की समस्या का सामना कर रहे हैं। त्रिपुरा और मणिपुर में भी कानून और व्यवस्था की अनेक समस्याएं रही हैं। तथापि, विद्रोह की गतिविधियों का मुकाबला करने अथवा कानून और व्यवस्था की समस्याओं का हल निकालने के लिए हमने पूर्वोत्तर परिषद का कभी उपयोग नहीं किया है। अतः हमें महसूस हुआ कि प्रधान अधिनियम में अंतर्विष्ट संगत प्रावधान पिछले तीस वर्षों से बेकार गया है। इसी कारण हमने यह सुझाव दिया है कि परिषद को उसकी सुरक्षा संबंधी भूमिका से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। हमने यही स्पष्टीकरण दिया है, और मैं इसी स्पष्टीकरण पर कायम हूं यद्यपि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

दूसरा मुद्दा कार्यकारी शक्ति के बारे में है। बहुत सी बैठकों में मैंने उन परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में माननीय मंत्री महोदय को कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्हें ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है, कार्यान्वयन भाग की ठीक ढंग से देखभाल नहीं की गई है। इसके लिए कारण ऐसा है। कार्यकारी की शक्ति पूर्वोत्तर परिषद को नहीं दी गई है। जैसे ही योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है और पूर्वोत्तर परिषद द्वारा उनका अनुमोदन हो जाता है तो वे पूर्ण रूप से राज्य सरकार के हाथों में चली जाती हैं। उदाहरणार्थ, हमने इस क्षेत्र में राज्यों को जोड़ते हुए एक सड़क परियोजना शुरू की है। यह सड़क बहुत दयनीय स्थिति में है। एक छोटा पुल बनने में वर्षों लग रहे हैं। अनेक अवसरों पर मैंने ऐसे उदाहरण दिए हैं। अतः मैं गंभीरता से महसूस करता हूं कि पूर्वोत्तर परिषद को कार्यकारी शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि परियोजनाओं और योजनाओं का उचित कार्यान्वयन हो सके। अन्यथा, इन योजनाओं और परियोजनाओं का अनुमोदन करने से कुछ नहीं होगा।

हम सभी उन संभावनाओं से अवगत हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में विद्यमान हैं। मैं अपने आपको किसी विशेष राज्य अथवा किसी विशेष संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित नहीं करना चाहता। मैं कुल मिलाकर सभी पूर्वोत्तर राज्यों का विकास चाहता हूं। हमें विद्युत के क्षेत्र में संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। हमारे पास महान क्षमताएं हैं किन्तु हम कितनी विद्युत का उत्पादन करने में कामयाब हुए हैं? अनेक पूर्वोत्तर राज्य विशाल विद्युत क्षमता रखने के बावजूद विद्युत की कमी के कारण अब भी कष्ट उठा रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि पूर्वोत्तर परिषद सभी राज्यों में समान धनराशि खर्च करे। हमें पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में बात करनी चाहिए। हमें पूरे पूर्वोत्तर के बारे में बात करनी चाहिए। जब हम विद्युत क्षमता के बारे में बात करते हैं तो हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी राज्यों में नदियां हों। पूर्वोत्तर में अनेक राज्य हैं जिनमें नदियां नहीं हैं। हम उन राज्यों में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जल का संग्रहण करने के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता है। यह बात राज्यवार आंकड़ों से पता चल सकती है कि एक विशेष राज्य को पूर्वोत्तर परिषद से विशेष धनराशि मिलती है। तथापि, हमें उस प्रयोजन

को देखना चाहिए जिसके लिए वह धनराशि उस विशेष राज्य को आवंटित की गई है।

इसलिए, राज्यों के अलग–अलग प्रमुखों के मध्य यह देखने के लिए उचित समन्वयन होना चाहिए कि उन क्षेत्रों का उचित रूप से पता लगाया जा रहा है।

अब हम पर्यटन की बात करें। हमारे पास पर्यटन क्षमता है। किन्तु कितने पर्यटक पूर्वोत्तर की यात्रा करते हैं? क्या हम पूर्वोत्तर में पर्यटन विभाग के साथ न्याय कर पाए हैं? गत पचास वर्षों में कितनी अवसंरचनाएं तैयार की गई हैं? इसलिए मेरा मानना है कि पूर्वोत्तर परिषद को बड़ी भूमिका निभानी है। किन्तु मैं इसका कारण नहीं जानता कि यहां संसद सदस्यों को क्यों अलग रखा गया है। जब भी हमारी बैठक माननीय मंत्री महोदय के साथ होती है, वह हमारा सहयोग चाहते हैं; और वह सदैव पूर्वोत्तर के संसद सदस्यों के बारे में बात करते हैं कि वे यह देखें कि अव्यपगतनीय धनराशि का उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए; वे यह देखें कि पूर्वोत्तर परिषद की सभी परियोजनाएं और योजनाएं समय पर पूरी की जा रही हैं। किन्तु जब हम जिम्मेदारी बांटने की बात करते हैं, तो उनकी राय थोड़ी सी अलग है।

यद्यपि यह इस अवस्था में संभव नहीं हो सकता फिर भी मैं महसूस करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के संसद सदस्यों को इसमें शामिल करने से वे पूर्वोत्तर राज्यों को एक साथ मुख्यधारा में लाने के लिए अधिक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

इसलिए ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें मैं मानता हूं जो इस विधेयक में शामिल नहीं हैं। किन्तु अपने भाषण के अंत में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, इस बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका बहुत आभारी हूं जो कि पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002 से संबंधित है।

सबसे पहले, मैं श्री अरूण शौरी और भारत सरकार को इस सम्माननीय सभा में इस विधेयक को पारित कराने हेतु लाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां पुनः, मैं पूर्वोत्तर परिषद के क्षेत्राधिकार में शामिल करने की संभावना बनाने के लिए सभी सिक्किम भाइयों को बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, मैंने इस विधेयक में कुछ कमी पाई है। शुरूआत से ही हम इस पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए भारत सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, संसद सदस्यों को इस विधेयक में नहीं शामिल किया गया है। इस विधेयक में यह सबसे बड़ी और गंभीर कमी है।

दूसरी कमी बोडोलैंड क्षेत्र, करबी आंगलौंग और उत्तर कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद क्षेत्र जैसे अति पिछड़े उप–क्षेत्रों के विरुद्ध किए जा रहे भेद–भाव से संबंधित है।

जब तक बोडोलैंड क्षेत्र, उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त जिला, और करबी आंगलौंग स्वायत्त जिले से पूर्वोत्तर परिषद में सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, तब तक उन क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान उचित तरीके से नहीं किया जा सकता। आजादी के ही समय से पिछले पांच दशकों से भी अधिक समय से हम इस बात को देख रहे हैं कि बोडोलैंड क्षेत्र विशेष रूप से संपूर्ण उत्तर ब्रह्मपुत्र घाटी और असम के कुछ अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्र के साथ सभी विकासात्मक गतिविधियों में बहुत भेदभाव बरता जा रहा है। इस कारण से, पृथक बोडोलैंड राज्य की मांग की जा रही है और सशक्त आंदोलन अभी भी जारी है।

भारत सरकार और असम सरकार की स्पष्ट नीति निर्णय और व्यावहारिक रवैये के अभाव के कारण जातिय–राजनीतिक और अल्प विकास से संबंधित समस्याएं एवं मुद्दे, अवांछित उग्रवाद और आतंकवाद की स्थिति उन क्षेत्रों में उत्पन्न हो गई है। इसलिए, मैं भारत सरकार से बोडोलैंड स्वायत्त क्षेत्र, उत्तरी कछार स्वायत्त जिला पर्वतीय और करबी आंगलौंग स्वायत्त जिले से भी सदस्यों को पूर्वोत्तर परिषद में शामिल करने का नम्र निवेदन करता हूं।

मेरे बोडोलैंड क्षेत्र में सड़क संचार, बुनियादी सिंचाई सुविधाएं, विद्युत संपर्क, अच्छी स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा सुविधाएं तथा कोई अच्छे शैक्षिक संस्थान नहीं हैं। करीब बीस वर्ष पूर्व, भारत सरकार द्वारा चम्पामोती और धनश्री नाम की दो सिंचाई योजनाएं शुरू की गई थीं। 25 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद इन योजनाओं को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। पांच दशक बाद भी बोडोलैंड क्षेत्र में अभी तक क्यों कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है? कृषि क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के साथ बहुत भेद–भाव किया गया है। हमारे बोडोलैंड क्षेत्र में कोकिलाबाड़ी में एक केन्द्रीय राज्य 'फार्म' है और वर्तमान सरकार ने इस 'फार्म' का भी विनिवेश करने का निर्णय ले लिया है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा यंत्रीकृत कृषि बीज फार्म है।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

मैं भारत सरकार से कोकिलाबाड़ी केन्द्रीय राज्य फार्म के संबंध में लिए गए पूर्व के निर्णय को बदलने और अविलंब पूर्व स्थिति बहाल करने का निवेदन करूंगा।

मैं भारत सरकार से बोडोलैंड क्षेत्र के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत करने का अनुरोध करना चाहूंगा। पिछले करीब पांच दशक से भी अधिक समय से यानि आजादी के समय से ही हम यह देख रहे हैं कि असम के सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय गैर–जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। उदाहरण–स्वरूप, असम केन्द्रीय विश्वविद्यालय सिल्चर में और तेजपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी तेजपुर में स्थित है जो कि बोडोलैंड क्षेत्र से काफी दूर है। इसी तरह से अन्य सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी पर्वतीय राज्यों में अवस्थित हैं जो कि बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों की पहुंच से परे हैं। नेहू (एन.ई.एच.यू.) शिलांग (मेघालय) में, नागालैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय कोहिमा में, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल (मणिपुर) में और मिजोरम केन्द्रीय विश्वविद्यालय ऐजोल में अवस्थित हैं। केन्द्र सरकार को इस तरह की टकरावपूर्ण स्थिति को कभी नहीं दोहराना चाहिए।

बोडोलैंड क्षेत्र एक विमानपत्तन से भी वंचित है जो कि संबंधित क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए, मैं भारत सरकार से बोडोलैंड और अन्य पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों जैसे करबी आंगलौंग और उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त जिले आदि के पूर्ण विकास के लिए कतिपय आवश्यक परियोजनाएं शुरू करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

मैं भारत सरकार से ज्वलंत बोडोलैंड मुद्दे के दीर्घकालिक और सम्मानजनक राजनीतिक समाधान हेतु ठोस नीति निर्णय लेने का अनुरोध करूंगा। जब तक सरकार इस ज्वलंत मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के द्वारा समाधान नहीं निकाल लेती तब तक कोई ठोस सफलता हासिल करना दूर–दूर तक संभव नहीं है। आपके हाथ से यह अवसर निकल जाएगा और आप आतंकवाद और इस अशांत स्थिति का अंत करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए, मेरा भारत सरकार से नम्र और सानुरोध निवेदन है कि ज्वलंत बोडोलैंड समस्या के अविलंब दीर्घकालिक और सम्मानजनक राजनीतिक समाधान निकालने के लिए वह ठोस नीति निर्णय ले।

भारत सरकार को देश के बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों के व्यापक हित में कुछ ठोस एवं आवश्यक कदम उठाने चाहिए जो कि भारतीय उप–राष्ट्रीयता के अत्यंत राष्ट्रवादियों में से रहे हैं। भारत सरकार को उन्हें भारतीय संघ और उनके अपने जिले, भाषा, संस्कृति और जातीय पहचान के साथ–साथ देश के शेष भाग के लोगों के बराबर दर्जा और सम्मान के साथ प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में जीने का मौका देना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002 सदन में प्रस्तुत किया गया है जिस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। देश के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का बहुत महत्व है। वे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका सामरिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्व है। सामरिक दृष्टि से इसलिए कि इन 7–8 राज्यों की सीमाएं चीन, बर्मा, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। इसलिए यह पूरा क्षेत्र बहुत संवेदनशील और हिन्दुस्तान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। पहले पूर्वोत्तर परिषद के गवर्नर साहब सदस्य थे। प्रस्ताव आया कि प्राथमिक विधेयक में गवर्नर साहब सदस्य नहीं रहेंगे। विधेयक का मूल उद्देश्य यही था। फिर उसके बाद फिर संशोधन आया कि गवर्नर साहब सदस्य रहेंगे। फिर संशोधन आया कि गवर्नर साहब सदस्य नहीं रहेंगे। महोदय, इस तरह से इस सरकार में प्रकरणों का मिस–हैंडलिंग हो रहा है। हमको पता नहीं लगता कि किस प्रकार से यह सरकार सोच रही है और मिस–हैंडलिंग कर रही है।

महोदय, जिन मंत्री महोदय ने विधेयक तैयार किया है वे अपने आपको अंग्रेजी के ज्ञाता कहते हैं। मैं उनका ध्यान क्लाज 3 के सैक्शन 1 के सब सैक्शन (1) की तरफ आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके अंदर लिखा है कि

[अनुवाद]

"तत्संबंधी राज्यों के राज्यपाल के रूप में तत्समय पदासीन व्यक्ति"

[हिन्दी]

अब यह "परसन" और "परसन्स" क्यों लिखा है। मुझे अंग्रेजी ज्यादा जानने वाले मंत्री जब इसका उत्तर दें, तब बताएं कि इसका क्या कारण है। गवर्नर के पद पर एक ही व्यक्ति बैठेगा या दो–दो गवर्नर किसी राज्य में होंगे। यदि एक ही व्यक्ति गवर्नर होगा, तो फिर परसन्स लिखने का क्या अभिप्राय है?

श्री अरूण शौरी : महोदय, चूंकि आठ राज्य हैं और आठ राज्यों में आठ राज्यपाल हैं, इसीलिए परसन या परसन्स लिखा गया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आठ राज्यों में यदि आठ राज्यपाल हुए, तो भी एक राज्य में तो एक ही राज्यपाल हुआ, फिर परसन्स लिखने का क्या मतलब है। जो अंग्रेजी के ज्यादा जानकार हैं वे हमें इस बारे में बताएंगे। इसका जो हिन्दी अनुवाद किया गया है वह सही है :

"तत्संबंधी राज्यों के राज्यपाल के रूप में पदासीन व्यक्ति"

फिर परसन्स क्यों लिखा गया है? इसका मतलब यह है कि ड्राफ्ट बिल के क्लाज 3 के सब क्लॉज 1 फिर सब क्लॉज (1) जिसमें लिखा है कि

[अनुवाद]

"तत्संबंधी राज्यों के राज्यपाल के रूप में तत्समय पदासीन व्यक्ति"

[हिन्दी]

जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर कार्यरत हैं, सभी राज्यों में वे सभी सदस्य होंगे, यदि ऐसा है, तो फिर यह परसन्स क्यों लिखा गया है, हमें यह समझ में नहीं आता है। यदि दो-दो गवर्नर हो सकते हैं, तो परसन्स लिखना अनिवार्य है अन्यथा नहीं। इसलिए महोदय, मुझे इसमें परसन्स शब्द अनावश्यक प्रतीत होता है। इसे क्यों रखा गया, यह माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें। हमारा कहना है कि जब बिल आता है तो उसमें संशोधन होता है लेकिन इस बिल में उल्टा संशोधन हुआ है यानी पहले यह संशोधन हुआ था कि गवर्नर साहब इसके सदस्य नहीं रहेंगे और अब यह संशोधन हो रहा है कि गवर्नर इसके सदस्य होंगे। यह क्या मजाक है? इतना ही नहीं पहले चीफ मिनिस्टर भी इसके सदस्य नहीं थे लेकिन अब इसमें सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। हमारा कहना है कि आपको एम.पीज. से क्या बैर है, क्या कठिनाई है? जो इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, 25 लोक सभा के सदस्य हैं और 11 राज्य सभा के सदस्य हैं यानी कुल मिलाकर 36 सदस्य हैं, उन 36 लोगों ने कन्सेंसस किया और कहा कि गवर्नर साहब को आप इसका सदस्य मत बनाइए लेकिन उसे नहीं माना गया। उन लोगों ने यह नहीं कहा कि हम 36 को ही रख दीजिए। यह बहुत बड़ी बॉडी हो जाएगी, यह उन्होंने नहीं कहा। सभी सांसद एकजुट हैं लेकिन सांसदों की बड़ी अवमानना की जा रही है। सरकार बताए कि उनको इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से क्या बैर है और आपने ऐसा क्यों किया? आप नार्थ ईस्ट के साथ क्यों मिस हैंडलिंग कर रहे हैं? वह इतना सैंसटिव इलाका है। इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो वोट से जीत कर आते हैं लेकिन आप तो वोट से जीत कर नहीं आए। आप उनके बारे में क्या जाने। आप तो इधर-उधर से चले आए हैं। जो सरजमीं से चुनकर आए हैं, उसको आपने इग्नोर क्यों किया? वे आठ सदस्यों की मांग कर रहे थे। सभी ने कन्सेंसस किया और इस संबंध में एक रेजोल्यूशन भी दिया कि कम से कम हरेक राज्य से एक को रखा जाए यानी आठ सदस्यों को रखने की मांग की। गवर्नर साहब चूंकि सैंटर से आते हैं, उसके अलावा राष्ट्रपति जी तीन को चुनेंगे यानी वे सैंटर द्वारा चुने जाएंगे। इन सबको मिलाकर 11 सदस्य हो गए और फिर खुद चेयरमैन भी यहीं से चुने जाएंगे। इस तरह से मिस हैंडलिंग नार्थ ईस्ट के साथ हो रही है। वहां के विकास की बात तो बहुत दूर है। सूरज की रोशनी सबसे पहले पूर्वोत्तर में पहुंचती है लेकिन विकास की रोशनी सबसे बाद में जाती है।

वहां पर उग्रवाद होने या सेपेरटीज फोर्सेस होने का यह भी एक कारण है। इसके चलते कई राज्यों में कानून व्यवस्था चौपट है। वहां एक्सटार्शन है, मार-पीट है, हिंसा है। वहां बराबर मार-काट हो रही है जिसके कारण हमारे सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. के जवान मारे जा रहे हैं। हमारा कहना है कि केन्द्र सरकार की ओर से मिस हैंडलिंग हो रही है। यह बहुत खतरनाक बात है। आपने इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की क्यों अवहेलना की है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने इस संबंध में एक रेजोल्यूशन भी पास किया।

अब सिक्किम आठवां राज्य है। सिस्टर स्टेट लोगों ने सिक्किम को आठवां राज्य बनने का स्वागत किया है। हालांकि वहां पर उसे पहले से मान्यता मिली हुई थी लेकिन कानूनी तौर पर अब उसे आठवां राज्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह एडवाइजरी बाडी के रूप में न होकर प्लानिंग बाडी के रूप में होना चाहिए। यह ठीक है। इसके अलावा इफैक्टिव फंक्शनल बनाने के लिए कहा है, यह भी ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि एन.ई.सी. को सुरक्षा संबंधी मामलों और सदस्य राज्यों में जनादेश की समीक्षा करने की भूमिका अदा करनी चाहिए। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल परिषद के सदस्य होने के अधिकारी हैं। कोई भी एम.पी. सहमत नहीं है कि वहां राज्यपाल को उसका सदस्य बनाया जाए। पहले सरकार भी उसी राय की थी और वह इस संबंध में विधेयक भी लाई थी लेकिन अब यह कैसे बदल गया? मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

शक्ति लगी है जिससे सरकार के माइंड में यह परिवर्तन आया? इसके बारे में हम नहीं जानते लेकिन ऐसा हुआ है और कंट्रास्ट अमेंडमेंट हुए हैं। पहले यह अमेंडमेंट आया कि गवर्नर साहब उसके सदस्य नहीं होंगे। उसके बाद यह अमेंडमेंट आया कि गवर्नर साहब उसके सदस्य रहेंगे। एन.ई.सी. का अध्यक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष होगा। आपको क्या हर्ज है कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के रहें। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एन.ई.सी. के सदस्य के रूप में कार्यकारी उपाध्यक्ष होगा। भारत का राष्ट्रपति संसद के आठ सदस्यों को नामांकित करेगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से एक सदस्य को एन.ई.सी. का सदस्य होना चाहिए।

इन्होंने इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ज को इग्नोर किया है, वहां से जो जीत कर आए हैं, उनको इग्नोर किया है। इससे खतरा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाद में जब मामला बिगड़ेगा तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी क्योंकि डैमोक्रेसी में इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ज को इग्नोर करना, उनकी अवहेलना करना ठीक नहीं है। आठ सदस्यों को उसमें रखने से क्या आसमान गिर रहा है, क्या कठिनाई हो रही है। अभी 17 सदस्य हैं फिर 25 हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। आपने साल में दो बार उनकी बैठक का फैसला किया है। वहां बहुत भारी कठिनाई है। हमने काउंसिल के कार्यक्रमों को देखा है, बोडो एरिया से लेकर कई जगहों पर हमने भ्रमण किया है। वह नान–फंक्शनल हैं। यदि इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ज उसमें नहीं रहेंगे तो कमेटी का क्या फंक्शन होगा। सिक्किम विधि, व्यवस्था में एक नम्बर का राज्य है। वहां कोई उपद्रव नहीं है। गंगटोक जाने के लिए एन.एच. है लेकिन उसमें जब कभी लैंडस्लाइड या गड़बड़ी होती है तो वह हिन्दुस्तान से कट जाता है। आप आलटरनेटिव हाईवे बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं लाते। आप उस विभाग के मंत्री हैं। सैंटर ने एक विभाग खासतौर से बना दिया है, जो फालतू विभाग है, और आपको दे दिया गया है। एक देश बेचने वाला विभाग दे दिया है। सब झंझट उनको दे दिए गए हैं और ये इस फेरे में पड़े हुए हैं। हाईवे का आलटरनेटिव देने का प्रावधान करना वहां की जबरदस्त मांग है। इसके बिना वहां आने–जाने की भारी कठिनाई होती है। वहां हवाई अड्डा नहीं है, इसकी भी मांग है।

सिक्किम, अरुणाचल टूरिज्म के लिए बहुत सुंदर है। उत्तर पूर्व का पहले नेफा नाम था जिसे डा. लोहिया ने उरवशियम किया। वहां अभी भी गांव बूढ़ा की प्रथा है। हम जो मुखिया चुनते हैं, वहां के प्रधान को गांव बूढ़ा कहा जाता है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान विद्युत संकट से गुजर रहा है। हिन्दुस्तान में 2012 तक बिजली की एक हजार मेगावाट एडीशनल कैपेसिटी होनी चाहिए। बिजली मंत्री बैठे हुए हैं। पन बिजली असली बिजली है। हम कोयला, तेल, अपनी सम्पत्ति जलाकर बिजली पैदा करते हैं लेकिन वहां पानी बह रहा है, हमारी सम्पत्ति बह रही है। वहां से हमें मुफ्त में बिजली मिलेगी, केवल कुछ पूंजी निवेश करना होगा। बहते पानी से बिजली निकालना, कोयला जलाकर बिजली निकालना, तेल जलाकर बिजली निकालना, इसकी कोई तुलना नहीं है। हिन्दुस्तान को प्रकृति ने पन बिजली की पोटैंशिएलिटी दी है। हम मानते हैं कि योजनाकारों ने गलती की है। सौ प्रतिशत पोटैंशिएलिटी, जो सरकार हाईड्रो पावर का इस्तेमाल नहीं करती, वह देश के साथ धोखा करती है क्योंकि बिजली के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। नार्थ–ईस्टर्न स्टेट्स, जहां हमारी पन बिजली की क्षमता है, डेढ़ लाख मेगावाट की पोटैंशिएलिटी उन आठ राज्यों में है। ब्रह्मपुत्र और कई नदियां हैं, मणिपुर में है। पन बिजली की योजनाएं जिनमें ढाई हजार मेगावाट की कैपेसिटी है, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता में क्यों नहीं रखते। ऐसा करने से पूर्वोत्तर राज्यों का विकास होगा।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : अगर इतनी चिंता बिहार की करें, तो आनंद आ जाएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपको बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार सक्षम और आत्मनिर्भर है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जिसके यहां 25 माननीय सदस्य और राज्य में 36 माननीय सदस्य हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

उनकी बात की इन्होंने अवहेलना की है, यह प्रश्न है। इसलिए सदन में सब लोगों को विचार करना है कि इस तरह से जो सरकार इलैक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्ज की जरा–जरा सी बात पर अवहेलना करेगी, वह सरकार देश को ठीक नहीं चला सकती है। यह बड़ा देश है, इसे चलाने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, चौड़ी छाती चाहिए, ऊंचा विचार चाहिए, वही इस देश को चला सकता है। इतनी संकीर्ण प्रवृत्ति से यह देश नहीं चलने वाला है, इसलिए ये समस्याएं वहां आएंगी। इलैक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्ज को सरकार इग्नोर कर रही है, अवमानना कर रही है और ये कहते हैं कि और लोग नहीं बोलें, चुप रहें, सिर्फ नोर्थ–ईस्ट वाले बोलें, बिहार के लोग बिहार पर बोलें। हम समझते हैं कि हम देश के हैं और देश का हर हिस्सा हमारा हिस्सा है और उसमें हम बराबरी के अधिकारी हैं।

इसीलिए सरकार को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो वहां पर पनबिजली और पर्यटन का पोटेंशियल है, उस पर वर्ल्ड टूरिज्म कौंसिल ने अभी हाल ही में रिपोर्ट दी है कि इस देश में टूरिज्म में 67 लाख रोजगारों की संभावना है, 67 लाख लोगों को पर्यटन में रोजगार मिल सकता है, जिसमें बिहार भी है, लेकिन नोर्थ ईस्ट का इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो टूरिज्म के लिए आकर्षण प्रकृति ने प्रदत्त किया है। इसलिए पनबिजली और पर्यटन, दोनों मामलों में काम हो, नहीं तो विकास आपका वहां पर कम होगा। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि नहीं तो देश का यह हिस्सा मिलिटेंट्स और उग्रवादी लोगों के लिए पैराडाइज बन सकता है, इसलिए ठीक ढंग से काम होना चाहिए। इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता जल विद्युत सुविधा का पूर्ण उपयोग होनी चाहिए।

इसी पर जोर डालते हुए हम चाहते हैं कि नोर्थ ईस्ट कौंसिल ठीक काम करे, इसलिए इस पर पूरी निगरानी की जरूरत है। खासकर सरकार ने विभाग बना दिया, इसलिए उस पर पूरी निगरानी की जाए, योजना ठीक बने और 2–3 राज्यों के बीच संतुलन बनाने का सब काम वह करे, तब पूर्वोत्तर का हिस्सा ठीक होगा।

अपराह्न 4.02 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

महाभारत काल में भी भीम का रिश्ता पौराणिक रिश्ता है, यह सभी ग्रन्थ बताते हैं। हमारा अरुणाचल के हिस्से का, मणिपुर का सब पुराणों और ग्रन्थों में वर्णन है। आपकी सरकार उसे जैसे–तैसे डील कर रही है, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक ढंग से पूर्वोत्तर का विकास होगा, तब देश का विकास होगा। पूर्वोत्तर में कुल गांवों की संख्या लगभग 45 हजार है। उन गांवों का विकास, गांव में रहने वाले लोगों का हैरीटेज और जो पुरानी संस्कृति है, उसका रखरखाव और उनका विकास होगा, तब आप यह जो बिल लाए हैं, उसके उद्देश्य, हेतु की पूर्ति होगी, नहीं तो जिस ढंग से हमारे सदस्यों का इग्नोरेंस हो रहा है, उससे लगता है कि सरकार की नीयत में खराबी है और कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए मैं सावधान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम) : सभापति महोदय, मुझे अपने राज्य और अपने चुनाव क्षेत्र मिजोरम की ओर से बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं अपने मंत्री श्री अरूण शौरी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो पूर्वोत्तर मामले को देख रहे हैं और इस विधेयक को सभा के समक्ष विचार के लिए लाए हैं।

इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं केवल दो–तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। मेरा पहला प्रश्न जिसका मेरे पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने भी उल्लेख किया था, कि इस परिषद में किसी भी संसद सदस्य को शामिल नहीं किया गया है से संबंधित है। सभी संसद सदस्यों को उससे बाहर रखा गया है। मेरे पूर्व बोलने वाले सदस्यों का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री से क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से एक संसद सदस्य को शामिल करने का निवेदन करना चाहूंगा। जो समस्या का समाधान करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंतिम निर्णय दिल्ली में लिया जाता है। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा दिल्ली में होती है। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधित्व के क्रम में इस परिषद में संसद सदस्यों को शामिल किया जाना जरूरी है। इसलिए, इस परिषद में कम से कम क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से एक संसद सदस्य को शामिल किया जाना चाहिए।

इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं अपने राज्य मिजोरम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। आपमें से कुछ जानते होंगे कि मिजोरम पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक छोटा राज्य है। इसकी तीन या चार सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती हैं। इसके पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश है। पूर्व और दक्षिण में म्यांमार है। मिजोरम का केवल उत्तरी भाग ही भारत के असम, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे अन्य राज्यों से जुड़ा है। इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर के विकास के क्रम में, विशेष रूप से मिजोरम के मामले में तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज है सड़क संपर्क। यह पर्वतीय क्षेत्र है। यहां रेल लाइन बिछाना कठिन है। इसलिए सड़क संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण संपर्क से संबंधित कार्य चल रहे हैं। उससे हमारी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

मेरी दूसरी बात बिजली से संबंधित है। बिना बिजली के आज के इस आधुनिक युग में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हमारे यहां बहुत सी नदियां हैं और विद्युत उत्पादन की अपार संभावना है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाए कि क्षेत्र में बिजली का उत्पादन हो।

दूसरी बात जो मैं जोर देकर कहना चाहूंगा वह यह है कि हमारे उत्पादों विशेषकर कृषि उत्पादों को बेचने के लिए

[श्री वनलाल जावमा]

हमारे पास बाजार है। आजादी यानि 1947 के पूर्व, मेरा राज्य मिजोरम आत्मनिर्भर था। इसका कारण यह था कि हम अपने उत्पादों को बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में बेच सकते थे। इसी समय, हम उन देशों से मांस खरीदते थे। लेकिन आजादी के बाद, अपने उत्पादों को भारत के अन्य भागों और अन्य बाजारों में बेचने के क्रम में हमें उन्हें अपने राज्य के उत्तरी भाग में ले जाना पड़ता है। वहां केवल सड़क के रास्ते जाया जा सकता है। और इसके अलावा माल ढुलाई में हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इसलिए, हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। इस समय हमें अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

महोदय, आप भी जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में अपराध जगत के कई गिरोह हैं। सभी गिरोह उग्रवादी संगठन पड़ोसी देशों से अपना सामान लाते हैं। लेकिन एक अच्छा नागरिक पड़ोसी देश के सामान का उपयोग नहीं कर सकता है। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। और तो और हमें अपने बागबानी उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें राज्य के उत्तरी कोने में ले जाना पड़ता है। कभी-कभी, हम अपनी कुछ चीजों को बांग्लोदश को बेच देते हैं। मुझे पता चला है कि हमारे बागबानी उत्पादों की बांग्लादेश में काफी मांग है। लेकिन हम उन्हें अपनी सीमा पर नहीं बेच सकते हैं। इसलिए, मिजोरम के विकास के लिए व्यापार हेतु सीमा का खोलना बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसा बहाना अच्छी बात नहीं है। हमें राज्य और लोगों के विकास के लिए ढांचे का निर्माण करना होगा।

आज सौभाग्यवश हमारे वित्त मंत्री यहां हैं। मैं उनसे इन सब बातों पर गौर फरमाने का निवेदन करता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र और मेरे राज्य के विकास के क्रम में हमें अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपने द्वार खोलने होंगे। बदले में, हमें अपनी जरूरत की चीजें खरीदनी होंगी। हम कलकत्ता से कुछ वस्तुएं खरीद रहे हैं। हमें अपनी चीजें सिलीगुड़ी, बोंगाइगांव, गुवाहाटी, शिलांग, सिल्चर और एजोल ले जानी पड़ती हैं। ढुलाई में हमारा काफी पैसा लग जाता है। इसी के साथ ही हम अपने कुछ उत्पादों को विदेशों में बेच रहे हैं। हमारे लकड़ी कोयले की वहां बड़ी मांग है। लेकिन इसे हमें गुवाहाटी, सिलीगुड़ी आदि होते हुए कलकत्ता ले जाना पड़ता है। हमें इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा राज्य भूवेष्ठित राज्य है। मिजोरम के विकास के लिए हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाओं को खोलना पड़ेगा।

इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर में छोटे राज्यों के विकास के लिए हमें अपने स्रोतों से अच्छी सड़कों का निर्माण करना होगा और अपने स्रोतों से बिजली उत्पन्न करनी होगी।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, मैं पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002 पर हो रही चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं।

महोदय, सरकार ने प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य के संसद सदस्य को पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य नामित न करके गृह मंत्रालय संबंधी 49 संसद सदस्यों वाली स्थायी समिति की सिफारिशों की उपेक्षा की है। इस संबंध में स्थायी समिति में ध्वनिमत से यह विचार किया गया। मैं इस संदर्भ में एक पैराग्राफ उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

> "हालांकि समिति ने राज्यपालों को परिषद का सदस्य बनाए रखने का बड़ा विरोध किया था। लेकिन ऐसा होते हुए भी समिति ने इस बात को बड़ा महसूस किया कि परिषद में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के संसद सदस्यों को शामिल किया जाना जरूरी है ताकि इसके प्रतिनिधित्व स्वरूप को व्यापक बनाया जा सके। इसका विचार था कि प्रत्येक राज्य का उसके मुख्य मंत्री के अलावा कम से कम एक संसद सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए। समिति का विचार था कि परिषद में संसद सदस्यों को शामिल करके जनआकांक्षाओं के साथ-साथ उस क्षेत्र के विकास को और स्पष्ट रूप से प्रकट किया जा सकेगा। तदनुसार, इसने ध्वनिमत से विचार की पुष्टि की कि परिषद में सातों पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के संसद सदस्यों को पर्याप्त और बराबर प्रतिनिधित्व मिले।"

मंत्री ने विधेयक में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं भी गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। हम इस विचार को मानते हैं। हम चाहते थे कि पूर्वोत्तर परिषद के लिए प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य से कम से कम एक सदस्य का नामांकन किया जाए। इसलिए मंत्री इस रिपोर्ट की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हम, स्थायी समिति के 49 सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और इस पक्ष पर ध्वनिमत से निर्णय लिया। इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि स्थायी समिति की सिफारिशों को यदि आज नहीं तो कम से कम भविष्य में होने वाले संशोधन में विधेयक में शामिल किया जाए। आखिरकार, यह संसदीय समिति की सिफारिश है। हमारे वरिष्ठ सदस्य

श्री सोमनाथ चटर्जी जानते हैं कि जब स्थायी समिति कुछ रिफारिश करती है तो इसे उसी रूप में सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे तो रिपोर्ट को पढ़ते भी नहीं हैं। मंत्रीगण स्थायी समिति की रिपोर्टों को नहीं पढ़ते हैं।

श्री पी. एच. पांडियन : स्थायी समिति एक लघु संसद है। हम यहां समिति प्रणाली के माध्यम से काम करते हैं क्योंकि संसद का सत्र हमेशा नहीं चलता। इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी राय सहित स्थायी समिति के सदस्यों की एकमत राय स्वीकार की जाए।

मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विस्तार में जाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि खंड 1(3) में कहा गया है : "कुछ समय के लिए राज्य के राज्यपाल का पद धारण करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों..." संविधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा या एक राज्यपाल दूसरे राज्य को भी देख सकता है, लेकिन एक राज्य में दो राज्यपाल नहीं हो सकते। मैं समझता हूं यह लिपिकीय गलती है। मैं इस बिंदु पर मंत्री का स्पष्टीकरण चाहूंगा... *(व्यवधान)*

महोदय, यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए है। इसलिए, पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य के रूप में राज्यपाल को शामिल क्यों किया जाए? राज्यपाल पूरे राज्य का 'संवैधानिक मुखिया' है। मैं पुनः स्थायी समिति की रिपोर्ट को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

> "परिषद की अध्यक्षता के संबंध में, समिति गृह मंत्री द्वारा दी गई सूचना में कार्यालयी संशोधन करती है जिसमें कहा गया है कि परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा। इस संबंध में, समिति सुझाव पर विचार करेगी कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष या केन्द्रीय गृह मंत्री या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री को परिषद का पदेन अध्यक्ष नामांकित किया जाए।"

ऐसा नहीं है। इसलिए, कृपया स्पष्ट कीजिए।

जब आप विकास के लिए विधेयक लाए हैं तो मैं इसका समर्थन करता हूं। आपने स्थायी समिति के विचार को नहीं अपनाया है। मैं तो कहूंगा कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप अभी भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। यह कहते हुए संशोधन ला सकते हैं कि संसद सदस्यों को भी परिषद में शामिल किया जाएगा।

श्री अरूण शौरी : महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी को बड़ी निराशा हुई लेकिन सभी सदस्यगण को हमें क्या करना चाहिए था, इस बात की जानकारी के बाद भी, उन्होंने विधेयक का समर्थन किया है। महोदय, मैं उनका आभारी हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं निराश नहीं हूं। मुझे आपसे कोई आशा नहीं है। इसलिए, मैं इसका समर्थन क्यों करूं?

श्री अरूण शौरी : सभी सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। इसी कारण मैं उनका आभारी हूं। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन सदस्यों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने हमारे विभाग के कार्यकरण और निश्चित रूप से इस संबंध में मेरे द्वारा किए गए कार्य का वर्णन किया है।

यहां पांच–छः बिंदुओं का उल्लेख किया गया। मैं उन सबका शीघ्र उत्तर दूंगा। तब, मैं, क्योंकि सभी सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया--एकमत से विधेयक पारित कराने की कोशिश करूंगा जैसा कि राज्य सभा में हुआ था जहां स्थायी समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी ने भी आपके द्वारा पढ़ी गई सिफारिशों के बावजूद विधेयक का गर्मजोशी से समर्थन किया था।

अब, मैं सामान्य मुद्दों पर आऊंगा...*(व्यवधान)* जब मामला समाप्त होने को आएगा, तो मैं विकास पर दो–तीन शब्द कहूंगा। श्री सांगतम जैसे कई सदस्यगण क्षेत्र में अत्यधिक अनुभव के कारण क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखते हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। मैं उन पर अंत में आऊंगा।

पहला बिंदु है कि सुरक्षा को हटाया जाना चाहिए। श्री सांगतम ने ऐसा कहा है। राज्यपालों को नहीं शामिल किया जाना चाहिए। मैंने इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे कि राज्यपालों को बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि वे श्रीमती गांधी द्वारा गठित परिषद के समय से ही हैं।

परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा संबंधित मंत्री होना चाहिए।

तत्पश्चात श्री राजकुमार वंग्चा और अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि कार्यान्वयन हेतु प्राधिकार तथा कार्यकारी शक्तियां परिषद को दी जानी चाहिए। स्थायी समिति ने भी परियोजना को कार्यान्वयन के लिए ऐसा ही कहा था।

[श्री अरूण शौरी]

अंत में, संसद सदस्यों और स्वायत्त परिषदों के सदस्यों और सभापतियों को शामिल किया जाना चाहिए।

मैं एक आध मिनट में प्रत्येक बिंदु पर बात करूंगा। मैं आपको कारण बताऊंगा जिसके कारण हमें विपरीत परिणाम मिले। मुझे आशा है आप सभी इस पर सहमत होंगे। कई प्रकार से यह ठीक है कि पूर्वोत्तर परिषद ने अब तक सुरक्षा पर इसके अधिदेश पर ध्यान नहीं दिया है। यह सच है। किन्तु वास्तविकता यह है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विकास को केन्द्र बनाकर यह कार्य नहीं किया गया। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इसका बुनियादी केन्द्र विकास होना चाहिए। किन्तु कई प्रकार से आज पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति वर्ष 1971 की अपेक्षा अधिक खराब है। इसका कारण है कि कई प्रकार से आतंकवादियों के पास बेहतर शस्त्र हैं। जैसा कि मेरे सुयोग्य और वरिष्ठ सहयोगी श्री जसवंत सिंह अपने रक्षा और विदेश संबंधी ज्ञान से यह जानते हैं कि आज विदेशी एजेंसियां पूर्वोत्तर में 1971 की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं।

तीसरा कारण यह है कि अन्तरराज्यीय समन्वयन सुरक्षा मामलों में बहुत आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, एन.एस.सी.एन. के एक गुट के साथ शांति वार्ता हुई है। युद्ध–विराम की घोषणा की गई है। यह युद्धविराम डेढ़ वर्ष तक प्रभावी रहा है। परिणाम क्या रहा? अरुणाचल प्रदेश में दो जिले प्रभावित हुए हैं क्योंकि अनेक सशस्त्र लोग इन दो राज्यों में चले गए हैं। इसलिए मुख्य मंत्री स्वयं कहते रहे हैं कि हमें सुरक्षा पहलू की दृष्टि से पूर्वोत्तर परिषद के कार्यकरण पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। 14 नवम्बर को हुई अंतिम बैठक में त्रिपुरा के माननीय मुख्य मंत्री और अन्य मुख्य मंत्रियों ने जोर देकर कहा : "हमें अब इस मंच पर समन्वित रूप से सुरक्षा पर चर्चा शुरू करनी चाहिए।" इस कारण से जबकि स्थायी समिति पूर्ण रूप से ठीक थी, मुझे विश्वास है कि भिन्न मत उन्हीं लोगों के थे जो मौके पर थे और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। जब वे कह रहे हैं कि सुरक्षा के इस पहलु पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए कोई अन्य मंच नहीं है, वे इसके लिए अनुरोध करते रहे हैं।

स्वयं राष्ट्रपति महोदय ने, मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता किन्तु उन्होंने पूर्वोत्तर को बहुत अच्छी अवधारणा दी है—कहा था कि वहां एक आर्थिक क्षेत्र, एक सुरक्षा क्षेत्र होना चाहिए। इसी कारण से हमने अनुरोध किया है कि इस संबंध में सुरक्षा एक मुद्दा बना रहे।

दूसरी बात जो प्रभावशाली और पुरजोर तौर पर कही गई, वह परिषद के अध्यक्ष के बारे में थी कि अध्यक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष होना चाहिए अथवा संबंधित मंत्री होना चाहिए। किन्तु वास्तव में वह व्यक्ति जो मौके पर मौजूद है, वह बहुत आवश्यक है। मैंने देखा है कि परिषद को पुनरुज्जीवित करने में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यह रहा है कि वहां तैनात जनरल सिन्हा पूर्वोत्तर परिषद के मामलों के लिए अक्सर अपना समय देते रहे हैं और इस प्रकार हम उन्हें बनाए हुए हैं।

जैसा कि आप जानते हैं चूंकि आपमें से अधिकतर लोग पहले से ही योजना आयोग में रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष सभी राज्यों में इस प्रकार व्यस्त हैं कि जो ध्यान पूर्वोत्तर पर देना है, वह कम हो जाएगा, यदि हम शिलांग से पूरी की जाने वाली एक अन्य जिम्मेदारी उन पर डाल दें। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय शिलांग में होने और उपाध्यक्ष के दिल्ली में होने से तैनाती और ऐसे ही कार्यों के लिए भी फाइलों के इधर–उधर आने–जाने से बड़ी समस्या हो जाएगी। इस मामले में विधेयक में इस मूल बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष को नामित करेगा और जैसाकि स्थायी समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस मामले पर विचार किया गया और यह बात ध्यान में आई है कि यह बात राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाए यद्यपि कुछ सदस्यों और अन्य लोगों ने कहा है कि यह योजना आयोग का उपाध्यक्ष होना चाहिए अथवा कोई और।

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : मैं आपको बताऊं? हम इस मामले में जनरल सिन्हा अथवा किसी राज्यपाल की सक्षमता पर विवाद नहीं कर रहे हैं। हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष नियुक्त करने से कार्य सरल हो जाएंगे और उनमें तेजी आएगी क्योंकि पूर्वोत्तर में किसी विकास के लिए समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने कहा है कि वहां राज्यपाल अथवा कोई अन्य होना चाहिए। मैं राज्यपाल की सक्षमता को चुनौती नहीं दे रहा हूं वह अपनी योग्यता में अत्यधिक सक्षम हैं। इसलिए मैं समझता हूं हमें इसमें गलती नहीं करनी चाहिए। इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नाम का अनुरोध किया गया है।

श्री अरूण शौरी : मैं माननीय सदस्य के मत से पूर्णतया सहमत हूं। हमारा सामान्य उद्देश्य कार्यान्वयन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करना है। शायद इस समस्या का हल

प्रक्रिया को सरल बनाने में है बजाय इसके कि सब कुछ पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष या किसी और पर छोड़ दिया जाए।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। इस कार्य में जब से यह विभाग बनाया गया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने अनुमोदन में लगे समय को कम कर दिया है। चूंकि सभी मुख्य मंत्री आपको रिपोर्ट करेंगे, हम पूर्वोत्तर के समर्थकों के रूप में मंत्रालय से मंत्रालय में जाते हैं और स्वीकृति लेते हैं। मैं यह बात बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आपके मुख्य मंत्री आज इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। एक भी परियोजना ऐसी नहीं है जो दिल्ली में विभिन्न मंत्रालय में लंबित पड़ी हो। हमारे वित्त मंत्री ने पहले पूरक अनुदानों में अव्ययगतनीय पूल के लिए हमें 200 करोड़ रुपए दिए और धनराशि उपलब्ध होने के एक सप्ताह के भीतर यह धनराशि मंजूर ही नहीं की गई बल्कि इस धनराशि को पूर्वोत्तर राज्यों को संवितरित किया गया क्योंकि हमने पहले ही योजना आयोग और विभिन्न मंत्रालयों से सभी अनुमोदन और मंजूरी ले ली है।

अतः मैं आपकी इस चिंता में शामिल हूं कि हमें स्वीकृति में तेजी लानी चाहिए किन्तु इसका हल, जिसका मैंने सुझाव दिया था, किसी व्यक्ति को नियुक्त न कर इसका एक अध्यक्ष बनाया जाए। इसीलिए स्थायी समिति ने कहा था "परिषद के अध्यक्ष के संबंध में समिति ने माननीय मंत्री द्वारा दिए नोटिस शासकीय संशोधन का पृष्ठांकन किया जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाए। इस संबंध में समिति ने सुझाव पर विचार किया कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष अथवा केन्द्रीय वित्त मंत्री अथवा केन्द्रीय गृह मंत्री अथवा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, परिषद का पदेन अध्यक्ष नामित किया जाना चाहिए। समिति का सुविचारित विचार था कि परिषद के अध्यक्ष का नामांकन राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

इसलिए, यह लचीलापन दिया गया है। यदि राष्ट्रपति ऐसा महसूस करते हैं कि किसी विशेष समय पर योजना आयोग को यह उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए, तो यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात होगी।

तीसरी बात जो इस क्षेत्र के माननीय सदस्यों और अन्य लोगों ने बताई है, वह यह है कि कार्यान्वयन की कार्यकारी शक्तियां पूर्वोत्तर परिषद को दी जानी चाहिए। जैसा कि मैंने श्रीमती गांधी के परिषद के उद्घाटन भाषण का एक अंश पढ़ा तो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं वे उनसे अलग हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ठीक ही कह रहे थे कि यहां जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। मिजोरम में ही संभवतः 25000 मेगावाट क्षमता है। यह दुःख की बात है कि 1.5 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जा रहा है। मैं पूर्णतया उनके साथ सहमत हूं। मैं इस पर बाद में आऊंगा।

अब, हम पूर्वोत्तर परिषद की नागर विमानन के लिए ऋण दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं अभी तक पूर्वोत्तर परिषद में हूं। विद्युत, सड़क, रेलवे और विभिन्न अन्य कार्यों के लिए आवंटन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको दूरसंचार के लिए भी आवंटन देना चाहिए।

श्री अरूण शौरी : हां, यह महत्वपूर्ण है। जिन चीजों के लिए आवंटन किया जा रहा है, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके अपेक्षित कार्यान्वियन की क्षमता और विशेषज्ञता का सृजन पूर्वोत्तर परिषद नामक एक ही निकाय में होगा। इस प्रकार तो आप इसकी पुनरावृत्ति ही करेंगे। विद्युत परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। यदि कार्यपालिका अथवा कार्यान्वयन उत्तरदायित्व पूर्वोत्तर परिशद को दिया जाए। उसके बाद इस प्रयोजनार्थ पूर्वोत्तर विद्युत निगम की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय जल निगम बेहतर सुसज्जित है। इसके पास इन परियोजनाओं को पूरा करने की विशेषज्ञता है। सारी विशेषज्ञता इस परिषद को दी जाएगी। इस कारण इसे यथावत रहना चाहिए और इसे यथासंभव सर्वोत्तम कार्यान्वियन एजेंसियों के माध्यम से काम करना चाहिए।

आज अनेक सदस्यों ने सड़कों और दूरसंचार का उल्लेख किया। श्री संतोष मोहन देव भी यह कह रहे थे। मिजोरम के सदस्य सड़कों के महत्व और राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों और कठिन मार्गों से जोड़ने के बारे में हमें बता रहे थे। यह कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किया जा रहा है। अब, इसका अर्थ है कि पूर्वोत्तर परिषद में विशेषज्ञता भी लायी जानी चाहिए। यह वास्तव में बहुत कठिन हो जाएगा।

श्री के. ए. सांगतम : एक समस्या है। प्रधान मंत्री की उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को सड़क से जोड़ने के लिए एक स्वप्निल परियोजना है। इसे स्वर्ण चतुर्भुज कहा जाता है। यह परियोजना अन्य सभी राज्यों तक न जाकर सिल्चर तक ही क्यों जा रही है? इसे सभी पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचना चाहिए। आप केवल सिल्चर तक ही पहुंच रहे हैं और मामला यहीं समाप्त हो जाता है। किन्तु अब उन्होंने आठ राज्यों की

[श्री अरूण शौरी]

पहचान की है। सिक्किम को भी इसकी जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश को भी इसकी जरूरत है। नागालैंड को भी इसकी जरूरत है। मिजोरम को भी इसकी जरूरत है। इन सभी राज्यों को इसकी आवश्यकता है। मणिपुर को भी इसकी जरूरत है। अतः आप सभी राज्यों तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैं समझता हूं कि आपको एक पैकेज तैयार करना चाहिए।

श्री अरूण शौरी : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यद्यपि यह उस एकल परियोजना का भाग नहीं है फिर भी हम कुछ करेंगे। एक माननीय सदस्य की ओर से एक अच्छा प्रस्ताव आया था।...*(व्यवधान)* क्या मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर सकता हूं?

सभापति महोदय : वह नहीं मान रहे हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : इस परिषद में एक भी सड़क को शामिल क्यों नहीं किया गया है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अरूण शौरी : मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : पूर्वोत्तर परिषद ने पिछड़े और अन्य आदिवासी क्षेत्रों के लिए कभी कुछ भी नहीं किया था। क्या कार्य–प्रणाली है?

सभापति महोदय : उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया है।

श्री अरूण शौरी : मैं उस पर चर्चा करूंगा। अनेक महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रों को जोड़ने की बात। मैंने अपने सहयोगियों से अनुरोध किया था और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी के मंत्रालय के साथ व्यक्तिगत तौर पर कार्य करूंगा। यह सड़क तो एक हिस्सा है। यह स्वर्ण चतुर्भुज के संबंध में पूरब–पश्चिम राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिन्हें किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ राज्यों की राजधानियों को जोड़ना और तत्पश्चात् जिला मुख्यालयों को प्रत्येक राज्य की राजधानी से जोड़ना। सड़कों के इस नेटवर्क को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। हमारे पास एक मास्टर प्लान होगी और पूर्वोत्तर परिषद अथवा योजना आयोग के जरिए मैं आपको आश्वासन देता हूं।

मैं आश्वस्त हूं कि आप इस तथ्य का स्वागत करेंगे कि अब हमें योजना आयोग से एक ऐसी सुविधा प्राप्त हो गई है कि यदि किसी भी पूर्वोत्तर राज्य को उनके पास अपनी योजना तैयार करने की क्षमता नहीं है तो अपनी योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग के पास केवल दो पैरे का पत्र भेजना पड़ेगा। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं। कृपया एक परियोजना तैयार करें। योजना आयोग अपनी तरफ से परियोजना तैयार करेगा और तत्पश्चात इस परियोजना को तैयार करने के बाद वे इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में बहुत कम समय लेंगे।

इसी तरह जब मैंने इस मंत्रालय का पदभार संभाला तो वनों के संबंध में मुझे कहा गया कि वन आधारित उद्योगों के उपयोग पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से अनेक पूर्वोत्तर राज्यों में सभी विकास काम ठप हो गए हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : ऐसा बिहार में हत्या के कारण हुआ था।

श्री अरूण शौरी : ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने आरामशीन स्थापित की थी। मैंने स्वयं फैसले का अध्ययन किया है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने वास्तव में इन वन आधारित उद्योगों को प्रतिबंधित नहीं किया था। उन्होंने यही किया था। उन्होंने कहा है कि "यदि आपके पास पुनः वनरोपण हेतु कोई कार्य योजना है तब आप यह कर सकते हैं।"

हमने पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ कार्य किया है और विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु आवंटन किया गया था जिसका केन्द्र भुगतान करेगा। नागालैंड ने पहल की थी। उन्होंने क्षेत्रों की पहचान की थी जिनमें वे कार्य योजनाएं चाहते थे। केन्द्र ने अपनी लागत पर कार्य योजनाएं तैयार की थीं और संपूर्ण कार्य को अब उन राज्यों में पुनः शुरू किया गया है जहां ये पहल की गई थी।

श्री संतोष मोहन देव ने विमान सेवा के बारे में बात की है। वहां इसकी सख्त जरूरत है। मैंने देखा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विमानों से ज्यादा हवाईपट्टी और हवाई अड्डे हैं। इस कारण से पूर्वोत्तर परिषद से हमने इंडियन एयरलाइंस को प्रत्येक वर्ष 35 करोड़ रुपए की राजसहायता दी है ताकि 50 सीटों की क्षमता वाले विमानों को एक टैक्सी सर्विस के रूप में भाड़े पर लिया जा सके जिनका पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर ही राजधानी और सिल्चर जैसे अन्य छोटे शहरों के बीच दिन भर पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालन किया जा सके।...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : 'वायुदूत' का वहां

परिचालन किया जाना था। यह श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित था। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग इसे यमदूत कहा करते थे।

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : वास्तव में, श्री राजीव गांधी ने यह प्रस्ताव दिया था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया सभी व्यवधानों का जवाब न दें।

(व्यवधान)

श्री अरूण शौरी : यह सेवा 25 दिसम्बर, 2002 से शुरू होगी।

अन्य कई बातें कही गई हैं किन्तु मुझे अपनी बात समाप्त करने को कहा गया है। मुझे लगता है कि हम यह चर्चा किसी और दिन जारी रख सकते हैं। मुझे आशा है कि हम सभी ईमानदारी और सुदृढ़ क्रियान्वयन के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। दूसरे, मुझे आशा है कि हम सभी हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएंगे। आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर के प्रति जितना ध्यान अब दिया जा रहा है उतना कभी नहीं दिया गया है। यह विशेष सेवा जिसकी श्री राजीव गांधी ने कल्पना की थी, इस वर्ष 25 दिसम्बर, क्रिसमस के दिन से शुरू होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुशंसा करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री पी. एच. पांडियन : गृह मंत्रालय संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य परिषद में संसद सदस्यों को शामिल किए जाने के विषय में क्या हुआ? माननीय संसद सदस्य जिला विकास परिषदों में भी हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मेरे प्रश्न के विषय में क्या हुआ?

श्री अरूण शौरी : महोदय, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। मैं इसका उत्तर पहले नहीं दे पाया क्योंकि समय कम था। मैं दो मिनट में इसका उत्तर दे सकता हूं।

संसद सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस पर लम्बे समय तक विचार किया था। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने पूछा था कि यदि इसमें सोलह सदस्य थे तो अधिक सदस्य शामिल करने में क्या कठिनाई है। यदि इस समय इसमें सोलह सदस्य हैं, आठ संसद सदस्य इसमें शामिल करके तथा राष्ट्रपति द्वारा नामांकित तीन सदस्यों को मिलकर यह 27 सदस्यीय परिषद हो जाएगा। एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना निकाय के लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि यह अधिक सक्षमता से कार्य करे।

दूसरी बात यह है कि मुख्य मंत्री भी स्वयं जनता के प्रतिनिधि हैं। कई मामलों में, क्योंकि संसद सदस्य और मुख्य मंत्री अलग दलों से संबद्ध होते हैं, इसलिए हमें परिषद के कार्यों में अन्य आवाजें भी सुनाई देंगी। यदि हम स्वायत्त परिषद के सभापति के विषय को भी शामिल कर लें तो यह और भी बढ़ जाएगा। इससे यह 36 सदस्यीय परिषद हो जाएगी और यह असंभव और अव्यवस्थित होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या केवल बड़ी कमेटी होने के भय से शामिल नहीं कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* गवर्नर को शामिल करने के पीछे क्या तर्क है, यह बताइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरूण शौरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.35 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें— (सामान्य), 2002-2003

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 16--अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए :

मांग संख्या--5, 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 39, 40, 43, 50, 51, 52, 54, 61, 65, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 79, 82, 83, 87, 89 और 95"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002—2003 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	4,87,00,000	150,00,00,000
6.	उर्वरक विभाग	442,36,00,000	394,00,00,000
	कोयला और खान मंत्रालय		
9.	खान विभाग	472,47,00,000	30,02,00,000
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		
10.	खान विभाग	1,00,000	298,47,00,000
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
12.	डाक विभाग	1,00,000	1,00,000
	विनिवेश मंत्रालय		
22.	विनिवेश मंत्रालय	8,00,00,000	–
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग		
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	315,00,00,000	–
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
24.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	4,00,000	–
	विदेश मंत्रालय		
25.	विदेश मंत्रालय	28,98,00,000	–
	वित्त मंत्रालय		
26.	आर्थिक कार्य विभाग	130,70,00,000	
27.	मुद्रा, सिक्के एवं स्टाम्प		2,00,000
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1949,00,00,000	–
37.	प्रत्यक्ष कर	73,19,00,000	–
	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय		
39.	उपभोक्ता कार्य विभाग	5,00,000	17,98,00,000
40.	खाद्य एवं लोग वितरण विभाग	2,00,000	–

1	2	3	4
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
43.	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग	1,00,000	–
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
50.	प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,00,000	–
51.	माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग	18,34,00,000	–
52.	महिला एवं बाल विकास विभाग	1,00,000	–
	भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय		
54.	भारी उद्योग विभाग	197,45,00,000	–
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
61.	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1,00,000	–
	योजना मंत्रालय		
65.	योजना मंत्रालय	2,51,00,000	–
	विद्युत मंत्रालय		
66.	विद्युत मंत्रालय	51,45,00,000	–
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
67.	ग्रामीण विकास विभाग	3806,00,00,000	–
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	–
72.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	–
	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		
76.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	–	1,00,000
	कपड़ा मंत्रालय		
78.	कपड़ा मंत्रालय	1,00,000	–
	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय		
79.	पर्यटन विभाग	31,43,00,000	–
	शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
82.	शहरी विकास विभाग	15,00,00,000	1,00,000
83.	लोक निर्माण कार्य	–	2,00,000
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		
87.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1,00,000	–
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
89.	परमाणु ऊर्जा	1,00,000	3,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		
95.	लोक सभा	70,00,00,000	
	कुल जोड़	7616,97,00,000	890,57,00,000

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे यह बताइए कि मुझे कितना समय दिया गया है क्योंकि मेरी पार्टी के बहुत से लोग बोलने वाले हैं। दस मिनट का समय दिया गया है या दस मिनट से कम का समय? उस दिन मुझे केवल पांच मिनट तक बोलने के लिए कहा गया था। मैं इस बारे में जानना चाहता हू...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल दो घंटे का समय दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री के. पी. सिंह देव : धन्यवाद, महोदय। मैं इसका ध्यान रखूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है। आप दस मिनट तक बोल सकते हैं।

श्री के. पी. सिंह देव : मैं इतने ही समय में समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

यह वर्ष 2002–03 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का दूसरा बैच है। इसमें 37 अनुदान शामिल किए गए हैं और व्यय के मद में संसद से अनुमोदन के लिए 9,045.05 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई है।

हम माननीय वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह के इस बात के लिए बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अर्द्धवार्षिक समीक्षा की है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, किन्तु प्रिंट मीडिया में व्यक्त विचारों से जो मुझे जानकारी मिली है उसी पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। यदि मेरी बात गलत हो, तो मैं आगे सुधार कर लूंगा और मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मेरी बात ठीक कर देंगे।

वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि मध्यावधि (मिड टर्म रिव्यु) "यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स" को परिभाषित करती है। मैं नहीं जानता हूं कि इसका क्या मतलब है। मैं चाहता हूं कि मुझे इस बारे में बताया जाए। फिर वे कहते हैं, "अर्थव्यवस्था की वर्ष 2002 में अग्निपरीक्षा की जा चुकी है और इसलिए यह शीर्ष पर आ गई है।" मुझे नहीं मालूम कि वे किस अग्निपरीक्षा की बात कर रहे हैं—गुजरात अग्निकांड की या उनके दिमाग में रेलगाड़ियों को जलाने, बस जलाने, विमान जलाने या घरों में आग लगाने की बात तो नहीं थी। मैं इसे नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि मुझे इस बारे में बताया जाए। मैं उड़ीसा के जंगलों से ताल्लुकात रखता हूं। मैं कोई अत्याधुनिक शहरी नहीं हूं। मैं सैनिक हूं। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे इस बारे में बताया जाए।

अग्निपरीक्षा को थोड़े शब्दों में स्पष्ट किया गया है—मानसून की असफलता और सूखा, धीमी गति से वैश्वीकरण—व्यापार और पूंजी प्रवाह में गिरावट, अर्जेन्टीनियाई चूक, आतंकवाद और युद्ध का खतरा।

महोदय, शेक्सपीयर के जुलियस सीजर में मार्क एन्थोनी ने जुलियस सीजर के हत्यारों से कहा था कि ब्रुटस एक सम्मानित आदमी है। क्या वे सभी सम्मानित आदमी थे? मैं कोई माननीय वित्त मंत्री की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ये बातें नहीं कही हैं। मैं उस बात पर आ रहा हूं, मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि लोग आएंगे और जाएंगे। आज भाजपा और 24 अन्य पार्टियों से मिलकर राजग की सरकार बनी हुई है। कल तक कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। हम लोग ऐसे ही आते–जाते रहेंगे, किन्तु नौकरशाह वही हैं। लॉर्ड टेनिसन ने 'ब्रुक' में कहा था, "लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, किन्तु मैं हमेशा रहूंगा।" इसलिए, मैंने कहा, ये लोग सम्मानित आदमी हैं। हम लोग अपने आपको सम्मानित आदमी कहते हैं, किन्तु प्रेस हमें कुछ और ही कहती है। लेकिन यह तो है सांसदों और विधायकों का समुदाय।

आतंकवाद और युद्ध का भी उल्लेख किया गया है। हमें बहुत खुशी है कि श्री पुतिन आए हैं। आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने इस बात की सराहना की है कि हमारे अभिन्न मित्र हमारे साथ खड़े हैं। युद्ध से खतरा क्यों है? इस का सीधा सा कारण है कि हमारे पास रक्षा संबंधी कोई सार्थक निरोधक क्षमता नहीं है? बांग्लादेश ने जानवरों की लाश की तरह 17 बीएसएफ के जवानों को हमारे पास भेजा है, जैसे कि हम लोग शिकार के लिए गए हों।

पाकिस्तान कारगिल तक आ गया। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। महोदय, हमारे पास रक्षा संबंधी कोई सार्थक निरोधक उपाय नहीं हैं। इस समय माहौल ऐसा है कि संसद से हम जो भी राशि मंजूर करा रहे हैं वह पूरी तरह खर्च नहीं हो पाती है। गत वर्ष हमने 72000 करोड़ की राशि पारित की और हमने इसका अनुमोदन भी कर दिया। इसमें से 8000 करोड़ रुपए की राशि को रक्षा मंत्रालय द्वारा खर्च नहीं किया जा सका। इस वर्ष हमने 65000 करोड़ की धनराशि पास की है। महोदय, मैं स्थायी समिति का सदस्य हूं। इसलिए मैं यह आपसे बता रहा हूं। यह सब कुछ संसद के सामने रख दिया गया है। मैं रक्षा संबंधी कोई गोपनीय बात नहीं बता रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि हम लोग 65,000 करोड़ रुपए की इस धनराशि को खर्च कर सकेंगे कि नहीं, क्योंकि अधर में लटके बोफोर्स और तहलका डॉट कॉम जिस पर कई आयोग आदि बैठाए जा चुके हैं, के कारण कोई फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं।

महोदय, हमारे रक्षा मामले में क्या हो रहा है? यदि हमारी

राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी हो, तो मैं नहीं जानता हूं कि हम लोग कैसे राष्ट्रीय विकास या आर्थिक विकास की बात करने जा रहे हैं। मैं विकास की बात करता हूं, आप रक्षा संबंधी मजबूती की बात करते हैं, एक सुदृढ़ राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता की बात करते हैं। इन्हीं सब चीजों को मैं ज़ानना चाहता हूं।

हाल ही में लोक लेखा समिति ने आईएएफ एयरक्राफ्ट की दुर्घटना पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। कल ही हम लोग स्थायी समिति में इस पर चर्चा कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से हमें बताया गया है कि गत दस वर्षों में 109 मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और 39 पायलटों की मौतें हुई हैं। ये सभी कम उम्र के लड़के थे। विमान को कोई एयरमार्शल नहीं उड़ाता है, इसे फ्लाइट ल्युटिनैन्ट और स्क्वाड्रन लीडर ही उड़ाते हैं, जो सभी 30 से कम की उम्र के होते हैं। लोक लेखा समिति में जो आंकड़े हैं वे उन आंकड़ों से कहीं अधिक हैं जो हमें मीटिंग में बताए गए हैं। मैं इसके विस्तार में जाना चाहता हूं क्योंकि इंग्लैण्ड के एक पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था, "यह झूठ, निन्दनीय और मनगढ़न्त है।"

सच यह है कि लोग मर रहे हैं, जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, मिग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और समिति गठित की जा रही है। पहले लि फॉन्टेन समिति और फिर एयरमार्शल राठौर समिति गठित की गई। लि फॉन्टेन समिति तब गठित की गई जब माननीय श्री शिवराज पाटील और तत्पश्चात मैं रक्षा मंत्रालय में थे। यह 20 साल पहले की बात है। लेकिन दुर्घटना को रोका नहीं जा सका है। चाहे वह चिड़ियों से टकराना हो या किसी अन्य चीजों से, दोषी बेचारे पायलट ही होते हैं और कहा जाता है कि यह मानव-भूल है। हम अपने पायलटों के लिए अभी तक अत्याधुनिक जेट ट्रेनरों को शामिल नहीं कर पाए हैं और हम लोग विमान, मशीन, राजकोषीय लागत के साथ मानव जीवन और मानव प्रशिक्षण दोनों ही खाते जा रहे हैं।

यही सवाल नागरिक पहलू से भी जुड़ा हुआ है। एलायंस एयर या इंडियन एयरलाइंस की दुर्घटनाओं के आंकड़े पर गौर फरमाएं। अभी-अभी हमने माननीय अरूण शौरी जी को सुना है। वे पूर्वोत्तर क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे। जब बोइंग विमान में 120 और 128 लोग होते हैं। तो वह पूरा भरा हुआ होता है या उसमें क्षमता से अधिक यात्री होते हैं। हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उसमें एटीआर-51 लगाने जा रहे हैं, यह जानते हुए कि दिन में 11 के बाद एयर पॉकेट का टाइम होता है और यह जोखिमपूर्ण होता है।

आज एलायंस एयर उस बोइंग-737 विमान को चला रही है जो 22 साल पुराना है और जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। पिछले एक महीने में छह दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हम यात्रियों के साथ-साथ युवा पीढी के उन लड़कों की जान से खेल रहे है। जो इन्हें उड़ा रहे होते है। और इन पुराने विमानों की वजह से यदि इसमें एक भी खराबी आ गई, तो दो अन्य विमान यात्रियों के बचाव और उसे वापस लाने के लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि एक विमान के चलते तीन विमानों को लगाना पड़ता है। केलकर समिति ने 325 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार क्यों नहीं आधुनिक बेड़ा लगा रही है। यदि वह अत्याधुनिक विमानों से लैश सहारा, जेट एयरवेज और अन्य निजी एयरलाइनों से प्रतिस्पर्द्धा करने जा रही है, तो क्यों हम जानबूझकर इंडियन एयरलाइंस और इसकी सहायक एलायंस एयर में 15वीं शताब्दी के मध्ययुगीन उपकरणों वाले विमानों को चला रहे हैं?

महोदय, यहां तक कि विमान सेक्टर में भी, जब संसद पर हमले हुए थे, तो सीमा पर सैनिकों की तैनाती के लिए सेनाओं को लाने-ले जाने में सरकार द्वारा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े उन्हीं विमानों का प्रयोग किया गया था। क्या हम उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्या हम लोगों के प्रति न्याय कर पा रहे हैं? इसलिए न कि वे लोग सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम या वायुसेना अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? क्या इसलिए हम लोग उन्हें पक्के ताबूत में रखते हैं? वायुदूत और पवनहंस में, हम जानते हैं कि कैसे इंजिन फेल हो जाता है और दरवाजे कैसे टूट जाते हैं। भगवान न करे किसी यात्री का कोई नुकसान या किसी विमान परिचारिका का कोई नुकसान हो या कोई उपकरण फेल हो जाए। क्या हम उसी को दुहराने जा रहे हैं? इसलिए, मैं इस मामले पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

यदि मुझे ठीक से याद है, तो हमारे पहले के माननीय वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने अपने एक बजट भाषण में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक (फिस्कल रिसपॉन्सिबिलिटी बिल) लाने की बात कही थी जिससे कि अड़ियल रुख अख्तियार करने वाले और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों को न सुनने वाले राज्यों को आदेश का पालन करने के अनुकूल बनाया जा सके, चाहे वह राजनीतिक मजबूरी ही क्यों न हो। अब चूंकि वित्तीय गैर-जिम्मेवारी के कारण वित्तीय घाटा 10 प्रतिशत से अधिक हो गया है। मैं नहीं जानता हूं कि इसे समाप्त किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं

[श्री के. पी. सिंह देव]

कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

इस बात की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमान से की जा रही है। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री अपनी अर्द्धवार्षिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक से सहमत हैं कि विकास दर 5 या 5.5 फीसदी के करीब होगी, 8 या 9 फीसदी नहीं, जैसा कि हम अस्सी या नब्बे के पूर्वार्द्ध में जा रहे हैं। इसका एक कारण है कि सूखे का बादल अब भी हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इससे साख पर असर पड़ रहा है और राजसहायता बढ़कर 63 फीसदी तक जा पहुंची है।

जहां तक कीमत और मांग का सवाल है, हम लोग यहां किसानों की दुर्दशा पर चर्चा कर रहे हैं। मैं उसे दुहराना नहीं चाहता हूं। जहां तक चावल का सवाल है, मैं उस राज्य से आता हूं जहां इसकी बहुतायत है, किन्तु गत तीन वर्षों से हमारे राज्य लगातार सूखा, बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित हो रहे हैं। वर्ष 1999 में, महाचक्र आया। इसे संयुक्त राष्ट्र ने भी नोट किया। इसे 'इंटरनेशनल एयर ऑफ डिजैस्टर' कहा गया, किन्तु हमारे रिलीफ कोड में 'नेशनल' वर्ड नहीं है। हम इसे नेशनल कैलमिटी (राष्ट्रीय आपदा) घोषित नहीं कर सके। यह एक प्राकृतिक आपदा थी। इसलिए उड़ीसा को जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। यदि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता, तो हमें 90 फीसदी अनुदान मिलता और 10 फीसदी का ऋण मिलता।

प्रत्येक उड़ीसा सरकार चाहे सत्ता में कोई भी दल रहा हो, गत 25 वर्षों से उड़ीसा राज्य को एक विशेष श्रेणी वाला राज्य घोषित करने के मुद्दे को उठाती रही है। मैं यह कहूंगा कि चाहे वह कांग्रेस सरकार रही हो, बीजू जनता दल सरकार रही हो अथवा जनता दल सरकार रही हो अथवा भा.ज.पा. —बीजू जनता दल गठबंधन रहा हो, प्रत्येक सरकार केन्द्र से यह मांग करती रही है कि ऐतिहासिक रूप से चली आ रही दुरावस्था, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे 47 प्रतिशत लोग रह रहे हैं और लगातार आने वाली मौसम संबंधी आपदाओं के कारण उड़ीसा को एक विशेष श्रेणी वाला राज्य घोषित किया जाए। लेकिन यह महान् संसद परिभाषा को बदल नहीं सकती क्योंकि परिभाषा किसी ने दी है और हम इसमें परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं कर सकते। इसीलिए, छठी अनुसूची में शामिल राज्यों अथवा पहाड़ी राज्यों की तरह उड़ीसा को विशेष श्रेणी वाला राज्य घोषित नहीं किया जा सकता यद्यपि समस्याएं वैसी ही दीर्घकालिक और खतरनाक हैं, क्योंकि उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि उड़ीसा को विशेष श्रेणी देने के लिए हमें उड़ीसा की बगल में एक शत्रु देश अथवा अन्य देश होना चाहिए। इसीलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार यदि उड़ीसा को विशेष श्रेणी वाला राज्य घोषित नहीं करती तो क्या वह ऐसे अर्थोपाय ढूंढ़ सकती है जिससे उड़ीसा के लिए कोई वित्तीय पैकेज अथवा निवेश प्रदान किया जाए ताकि उड़ीसा को आर्थिक सीढ़ी के प्रथम सोपान से अखिल भारतीय स्तर तक लाया जा सके।

हम के.बी.के. जिलों के संबंध में सुन चुके हैं अर्थात् कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी जिले। इसकी घोषणा पहली बार स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी। श्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने दुबारा इसकी घोषणा की थी और अब प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी फिर घोषणा की है। इस पुस्तिका को योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अथवा उनके अधिकारियों से इस ओर ध्यान देने अथवा अध्ययन करने का निवेदन करूंगा। के.बी.के. की अवधारणा राज्य सभा की याचिका समिति की सिफारिशों के कारण अस्तित्व में आई। के.बी.के. की इस अवधारणा की मूल भावना कार्यान्वयन एवं निवेश की निगरानी करना है। गत एक वर्ष में, हम सात संसद सदस्यों को जिनका संबंध पूर्ववर्ती के.बी.के. जिलों से है, सात बार उड़ीसा सरकार से नोटिस प्राप्त हुआ था। वे बैठकें रद्द कर दी गईं। इसका अर्थ यह है कि गत एक वर्ष में विभागीय नौकरशाहों के अतिरिक्त के.बी.के जिलों की निगरानी कोई नहीं करता।

आज, काशीपुर में, कोरापुट में, कालाहांडी में और क्योंझर जिलों में, खाद्यान्नों का भंडार है लेकिन फिर भी, कुछ ही दूरी पर लाशों का भी ढेर लगा है। मैं अपनी नेता और विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर स्वयं काशीपुर गया था। हमारी तीन सदस्यों की टीम थी, हम वहां गए थे और हमने यही सब देखा।

तो, महोदय, हम सूखे के इस प्रश्न पर चर्चा करते आ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों का पलायन हुआ है, भुखमरी, निर्धनता आई है और निःसंदेह दयापूर्ण मौतें उन्हें इन सबसे छुटकारा दिला देती हैं। हम इन बातों से इनकार करते रहे हैं। कोई कहता है कि मौतें आम का चूरा खाने की वजह से हुईं अथवा जठरांत्र—शोध के कारण हुईं, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मौतें भुखमरी के कारण हुईं। वे सभी कार्यक्रम अथवा योजनाएं जिनका वर्णन हम यहां करते

हैं और जिन्हें हम दूरदर्शन पर सुनते हैं अथवा समाचार पत्रों में पढ़ते हैं वे सभी कागजी बनी रहती हैं और उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता।

एक समाचार पत्र, पायनीयर—यह सरकार विरोधी समाचार पत्र नहीं है, यह सरकार समर्थक समाचार पत्र है क्योंकि इसका संपादक मेरे ही विद्यालय से पढ़ा हुआ है--इसने अपनी मीडिया समीक्षा में माओत्से तुंग की सूक्ति को उद्धृत किया है : "दो कदम आगे, एक कदम पीछे", वह कहता है कि रा.ज.ग. का दर्शन बिल्कुल उल्टा है, अर्थात् "दो कदम पीछे, एक कदम आगे।"

मैं श्री शांता कुमार जी की इनकी नयी योजना 'स्वजलधारा' के लिए बधाई देना चाहता हूं जिसमें संबंधित समुदाय दस प्रतिशत देगा और शेष राशि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार उपलब्ध कराएगी। मैं इस योजना की सफलता की आशा करता हूं।

एक बात है जो सशस्त्र बलों से संबंधित है। महोदय, आर्थिक विकास केवल सुरक्षा के वातावरण में ही संभव हो सकता है। अब जो लोग हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं वे सेना के लोग हैं अथवा भूतपूर्व सैनिक हैं। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का संबंध है, वास्तव में, वित्त मंत्री और मैं स्वयं एक समिति में थे। वर्ष 1984 में, हमने एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया था। एक सिफारिश थी 'एक रैंक, एक पेंशन' की। कोहिमा सिमेट्री की तरह भूतपूर्व सैनिक दावा करते हैं : "जब तुम वापस जाओ, उन्हें हमारे बारे में यह बताना कि तुम्हारे कल के लिए, हमने अपना आज बलिदान कर दिया।" हम सभा में और प्रत्येक स्थान पर केवल मौखिक सहानुभूति व्यक्त करते हैं। कल, उन्होंने जंतर–मंतर पर धरना दिया, जहां पर श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पर पुलिस ने हमला कर दिया। क्यों? हम संसद सदस्यों और न्यायाधीशों को जब भी पेंशन में वृद्धि होती है, वह एक भावी तिथि से मिलती है, लेकिन यह हम अपने उन भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान नहीं करते जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और अखंडता की रक्षा की है। इससे राजकोष पर केवल 531 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। रक्षा संबंधी स्थायी समिति में भी इस विषय पर विचार किया जा रहा है। हम मंत्रालय के अधिकारियों से सहमत नहीं हैं जिन्होंने यह कहा था कि इससे राजकोष पर बहुत भार पड़ेगा।

दूसरी बात चिकित्सीय देखभाल से संबंधित है, और तीसरी भूतपूर्व सैनिक आयोग के बारे में है। मैं माननीय मंत्री जी को बता रहा था कि आज एक भूतपूर्व सैनिक को ऋण लेने के लिए अपने पेंशन पत्रों को बंधक रखना पड़ता है। कोई भूतपूर्व सैनिक वित्त विकास निगम नहीं है। वर्ष 1984 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि 75 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने हैं और 75 करोड़ रुपए 29 राज्यों द्वारा दिए जाने हैं जिनकी संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है। पांच वर्षों में, मैं समझता हूं कि यह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। हमारे पास अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वित्त विकास निगम हैं लेकिन 50 लाख भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

महोदय, पिछली बार जब माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत की थीं, तब मैंने वाद–विवाद में हस्तक्षेप किया था और उन्होंने यह कहने की कृपा की थी कि खेलकूद संगठनों के लिए जो सीमा–शुल्क प्रभार मान्य था, जिसे मंत्रालय ने गत वर्ष समाप्त कर दिया था, उसे नौका दौड़ जैसी जल क्रिड़ाओं और अन्य ऐसे ही खेलों के लिए बहाल किया जाएगा और इसे सेनाओं के खेलकूद नियंत्रण बोर्ड और रेल खेलकूद नियंत्रण बोर्ड तक विस्तारित किया जाएगा। लेकिन मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि यह आदेश अभी तक इन संगठनों तक नहीं पहुंचा है। संभवतः, कहीं न कहीं कोई संवादहीनता है।

महोदय, मेरी अंतिम बात यह है कि देश के भीतर जो कुप्रशासन है उसे बाजार की ताकतों को आजादी देकर और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसे वाशिंगटन कंसेंसस अथवा बोलिवियन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है जिसका संबंध विशेष लेटिन अमेरिकी देशों से है और वे देश इसका खामियाजा भुगत रहे हैं।

महोदय, यदि आप मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे राज्य की सरकार ने यह आश्चर्यजनक कारनामा किया है। यह समाचार 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार उड़ीसा सरकार ने चक्रवात राहत कोष के केवल 34 प्रतिशत भाग का ही इस्तेमाल किया है। 645 करोड़ रुपए की राशि राज्य को प्रदान की गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इस उद्देश्य के लिए राज्य को 10,000 करोड़ रुपए दिए गए, कुछ लोग कहते हैं, 15000 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन राज्य सरकार को केवल 645 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। इसके लिए आवंटित समय दो घंटे है। आप पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं। आपकी पार्टी के अन्य वक्ता भी हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका संबंध मेरे राज्य से है। वहां पर पैसा लूटा जा रहा है।

महोदय, इसीलिए, सुधार करते समय, हमें वस्तुओं के मूल्य ही पता नहीं होने चाहिए बल्कि हमें मानव जीवन का भी मूल्य समझना चाहिए चाहे वह नागरिकों का जीवन हो अथवा सैनिकों का अथवा चक्रवात प्रभावित अथवा सूखा-प्रभावित लोगों का।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति महोदय।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : गेहलोत जी, एक मिनट आप रुकिए।

सभापति महोदय, हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि इसी आसन से, जिस पर आप विराजमान हैं प्रातः बताया गया था कि सायंकाल संसदीय संयुक्त समिति की बैठक होने वाली है और उसका प्रतिवेदन आने पर सदन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। महोदय, हमें मालूम हुआ है कि वह बैठक सायंकाल 4.00 बजे प्रारम्भ होकर अब तक समाप्त हो चुकी है। यदि समिति ने माननीय अध्यक्ष महोदय को कोई प्रतिवेदन दिया है, तो उसके बारे में बताया जाए कि उस पर क्या कार्रवाई की गई है। हम यह आसन से जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय तक आपकी सूचना भिजवा रहा हूं और मालूम करके आपको अवगत कराऊंगा क्योंकि प्रतिवेदन तो निश्चित रूप से उन्हीं के पास आने वाला है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हमें जानकारी मिली है कि अध्यक्ष महोदय को मुम्बई जाना था, इसलिए वे मुम्बई प्रस्थान कर चुके हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं और इस विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस सकार ने देश की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था दुरुस्त की, उसे ठीक करने के लिए अनेक उपाय किए हैं और केवल उपाय ही नहीं किए हैं बल्कि उसमें कुछ सफलता भी हासिल की है और सफलता हासिल करने के बाद जो देश के लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन बुनियादी आवश्यकताओं में तेज गति से पूंजी निवेश का प्रयास भी किया है। यह जो आज सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत हुआ है, इसमें भी लगभग 37 मदों में 9045.05 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था का प्रावधान है और इसके लिए इस सदन से अनुमति मांगी गई है। इसमें से 5035.11 करोड़ रुपए तो ऐसे हैं जो अतिरिक्त व्यय होंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

बाकी जो व्यय है, विभागीय मदों में से जिन विभागों के पास पैसा होता है, उसमें से व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि यू.टी. आई. के मामले में अनेक लोगों को आर्थिक नुकसान होने वाला था, उन लोगों की सहायतार्थ के लिए इस सकरार ने बजट में कुछ धनराशि का प्रावधान किया है। यह एक अच्छा क्राम है। अगर मंत्री जी यह न करते तो इससे हजारों ऐसे लोग जिन्होंने अपना पैसा यूनिट स्कीम 64 में जमा कराया था, वह डूबने की स्थिति में था। इससे सरकार की इच्छाशक्ति प्रदर्शित होती है कि वह इस प्रकार के लोगों को राहत देने के लिए प्रयासरत और सक्षम है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : घोटालेबाज घोटाला करते रहेंगे और आप पैसा देते रहेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : उसके लिए कमेटी बन चुकी है और जब उसका प्रतिवेदन आएगा और घोटाला सिद्ध होने की स्थिति होगी तो हम उसमें कार्यवाही करने में आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की दृष्टि से भी इसमें धनराशि मांगने का प्रावधान है। आप और हम सब अनेक वर्षों से महसूस करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों का व्यवस्थित ढंग से विकास होना अति आवश्यक है। वहां परिषदें बनी हैं, जिसमें केन्द्र का पैसा जाता है। परन्तु वह पैसा व्यवस्थित ढंग से खर्च नहीं होता। इस दृष्टि से सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को लेकर अनेक बार इस सदन में चर्चा भी होती रही है। वहां आंदोलन भी हुए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसमें पैसे का प्रावधान किया गया है।

इसके बाद ग्रामीण विकास की दृष्टि से बहुत सारी केन्द्रीय योजनाएं चालू हैं जिनका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आज सारे देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज आदि योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन योजनाओं को ठीक से कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। इसलिए इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में लगभग 3,546 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसके साथ ही साथ काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना है, उसके लिए भी 260 करोड़ रुपए की इसमें व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमसे सहमति मांगी गई है।

इसके साथ-साथ लोक सभा परिसर और लोक सभा, जो इस देश की सर्वोच्च पंचायत के रूप में जानी जाती है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत आवश्यक है। आप और हम सबने एक साल पहले यानी 13 दिसम्बर को आतंकवादियों द्वारा संसद पर जो हमला किया गया था, उसे देखा था। उसे मद्देनजर रखते हुए इस सरकार ने लोक सभा की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी इसमें धनराशि का प्रावधान किया है। मैं इसका भी समर्थन करता हूं।

यह वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष है। महिलाओं को सुदृढ़ करने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए इसमें पैसे की अनुमति मांगी गई है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की दृष्टि से और अनौपचारिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए भी इसमें धनराशि का प्रावधान किया गया है। आप और हम सब इस बात से सहमत हैं कि यह देश यदि शत-प्रतिशत साक्षर होता तो यह देश विकसित देशों की गिनती में तेज गति से अग्रसर होता और विश्व के पांच या सात देशों की लाइन में यह जुड़ जाता। परन्तु आज भी हमारे यहां साक्षरता का प्रतिशत कम है। वैसे तो औथेंटिकेटेड आंकड़े 2001 के नहीं आए हैं लेकिन वर्ष 1991-92 के आंकड़ों के अनुसार यहां 52 प्रतिशत साक्षरता है जिसमें से महिलाओं की साक्षरता 16 प्रतिशत है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार की इस देश में आवश्यकता है। अनुपूरक अनुदान में इस दृष्टि से बजट का प्रावधान किया गया है, और उसकी सहमति भी हमसे मांगी गई है। मैं इसके साथ-साथ सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि चौदह वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिए। परन्तु संविधान में जो लिखा हुआ था, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उस पर अमल करने का काम इस सरकार से पहले किसी ने भी नहीं किया। इस सरकार ने संविधान में संशोधन करके चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और अगले शिक्षा सत्र से यह योजना भी लागू होने वाली है। इसलिए शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए भले ही इसमें कम राशि, 14.33 और चार करोड़ रुपए की रखी गई हो, उसके प्रचार-प्रसार के लिए यह भी आवश्यक थी इसलिए मैं इसका भी समर्थन करता हूं।

सारे देश में बिजली की बहुत कमी है। आवश्यकता और मांग में बहुत बड़ा अंतर आज भी है। उस अंतर को कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने बिजली उत्पादन की दृष्टि से कुछ थर्मल पावर को आर्थिक मदद देने के लिए इसमें प्रावधान किया है। वह प्रावधान निश्चित रूप से आवश्यक था। इसलिए मैं इसका भी समर्थन करता हूं।

शहरी विकास योजना भी सारे देश में चलाई जा रही है। जलावर्धन योजना, जहां पीने के पानी की बहुत कमी है, ऐसे शब्दों में जलावर्धन और अन्य योजनाओं के माध्यम से शहरी विकास विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस मद में भी लगभग 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसका भी समर्थन करता हूं।

मैं इस अवसर पर सप्लीमेंट्री बजट का समर्थन करता हूं और सदन से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अच्छी नीयत से तैयार किए गए, अच्छा काम करने वाले सप्लीमेंट्री बजट का वे समर्थन करें।

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत की थीं।

विभिन्न मंत्रालयों की 9,045 करोड़ रुपए की 37 मांगें हैं। मैं सीधे मांग संख्या 67 का जिक्र करूंगा जिसका संबंध ग्रामीण विकास विभाग से है। मैं मानता हूं कि यह कुल मांगों के 30 प्रतिशत से अधिक है जिसमें आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग शामिल है। यह 3,806 करोड़ रुपए का है। स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना और काम के बदले अनाज के अंतर्गत यह खाद्यान्न के लिए है। मैं आशा करता हूं कि यह देश

[श्री मोइनुल हसन]

के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचेगा। लेकिन इसका विशेष उल्लेख होना चाहिए।

जहां तक मांग संख्या 67 का संबंध है, मैं समझता हूं कि इस सभा में हम सूखे पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि मुख्य रूप से 14 राज्य हैं जो सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी, तीन ऐसे जिले हैं—जैसे बांकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर—जो सूखे से प्रभावित हुए हैं।

पर्याप्त खाद्यान्न की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी देश को उतनी ही अधिक आवश्यकता है। यह है—आम आदमी के लिए पर्याप्त पेय जल। आर्सोनिक रसायन से युक्त और मैगनीज मुक्त पानी की आवश्यकता है। इसीलिए, विभिन्न परियोजनाओं के रूप में राज्य सरकरों को पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि वे आम आदमी को पानी उपलब्ध कराने में सफल हो सकें।

महोदय, मेरा अगला विषय मांग संख्या 30 से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है कि "राज्य सरकरों को अतिरिक्त अर्थोपाय अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त विनियोग की आवश्यकता है जिसे उसी वर्ष में वसूल किया जाना है। कोई नकद धनराशि नहीं दी जाएगी।"

महोदय, हम अपने देश के विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति से भली-भांति अवगत हैं। हम देश भर में राज्य सरकारों के खराब कार्यकरण को लेकर बहुत चिंतित हैं।

माननीय मंत्री जानते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है? विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए धनराशि नहीं है। विभिन्न राज्यों में सामान्य विकास कार्यों के लिए भी धनराशि नहीं है।

वे प्राकृतिक आपदा का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी विकट स्थिति कैसे पैदा हुई? भारत सरकार अपने दायित्व से नहीं बच सकती। मैं दो अथवा तीन कारणों का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके कारण राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हुई।

राज्यों पर एक सबसे भारी बोझ भारत सरकार के वेतन संशोधन के निर्णय के संबंध में है और यह पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं। इस निर्णय का पालन करने के कारण राज्यों में वेतन और पेंशन दुगने हो गए। वेतन और पेंशन दुगने हुए हैं और यह शायद राज्य सरकारों पर सबसे बड़ा बोझ है।

दूसरा सबसे बड़ा बोझ विभिन्न केन्द्रीय सहायता योजनाओं पर ब्याज है। कुल केन्द्रीय सहायता में से 60 प्रतिशत धनराशि ऋण की है जिन्हें अधिक ब्याज दरों पर दिया जाता है। इस समय भारत सरकार औसत रूप से सात प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण लेती है परन्तु राज्य सरकारों से वे 12 प्रतिशत की ऋण दर वसूल करते हैं। मेरी मांग है कि अत्यधिक विलम्ब होने के पहले ही इसे घटा दिया जाना चाहिए। यदि सरकार यह नहीं करती है तो स्थिति और बदतर हो जाएगी। सीपीए, आरआईडीएफ जैसी अनेक केन्द्रीय सहायता योजनाओं में ऋण पर ब्याज दर बहुत अधिक है।

राज्य सरकारें स्वयं प्राकृतिक आपदा से निपटने की स्थिति में नहीं हैं। हर वर्ष उन्हें या तो सूखे का सामना करना पड़ता है या बाढ़ से जूझना पड़ता है। राज्यों को राष्ट्रीय आपदा कोष से पर्याप्त धनराशि नहीं दी जा रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 2000 में पश्चिमी बंगाल में बाढ़ आई थी। जिसे एक राष्ट्रीय विपदा माना गया था। ये मेरे शब्द नहीं हैं। तत्कालीन कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विपदा थी। हमने केन्द्र से राहत और पुनर्वास कार्य के लिए 1487 करोड़ रुपए की मांग की थी और हमें मात्र 103 करोड़ रुपए दिए गए। राज्य सरकार को अधिक ब्याज दर पर 'हडको' से 1,173 करोड़ रुपए की ऋण धनराशि लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसलिए 500 करोड़ रुपए की आवश्यक धनराशि जैसा कि अनुपूरक में उल्लेख किया गया है, पर्याप्त नहीं है। मैं आवश्यक धनराशि को देखकर दंग रह गया हूं।

हम पश्चिमी बंगाल में विशेषकर मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया और अन्य सात से आठ जिलों द्वारा सामना की जा रही कटाव की समस्या को इस सभा में नियमित रूप से उठाते रहे हैं। इस समस्या का सामना करने हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। मैं गंगा और पद्मा नदियों के कारण नदियों के किनारे होने वाले भू-कटाव की समस्या का सामना करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की मांग करता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार समस्या को सुलझाने की अपनी भरसक कोशिश करेगी लेकिन बिना भारत सरकार की सहायता के हम इस समस्या को सुलझाने की स्थिति में नहीं होंगे।

मैं अपने देश की वित्तीय स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे आदरणीय सहयोगी द्वारा अर्ध–वार्षिक समीक्षा के बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मैं अर्ध–वार्षिक समीक्षा के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। इसके ब्यौरे की जांच के पहले जहां तक समीक्षा का प्रश्न है तो इस समीक्षा का मुख्य जोर इस बात पर है कि सरकार मंत्री से बाहर निकल रही है। मैं विस्तृत ब्यौरे की चर्चा किए बगैर आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था, की निगरानी हेतु केन्द्र सीएमआईई से एक या दो वाक्य को उद्धृत करने की अनुमति चाहूंगा :

> "निजी निवेश में लंबी मंदी बैंकों में गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के बढ़ने के भय से अवरुद्ध और लगभग वित्तीय क्षेत्र, निष्प्रभावी पूंजी बाजार और लगभग दिवालिया सरकार वर्ष 2002–03 में मंदी से बचने के अवसर को सीमित करती है।"

महोदय, बाजार में अभी भी मंदी का माहौल है। अर्ध–वार्षिक समीक्षा में दो चीजों का बखान किया गया है। मैं समझता हूं यह बहुत अच्छा है। एक बात यह है कि खाद्यान्न भंडार पर्याप्त है। दूसरी बात यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार 66 बिलियन डॉलर का है। परन्तु हमारे सामने बुरी खबर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की क्या स्थिति है? इस वर्ष यह 5.5 प्रतिशत होगी। दसवीं योजना की नियति क्या होगी? दसवीं योजना ने माननीय प्रधान मंत्री की प्रेरणा से आठ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का लक्ष्य रखने की योजना बनाई है। वास्तविकता, अर्थशास्त्र और प्रेरणा सभी अलग–अलग चीजें हैं। निवेश में सुधार का कोई संकेत नहीं है। इसी प्रकार की मंदी घरेलू पूंजी बाजार में छायी हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अच्छा नहीं है। राजस्व संग्रह बहुत कम है। खर्च बढ़ रहा है। भारत सरकार के मंत्रालयों के अलावा प्रत्येक क्षेत्र में आकार को छोटा किया जा रहा है। मेरा सरल प्रश्न यह है कि शीघ्र विकास क्यों नहीं हो रहा है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी तेजी से क्यों बढ़ रही है? यह अच्छे शासन के संकेत नहीं हैं। मेरा मानना है कि आंकड़ों में भी हेराफेरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आठ प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में दो प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत, उद्योग में 11 प्रतिशत जो कि इस वर्ष 4.5% है की वृद्धि दर होनी चाहिए। तभी आठ प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करना संभव है। अन्यथा यह संभव नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि यह वृद्धि दर कैसे प्राप्त होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जनरल बजट की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बजट में जो राशि आती है, उसमें देश के गरीब लोग, खेत–खलिहानों में काम करने वाले किसान–मजदूरों से लेकर बड़े तबके के लोगों के भी टैक्स का पैसा होता है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम देखें तो गांवों की जो दुर्दशा है, वह दिनों–दिन बिगड़ती ही जा रही है। वहां जिस तरह का वातावरण बन रहा है, निश्चित तौर पर शहरों में धन का केन्द्रीकरण हो रहा है। जो योजनाएं देहातों के लिए, खेत–खलिहान में काम करने वालों के लिए बन रही हैं, उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई है। यह एक स्वर्णिम योजना है। यह गांवों का भविष्य बदल सकती है। गांवों के लोग, खेत–खलिहान में काम करने वाले लोग आज जिस बदहाली में रह रहे हैं, उनके लिए सड़क का कोई प्रबंध नहीं है। जिसके चलते आज भी खेत में उपजने वाला सामान कम दामों पर बिकता है। इस तरह से खेत की उपज और फैक्टरीज की उपज के दामों में जमीन–आसमान का अंतर है। यह भी गांवों के लोगों के शोषण का बहुत बड़ा कारण है। प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई है, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं।

फिर भी हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सर्व शिक्षा योजना की दुर्दशा है और जिस तरह से अन्य केन्द्रीय योजनाओं का एम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है और वे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पड़ी हुई हैं। हम अन्य राज्यों की स्थिति नहीं जानते लेकिन बिहार में प्रधान मंत्री सड़क योजना का अभी तक प्रथम किस्त का टेंडर भी नहीं हुआ है और तीन वर्ष बीतने जा रहे हैं तो इस दुर्भाग्यपूर्ण के लिए केन्द्र सिर्फ यह कहकर कि राज्य निष्क्रिय है, इन कार्यों को करने में असफल है, केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। केन्द्र की अपनी जिम्मेदारी है। प्रधान मंत्री सड़क योजना आज सिर्फ चर्चा का विषय बनकर रह गई है। राज्य सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और केन्द्र सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है।

[श्री अरूण कुमार]

अपराह्न 5.21 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद *पीठासीन हुए)*

इसलिए हम चाहेंगे कि केन्द्र कोई मैकेनिज्म निकाले जिससे काफी लम्बे समय से गांवों में जो सड़क नहीं होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए इसका इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए और यह पैसा राज्यों में जाकर सिर्फ सूद कमाने का कारक बनकर नहीं रह जाए, मैं यह कहना चाहता हूं। आज जो स्थिति है जिस पर प्रधान मंत्री ने भी यहां नदियों को बांधने की, इंटरकनैक्ट करने संबंधी एक प्रस्ताव पर यहां चर्चा की। जो उत्तर बिहार बाढ़ से तबाह है और प्रत्येक वर्ष उसी सवाल पर यहां चर्चा होती है। कल देवेन्द्र यादव जी के साथ जो घटना हुई, हजारों की संख्या में किसान वहां से आए और बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपनी आवाज को यहां रखने के लिए आए लेकिन दिल्ली में किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ और माननीय सदस्य के साथ जो व्यवहार हुआ, यह एक शर्मनाक घटना है। किसानों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको उजागर करने वाले कम लोग रह गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जिस शांतिपूर्ण तरीके से कल बिहार के लोग अपनी आवाज को संसद तक पहुंचाने, बाढ़ और सुखाड़ की पीड़ा को बताने तथा उसका स्थायी समाधान ढूंढ़ने का जो संकल्प लेकर आए थे और उनके साथ जो घटना हुई, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि शिक्षा जो लोकतंत्र की रीढ़ है, उस शिक्षा में आज तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से जिस तरीके से गांव में हमारे पूर्वजों के द्वारा कम से कम एक प्रखंड में दो हाई स्कूल हुआ करते थे, कुछ प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे, आज आजादी के पचास वर्षों के बाद भी जबकि आबादी तीन गुना बढ़ी है लेकिन विद्यालयों की संख्या घटी है। जो भवन टूटा हुआ होगा, गिरा हुआ होगा, वही सरकारी विद्यालय होगा। जब तक झोंपड़ियों और खेत–खलिहान से निकलने वाले लोगों की शिक्षा का प्रबंध नहीं होगा तो अराजकता फैलेगी और कुछ लोग देश को ऐसी स्थिति में ले जाने की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के ठोस प्रबंधन पर सरकार यदि ध्यान दे तो हम समझते हैं कि यह देश और जनता के हित में होगा। हम आज तक जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि 80–85 प्रतिशत गांवों की आबादी है लेकिन दिल्ली में एक हाइ–वे और एक पुल का जो बजट होता है, वह हमारे पूरे राज्य का होता है। उसमें योजनाओं को अमलीजामा नहीं पहनाया जाता। इसलिए, सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि योजनाओं के अंतर्गत पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन योजनाओं का पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाता है, कारण यह है कि मोनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। आज पंचायतों के चुनाव हुए हैं, जिला परिषदों के चुनाव हुए हैं। युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ले लिया जाता है, लेकिन यह मोनिटरिंग नहीं की जाती कि राशि सही रूप में खर्च हुई है या नहीं हुई है।

महोदय, समय का अभाव है, लेकिन मैं एक बात इंदिरा आवास योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आजादी के पचास वर्षों के बाद भी एक गरीब व्यक्ति अपने लिए छत का निर्माण नहीं कर सका है। दलितों, पिछड़ों और शोषितों के लिए केन्द्रीय योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं में हिस्सेदारी हो रही है। महोदय, यही स्थिति आपके क्षेत्र में भी है। इन सारी योजनाओं का प्रबंधन जरूर होना चाहिए और सरकार को इन समस्याओं पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। जब हम छोटे थे, तो देखते थे कि लघु उद्योगों के माध्यम से हैंडलूम का उत्पादन होता था और सौ–सौ ट्रक जाया करते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि वे उद्योग बंद पड़े हैं। औरंगाबाद का कारपेट उद्योग, जो दुनिया में कभी मशहूर हुआ करता था, आज धन के अभाव में बंद हुआ पड़ा है। पीएमआरवाई योजना में सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन बैंकों का सिस्टम बना हुआ है, काफी राशि रिश्वत के रूप में चली जाती है। को–आपरेटिव्ज सब मर गए हैं। लेकिन इन योजनाओं को रिवाइव करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

हम आपके माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में भी निवेदन करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के बारे में कहना चाहता हूं। इस अस्पताल में पूरे देश के गरीब लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। मैं वहां की दुर्दशा के बारे में कहना चाहता हूं। पैथोलोजी टैक्स के नाम पर गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। गरीब लोग गांव से सत्तू बांधकर लाते हैं और अपना गुजारा करते हैं, लेकिन उनका शोषण होता है, इलाज नहीं होता है। एन्डोस्कोपी, एक्स–रे या अन्य जो कास्टली जांच के यन्त्र हैं, इसका लाभ उनको नहीं मिलता है। यदि आप इस बारे में सर्वे कराएं, तो पाएंगे कि एम्स में प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही हैं। मान लीजिए, कोई हार्ट पेशेंट है, इमरजेंसी में अस्पताल आया है, उसकी मौत वरांडे में ही हो जाती है। कई मरीजों को इलाज के लिए तीन–तीन महीने

का समय दिया जाता है। कारण यह है कि वे चाहते हैं, किसी तरह से वे यहां से निकल जाएं। इको और कार्डियोलोजी टैस्ट के लिए तो छः महीने तक का समय दिया जाता है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की जो मौलिक समस्याएं हैं, बिजली व पानी आदि, उन पर सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनकी मोनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमने जो मजबूत गांव का सपना देखा था, मजबूत खेत-खलिहान का सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए हमें किसानों को मजबूत करना होगा, नहीं तो लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। लिब्रलाइजेशन के द्वारा भी गरीब मजदूर लोगों का शोषण किया जा रहा है। यह शोषण की प्रक्रिया तभी रुकेगी जब हर हाथ, हर खेत को और खेत में काम करने वाले लोगों को काम मिलेगा।

महोदय, हम बड़ी चर्चा सुन रहे हैं और हम एक मिनट में अपने मन की व्यथा बताना चाहते हैं। हम इस बजट का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का बड़ा मलाल है कि जिस तरीके से सरकार चीजों को बेच रही है और जिस तरह की बातें आ रही हैं, निश्चित तौर पर डिसइनवेस्टमेंट के मामले में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि स्ट्रेटजिक सैक्टर में इंडस्ट्रीज बेचकर, ये कौन सी योजना लागू करना चाहते हैं। अपना धान बेचकर ये कौन सी पूंजी अर्जित करना चाहते हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसका एक गलत मैसेज लोगों में जा रहा है। किसान को खाद, बिजली और पानी नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्री जी, अब मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कुछ सोचने लगे हैं, लेकिन अभी तक वह धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि डिसइनवेस्टमेंट जिस तरीके से हो रहा है, इसका गलत मैसेज लोगों में जा रहा है। किसानों की घोर उपेक्षा हो रही है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, गन्ने का किसान अपना गन्ना जलाने के लिए बाध्य है। पिछली बार सौ रुपए क्विंटल दिया था लेकिन इस पर बार कोई 50 रुपए क्विंटल भी लेने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम चीजों के कारण किसानों में बहुत असंतोष है और इससे दिल्ली भी वंचित नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार से आपके माध्यम से चाहता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति महोदय, इन अनुदान मांगों के बारे में सरकार कितनी गंभीर है, इसका एक उदाहरण सामने है। यहां मात्र 16 सदस्य भाजपा के बैठे हुए हैं और अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। हमसे ये अनुदान मांगों पर समर्थन चाहते हैं। ये विपक्ष के मार्फत अपनी अनुदान मांगें पास कराना चाहते हैं। यह सरकार बिलकुल गंभीर नहीं है, इनके सारे माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, सारी बैंचें खाली पड़ी हुई हैं, केवल सात-आठ सदस्य बैठे हैं। महोदय, यह बहुत चिंताजनक बात है, कितने कैजुअल तरीके से इसे लिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी शुरू से बैठे हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप देखें कि इनके पीछे क्या स्थिति है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति जी, इसमें सब अच्छी बातें हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि आप समर्थन करेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी आज दूसरी बार 37 अनुदान मांगों हेतु 9045 करोड़ रुपए की मांग लेकर सदन के समक्ष आए हैं। इन्होंने मद संख्या पांच में उर्वरक मंत्रालय हेतु कम से कम 442.36 करोड़ रुपए और 394 करोड़ रुपए की मांग की है। वित्त मंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और पूर्वांचल तो उसका हृदय है। गोरखपुर में खाद का कारखाना कई वर्षों से बंद पड़ा है, लेकिन आपने उसे चलाने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, जबकि आपके ही प्रधान मंत्री जी ने अपनी चुनावी सभाओं में वायदा किया था कि हम गोरखपुर में बंद पड़े कारखाने को चलाने का कार्य करेंगे। वहां की जनता ने आपके ऊपर विश्वास करते हुए आपके ही दल के एक सदस्य को चुनकर भेजने का कार्य किया है। इसी तरह बरौनी और सिंदरी के कारखाने बंद पड़े हैं। ये कारखाने आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर थे। इन्हें चलाने के लिए आपके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इतना ही नहीं, आपने यूटीआई के घोटाले की भरपाई के लिए, यूटीआई की यूनिट 64 के अंतर्गत जो घोटाले हुए, उसकी भरपाई के लिए 438 करोड़ रुपए मांगे हैं। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि संपूर्ण यूटीआई के घोटाले के लिए आपने 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। आज किसान बर्बादी और तबाही के रास्ते पर खड़ा है। धान और गन्ना पैदा करने वाले किसान को

[कुंवर अखिलेश सिंह]

संरक्षण और ताकत देने के लिए आपकी कलम में, बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है और इन घोटालेबाजों को संरक्षण देने के लिए आप 1400 करोड़ रुपए और 438 करोड़ रुपए का प्रावधान लेकर आए हैं।

इस सदन ने शेयर घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। लेकिन वित्त मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस सेबी को आपने अतिरिक्त अधिकार देने का काम किया है उस सेबी के रहते ही होम–ट्रेड का घोटाला हुआ है जिसमें करोड़ों रुपया जनता का लूटा गया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी, जब आप उत्तर दीजिएगा तो इस बारे में भी अपनी बात को रखिएगा। क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति को आपने जो जांच का विषय दिया है उसमें होम ट्रेड घोटाला शामिल नहीं है। एक तरफ कुछ औद्योगिक घराने घोटाले पर घोटाले करते चले जाएं और आप उन्हीं औद्योगिक घरानों को संरक्षण देने के लिए पूरक मांगों के अंतर्गत करोड़ों रुपए का बजट लेकर आए हैं। यह जनता के साथ मजाक है। आपने आयकर विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए 73.19 करोड़ रुपए की मांग की है। आप इन औद्योगिक घरानों को जो कर की चोरी कर रहे हैं, अगर घेरे में लाने का काम करें तो इन मांगों के लिए आपको इस अतिरिक्त धन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई हजार करोड़ रुपया आपका आयकर विभाग इन औद्योगिक घरानों से वसूल सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका शिकंजा उनके ऊपर क्यों नहीं कस रहा है। उनकी भ्रष्ट आयकर अधिकारियों के साथ सांठगांठ है और भ्रष्ट आयकर अधिकारी उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और भ्रष्ट तरीके से उन औद्योगिक घरानों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, आप मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिए।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आप 3546 करोड़ रुपए, काम के बदले अनाज देने के लिए 260 करोड़ रुपए अतिरिक्त धन का प्रस्ताव लेकर आए हैं। यह स्वागत योग्य है। लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश और बिहार में चले जाइए। आप पाएंगे कि जो धन आप दे रहे हैं उसका 50 फीसदी भी धन उन योजनाओं पर खर्च नहीं हो रहा है। अगर मेरी बात गलत पाई जाएगी तो मैं अपने पद को छोड़ दूंगा। मैं माननीय शांता कुमार जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन उनसे पूर्व जो लोग थे उनके समय में सीधे कमीशन देकर के सीधे पैसा गया है। मेरा आग्रह है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कही है। अभी टेंडर नहीं हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उसके जो आकलन राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए हैं, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। एक किलोमीटर के निर्माण के लिए 20–22 लाख रुपए का आकलन भेजा गया है। मेरा कहना है कि अगर मैं उतनी ही सुंदर और बढ़िया सड़क को 16 लाख रुपए में न बनवा दूं तो मैं अपने संसद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज निर्माण के कार्यों में जो लूट हो रही है उसको रोककर आप विकास के कार्यों की रफ्तार को 25 फीसदी बढ़ा सकते हैं। आप जो धन दे रहे हैं उसको सही तरीके से खर्च किया जा रहा है या नहीं, यह देखना आपकी जिम्मेदारी है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भारत सरकार ने जो दिशा–निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन राज्यों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उस पर भी आप लगाम लगाने का कार्य करें।

मान्यवर, अभी परसों माननीय देवेन्द्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बाढ़ और सुखाड़ के स्थाई समाधान के लिए जो प्रदर्शन हुआ, उसमें किसानों का लहू बहा। सरकार में संवेदना होती तो आप जो सप्लीमेंटरी डिमांड लेकर आ रहे थे तो हर साल नेपाल की नदियों के पानी से बिहार और यूपी में जो बाढ़ आती है उसके स्थाई समाधान के लिए आप कारगर प्रस्ताव लेकर आते। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि देश की आजादी के लिए किसानों और मजदूरों ने इसलिए अपना खून और पसीना नहीं बहाया था कि जब देश आजाद होगा तो आप भी उनके शोषण का काम करेंगे और उनको बर्बादी के कगार पर छोड़ने का काम करेंगे। आज उस खून के कतरे की आप जरा भी कदर करते तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो नेपाल से निकलने वाली नदियों के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए प्रस्ताव लाते और उसके स्थाई समाधान के लिए हल खोजते।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1998 में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा था तो उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गोरखपुर गए थे और उन्होंने वक्तव्य दिया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश

और बिहार की बाढ़ की समस्या का स्थाई निदान होगा। उसे आज चार वर्ष से ऊपर बीत गए हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी का वह वायदा पूरा होता नजर नहीं आता है। 4 अक्तूबर, 2002 को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने ग्रामीण विकास एजेंसियों के समक्ष जो भाषण दिया, मैं उसकी कुछ लाइनें आपके समक्ष उद्धृत करना चाहता हूं। "कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे परिवर्तन का प्रवाह हमारे गांव में जाकर रुक गया है, थम गया है। जैसे जिन्दगी आगे नहीं बढ़ती। शाम होते ही अंधेरा हो जाता है और उसके साथ मानो निद्रा की एक ऐसी चादर हमें लपेट लेती है गांव में, विशेषकर उन गांवों में जहां बिजली नहीं है। वहां तो शाम के बाद जैसे जागरण की बेला नहीं रहती। इस स्थिति को बदलना है" जनता के मंचों पर इस तरह की लुभावनी बातें की जाती हैं। आज आप उत्तर प्रदेश और बिहार का रिकॉर्ड मंगाकर देख लीजिए। आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार की आधी आबादी बिजली की रोशनी से वंचित है। वहां बिजली का एक बल्ब नहीं है। वहां कितनी बिजली मिलती है और कितनी नहीं मिलती है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की आधी आबादी में बिजली के बल्ब, तार और खम्बे नहीं लगे हैं। इस स्थिति में कब सुधार होगा मैं नहीं जानता? ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं। आप इन वातानुकूलित महलों को छोड़िए और जमीन पर उतरिए तथा इसका सर्वेक्षण करिए, तभी आपको सही स्थिति का अन्दाजा होगा।

देश में आज जो क्षेत्रीय विषमता है, उसे दूर करने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। यदि क्षेत्रीय विषमता को दूर नहीं करेंगे तो जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर के नौजवान गुमराह हो रहे हैं, वैसे ही देश के दूसरे हिस्सों के नौजवान भी गुमराह होंगे। आपने लोगों को काम देने का वायदा किया था और बेरोजगारी दूर करने का वायदा किया था। आप विनिवेश की नीति लागू करने के बाद अरबों रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेचते चले जा रहे हैं। आप कहते हैं कि देश का पुनर्निर्माण करने का काम होगा। वित्त मंत्री जी, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में एक नहीं दर्जनों चीनी मिलें बंद हो गई हैं। आज बेरोजगारी की फौज कहां से आ रही है? वह उन्हीं किसान परिवारों के घर से आ रही है जो देश में सौ में से अस्सी की तादाद में है। उनको रोजगार आपका कोई भी तंत्र नहीं दे सकता। रोजगार देने का एक ही विकल्प है कि खेती को बढ़ावा देने का काम हो। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो चुनौतियां मिल रही हैं, उसमें खेती की लागत को घटाना होगा, उत्पादकता को बढ़ाना होगा और गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी तभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में देश के किसानों को ले जा सकेंगे और गांवों से निकलने वाले बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकेंगे। अगर आर्थिक उदारीकरण के जो दुष्परिणाम हमारे सामने उभरकर आए हैं और डब्ल्यूटीओ के जो दुष्परिणाम हमारे सामने उभरकर आए हैं, उनका सही तरीके से मुकाबला करना है तो कृषि उद्योग जगत से जुड़ी चीजों को निश्चित तौर पर मजबूती देनी होगी। यदि आप चीनी मिलों में पूंजी का निवेश करेंगे तो एक चीनी मिल कम से कम 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार देने का काम करेगी। एक चीनी मिल में अधिकतम 50 से 55 करोड़ रुपए का निवेश होता है। 50 से 55 करोड़ रुपए का निवेश करके आपने जो पैसा अब तक इकट्ठा किया, अगर कृषि जगत के लिए उसे मुहैया करा दें तो करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं और किसानों को आत्महत्या करने से रोक सकते हैं।

आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। हम लागतार तीन साल से आपके बजट को देख रहे हैं लेकिन हमें आपका यह संकल्प कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश समृद्धि के रास्ते पर जाए, देश से क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो तो निश्चित तौर पर आपको दीर्घकालीन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक सुस्पष्ट नीति बनानी होगी। उसके लिए सबसे पहले किसानों को प्राथमिकता देनी होगी, गांवों को प्राथमिकता देनी होगी। यदि उनको प्राथमिकता देने का काम किया तो निश्चित तौर पर देश को आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर ले जाएंगे। यदि इनकी उपेक्षा की तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि देश को और बरबादी के रास्ते पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। चूंकि आपने इस बजट में किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, किसानों की घोर उपेक्षा की है, इसलिए मैं इन अनुपूरक मांगों का पुरजोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ सुझाव मात्र देना चाहता हूं। मैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता हूं।

वित्त मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रामीण बैंकों

[श्री के. एच. मुनियप्पा]

की शुरूआत श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किसानों और कृषक मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु की गई थी जो हमारी जनसंख्या विशेषकर हमारे देश के कृषक समुदाय के 70 से 80 प्रतिशत लोग हैं। अब इन्हें वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित कर दिया गया है और शहरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह बैंक किसानों की सहायता के लिए ऋण देने का कार्य भी नहीं करते हैं।

श्रीमती गांधी ने स्पष्ट किया था कि ब्याज दर 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ग्रामीण बैंकों की वर्तमान ब्याज दर 15 से 18 प्रतिशत के बीच है। ऐसी परिस्थिति में आप इन बैंकों से किसानों और कृषक मजदूरों के हितों की किस प्रकार रक्षा करने की उम्मीद कर सकते हैं? इस मुद्दे पर मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग करता हूं कि ग्रामीण बैंक आज भी वहीं रहे जहां से इसकी शुरूआत की गई थी और यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को 10 प्रतिशत से कम ब्याज दर पर धनराशि प्राप्त हो। इससे कृषकों के उत्थान में सहायता मिलेगी।

अपराह्न 5.47 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा उत्पादित उत्पादों और कुटीर उद्योग में लगे अन्य लोगों के लिए भी विपणन सुविधाओं की चर्चा करूंगा। महात्मा गांधी का सपना हमारे देश के गांवों को आत्मनिर्भर बनाना था। यह आजादी के पहले का सपना था। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक आप सही अर्थों में गांवों को आजादी नहीं देंगे तब तक हमें मिली आजादी का इस देश में कोई अर्थ नहीं होगा। इसी तर्ज पर भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशेषकर कृषक समुदायों पर ध्यान दिया था जो गांवों में रहते हैं। वे हमारी जनसंख्या के 70–80 प्रतिशत लोग हैं। पंडित नेहरू ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की थी।

आज उदारीकरण की नीति के कारण गांवों के किसान और कुटीर उद्योग में कार्यरत लोग अभी तक लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए हैं। उन्होंने इन उद्योगों में जितना निवेश किया है, वह भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण यह है कि चीन जैसे अन्य देश काफी सस्ते दरों पर वस्तुएं पाट रहे हैं। हमारे उत्पादक अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें उनकी लागत भी नहीं मिल रही है। सरकार इन सभी मुद्दों से किस तरह निपट रही है?

दुर्भाग्यवश इस सरकार ने अलग विनिवेश मंत्रालय का गठन किया है। मैंने महाभारत पढ़ा है। कौरव के शासन में शकुनी कौरवों का सफाया करने के लिए मौजूद थे। अब श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में पांडव देश की रक्षा में आगे आएंगे।

उन्होंने यह स्थिति पैदा कर दी है। भाजपा के मेरे मित्र और राजग सरकार के अन्य सहयोगी पार्टियां कह रही हैं कि यह युक्तिसंगत नहीं है। विनिवेश देश को बर्बाद कर देगा। आप सेंटौर होटल के मामले को ही देखें। बंगलौर में लक्ष्मी पैलेस होटल और अशोक होटल जैसे स्मारकों का क्या भविष्य होगा? आप गया और खजुराहो का मामला लें। ऐसे बड़े स्थान हैं। वे क्या कह रहे हैं? वे इस देश के लोगों द्वारा किए गए त्याग से निर्मित पूरी संपत्तियों को बेच रहे हैं।

कांग्रेस शासन के दौरान इनका अच्छी तरह रख–रखाव किया गया है। जो कुछ भी गत 40 वर्षों के दौरान बना है उसे वे अब पूरे देश को चार वर्षों के अंदर बेच रहे हैं। इसके बाद ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय निगमों के पास चली जाएंगी और तब वे अमेरिकी डॉलर अर्जित करेंगे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आना शुरू करेगी। और फिर हम आजादी के पहले के दौर में चले जाएंगे। राजग सरकार द्वारा ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है। कृपया इसके परिणामों को समझें। अब वे देश को बचाने के लिए अपनी गतिविधियों में इस 'शकुनी' को रोके।

जहां तक हमारे उत्पादों का संबंध है, हम कर्नाटक एवं देश के अन्य भागों में रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। देश में 16,000 मीट्रिक टन रेशम की आवश्यकता है। देश में इनका 10,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। इसलिए मैं इस तथ्य से सहमत हूं कि हमें 6,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। आपके दल के पहले वक्ता ने ज्यादा समय लिया है।

श्री के. एच. मुनियप्पा : मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहा हूं।

महोदय, हमारे देश में तस्करी से 15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा रेशम लाया जा रहा है। यदि इतने रेशम की तस्करी देश में की जाती है, तो हमारे रेशम उत्पादों का क्या होगा

और हमारे रेशम उत्पादकों का क्या होगा? देश के विभिन्न भागों, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, एवं आंध्र प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा लोग रेशम के उत्पादन में लगे हुए हैं, और इस तस्करी के कारण वे संकट से जूझ रहे हैं।

कोकून रेशम की दर आज 50 रुपए से 60 रुपए के बीच है। परन्तु जब हमारी सरकार वहां थी तो इसकी दर 150 रुपए थी। इसलिए मैं, सरकार से देश में तिब्बत सीमा से हो रहे रेशम के इस पाटन एवं तस्करी को रोकने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा, रेशम के उत्पादन से जुड़ा समुदाय बर्बाद हो जाएगा। देश में यह बहुत बुरी स्थिति है। रेशम बहुत ही अच्छा नकदी फसल है और हम बहुत ही अच्छी किस्म के रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हमारे रेशम की अच्छी कीमत है। मैं सरकार से रेशम उत्पादकों की स्थिति में सुधार करने हेतु तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

दूसरा मुद्दा गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने से संबंधित है। माननीय प्रधान मंत्री ने इसके बारे में घोषणा की है और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने इसका स्वागत किया है। यह देश के लिए वरदान होगा। यह मिस्र के लिए नील, पनामा के लिए पनाया और रूसी किसानों के लिए रूसी नहर है। इस स्थिति से निपटने का यही तरीका है।

देश में सुरक्षा स्थिति के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कावेरी और गंगा को जोड़ने से देश में सूखा एवं बाढ़ स्थिति का समाधान होगा। आज हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना है। 20 से अधिक राज्य सूखा से प्रभावित हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सूखे की स्थिति का नियंत्रण करने के लिए इसके पास क्या कार्यक्रम है? इस समस्या का समाधान करने हेतु सरकार को कार्यक्रम बनाना होगा। हम बजट सत्र में पुनः फरवरी में मिलेंगे। यदि हम इस पर गंभीरता से नहीं सोचते तो उस समय तक समूचे देश में पेयजल की गंभीर समस्या होगी।

हमें निर्धन लोगों को योजना उपलब्ध कराने के बारे में भी सोचना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है? जिस प्रकार से सरकार इन बातों को ले रही है वह समूचे देश को एकजुट बनाए रखने का तरीका नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार के पास क्या प्रस्ताव है? हम इस सरकार को सावधान करते हैं कि अगर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे, तो भविष्य में गंभीर समस्या पैदा होगी। हम सभी इससे चिंतित हैं, चाहे हम इस तरफ हों या उस तरफ। यह सरकार देश के किसानों एवं निर्धन लोगों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय करने वाली है? पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और हमें इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। हम आम बजट की बात नहीं कर रहे हैं। यह तो मात्र अनुपूरक अनुदान है।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदय, कर्नाटक राज्य ने 20 लाख टन खाद्यान्न की मांग की है, परन्तु हमें केवल 2 लाख टन ही दिया गया है। कर्नाटक के गरीब लोगों का भविष्य क्या होगा? मैं आंध्र प्रदेश को और 20—40 लाख टन खाद्यान्न देने की परवाह नहीं करता या किसी पर आरोप नहीं लगता, परन्तु राज्यों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से राज्यों के बीच भेदभाव न करने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अगली वर्षा ऋतु से पहले देश में सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम बनाने का अनुरोध करता हूं ताकि हमें इस समस्या का फिर से सामना न करना पड़े।

मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी करीब 8500 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांट मंजूर कराने के लिए आए हैं। तीन—चार महीने ही हुए हैं इन्हें वित्त मंत्री का भार संभाले, लेकिन इस अवधि में वित्त की स्थिति पहले से भी इतनी ज्यादा बिगाड़ दी गई है कि इन सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट से काम चलने वाला नहीं है।

महोदय, अभी अखिलेश जी भाषण कर रहे थे कि प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दो वर्ष पहले अपना भाषण करते हुए कहा था कि एक करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो लोग पहले से रोजगार में थे, जो लोग नौकरियां कर रहे थे, उनकी भी छंटनी हो रही है। ये सब समस्याएं उनके सामने हैं। आज राज्यों की वित्तीय हालत बहुत खराब है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हूं कि आपने राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कौन सी कार्रवाई की है? राज्यों की अपनी समस्याएं हैं क्योंकि उनके रिसोर्सेस वगैरह कम हैं लेकिन केन्द्र सरकार के चलते भी राज्यों की वित्तीय हालत खराब है। जैसे पंचम वेतन आयोग को लागू करने का फैसला हुआ। इस संबंध में हर राज्य में आंदोलन हुए। वहां भी पुनरीक्षित पंचम वेतन आयोग को लागू करना पड़ा। उससे राज्यों की वित्तीय हालत और खराब हो गई। जिन राज्यों की अच्छी स्थिति थी, उनकी भी हालत इस वजह से बिगड गई। जिन राज्यों की हालत पहले से खराब थी, उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं प्वाइंटवाइस ही पूछना चाहता हूं कि राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए मंत्री जी ने क्या कार्रवाई की? अगर कार्रवाई की है तो वह कौन सी कार्रवाई है?

दूसरे, जिन राज्यों की पहले से खराब हालत है, उनकी हालत और बदतर हुई है। उदाहरणस्वरूप बिहार की स्थिति पहले से खराब थी। बंटवारे के बाद तो बिहार की हालत और भी खराब हो गई। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से ध्यान दें। मैं कहना चाहता हूं कि ग्यारहवें वित्त आयोग के 108 करोड़ रुपए, जो कि पुराने वित्त मंत्री जी ने धोखाधड़ी से रोक दिए थे। बिहार के साथ जो भारी दुश्मनी की, उसको आपने सुधारा और ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष यानी 2000–2001 का रुपया बिहार सरकार को दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, राज्य सरकार यह महसूस करती है? आज सभा में क्या स्थिति है? मान लें हम इसे 'न' कहते हैं तो सरकार का क्या होगा? उनके पास उनकी पूरक मांगों के समर्थन के लिए पर्याप्त सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं। अब, आप हमसे क्या उपेक्षा करते हैं? क्या आपको बोलना नहीं चाहिए? यह बहुत ही गंभीर बात है। यदि हम इन अनुपूरक अनुदान मांगों के विरुद्ध मत का निर्णय लेते हैं तो आप इसका परिणाम जानते हैं। आप अपने सदस्यों को बुलाएं।

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : वे हमारा समर्थन चाहते हैं। यह बड़ी ही दुर्भाग्यशाली स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति जी, यह साधारण बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, जब ये ही समर्थन में हैं तो दूसरे लोगों के समर्थन की जरूरत ही कहां पड़ेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : आप हमारे समर्थन पर निर्भर नहीं रहें। आप अपनी बात कहें।...*(व्यवधान)* हम अपना निर्णय देने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वे आश्वस्त हैं कि अभी उनकी सरकार गिरने वाली नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं जो कह रहा हूं, वह गौर से सुना जाए। दशम वित्त आयोग की अनुशंसा हुई कि हरेक राज्य को स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका के लिए पैसा मिलेगा।...*(व्यवधान)* दशम वित्त आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने पूर्णतया स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात् सदन में उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की गई कि हमने उस आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार किया है। तदनुसार वित्त आयोग ने कहा कि 1995–96 का पैसा नहीं देना है, वह तो ठीक है लेकिन वर्ष 1996–97 की राशि हमें मिली। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप तो सूक्ष्म रूप में बोल रहे थे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं सूक्ष्म रूप से ही बोल रहा हूं। हमारा कहना है कि बिहार की जनता के साथ भारी दुश्मनी हो रही है। वहां 1978 में चुनाव हुआ था। उसके बाद 20–22 साल तक चुनाव नहीं हुए। इसके बाद दशम आयोग ने अनुशंसा की और उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई। लेकिन उसके बाद दुश्मनी से वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 यानी चार सालों का सवा छह सौ करोड़ रुपए रोक दिया गया। जब यहां संघर्ष हुआ तो ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष का पैसा...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय : क्या आप कुछ देर के लिए रुकेंगे? छः बजे का समय हो गया है। मैं इसमें सदन की सहमति चाहूंगा कि जिन अनुपूरक मांगों और दो विनियोग विधेयकों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनके पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : महोदय, सत्ता पक्ष इच्छुक नहीं है। हमें यहां क्यों बैठना चाहिए? इसे यहीं रोक देना बेहतर होगा। सत्ता पक्ष में मुश्किल से 20 माननीय सदस्य हैं। हम कल जारी रख सकते हैं। यह हम सभी के लिए सुविधाजनक होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ माननीय सदस्य यहां हैं और कुछ माननीय मंत्री भी यहां हैं। अन्य जल्द ही यहां आ जाएंगे।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस : हम आज इस मद को समाप्त करने के लिए तैयार हैं परन्तु वे इच्छुक नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सभापति महोदय, हमारा निवेदन है कि ये मांगें और ऐप्रोप्रिएशन बिल के पास होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए। विपक्ष के माननीय उप नेता ने जो कहा है, हम उनकी बात को बिल्कुल ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं।

सभापति महोदय : सदन सहमत है। अनुपूरक मांगों और विनियोग विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, दशम वित्त आयोग का एक साल का पैसा हमें मिला है और तीन साल का पैसा रुका हुआ है। हमको वह राशि नहीं दी गई है। झारखंड में चुनाव नहीं हुआ लेकिन झारखंड को पैसा मिला और बिहार को नहीं मिला। हमें दशम वित्त आयोग की तीन वर्षों की राशि नहीं मिली। आपने ग्यारहवें वित्त आयोग की एक वर्ष की राशि दुरुस्त की है, यह बात ठीक है। नए वित्त मंत्री न्याय की तरफ एक क़दम बढ़े हैं लेकिन अभी तीन कदम बाकी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : यह बिहार असेम्बली का सैशन है या पार्लियामेंट का सैशन है। अनुपूरक मांग केवल बिहार के लिए नहीं है, वे समस्त देश के लिए हैं। सिर्फ बिहार-बिहार करते हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : बिहार के बिना मुम्बई भी अधूरा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार के बिना देश नहीं चलेगा। बिहार भारत का हृदय है। बिहार हिन्दुस्तान का कलेजा है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सारे देश की प्रगति बिहार से है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : दशम वित्त आयोग का बकाया दे दीजिए। ग्यारहवें वित्त आयोग का पैसा आपने दे दिया है, उसके लिए हम आपको धन्याद देते हैं।

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ने योजना तैयार की। ट्रांसमिशन लाइन की हालत बहुत खराब है। पूर्वांचल में सरप्लस बिजली है, आवश्यकता से अधिक बिजली है। देश में बिजली का संकट है लेकिन उधर सरप्लास बिजली है। ट्रांसमिशन के अभाव में एक जगह से दूसरी जगह बिजली नहीं जा पाती। ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट बना है, 335 करोड़ रुपए का और 47 करोड़ रुपए पावर ग्रिड के हैं, 375 करोड़ रुपए हमें चाहिए। योजना आयोग ने उसे पारित कर दिए, सिद्धांत रूप में उसकी सहमति हो गई है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर वह कार्य कब से आरंभ होगा। उसमें विलंब होने से बहुत अन्याय हो रहा है। उसकी स्वीकृति हो गई। पावर ग्रिड उसे लागू करे। भारत सरकार से उनको पैसा मिलेगा। बिहार में ट्रांसमिशन लाइन चौपट है, तभी उसमें सुधार होगा।

थर्मल पावर का नबी नगर की पहले से स्वीकृत योजना थी लेकिन भारत सरकार ने राजनैतिक कारणों से भेदभाव किया है। नबी नगर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लागू नहीं कर रहे हैं। यह अन्याय है। अगर देखा जाएगा तो घोर अन्याय साबित होगा। नबी नगर पहले से मंजूर है, वह पीछे चला गया है और दूसरा आगे चला गया। इसमें बड़ी भारी हेराफेरी हुई।

इनकी शहरी विकास के बारे में सप्लीमेंट्री डिमांड आई है। इसका सब हिसाब हमने देखा है कि करीब-करीब 15 करोड़ रुपया इन्होंने बढ़ाया है। उसमें तीन वर्ष का बिहार का गंदी बस्ती, श्रम एरिया, जहां गरीब लोग बसते हैं, उनकी हालत खराब है, उसका हमारा पैसा हजम हो गया, वह हमें नहीं मिल रहा है। सुना है कि लखनऊ के विकास पर, प्रधान मंत्री वहां से जीतकर आते हैं न, वे वोट से जीतकर आते हैं, प्रधान मंत्री बन गए, वहां तीन हजार करोड़ रुपए और पटना का 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया है, वह नहीं है। हम लोग खत्ते से जीतकर आए हैं और प्रधान मंत्री वोट से जीतकर आते हैं, ऐसा भारी भेदभाव है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

के लिए तीन हजार करोड़ रुपए और पटना के लिए शून्य, एक करोड़ भी नहीं। 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया हुआ है, माननीय मंत्री जी, उसे दिखवा लीजिए। यहां शहरी विकास मंत्री बैठे हुए हैं, पटना का 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया हुआ है,...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सीवरेज, पीने के पानी और नाला ले जाने का, यह सभी चीजें उसमें हैं। पटना का विकास करने के लिए 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसे कृपा कर मंजूर कर दें। दूसरे गंदी बस्ती का जो हमारा रुपगा रुका हुआ है, वह आज के दिन ही रिलीज कर दें।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए, मैं माननीय मंत्री जी को बुला रहा हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, आज जो पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी नेशनल हाईवे है, उस पर बागमती नदी पर कटोझा पुल है। इसकी वजह से पांच महीने तक रास्ता अवरुद्ध रहता है, वह एन.एच. की सड़क है। इसके लिए अनशन चल रहा है। हमने लिखा-पढ़ी की तो एन.एच. 77 का कटोझा पुल और एन.एच. 104 का डुब्बा पुल, जो बागमती नदी पर ही है, दोनों पुलों के चलते एन.एच. का आवागमन ठप्प है। वहां जनता सड़क पर उतर आई है, आमरण अनशन, धरना आंदोलन शुरू है, आज भी टी.वी. में सब आया है। हमने लिखा-पढ़ी की तो जवाब मिला कि सरकार के विचाराधीन है। एन.एच. 77 का कटोझा पुल और एन.एच. 104 का डुब्बा पुल की वजह से दो जिले देश से कट जाते हैं, उसकी हालत खराब है। ऐसा 4-5 महीने तक टी.वी. में भी दिखाई देता है। एन.एच. 77 पर जो पुल टूटा हूआ है, वह बने और सड़कों की दुरुस्ती के लिए विशेष सहूलियत होनी चाहिए।

पांचवीं अंतिम बात, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पांच फैक्टर हैं।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, अब खत्म कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बस खत्म कर रहा हूं। जिनकी आर्थिक हालत खराब हो, जो सीमावर्ती इलाके हों, जिनकी भोगौलिक स्थिति खराब हो, जिनका पहाड़ी एरिया हो और जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा हों, ऐसे ये पांच आइटम्स हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन पांचों फैक्टर्स में लगभग बिहार जितने सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, अभी उत्तरांचल को दिया गया, इसकी सबसे ज्यादा हालत खराब है। अभी जो नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की बैठक होगी तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए और पारित किया जाए।

सभापति महोदय : कृपया बैठिए। आप तो सदन के सभापति भी हैं, इस प्रकार से तो कार्यवाही नहीं चल सकती।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश का 12वां हिस्सा बिहार है, उसका सवाल है। आठवीं योजना और नवीं योजना में हमने हिसाब किया है, योजना के क्रियान्वयन का पैसा खर्च नहीं हुआ। 16 हजार करोड़ में से आठ हजार करोड़ खर्च हुआ, फिर 12 हजार करोड़ रुपया खर्च होना था, वहां पांच हजार करोड़ रुपए, मतलब योजना का कार्य भी छोटा और खर्च भी कम हुआ। सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल स्कीम पर तकनीकी कारण से हमारा हर साल 1500 करोड़ रुपया हमें नहीं मिलता, बिहार उससे वंचित हो जाता है। एग्रीकल्चर के नाम पर योजना में पांच हजार करोड़ रुपए में से पांच सौ करोड़ रुपया मिलना चाहिए, लेकिन मिला सिर्फ 40 करोड़ रुपया।...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने माननीय मंत्री महोदय को बुला लिया। अब आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लेने पर आभार प्रकट करता हूं। मैं, आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये अनुपूरक मांगें हैं न कि अनुपूरक बजट, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, ये अनुदान मांगें केवल 9,000 करोड़ से कुछ ज्यादा रकम की हैं। परन्तु 9,000 करोड़ रुपए की इस धनराशि में से कुल रकम वस्तुतः केवल 5,000 करोड़ रुपए ही है, क्योंकि शेष राशि को पहले से अनुदानों एवं वसूलियों एवं प्राप्तियों के माध्यम से पूरा किया गया है।

अनेक माननीय सदस्यों ने भी टिप्पणी की है इस 5,000 करोड़ रुपए की कुल रकम में से 3,800 करोड़ से ज्यादा संपूर्ण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्न अवयवों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने और 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है जो कि 438 करोड़ रुपए है, जिसका ब्यौरा यहां है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुपूरक अनुदान मांगें इस मंत्रालय या इस सरकार की कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जिसे सभी सरकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक सरकार को इस उपाय के मार्ग को लेना होगा ताकि बजटीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिससे कि हम बजटीय वर्ष में आगे बढ़ सकें। बजटीय चक्र को पूरा करने हेतु सामान्यतः तीन, या नहीं तो चार अनुपूरक मांगें हैं। इस अर्थ में, यह कोई असाधारण कदम नहीं है जिसे इस सरकार अथवा मंत्रालय ने उठाया है।

सायं 6.12 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रतिक्रिया करने और माननीय वक्ताओं, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है, का प्रयास करता हूं। कांग्रेस पार्टी के पहले वक्ता माननीय ब्रिगेडियर के. पी. सिंह देव ने अनगिनत स्रोतों से कई प्रासंगिक एवं अप्रासंगिक उदाहरण दिए हैं। अब, मैं सचमुच उद्धरणों अथवा उनके प्रति प्रतिक्रिया देने से दूर रहूंगा क्योंकि एक कमजोर तर्क उधार के उद्धरणों से बचा नहीं रह सकता है। उन्होंने रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा बजट पर काफी समय बिताया है। हमारे पास उचित समय पर रक्षा बजट पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर है। परन्तु यह सर्वविदित है कि रक्षा बजट को प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन करने और पूंजी उपकरण क्रम में, तथापि बजट वार्षिक आधार पर होता है, खरीद का चक्र और लंबा होता है, और अब ऐसा है कि हमने एक क्रय प्रणाली लागू की है जो कई बाधाओं को शामिल करने का प्रयास करता है।

माननीय सदस्य ब्रिगेडियर के. पी. सिंह देव ने वायु दुर्घटनाओं के बारे में भी बोला और उन्होंने इंडियन एयरलाइंस एवं एलायंस एयर के सिविलियन अनुषंगियों के बारे में उल्लेख किया है। वास्तव में वायुयान पुराने हैं, आवधिक गड़बड़ी नहीं है। परन्तु मैं अनुरोध करता हूं यदि माननीय एवं साहसी ब्रिगेडियर उनको पंद्रहवीं शताब्दी का और जंग खाए हुए नहीं कहेंगे क्योंकि वे ऐसे नहीं हैं।

'एडवांसड् जेट ट्रेनर' के संबंध में यदि हम वायु दुर्घटनाओं एवं वायु दुर्घटना दर का संदर्भ देते हैं--तो मैं वायु दुर्घटना दर का विश्लेषण नहीं करना चाहता--यह ठीक नहीं है। वस्तुतः, भारतीय वायु सेना, तकनीकी रूप से, सर्वाधिक सक्षम वायु सेनाओं में से एक है और यदि हम उसकी छवि ऐसी बनाएंगे, तो यह उचित नहीं है। परन्तु मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूं। मैं इसे उनके अच्छे निर्णय पर छोड़ता हूं और मुझे विश्वास है कि वह इसका पूर्णतः प्रयोग करेंगे या नहीं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक है जो लंबित है और जिसे वापस नहीं रखा गया है। स्थायी समिति, आदि के माध्यम से गुजरने के बाद, शीघ्र ही इसे रखा गया है। मैं वित्त मंत्रालय के बेहतर सहयोग का उद्धरण नहीं देना चाहता। संसद के विशेष सत्र में, कई कानूनों को लागू करने में सक्षम रहे हैं, जिसे कोई भी दल अकेले नहीं कर सकता है।

अतः जैसे ही हमें वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक पर पूरी टिप्पणी प्राप्त हो जाएगी यह भी यहां आएगा।

उन्होंने केबीके पर और उड़ीसा को विशेष दर्जे वाला राज्य माने जाने की वकालत करने में अच्छा खासा समय लगाया। वे अपनी वकालत में उतने ही प्रभावी रहे जितना डा. रघुवंश प्रसाद सिंह यह कहने में रहे कि बिहार को विशेष श्रेणी का राज्य बनाया जाना चाहिए। इस प्रवृत्ति को उपाध्यक्ष महोदय, समझा जा सकता है, क्योंकि माननीय संसद सदस्य अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन राज्यों की समस्याओं को उठाते हैं और अपने राज्यों के लिए बेहतर पाने का आवश्यक प्रयास करते हैं।

कई विशेष विषयों पर बहादुर ब्रिगेडियर ने बोला। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि यद्यपि मैंने गत सत्र के दौरान खेलकूद सामग्री पर सीमाशुल्क में छूट के विषय में आश्वासन दिया था, किन्तु शायद संवादहीनता के कारण ऐसा नहीं हो सका है। मैं सामान्यतः इस विषय में माननीय सदस्यों की बातों को सुधारना नहीं चाहता। सीमाशुल्क में छूट के विषय पर हमने चर्चा की थी--मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है--या तो जुलाई के अंत में या इस वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में। यह मेरे लिए खेद का विषय है कि माननीय और साहसी ब्रिगेडियर यह समझ नहीं पाए हैं कि निम्नलिखित जलक्रीड़ा की क्रीड़ा सामग्रियों पर सीमाशुल्क में छूट दी जा रही है--कैनोइंग, कयाकिंग, रोविंग, याचिंग और वाटर पोलो। मैं आपको अधिसूचना संख्या बताकर कष्ट नहीं दूंगा किन्तु वास्तव में इसकी तिथि 28 अगस्त है। मैंने इस मामले में गलती नहीं की है। मैंने आश्वासन दिया था और आश्वासन पूरा किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर

[श्री जसवंत सिंह]

तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त एक उच्चस्तरीय आयोग में माननीय और साहसी ब्रिगेडियर के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था। मुझे सशस्त्र सेना की वर्दी पहनने का सम्मान भी मिला है। अतः एक रैंक एक पेंशन मेरे लिए संकुचित या मात्र सैद्धांतिक प्रश्न नहीं है। वे जानते हैं कि एक हद तक पूरी एक-रैंक एक-पेंशन योजना ने 1984 से विभिन्न सरकारों से होते हुए एक लम्बी यात्रा तय की है और इस पूरी संकल्पना को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और इसके बावजूद, वे अच्छी तरह से जानते हैं और एक हद तक हम जानते हैं कि सरकार ने पहले ही एक-रैंक एक-पेंशन के सिद्धांत को स्वीकार और क्रियान्वित किया है। क्योंकि इसे पांचवें वेतन आयोग द्वारा उठाया गया है।

कई अन्य चीजों ने हस्तक्षेप किया, पांचवें वेतन आयोग ने हस्तक्षेप किया और पांचवें वेतन आयोग ने भी पूरे सिद्धांत को स्वीकार किया। यह स्वीकृत हो गया है।

माननीय और साहसी ब्रिगेडियर भूतपूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य परिचर्या के विषय में बोले थे जो सिफारिशों में से एक है। वे प्रादेशिक सेना में कार्यरत अधिकारी हैं-एक ऐसी विशेषता है जो अब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं प्रादेशिक सेना अधिकारी नहीं हूं। किन्तु मेरे लिए यह खेद का विषय है कि यह उनके ध्यान में नहीं आया, वस्तुतः हाल ही में देश के सभी जिलों में भूतपूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने वाली एक व्यापक आधार वाली योजना की घोषणा की गई है, जिसे मंत्रिमंडल से पारित कराने का गौरव मुझे मिला था। प्रत्येक जिले में, एक सुविधा भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगी और पहले ही से स्वीकृत इस प्रकार की सुविधाओं की कुल संख्या वस्तुतः 260 से अधिक है। देश के लगभग 260 जिलों से हमारे पास भूतपूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा होगी।

श्री के. पी. सिंह देव : मैं अपनी भूल सुधार लेता हूं। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जसवंत सिंह : खेलकूद को पहले से ही दिए गए कर छूट के अलावा सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड के विषय में, लगभग नौ महीने तक जब मैं रक्षा मंत्री भी था तब मैंने एक विशेष लक्ष्य के साथ सशस्त्र सेना के लिए एक खास धनराशि जारी की थी कि जब हमारे सामने परिस्थिति आए तो सशस्त्र सेना, एथलेटिक और खेलकूद में विशिष्टता के लिए सबसे आगे रहे और उनके लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी। जहां तक सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का सवाल है तो यदि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से मेरे पास कोई अनुरोध आता है तो मुझे इसमें कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती।

महोदय, मैं अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा है उसकी बात करूंगा। माननीय मोइनुल हसन जी यहां हैं। उन्होंने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) मांग सं. 67, और 3000 से अधिक रु. वाले आंकड़े की बात की है। मेरा इरादा बहस का मुद्दा ढूंढना नहीं है। वास्तव में, पांचवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, जिनका आप समर्थन कर रहे थे, का अतिरिक्त 40 प्रतिशत सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है। हम लोग अब पांचवें वेतन आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के कारण उत्पन्न समस्याओं या दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं। सामान्यतः संसद ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर चर्चा नहीं की है। ऐसी परम्परा रही है क्योंकि वेतन आयोग सभी बातों पर विस्तार से विचार करता है। परम्परा रही है कि जब वेतन आयोग ने सभी बातों पर गौर किया है तो पूरे प्रकरण को फिर से खोलना संसद के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। अतः पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर वास्तव में चर्चा नहीं हुई है। जब पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें आईं, तब एक आंदोलन की धमकी थी, और तत्कालीन सरकार ने न केवल वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया--वेतन आयोग ने साथ में जो अन्य सिफारिशें की थीं उसे स्वीकार नहीं किया गया-और साथ में, वेतन आयोग की सिफारिशों पर 40 प्रतिशत से अधिक की वेतनवृद्धि की गई। हमने राज्य सरकारों को सुझाव नहीं दिए किन्तु यह अपरिहार्य था। पहले, वेतन आयोग की सिफारिश पर राज्यों ने केन्द्र सरकार ने जो कुछ किया उसका अनुसरण नहीं किया।

किन्तु समय के साथ यह बदल गया है। जब केन्द्र कोई वेतनमान स्वीकार करता है तो राज्यों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वे भी समान शर्तें और वेतनमान स्वीकार करें। किन्तु पांचवें वेतन आयोग में यही हुआ है। अतः पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का परिणाम केन्द्र से अधिक, राज्यों को झेलना पड़ रहा है। अतः मैं माननीय सदस्य श्री मोइनुल हसन से अपील करना चाहूंगा कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामतः राज्यों द्वारा सम्प्रति सामना की जा रही वित्तीय कठिनाइयों के लिए केन्द्र सरकार पर दायित्व में चूक का आरोप न लगाए।

महोदय, मेरा इरादा सदन का अधिक समय लेने का नहीं था...*(व्यवधान)*

श्री मोइनुल हसन : महोदय, मेरा यह इरादा नहीं था। मैं जानता हूं कि हम वेतन आयोग की सिफारिशों को पुनः नहीं खोल सकते हैं और इसकी चर्चा सम्माननीय सभा में नहीं कर सकते हैं। यह परम्परा नहीं है। किन्तु राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ है। यह एक सच्चाई है। मैं यही कहना चाहता था।

श्री जसवंत सिंह : मैं इसकी चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

यहां कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने राज्यों के लिए क्या किया है, आप इस बारे में बताएं। मैं यह बताने का प्रयत्न करूंगा।

[अनुवाद]

किन्तु अभी मैं पांचवें वेतन आयोग का विषय छोड़ता हूं।

आपने जल की आवश्यकता के विषय में बोला था। मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि जब से मैंने यह पदभार संभाला है, सरकार ने इस विषय में अभी एक घोषणा की है यद्यपि इसे क्रियान्वित करने में थोड़ा समय लगेगा। हमने जल के शुद्धिकरण, फ्लोराइड कम करने, जलशोधन और खारापन कम करने की एक योजना की घोषणा की है। कोई भी जो संयंत्र लगाएगा उसे पूर्णतः कर छूट मिलेगी और उसे मशीनरी पर शत–प्रतिशत मूल्यह्रास का लाभ मिलेगा। जिस मशीन के आयात की आवश्यकता है उस पर कोई सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क भी नहीं लगेगा। इससे अधिक कुछ नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे अधिक देने को कुछ है ही नहीं। इसके बाद यह लोगों के प्रयास का सवाल है कि जलशोधन संयंत्र स्थापित करें क्योंकि यह अत्यंत गंभीर मसला है। कोई एक व्यक्ति इस जल समस्या का हल नहीं कर सकता है।

उसके बाद आपने अलग ब्याज का सवाल उठाया है कि केन्द्र एक खास दर पर धन लेता है और तब ये कर्ज देता है। आपने कहा कि पांच प्रतिशत का अंतर है जो सही नहीं है। यह अंतर 1.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक है। यह अंतर इसलिए है, क्योंकि केन्द्र सरकार विशेषतः विदेशी ऋणों के मामले में मुद्रा मूल्य उतार–चढ़ाव के दायित्व का वहन करती है, मुद्रा मूल्य में उतार–चढ़ाव के दायितव को राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। अतः इस मद में एक खास प्रतिशत रखा जाता है। दूसरे, केन्द्र सरकार इस अंतर से विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है जहां 90 प्रतिशत राशि अनुदान है और केवल दस प्रतिशत ऋण है। ऋणों पर अंतर दर कभी भी तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है। केन्द्र सरकार राज्यों से कभी भी मनमानी या सूदखोरी नहीं करती है। ये ऐसा नहीं कर सकती।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : जो ब्याज दर लिया जा रहा है उसका वास्तविक आंकड़ा क्या है?

श्री जसवंत सिंह : कई प्रकार के ऋण हैं। मैंने अभी बताया कि यह अलग–अलग है। अधिकतम सीमा तीन प्रतिशत से कभी भी अधिक नहीं है और यह 1.5 प्रतिशत से तीन प्रतिशत के बीच होता है। ऐसा इसलिए है कि वास्तव में प्राप्त विदेशी ऋणों को एकत्रित किया जाता है ताकि देश के राज्यों के बीच ऋणों का वितरण जहां तक हो सके एक समान हो। ऐसा नहीं है कि यह योजना इस सरकार द्वारा बनाई गई है बल्कि यह योजना काफी समय से लागू है। कुल मिलाकर इस योजना ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : किन्तु, आपने यह नहीं बताया कि आप राज्यों की मदद किस प्रकार करने जा रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं अभी यह स्पष्ट करता हूं। वस्तुतः आपको मेरे अच्छे मित्र, अपने वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता से पूछना चाहिए। मुझसे ज्यादा अच्छी तरह वे आपको समझा सकते हैं।

श्री अनिल बसु : मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह : मैं आपको यह बताता हूं। आपदा के विषय में, आपदा के लिए ही सीआरएफ और एनसीसीएफ है। ये उपाय हमने शुरू नहीं किया है। यह मोइनुल हसन का दृष्टिकोण है कि मंदी है। उन्होंने कहा कि मैं करतब दिखा रहा था। यह वित्त मंत्री के विरुद्ध अत्यंत गंभीर आरोप है।

श्री मोइनुल हसन : कृपया इसे अन्यथा न लें।

श्री अनिल बसु : वे जानना चाहते हैं कि मंदी वाली अर्थव्यवस्था को किस प्रकार सजीव अर्थव्यवस्था में बदला जा सकता है।

श्री मोइनुल हसन : इस शब्द विशेष का प्रयोग कोई लाभ लेने के लिए नहीं किया गया। यदि आवश्यक हो तो मैं उस शब्द को वापस ले सकता हूं।

श्री जसवंत सिंह : वास्तव में बात यह नहीं है।

श्री अनिल बसु : कभी-कभी आयु में अंतर पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि मंदी थी। कोई भी राजनीतिक दल यह कैसे कह सकता है कि यह आर्थिक विकास या वृद्धि के लिए नहीं है। यह अर्थभेद और दृष्टिकोण का अंतर है। वास्तव में यह अलग दृष्टि का मामला है कि वृद्धि के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के दृष्टिकोण क्या हैं। मैं मूल्य आधारित निर्णय नहीं कर रहा हूं। स्थिति यही है। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि मात्र वही तरीका सही है। मेरे विचार से जब यह वित्त मंत्रालय के पास जाने वाला हो तो ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता। इस संघीय ढांचा में वित्त मंत्रालय इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता जैसे कि वित्त मंत्रालय का संघ के राज्यों के हित से कोई मतलब न हो।

[हिन्दी]

भाई अरूण कुमार जी सदन में अभी नहीं हैं। उन्होंने गांव, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बहुत सी बातें कहीं। मैं उनके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं और उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। माननीय अखिलेश सिंह जी ने गोरखपुर जिले का जो कारखाना बंद है, उसके बारे में और विशेषकर क्षेत्रीय विषमताओं के बारे में कहा है। माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो कहा है, उस पर भी मैं एक मिनट में आता हूं।

[अनुवाद]

इसी बीच, मैं माननीय मुनियप्पा द्वारा उठाए गए सवाल पर स्वयं ध्यान देना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि वह यहां हैं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश : मान्यवर, मैंने होम-ट्रेड घोटाले के संदर्भ में भी कहा था। अभी शेयर घोटाला चल ही रहा था कि आपके राज में होम-ट्रेड घोटाला आ गया। आप उस पर भी प्रकाश डालें।

उपाध्यक्ष महोदय : ऑनरेबल वित्त मंत्री जी की रिप्लाई के बाद अगर आपकी बात कोई बाकी होगी, तो आपको मौका दिया जाएगा।

श्री जसवंत सिंह : अभी मैं उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। अगर आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से पता करके आपको जानकारी भिजवा दूंगा। लेकिन उस पर अभी मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं।

[अनुवाद]

रेशम के प्रश्न पर, ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया है। सदस्य महोदय कर्नाटक से आते हैं, मेरी बात विशेषकर कर्नाटक के संबंध में ही है क्योंकि मैंने दक्षिण में पौधरोपण उद्योग की कठिनाइयों पर गंभीरता से ध्यान दिया है। मेरे विचार से इस समय असम, काचर के चाय उद्योग सहित पौधरोपण उद्योग चिंता का विषय है। अतः पौधरोपण उद्योग जो कि देश के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और जिसके अंतर्गत कॉफी, रबर, चाय, सुपारी आदि आते हैं, के साथ-साथ रेशम के संबंध में भी अनेक कदम उठाए। मुझे सदस्य महोदय को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि रेशम पर पहले से ही 30 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क लगाया जाता है।

श्री आर. एल. जालप्पा (चिकबलपुर) : आपको इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना चाहिए...*(व्यवधान)*

पिछली बार इस सम्मानित सभा में रेशम के बारे में चर्चा की गई...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मुझे पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात पूरा करने दीजिए। इसके बाद आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री आर. एल. जालप्पा : गत बार जब रेशम पर चर्चा की गई तो इस सभा में आश्वासन दिया गया कि इसे 43 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं किया जा सका। मेरा विचार विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का है। लेकिन मंत्री महोदय नये हैं इसलिए मैं चुप रहा...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : अभी मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात पूरा करने दीजिए। फिर यदि आपको कोई स्पष्टीकरण पूछना है तो मैं आपको अनुमति दूंगा। अन्यथा ऐसे तो बात ही नहीं पूरी होगी।

श्री जसवंत सिंह : वास्तव में इस समय संचयी ड्यूटी 35 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक है। मैंने इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से विचार–विमर्श किया है। मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा क्योंकि रेशम के बुनकरों सहित रेशम के किसान के हित का मुझे पूरा ख्याल है। ऐसा नहीं होगा कि हम इसमें एक का बहुत ही नुकसान कर दें। अतः हम दोनों में संतुलन बना रहे हैं। हम दोनों मामलों पर ध्यान देंगे। मैंने इस विषय पर राज्य के मुख्य मंत्री से विस्तार से बात की है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं मंत्री महोदय की बात का समर्थन करता हूं। यही जमीनी वास्तविकता है। हमें सीमाशुल्क 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना है। इससे दूसरों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम चीन से रेशम का आयात कर रहे हैं जो कि बहुत सस्ता है। इसीलिए हमारे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है।

जहां तक चाय की बात है, विशेषकर दक्षिण के पांच राज्यों में पहले ही 500 करोड़ रुपए का पौधरोपण आधुनिकीकरण कोष घोषित कर दिया गया है। अतः हम इसे असम राज्य सहित पूर्वोत्तर तक बढ़ाना चाहते हैं। अतः चाय, कॉफी आदि पर ध्यान दिया जाएगा। बिना आधुनिकीकरण किए इसका कोई समाधान नहीं है।

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरी) : महोदय, आधुनिकीकरण के बारे में क्या कहना है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। यदि आपको कुछ पूछना है तो बाद में पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : अखिलेश बाबू, रघुवंश प्रसाद सिंह जी और अरूण कुमार जी ने यहां अपनी बात रखी। मैं सोचता हूं कि रघुवंश प्रसाद जी द्वारा एक पर्चा सैट किया गया है, मैं उसका जवाब 1–2–3–4–5 के रूप में दे दूं, तो अच्छा रहेगा। उन्होंने पहली बात यह पूछी कि राज्यों की वित्तीय व्यवस्था के लिए मैंने क्या प्रयत्न किया है? यह प्रश्न अन्य कई महानुभावों का भी है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ विशेष रूप से जब मुझे यह कार्य भार संभालने का सौभाग्य मिला तब से मैंने बैठकें शुरू कीं। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ पांच सूत्री सहमति का कार्यक्रम बना। उस पांच सूत्री कार्यक्रम पर सहमति के बाद राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। उसमें मोटे तौर पर एक खाका बना है जिसमें वेज एंड मीन्स, राज्यों के उधार, राज्यों को और टैक्स की सुविधाएं जैसे सर्विस टैक्स इत्यादि के मामले शामिल हैं। वीएजी का भी है। ऐसे 5–6 मसले हैं। मैं सोचता हूं कि आने वाले महीनों में आप इसका कार्यान्वयन देखेंगे। राज्यों की आर्थिक स्थिति में तुरन्त सुधार हो जाएगा, मैं यह नहीं कहता क्योंकि इसमें डैट स्वैप भी है। जैसा मैंने कहा डैट स्वैप करीब 30 हजार करोड़ रुपए का है। हम विश्वास करते हैं कि इससे एक ही कदम में राज्यों को पूरा लाभ होगा लेकिन इसमें राज्यों को भी सहयोग करना होगा। यह एक अच्छा प्रयोग रहा है। बिहार का बकाया हमने नहीं चुकाया, ऐसा कहकर रघुवंश बाबू हम पर अन्याय करते हैं। जैसे ही हमको यह काम मिला, हमने तुरन्त बिहार का बकाया चुकाया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अभी तीन साल का बाकी है।

श्री जसवंत सिंह : यदि कुछ भी बाकी है, आप विश्वास रखिए, हम बाकी रखकर कहां ले जाएंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमें यही तकलीफ थी कि हमारा पैसा कहां चला गया?

श्री जसवंत सिंह : आपका कोई पैसा बाकी नहीं रहेगा। आपका जो पावर ग्रिड का प्रश्न है, मैं सोचता हूं कि वह सही प्रश्न है कि पावर ग्रिड इफैक्टिव होने चाहिए। हम उसके बारे में आपसे सहमत हैं।

आपने पटना की प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि पटना की कोई प्रोजेक्ट आपने भिजवाई है और हम लखनऊ की तरफदारी करें, यह सही बात है वह प्रधान मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, अगर मैं आज वित्त मंत्री हूं तो प्रधान मंत्री जी की च्वाइस पर हूं और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। अगर मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता तो रघुवंश बाबू आपको नाराज करके कैसे काम चलेगा। मैं आपको भी नाराज नहीं कर सकता। अगर पटना की ऐसी कोई योजना है तो निश्चित रूप से उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। आपने कहा कि हम बिहार को विशेष दर्जा दें। स्वयं आप तो ठोक–ठोक कर कहते हैं कि बिहार विशेष राज्य है, हम भारत का भूमध्य हैं, हमारे बिहार के बिना भारत नहीं चल सकता। अब इससे विशेष बिहार का और क्या होगा।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया

[श्री जसवंत सिंह]

है इसलिए मैं अब अनुरोध करता हूं कि सभा अनुपूरक मांगों पर अपनी सहमति दे और इसके बाद हम विनियोग विधेयक की शुरूआत करेंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपके प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा : पूरा देश सूखे का सामना कर रहा है। अगले छह महीनों के लिए सरकार के क्या कार्यक्रम हैं? महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी राज्यों की बैठक बुलाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि 20 से भी अधिक राज्य सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। सरकार को प्रत्येक राज्य की क्षमता और उसकी वहन क्षमता से अवगत होना चाहिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यह कार्य युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। हमने कर्नाटक में केवल 20 प्रतिशत बुवाई की है और वह भी वर्षा न होने के कारण बेकार हो गई। पेयजल की भी समस्या है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगले 6 महीने में सरकार समस्या को कैसे हल करेगी?

श्री जसवंत सिंह : क्या मैं इसका उत्तर दूं? मैं व्यक्तिगत रूप से कर्नाटक गया। जब मैं कर्नाटक में था तो एक विशेष योजना की घोषणा की गई थी। मैंने कर्नाटक सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की और उनसे विचार-विमर्श किया कि यह घोषणा विशेषतः कर्नाटक के लिए ही की गई है। मैं इसे पढ़कर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। जो सुविधाएं दी गईं उसकी मेरे पास तीन पृष्ठ की सूची है। 14 राज्यों को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है। उन 14 राज्यों में कर्नाटक को खाद्यान्न सहायता, आर्थिक सहायता और पौधरोपण के आधुनिकीकरण हेतु 500 करोड़ रुपए की परियोजना प्रदान की गई हैं। ये सारे कदम उठाए गए हैं। आगे और कदम उठाए जाएंगे। मुझे पता है कि माननीय प्रधान मंत्री के पास अन्य उपाय विचाराधीन हैं और जब भी वह चाहेंगे उनके संबंध में संसद एवं जनता से संवाद करेंगे।

डा. एस वेणुगोपाल (आदिलाबाद) : मैं अपने को अभी सदस्य महोदय ने जो कहा उससे संबद्ध करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री को सूखा प्रभावित सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। सूखा तो करीब पूरे देश में पड़ा है। मंत्री महोदय ने खाद्यान्न के बारे में बात की है। मैं सभा के विचारार्थ एक बात का सुझाव दूंगा।

प्रत्येक सदस्य को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। मैं वित्त मंत्री और श्री शान्ता कुमार दोनों से अनुरोध करूंगा कि खाद्यान्न कार्यक्रम को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के साथ जोड़ा जाए। इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5-6 करोड़ रुपए का कार्य शुरू किया जाएगा। अतः राज्य की आवश्यकता के अनुसार सदस्य इस धनराशि को व्यय कर सकेंगे। वे अपने क्षेत्र में या तो अवरोध बांध बना सकेंगे या इसी प्रकार के अन्य कार्य कर सकेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील : पेयजल उपलब्ध कराने संबंधी कोई अनुपूरक मांग नहीं है फिर भी एक सदस्य ने सवाल उठाया है। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि वे कर्नाटक के मुख्य मंत्री से मिले हैं और वह इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किए हैं। यह उनकी तरफ से और सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा किया गया। लेकिन अनेक राज्यों में सूखे की स्थिति है और श्री स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले तीन वर्षों में स्थिति बहुत विकट हो जाएगी यदि इस समय हम कोई एहतियाती उपाय न करें तो स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए मेरा केवल यही अनुरोध है कि हम जब भी आपके और सरकार और अन्यों की अनुमति से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करें तो वित्त मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस मांग के लिए उतनी धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। जिस पर मंत्रिमंडल और संसद के बीच सहमति बनी है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं। अतः मैंने इसमें स्वयं आपकी और मंत्री महोदय के भागीदारी की मांग की।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, हम बहुत धन्य हैं कि मंत्री महोदय पौधरोपण क्षेत्र से संबंधित मामलों से अच्छी तरह अवगत हैं। उन्होंने चाय, कॉफी, नारियल और अन्य संबद्ध मामलों का सही ही उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नारियल का उल्लेख नहीं किए।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, वह नारियल का भी उल्लेख किए। मामला यह है कि वित्त मंत्रालय को चाय के उत्पाद शुल्क पर निर्णय लेना है। हम मानते हैं कि वह कॉफी बागान क्षेत्रों की शिकायतों के निपटारे के लिए कार्य योजना बनाए हैं। लेकिन बैंकों के दृष्टिकोण की वजह से इसे उचित रूप से लागू नहीं किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। अतः वह बंगलौर में जिस पैकेज की घोषणा किए उसे उचित रूप से लागू नहीं किया गया है। तेल का आयात शुल्क भी राज्य के नारियल के किसानों

की चिंता का कारण है। अतः मेरे विचार से इस पर विचार किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय को यह देखने के लिए उचित कार्रवाई करनी है कि बागान क्षेत्र की समस्याएं सुलझ जाएं।

[हिन्दी]

कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ब्रिगेडियर के. पी. सिंह देव जी ने पूर्व सैनिकों की पेंशन के बारे में वित्त मंत्री जी से जो सवाल किया था उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है और पांचवें वेतन आयोग के बारे में जो कुछ बताया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सभी भू.पू. सैनिकों की पेंशन का जिक्र नहीं आया है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक पूर्व सैनिक जो सिपाही से लेकर सूबेदार रैंक का है वह केवल 15 साल से लेकर 22 साल तक ही सेवा करता है और दूसरी ओर जो सिविलियन है वह 60 साल की आयु तक सर्विस करने के बाद 33 सालों का बैनीफिट ले लेता है और इस प्रकार से उसे उसके मूल वेतन का 50 प्रतिशत तक का हिस्सा पेंशन के रूप में मिल जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कैप्टेन इन्द्र सिंह जी, मैंने आपको भाषण करने के लिए समय नहीं दिया है। आप केवल क्लैरीफिकेशन पूछ सकते हैं।

कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इसी समस्या पर वे लोग एजीटेट कर रहे हैं। 9 तारीख को जो रैली हुई, उसमें भी यही बात थी कि सिपाही से लेकर सूबेदार के रैंक तक 15 या 20 साल की सर्विस करके जब जाता है, उसे जो सर्विस बैनीफिट दिए जाते हैं वह सिविलियन के बराबर दिए जाएं। यदि इन दोनों का मुकाबला किया जाए, तो सिपाही को रिटायरमेंट पर केवल 1275 रुपए पेंशन मिलती है जबकि सिविलियन को, जो लोएस्ट कैडर का पियून या चौकीदार है उसे 2000 से 2200 रुपए तक पेंशन मिलती है। भू.पू. सैनिकों की पेंशन में इस विषमता को दूर करने की मांग है और मेरी भी प्रार्थना है कि इस विषमता को दूर किया जाए। इससे वित्त मंत्रालय पर कोई बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। यह सैनिकों की मांग है और बहुत महत्वपूर्ण मांग है जिसे माना जाना चाहिए।

प्रो. रासासिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय वित्त मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं लेकिन मैं उनका ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान में पेयजल की भीषण समस्या पैदा हो गई है। पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरी ओर सुप्रीमकोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

[हिन्दी]

उसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में माननीय वित्त मंत्री राजस्थान में पेयजल उपलब्धता के लिए और अकाल से बचाव के लिए कुछ राहत प्रदान कर सकें, तो बड़ी कृपा होगी।

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन : क्या यह सही है कि माननीय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनधारियों के लिए एक पृथक बैंकिंग ब्याज दर निर्धारित करने पर विचार कर रही है?

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : मैं फसल बीमा के बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा। इस वर्ष सूखे के दौरान, कई किसानों ने फसल बीमा की पालिसी ली। बीमा कानूनों के अनुसार यह निर्धारित करने का आधार कि क्या किसान सूखे से प्रभावित हुए हैं ताकि वह बीमा लाभ प्राप्त कर सकें, यह है कि पिछले तीन वर्षों में औसत उत्पादन क्या रहा है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से इसकी समीक्षा करने का आग्रह करूंगा और फसल बीमा के लिए निर्धारण वर्ष के रूप में सूखे वाले वर्ष को ही चुनें।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, 7 मई, 2002 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पश्चात् सारे भारत के रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया से लाखों लोगों को जंगल से बाहर आना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि उनको पैकेज देने की तरफ भारत सरकार ध्यान दे। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में करीब 3.50 लाख पापुलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पश्चात् 25,000 आबादी जो कुल आबादी का करीब 10 परसेंट है। उन सबको जंगल से बाहर आना पड़ेगा। उनके पास खाने तथा रहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को शैल्टर और फूड के लिए पैकेज देने की चिंता मंत्री जी को करनी चाहिए।

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे

[श्री जसवंत सिंह]

साथी ने राजस्थान के बारे में प्रश्न उठाया है। मेरा कहना है कि अरावली क्षेत्र में खनन कार्य को बंद कर दिया गया है। साढ़े पांच हजार खानें बंद हुईं जिनसे 10 लाख के करीब मजदूर बेघर हो गए हैं। वैसे भी वहां चार साल से अकाल पड़ा हुआ है। यदि ऐसी परिस्थिति में उन खानों को वापस भारत सरकार किसी रूप में चालू नहीं करेगी तो राजस्थान में भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी जिससे लोगों को बहुत परेशानी होगी। क्या वित्त मंत्री जी उनके लिए कोई पैकेज दे सकते हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : झारखंड के गठन के बाद मैं पूरे बिहार की बात कर रही हूं। मैं यह कहूंगी कि बिहार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है। मैं इस अवसर का सदुपयोग एक प्रश्न उठाकर करूंगी। क्योंकि माननीय वित्त मंत्री और माननीय विद्युत मंत्री दोनों आज हमारे बीच बैठे हैं।

इसके पूर्व, मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पर हुए अत्याचार के बारे में कुछ कहूंगी, जिसे मैं समझती हूं कि बिहार में लाखों लोगों पर मानसिक आघात जैसा प्रभाव छोड़ा है। इसलिए, आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बिहार के लाखों लोगों के लिए निर्णय लें।

वर्ष 1989 में हमने बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर में ताप विद्युत घर का सपना देखा था। कुछ कारणवश, पार्टी लाइन के कारण या कुछ और कारणवश, एक अद्भुत परियोजना, जिससे बिहार के लाखों लोगों के कल्याण के लिए रोजगार सृजित होते, किसी अन्य व्यक्ति के मंत्री बनते ही वह परियोजना अधर में लटक गई। उस परियोजना को शुरू भी नहीं किया गया। क्या मुझे माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह आश्वासन मिलेगा कि इस परियोजना को शुरू किया जाएगा? मुझे यकीन है, जब वे फाइलों पर नजर डालेंगे, तो उन्हें स्वयं पता चल जाएगा। मैं विद्युत मंत्री से आग्रह करूंगी कि वे औरंगाबाद के नवीनगर में इस सुपर ताप विद्युत घर की परियोजना पर कार्य शुरू कर सकेंगे ताकि उस क्षेत्र में गरीबी दूर हो सके और लोगों को रोजगार मिले।

श्री जसवंत सिंह : अपना उत्तर देने के पूर्व मैं आश्वस्त हो जाना चाहता हूं कि अब किसी और को प्रश्न नहीं पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है, एक और माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री जसवंत सिंह : आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें भी प्रश्न पूछने दें। वे अकेले ही प्रश्न पूछने से क्यों वंचित रहें?

श्री एम. मास्टर मथान : मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में चाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाना चाहूंगा। उन्होंने इसके आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज का उल्लेख किया। दुर्भाग्यवश, वे लघु उत्पादकों और लघु एवं सीमांत किसानों को भूल गए।

मेरा संबंध चाय बागान उद्योग से है। मेरे क्षेत्र में लगभग 60,000 छोटे किसान हैं। आज, वे अपने खर्चों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। वे चाय की लागत को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं। मैं आधुनिकीकरण की ही बात नहीं कर रहा हूं। दो वर्ष पूर्व उन्होंने छोटे किसानों को छः माह के लिए राजसहायता के रूप में दो रुपए दिए थे। इसके बावजूद भी वह लागत को पूरा नहीं कर सके। अब मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह छोटे किसानों का बचाव करें और निगमित क्षेत्र में भी मूल्य स्थिर करें। गत वर्ष, उन्होंने एक रुपए की छूट दी है। अब, निगमित क्षेत्र को एक रुपए की और छूट दी जाए। मैं यह छूट केवल तमिलनाडु के लिए ही नहीं मांग रहा हूं। इससे मेरा मतलब केरल सहित पूरे भारत से है। पिछली बैठक में श्री चेन्नितला उल्लेख कर रहे थे कि लगभग 24 चाय बागान बंद कर दिए गए हैं और लोग कष्ट उठा रहे हैं। वहां मौतें भी हुई थीं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले की जांच करें और छोटे किसानों को दुर्दशा से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं उठाए गए प्रश्नों का संक्षिप्त रूप से उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

पीने के पानी के प्रश्न पर हम बहुत सतर्क हैं। पेयजल के बारे में कुछ सूखा प्रभावित राज्यों में वर्तमान कठिनाई ही

नहीं है। किन्तु जल की कमी की पूरी समस्या भूमि जल स्रोतों से अत्यधिक पानी का निकालना है, स्रोतों के सूखने से है और पानी के बंटवारे के बारे में उत्तर-राज्यीय कठिनाइयां हैं। ये बातें अब प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी में हैं। इसे इस दृष्टि से देखना है कि इस समय मध्यम अवधि और दीर्घावधि में क्या किया जा सकता है। जहां तक वर्तमान में राजस्थान और कर्नाटक के संबंध में कुछ कदम उठाए गए हैं और कुछ कदम विचाराधीन हैं। मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री पूरे प्रश्न की जांच कर रहे हैं। वह शीघ्र ही देश को इस संबंध में अवगत कराने वाले हैं। किन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि पानी की कमी वास्तव में इस कारण बढ़ जाती है कि यह देश के एक अरब नागरिकों के लिए पीने योग्य पानी का ही प्रश्न नहीं है। भारत एक विशाल देश है जिसमें विश्व के सर्वाधिक पशु हैं। इन पशुओं को भी पानी की जरूरत होती है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए, सरकार ने और मैंने भी पानी को शुद्ध करने, उसमें से लवण निकालने और फ्लोराइड मुक्त करने हेतु एक योजना की घोषणा की है। इसमें कुछ समय लगेगा। इस योजना पर कुछ कार्य पहले ही शुरू हो गया है।

जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है और पेयजल के लिए क्या करना है, तो मैं इसे अलग-अलग नहीं कर सकता और इसे एक राज्य की परियोजना और एक राज्य की चिंता नहीं मान सकता। वास्तव में उदाहरणार्थ, पानी की कमी राजस्थान में गंभीर है। रेगिस्तानी जिलों में यह कमी बहुत गंभीर है। मैं संकीर्ण होना नहीं चाहता और यह बताना चाहता हूं कि वे मेरे गृह जिले हैं। किन्तु मैं इन मुद्दों पर ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये मेरे गृह जिले हैं। इस कठिनाई का हम देश भर में सामना कर रहे हैं। हमें पूर्वोत्तर में असम जैसे राज्यों में पेयजल की भी कमी का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पर केन्द्र सरकार अथवा वित्त मंत्रालय अपने आप ध्यान दे सकता है। इस पूरे प्रयास में राज्य सरकारें भी बराबर की हिस्सेदार हैं जिन्हें इस कार्य में सम्मिलित होना होगा। सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जहां तक इस मुद्दे पर हमारे ध्यान देने का संबंध है तो हम यह कार्य लगातार कर रहे हैं।

ऋण न देने वाले बैंकों उस पर अमल न करने का उल्लेख किया गया था और जो कुछ उन्होंने कहा है मैं इसकी जांच करूंगा। यदि आपके पास किसी विशिष्ट बैंक का उदाहरण है जो यह कार्य नहीं कर रहा है तो मैं इसकी जांच करूंगा। ...*(व्यवधान)*

सायं 7.00 बजे

यदि दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित न करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई है तो यह सुनिश्चित करना मेरा काम है कि यह कार्य किया जाए। किन्तु यदि ऐसा कोई विशेष उदाहरण है कि माननीय सदस्य के मन में कोई बात है जिसे वह मुझसे तत्काल ठीक कराना चाहते हैं, यदि वह मुझे लिखें तो मैं यह कार्य करूंगा।

ड्यूटी ढांचे के बारे में उल्लेख था। यह कहा गया था कि ड्यूटी ढांचा इस समय असंतुलित है और इसलिए हमें इस पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस अवसर पर एक ही तरह से टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि यह अनुचित होगा।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य ने पेंशन के बारे में बातचीत की। आप जो कह रहे हैं, उसी मसले को मैं, जब से संसद में आया हूं, तब से कर रहा हूं। अब तो बहुत वक्त गुजर गया है और अब उस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस समस्या को समझता हूं और मैं इसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा।

माननीय सदस्य ने अरावली में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर रोक लगाई है, उसके बारे में मुझसे जानना चाहा। मैं वित्त मंत्रालय में इसका क्या करूंगा या वित्त मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट को तो हुक्म नहीं दे सकता। परन्तु राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई हो, अभी तक राज्य सरकार ने इससे उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई के बारे में वित्त मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है। यदि राज्य सरकार को कोई कठिनाई होती या राज्य सरकार की कोई योजना हो या राज्य सरकार चाहे कि केन्द्र सरकार इसमें कुछ पहल करे, क्योंकि अपने आपमें जो खनन अरावली में हो रहा है।

[अनुवाद]

मैं इन छोटी-मोटी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। यह एक लघु खनिज है। मार्बल और ग्रेनाइट एक लघु खनिज है। लघु खनिज होने के नाते यह एक राज्य संबंधी विषय है।

[हिन्दी]

राज्य सरकार को इसमें पहल करनी होगी और राज्य सरकार अगर इसमें कुछ पहल करती है और हमसे कहती है कि हमें कोई रिव्यू पिटीशन की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से करेंगे, पर पहल तो इसमें राज्य सरकार को करनी

[श्री जसवंत सिंह]

पड़ेगी। एक और राजस्थान के माननीय सदस्य ने कहा, अब मैं इस पर टिप्पणी न करूं तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें दोष लगाया जाएगा कि मैं किसी प्रकार की तरफदारी कर रहा हूं। एक माननीय सदस्य ने चाय के बारे में कहा।

[अनुवाद]

चाय के सवाल पर मैंने पहले ही कहा है। बिहार के बंटवारे और तत्पश्चात् बिहार में जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, वह अभी भी एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिए और वह उचित तरीका होगा जिस तरह इस मुद्दे को उठाया जाए।

श्री बिक्रम केशरी देव : हमने एक पैकेज की मांग की है।

श्री जसवंत सिंह : मैं किसी एक या अन्य राज्य के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं कर सकता हूं। मुझे अफसोस है। मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित रिजर्व फॉरेस्ट कन्सेप्ट के मामले में कठिनाइयां हैं। किन्तु, यह मेरे लिए संभव नहीं है। एक वित्त मंत्री होने के नाते मैं यहां ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं कर सकूंगा जिससे कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हो। मुझे अफसोस है। मैंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में कोई टीका–टिप्पणी नहीं करें। माननीय मंत्री जी ने सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न किया है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : एमपी लैंड्स (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) को छूना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि यदि एक माननीय सदस्य एमपी लैंड्स को हटाकर उसे किसी अमुक तरीके से लागू करने का सुझाव देता है, तो दस माननीय सदस्य कहेंगे कि वे ऐसा करना नहीं चाहते हैं। अब यह एक निर्धारित योजना है। ऐसा करना मेरे वश की बात नहीं है। यदि वे ऐसा चाहते हैं, तो वे इस मामले को संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से सुलझाएं। माननीय सदस्य इस बारे में थोड़ा उत्तेजित हैं। मैं इसे समझता हूं। मैं जानता हूं कि बीमा राशि को कैसे खर्च किया जाता है। आपने जो कहा है उसे मैंने सुन लिया है। हमारी श्रवण–शक्ति अच्छी है। कृपया बैठ जाइए ताकि मैं जवाब दे सकूं। मैं जवाब दूंगा। मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अच्छा उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : एम.पी.लेड. के बारे में टी.वी. में आ गया है कि एक करोड़ रुपया बढ़ गया।...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह : मुझे उसकी कोई सूचना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी सूचना नहीं है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : प्रधान मंत्री ने एक करोड़ रुपया बढ़ा दिया, ऐसा टी.वी. में आ गया है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : इसे पांच करोड़ रुपए कर दिया जाए।

श्री जसवन्त सिंह : मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है, मैं माननीय सदस्य को बता दूं। उपाध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी भ्रांति है...*(व्यवधान)* आप सुनिए तो।

उपाध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि नीति टेलीविजन पर बनती है। नीति टेलीविजन पर नहीं बनती, सरकार के द्वारा बनती है। इसलिए आप इस भ्रांति से दूर रहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : भ्रांति को करेक्ट करना चाहिए।

[अनुवाद]

अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2002–2003 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

मांग संख्या–5, 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 39, 40, 43, 50, 51, 52, 54, 61, 65, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 79, 82, 83, 87, 89 और 95.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.07 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक* 2002

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आर्टिकल 114(ख) कहता है :

[अनुवाद]

> "भारत की संचित निधि पर भारित, किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।"

[हिन्दी]

अभी संसद में लाकर जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पास कराई गई हैं, ये 8500 करोड़ रुपए की हैं। यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 9045 करोड़ रुपए चाहते हैं। आर्टिकल 114(1) और 115 कहता है कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ लिप्त है। आर्टिकल 114(1) के अंतरण में इसे पुरःस्थापित किया जा रहा है। आर्टिकल 114(1) बोल रहा है :

[अनुवाद]

> "भारत की संचित निधि पर भारित, किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।"

[हिन्दी]

संसद में एप्रोप्रिएशन बिल में 90 अरब रुपए कैसे हो गए, इसको देखा जाए। आपने कार्यसूची में सप्लीमेंट्री डिमांड्स रख दीं, लेकिन हम हिसाब लगाकर देख रहे हैं कि कानून क्या बोल रहा है, आर्टिकल 114 क्या कह रहा है।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 11.12.2002 में प्रकाशित।

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष जी, रघुवंश बाबू ने बहुत लम्बी कौड़ी खेली है। वास्तव में इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बहुत अनुभवी हैं।

श्री जसवंत सिंह : बहुत अनुभवी हैं, विशेषकर गणित के मामलों में। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वैसे मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे जवाब से वे अपना व्यवस्था का प्रश्न विदड्रा कर लें और उपाध्यक्ष जी से रूलिंग न कराएं। आपने आर्टिकल सही पढ़ा है, लेकिन वह एप्लाई नहीं करता है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आर्टिकल 114 कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो ग्रांट्स संसद से पारित हुई है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। आप 8500 करोड़ रुपए पास करा रहे हैं और 9045 करोड़ ले रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : किसी भी मामले में यह संस्वीकृत धनराशि से ज्यादा नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ज्यादा नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न यहां पर लागू नहीं होता है।

प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.12 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश–जारी

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 10 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 15 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 11 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 11 दिसम्बर, 2002 को राज्य सभा द्वारा यथापारित प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2002 को सभा पटल पर रखता हूं।

सायं 7.13 बजे

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य पर हुए हमले की घटना की जांच करने संबंधी समिति के सभापति द्वारा टिप्पणी

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मुझे यह सूचित करना है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य पर हुए हमले की घटना की जांच करने संबंधी समिति की आज बैठक हुई और मामले पर विचार करने के बाद इसी मामले पर आगे विचार करने हेतु कल पूर्वाह्न 10.00 बजे पुनः बैठक करने का निर्णय किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम अगली मद पर चर्चा करें।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 12 दिसम्बर, 2002/ 21 अग्रहायण 1924 (शक), के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/29/16/2002 (एम०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।